नवम माला, खंड 6, अंक 44

शुक्रवार, 18 मई, 1990
28 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 29-11-91

(खंड 6 में अंक 44 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 44, शुक्रवार, 18 मई, 1990/28 वैशाख, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
. के मौखिक उत्तर	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 880, 885, 887, 888 और 891	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	17—180
तारांकित प्रश्न संख्या : 881 से 884, 886, 889, 890 और 892 से 900	17—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9317 से 9465, 9467 से 9498, 9500 से 9521, 9523 से 9530 और 9532 से 9548	27—180
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	180—185
सभा पटल पर रखे गए पत्र	185—200
स्थगन प्रस्ताव	200—249
मेहम में हुई राजनीतिक हत्याओं और राजनीति के अपराधीकरण के परिणाम-स्वरूप लोकतंत्र के लिए उत्पन्न हुआ खतरा	
श्री वसन्त साठे	200
श्री जय प्रकाश	203
श्री सोमनाथ चटर्जी	208
श्री मदन लाल खुराना	211
श्री भजन लाल	214
श्री भोगेन्द्र झा	219
श्री कपिल देव शास्त्री	222
श्री चित्त बसु	224
श्री पी० चिदम्बरम	225
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल	230

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री बृजभूषण तिवारी	231
श्री बंसी लाल	232
श्री राजमंगल पांडे	236
श्री प्यारे लाल हान्डू	238
श्री चिरंजी लाल शर्मा	239
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	241
दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में	249
सभा का कार्य	250
संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक	250—251
पुरःस्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	251—253
(एक) राजस्थान के अजमेर जिले में ब्यावर में स्थित कृष्णा टैक्सटाईल मिल्स को अधिग्रहण किए जाने की मांग	
प्रो० रासा सिंह रावत	251
(दो) बिहार के भोजपुर जिले में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग	
श्री तेज नारायण सिंह	251
(तीन) प्रधान डाकघर, मुम्बई के लिए एक विलगन (सोर्टिंग) मशीन का आयात किए जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री बामनराव महाडीक	252
(चार) गोदावरी नदी के प्रदूषित पानी को साफ करने हेतु एक "कार्य योजना" तैयार किए जाने की मांग	
श्रीमती जे० जमुना	252
(पांच) नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबंधों को गैर-परम्परागत किसानों के स्वामित्व वाले फार्म हाउसों पर भी लागू किए जाने की मांग	
श्री के० सी० त्यागी	253
(छः) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित फसलों आदि के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की मांग	
श्री हरीश रावत	253
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	254
पांचवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	

विषय	पृष्ठ
गो हत्या पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प	254—279
श्री गुमान मल लोढा	254
श्री वसन्त साठे	261
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	265
श्री कल्पनाथ राय	267
कुमारी उमा भारती	269
श्री शोपत सिंह मक्कासर	271
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	276
श्री बसई चौधरी	278

लोक सभा

शुक्रवार, 18 मई, 1990/28 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महम में एक प्रत्याशी की नृशंस हत्या की गई है, वहां पर प्रजातंत्र की हत्या की गई है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल्पनाथ राय जी, अभी प्रश्न काल है, प्रश्न काल चलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई जनतंत्र नहीं है, वहां पर जनतंत्र का गला घोटा गया है । आप क्वश्चन आवर को स्थगित कीजिए और इस सवाल पर बहस करवाइए ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए कल्पनाथ राय जी, अभी प्रश्न काल चलने दीजिए ।

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को बासमती चावल का निर्यात

[अनुवाद]

*880. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बासमती चावल पर आयात शुल्क कम किया है अथवा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा भारतीय चावल के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारतीय चावल का निर्यात जारी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) ने 1-'-1987 से 30-6-1991 तक की अवधि के लिए 10,000 मी० टन धान के बराबर बासमती चावल की मात्रा के आयात पर सामान्य लेवी को 25 प्रतिशत कम कर दिया है।

(ख) ई० ई० सी० द्वारा भारत से बासमती चावल का आयात वर्ष 1986 के 18,614 मी० टन से बढ़कर वर्ष 1987 में 20,546 मी० टन और वर्ष 1989 के प्रथम 9 महीनो में 21,691 मी० टन हो गया है।

ई० ई० सी० को बासमती चावल के निर्यात में हुई यह वृद्धि कुछ सीमा तक लेवी में हुई गिरावट के परिणामस्वरूप हुई है किंतु इसका इतना ही श्रेय निर्यातकों के विपणन उपायों तथा हमारे बासमती चावल की क्वालिटी को भी जाता है।

(ग) निर्यातकों से आग्रह किया गया है कि वे विशेष रूप से भारतीय ब्रांड नामों के अंतर्गत उपभोक्ता पैकों में बासमती चावल का निर्यात संवर्धन करने में अपने प्रयास बढ़ाएं।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, बासमती चावल के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :

1986-87	193 करोड़ रुपये
1987-88	352 करोड़ रुपये
1988-89	354 करोड़ रुपये

लेकिन, यदि आप यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों पर गौर करें तो पायेंगे कि भारत की बासमती चावल के निर्यात के मामले में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है। फिर भी, वर्ष 1989 के 9 महीनों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को बासमती चावल का निर्यात 18614 टन से बढ़कर 21981 टन हो गया है। लेकिन इस मात्रा को बढ़ाये जाने की अभी काफी गुंजाइश है। अत: मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि ऐसी कौन-सी अड़चने हैं जो यूरोपीय समुदाय के देशों द्वारा बासमती चावल के आयात की मात्रा बढ़ाये जाने के मामले में सरकार के आड़े आ रही है और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? दूसरे, मूल्यवान विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए निर्यात हेतु कुल कितना फालतू बासमती चावल इस वक्त उपलब्ध है?

श्री अरंगिल श्रीधरन : सबसे पहली बात तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा इसकी मांग की है, हम केवल उनकी मांग के मुताबिक ही चावल बेच सकते हैं। हमारा बासमती चावल बहुत बढ़िया किस्म का है तथा उसका काफी अधिक मूल्य मिलता है। फिर भी वे देश अब इतनी बड़ी मात्रा मे मांग नहीं करते हैं। तथापि, हम बासमती चावल के निर्यात को विभिन्न तरीकों से जैसे यूरोपीय समुदाय के देशों में सम्पर्कों के जरिये इसका विपणन करके होटलों में अनेक खुदरा दुकानें खोलकर, अधिक प्रचार करके, गुणवत्ता में सुधार करके, आकर्षक ढंग से पैकिंग करके और

इसके ब्रांड नाम के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा करने आदि के द्वारा इसको लोकप्रिय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार भारत ने विदेशी मंडियों में बासमती चावल के निर्यात का 90 प्रतिशत शेयर प्राप्त करके पाकिस्तान को मात दे दी है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। इससे पहले कि मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूं मुझे मंत्री महोदय से बासमती चावल के संबंध में इस वक्त उपलब्ध अतिरिक्त निर्यात की जा सकने वाली चावल की मात्रा का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अरंगिल श्रीधरन : यह 1446 टन है।

श्री मनोरंजन भक्त : विदेश भेजे जाने वाले बासमती चावल की गुणवत्ता के बारे में सब जगह से शिकायत मिली है और इसी वजह से हम अपने ग्राहक खो रहे हैं। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में क्या कदम उठाये हैं और क्या वह उपलब्ध सारे बासमती चावल को केवल निर्यात करने के लिए ही रखेंगे। निम्नतम निर्यात मूल्य कितना निर्धारित किया गया है और देशीय बाजार मूल्य में तथा निर्यात के निम्नतम मूल्य में कितना अन्तर है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या बासमती चावल का निर्यात मुख्यतः खाड़ी के देशों को और सोवियत संघ को करने पर भी विचार किया गया है।

श्री अरंगिल श्रीधरन : देश में बासमती चावल का उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा है और बासमती चावल के निर्यात के लिए भी हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न गुणवत्ता के बारे में था। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि घटिया किस्म के चावल का निर्यात न हो। हमारे अपने निरीक्षण संभाग हैं जो निर्यात करने से पहले चावल का निरीक्षण करते हैं। (**व्यवधान**)

आपने पूछा है कि इसकी कीमत क्या है। महोदय, इसकी कीमत 9500 रुपये प्रति टन है।

श्री मनोरंजन भक्त : गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अरंगिल श्रीधरन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे चावल की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : विगत में भी बासमती और दूसरी तरह का सुगंधित चावल खाड़ी के देशों और सोवियत रूस को भी निर्यात किया जाता रहा है। बासमती चावल के नाम पर कुछ सुगंधित चावल निर्यात किया जाता था। इन देशों को सप्लाई किया जाने वाला चावल बहुत घटिया होता था। उसमें मिलावट होती थी। इसी वजह से विदेशी बाजार में बासमती चावल की मांग घट रही है। महोदय, इससे न केवल हमारी विदेशी मुद्रा की आय पर प्रभाव पड़ा है बल्कि इससे हमारे देश का नाम भी धूमिल हुआ है।

सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये आरोप सत्य हैं कि विगत में जो सौदा खाड़ी के देशों और रूस के साथ किया गया था उसमें शिकायतें मिली हैं और यदि ऐसा है, तो वे कौन लोग थे जिन्होंने यह निर्यात सौदा किया और क्या उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है। दूसरे, क्या उन व्यक्तियों को काली सूची में रखा गया है या नहीं?

अब सरकार का कहना है कि उसके पास काफी मात्रा में चावल हैं। अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि न केवल बासमती बल्कि दूसरी किस्म के चावल के लिए भी कोई ग्राहक नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए क्या सरकार अन्य देशों की मांग को ध्यान में रखते हुए चावल का निर्यात करने के बारे में योजना बना रही है। मैं जान सकता हूं कि निर्यात करने वक्त क्या सरकार सहकारी समितियों के जरिये, राज्य विपणन संघों के जरिये या 'नेफेड' या अन्य शीर्षस्थ सहकारिताओं के जरिये चावल का निर्यात करने की योजना बना रही है और क्या वे उन्हें मिलने वाली अतिरिक्त राशि को भी सुनिश्चित करेंगे अर्थात देश में इसकी कीमत तथा निर्यात करने पर बढ़ी हुई कीमत के अन्तर को ? क्या मैं जान सकता हूं कि कीमतों में आने वाले अन्तर से मिलने वाले पैसे को सीधे चावल की खेती करने वाले उत्पादकों को दिया जायेगा ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री अरंगिल श्रीधरन : जहां तक यूरोपीय समुदाय को निर्यात किए जाने वाले चावल की बात है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं मिली है।

जहां तक अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले चावल की बात है मैं एकदम यह नहीं कह सकता हूं कि हमें कोई शिकायत मिली है या नहीं। यह भी इसलिए क्योंकि यह प्रश्न यूरोपीय आर्थिक समुदाय को चावल निर्यात करने से संबद्ध है। मैं नहीं जानता कि क्या रूस और अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले चावल के बारे में कोई शिकायत मिली है। यदि हमें कोई शिकायत मिलती है तो मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम इस पर गौर करेंगे। हम इसे गंभीरता से लेंगे। क्योंकि हम चावल के निर्यात से अपने देश की छवि धूमिल नहीं होने देंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने सहकारी समितियों के बारे में भी एक प्रश्न किया है।

श्री अरंगिल श्रीधरन : थोड़ी मात्रा में चावल सहकारी समितियों जैसे नेफेड के जरिये भी निर्यात किया जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : क्या आप सहकारी समितियों के जरिये बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करेंगे ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न देशों में चावल का यह निर्यात राज्य व्यापार निगम या गैर सरकारी अभिकरणों के जरिए किया गया ? मैं जानना चाहता हूं कि इनके मालिक कौन हैं और उनके क्या नाम हैं। जब शिकायतें आती हैं तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करती है ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : चावल राज्य व्यापार निगम के जरिए निर्यात किया जाता है, कुछ सहकारी समितियां भी यह कार्य करती हैं। हमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात किए गए चावल के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

जहां तक अन्य बातें हैं, मैं इन पर गौर करूंगा; क्योंकि यह प्रश्न उनसे संबद्ध नहीं है।

डा० असीम बाला : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1989-90 के दौरान कृषि मंत्रालय को निर्यात से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : वर्ष 1989-90 में कुल 24,328 टन का निर्यात किया गया था।

डा० असीम बाला : आप मुझे रुपए में धनराशि बताइए।

श्री अरंगिल श्रीधरन : इससे 2,126 लाख रुपए प्राप्त हुए थे।

श्री संतोष मोहन देव : गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्यात मूल्य की तुलना में बासमती चावल का घरेलू मूल्य क्या है ? यदि घरेलू मूल्य ज्यादा रखा गया है तो इसे बाहर कम मूल्य पर देने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी।

जहां तक मैं जानता हूं, निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य में काफी अन्तर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि वर्तमान निर्यात मूल्य तथा घरेलू मूल्य क्या-क्या हैं और क्या यह वांछनीय है कि उत्पादकों का चावल घरेलू बाजार में अधिक मूल्य पर बेचने से वंचित किया जाए अथवा राज्य व्यापार निगम इसे उत्पादकों से खरीदे और इस पर राज-सहायता दे और विदेशों में घाटे पर बेच कर विदेशी मुद्रा कमाये।

श्री अरंगिल श्रीधरन : घरेलू मूल्य लगभग 20 या 24 रुपये प्रति किलो है। निर्यात मूल्य 9500 रुपए प्रति टन है। हमारी निर्यात नीति का ध्येय अधिक विदेशी मुद्रा कमाना है। ऐसा करते समय कभी-कभी हमें देश में उत्पादित वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात कम कीमत पर करना पड़ता है।

श्री संतोष मोहन देव : राज्य व्यापार निगम कितनी राजसहायता दे रहा है ? जिस बाजार भाव पर आप खरीद रहे हैं और जिस भाव पर आप बेच रहे हैं—आप इसमें अंतर्ग्रस्त घाटे को कैसे पूरा करते हैं ? क्या राज्य व्यापार निगम इस पर राजसहायता दे रहा है ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न 881—श्री राम बहादुर सिंह और समरेन्द्र कुंडू उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 882—श्री माधवराव सिंधिया और श्री सरजू प्रसाद सरोज भी उपस्थित नहीं हैं; प्रश्न संख्या 883 श्री बी० राजरवि वर्मा उपस्थित नहीं हैं और प्रश्न संख्या 884 डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय भी उपस्थित नहीं हैं।

अब प्रश्न संख्या 885—श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन।

राज्यों में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

*885. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष कर्नाटक राज्य के लिए अनिवासी भारतीयों की ओर से ऋण दिए जाने के बारे में जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रति-क्रिया है;

(ग) उन तीन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां अनिवासी भारतीयों द्वारा सर्वाधिक पूंजी निवेश किया गया है; और

(घ) अनिवासी भारतीय से पूंजी निवेश और जमा राशि प्राप्त करने को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय सरकार की ओर से किन प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अनिवासी भारतीय निवेशों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) अनिवासी भारतीयों की औद्योगिक परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश, भारतीय कंपनियों में शेयर पूंजी, ऋण-पत्रों या निक्षेपों के रूप में निवेश, सरकारी प्रतिभूतियों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों और बैंक खातों आदि में निवेश जैसी विभिन्न निवेश सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्हें बहुत से कर-लाभ भी दिए जाते हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हमारे देश को अनिवासी भारतीयों से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। परन्तु दुर्भाग्यवश फिलहाल इस विदेशी मुद्रा का देश के रचनात्मक विकास के लिए ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। अनिवासी भारतीय अधिकतर अपने पैसे को सीधा बैंकों में जमा करा देते हैं जिससे उन्हें ऊंची ब्याज दर मिलती है। इन परिस्थितिमों में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश हेतु सुरक्षित और अधिक आकर्षक विकल्प प्रदान करेगी ताकि देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें ? यदि हां, तो ये विकल्प क्या हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह कहना सही नहीं है कि अनिवासी भारतीयों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। मैं केवल विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करूंगा जिनके अंतर्गत उन्हें सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रथम, अप्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश। द्वितीय, प्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश। इसके अतिरिक्त औद्योगिक निर्माण क्रियाकलाप भी हैं। उदाहरण के तौर पर, अनिवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के अन्य विदेशी राष्ट्रिक किसी भी नई या चालू कंपनी के इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों में निवेश कर सकते हैं, और उन्हें आवश्यक रियायतें मिलेंगी। और ये क्षेत्र इस प्रकार हैं : औद्योगिक निर्माण क्रियाकलाप, अस्पताल, 3, 4 या 5 सितारा होटल, अस्पताल तथा उन्नत नैदानिक केन्द्र, नौपरिवहन, कम्प्यूटर सापटवेयर का विकास तथा तेल अन्वेषण सेवायें।

फिर 74 प्रतिशत योजना तथा 100 प्रतिशत योजना के अधीन निवेश हैं। रुग्ण औद्योगिक इकाइयां, शेयरों तथा ऋण पत्रों में एक मुश्त निवेश, बैंक खातों में जमा अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता जैसी योजनाएं भी हैं। ये सभी योजनाएं उपलब्ध हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमें पर्याप्त संतोषजनक प्रतिक्रिया मिल रही है और अनिवासियों के जमा खातों में लगातार वृद्धि हो रही है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : केरल सरकार ने एक कोष बनाने हेतु एक योजना तैयार की है जिसमें 40 प्रतिशत अंशदान अनिवासी भारतीयों के लिए रखा गया है और निवेश करने वालों को राज्य सरकार द्वारा गारन्टी दी जाएगी। इन परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था केन्द्रीय स्तर पर भी करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी अनिवासी निवेश गारन्टी योजना तैयार करेगी ?

प्रो० मधु दंडवते : हम भी इस बढ़ाने की सोच रहे हैं। संयोग से, आपने जो पहले प्रश्न पूछा था उसके क्रम में हमें जो निवेश प्राप्त हुए हैं उनकी सूची मेरे पास है। प्रत्यक्ष निवेश प्रत्यावर्तन आधार पर (प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है) 31 जनवरी, 1990 तक 40 प्रतिशत योजना और 74

प्रतिशत योजना के लिए—क्रमश: 1361 करोड़ रु० तथा 89 करोड़ रुपये, अप्रत्यावर्तन के आधार पर प्रत्यक्ष निवेश 299 करोड़ रुपए, एक मुश्त निवेश—प्रत्यावर्तन के अंतर्गत 73 करोड़ रुपये और बिना प्रत्यावर्तन 2.63 करोड़ रुपए, भारतीय कम्पनियों में निवेश 27 करोड़ रुपए और बैंक जमा खातों में 17193 करोड़ रुपए। इसके परिणामस्वरूप 31 जनवरी, 1990 तक हमें अनिवासी भारतीयों से 19047.01 करोड़ रुपए मिले हैं।

हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमने जो सुझाव दिया है नीति और योजना के विस्तार से हम जमा खातों में और आगे सुधार कर पायेंगे।

श्री वामनराव महाडीक : अनिवासी भारतीय संघ माननीय वित्त मंत्री से मिल चुका है और उन्होंने मंत्री जी को 34,000 करोड़ रुपए तत्काल निवेश करने की पेशकश की है बशर्ते कि उन्हें बिना वीजा के भारत आने की अनुमति मिले। क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नहीं सोचता कि किसी के लिए भी 'वीजा' प्रबंधों में कुछ भी उदारता बरती जा सकती है। हम केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई उत्पीड़न या देरी न हो। परन्तु हम अनिवासी भारतीयों से भी यह कहेंगे कि वे यह देखे कि जब वे भारत आना चाहें तो सामान्य औपचारिकता पूरी करनी होंगी। हम केवल यही सुनिश्चित करेंगे कि कोई उत्पीड़न या देरी न हो। यदि वे जमा खातों को हमारे देश में लाना चाहें तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : योजना में विचार किए गए अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र सहित देश के विकास हेतु वर्तमान कुल निवेश में अनिवासी भारतीयों के निवेश की प्रतिशतता कितनी है ? इस निवेश घटक को बढ़ाने, इस निवेश की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए सरकार के क्या कार्यक्रम हैं ? सरकार के अनुसार अनिवासियों द्वारा भारत में निवेश के मार्ग में आने वाली बाधाएं नकारात्मक तथ्य क्या हैं ? क्या सरकार निजी क्षेत्र में एक प्रकार की पारस्परिक कोष व्यवस्था के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी जहां निजी क्षेत्र प्रवर्तक, अनिवासियों-निवेशकर्त्ताओं के साथ कोई समझौता कर सकें ताकि अनिवासियों की धनराशि देश में विशेष परियोजनाओं तथा संपूर्ण देश में निवेश वृद्धि के लिए उपलब्ध हो सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : प्रतिशतता का हिसाब तत्काल लगाना इस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कुल निवेश दे दिया है जो 90,047.01 करोड़ रुपए है। यदि मुझे प्रतिशतता देनी है तो मुझे कुछ समय के लिए बैठ कर हिसाब लगाना होगा। परन्तु यह 31-1-90 तक है। यह नवीनतम एकत्र धनराशि है। आपका अगला प्रश्न यह है। क्या हम कुछ प्रबंध कर रहे हैं या रियायतें दे रहे हैं जिससे अनिवासी भारतीयों को देश में निवेश हेतु अधिक प्रोत्साहन मिले ? मेरे विचार में बहुत-सी योजनाएं हैं जिनकी ओर मैंने इंगित किया है। जो लोग जमा खातों को देश में लाने के इच्छुक हैं, उनके लिए, मेरे विचार में 15-20 योजनायें हैं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने अभी-अभी 9 योजनाओं का उल्लेख किया है। उनके अधीन सभी प्रकार की रियायतें हैं, आय-कर, संपत्ति-कर, शुल्क इत्यादि पर सभी सम्भव रियायतें मिलेंगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या वे पर्याप्त हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : वे यह महसूस नहीं करते कि वे पर्याप्त हैं या नहीं, वे केवल यह महसूस

करते हैं कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आपका अगला प्रश्न है : सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ वे निजी क्षेत्र में भी कुछ परियोजनायें शुरू करना चाहते हैं, क्या उन्हें इनमें धनराशि लगाने की अनुमति दी जाएगी ? जहां तक इस देश में धनराशि लगाने का संबंध है तो हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोई भेद नहीं रखेंगे। परंतु, बेशक, लोगों के व्यापक हित में, यदि हमारी सलाह ली गई तो हम सदैव यह चाहेंगे कि वास्तव में वे अपनी जमा राशि उन परियोजनाओं में लगायें जो सार्वजनिक उपभोग की हों और सार्वजनिक क्षेत्र में हों। परन्तु यदि वे वास्तव में निजी क्षेत्र में निवेश करना चाहें तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री श्री चिमनभाई पटेल और श्री दिसूभाई पटेल, अभी भारत में अपनी पूंजी निवेश करने के लिए, गुजरात के बहुत सारे लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनसे मिलने गए थे और वहां उनकी यही आशा थी कि वे अपनी पूंजी का निवेश गुजरात के अंदर अन्य उद्योगों के लिए करें। लेकिन जो बाहर से आते हैं उनका यह मानना है कि गुजरात में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और अन्य लाईसेंस प्राप्त करने के लिए बहुत असुविधा होती है। इसलिए वे जल्दी से अपनी पूंजी निवेश करना नहीं चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या बाहर से आने वाले निवासी यदि पूंजी निवेश करें तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा दी जाएगी ?

प्रो० मधु दंडवते : स्पीकर साहब, जिस दिन गुजरात के मुख्यमंत्री न्यूयार्क में थे, उसी दिन मैं भी न्यूयार्क में था और उनके साथ सारी योजना के बारे में बातचीत भी हुई। गुजरात के कई निवासी जो परदेश में जाकर निवासी बने हैं, उन्होंने वादा किया है कि विभिन्न योजनाओं के लिए वे डिपोजिट देने के लिए तैयार हैं। जो कुछ सुविधा उनको चाहिए जैसे अन्य लोगों को सुविधा उपलब्ध है उनको भी उपलब्ध होगी। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अलग-अलग राज्यों की तरफ से एन० आर० आई० के साथ संपर्क स्थापित करके सिर्फ अपने राज्य के लिए कोई राशि लाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। केन्द्र सरकार के जरिए उसका को आर्डिनेशन किया जाए नहीं तो अखिल भारतीय स्तर पर हम लोगों ने जो प्राथमिकता तय की है, उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में पैसा लग जाएगा। इसलिए हमारा सुझाव सारे प्रांतों और राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास यह है कि इस प्रकार की सहायता लाने से पहले अगर वे सैंटर के साथ कोआर्डिनेशन करें तो हमारी प्राथमिकताएं प्रायरिटी न डिस्टर्ब करते हुए भी एन० आर० आई० के फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि विदेश में रहने वाले भारतीय अगर अपनी पूंजी को अपने देश में कहीं पर भी निवेश करना चाहते हैं, भले ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या देश के पिछड़े क्षेत्र हों, तो भारत सरकार उनको लाइसेंस देने में या अन्य सुविधाएं देने में क्या-क्या छूट प्रदान करेगी या क्या-क्या विशेष सुविधाएं उनको देगी जिससे कि वे प्रोत्साहित होकर अपनी पूंजी का भारत की प्रगति में योगदान दे सकें ?

प्रो० मधु दंडवते : जैसा मैंने पहले कहा कि विभिन्न प्रकार के टैक्स में, चाहे वह वैल्थ टैक्स, इनकम टैक्स हो, सभी क्षेत्रों में उनके लिए खास सुविधा और कनसैशन रखा गया है। उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, लाइसेंस के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी तरफ हम

ध्यान देंगे क्योंकि हमारे सामने मकसद यह है कि ज्यादा पैमाने पर एन० आर० आई० की डिपोजिट्स हमारे देश में आ जाए और हमारे देश के विकास में सहायता हो जाए।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनिवासी भारतीयों को भूसंपत्ति के मामले में निवेश की अनुमति है और यदि ऐसा है तो क्या वित्त मंत्री को अनिवासी भारतीयों द्वारा कर्नाटक में हाल ही में किए गए भूसंपत्ति निवेश संबंधी सौदों का पता है और क्या इन सौदों के संबंध में कोई जांच की जा रही है। मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा स्पष्ट उत्तर यह है कि जब यह शिकायत हमारे ध्यान में लायी गई तो एक कुलदीप सिंह आयोग नियुक्त किया गया। इस संबंध में पहले ही जाच कार्य चल रहा है तथा हम इस पर गौर कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि न केवल कर्नाटक में बल्कि देश के किसी भी हिस्से से यदि कोई शिकायत हमारे ध्यान में लायी जाती है तो हम इस संबंध में आवश्यक जांच करेंगे और जो कोई भी अनियमिततायें हमारे ध्यान में लायी जायेंगी हम उन पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न किया है कि क्या भूसंपत्ति के मामले में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की इजाजत है। मुझे अपने प्रश्न का हां या नहीं में एक उत्तर चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की बात है कई क्षेत्रों में इसकी इजाजत है बशर्ते कि ये निवेश देश के कानून की परिधि में हों और इसमें देश के कानून के उल्लंघन की इजाजत नहीं दी जायेगी।

श्री के० एस० राव : हमारी सरकारों की समस्या योजना या नीति बनाने अथवा संसद में विधेयक लाने की नहीं है। समस्या तो मुख्यतः इस योजना को उस भावना से कार्यान्वित करने की है जिसमें यह योजना या नीति बनायी गयी है।

माननीय मंत्री कह रहे थे कि अनिवासी भारतीयों की निवेश की क्षमता 19000 करोड़ रुपए तक है। यदि प्रभावी ढंग से कार्यान्वियन किया जाए तो यह एक लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। लाल फीताशाही, उदासीन रवैये और अनिवासी भारतीयों से संबंधित विभिन्न मामलों में विलंब को देखते हुए कई अनिवासी भारतीय, जो यहां आए थे, असंतुष्ट होकर वापस चले गए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सम्बन्ध में एक अलग विभाग खोलने की सोचेंगे जिसमें वित्त, वाणिज्य, उद्योग मंत्रालयों के और संबद्ध मंत्रालयों के अधिकारी हों और ऐसे निष्ठावान अधिकारी हों जो किसी भी अन्य मंत्रालय से असंबद्ध मामलों को सीधे ही निपटाने को तैयार हों।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, एक अलग विभाग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी उपाय इस मामले में उस संबद्ध विभाग के जरिए किए जायेंगे जो इन्हें निपटाते हैं उनको प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : ऐसा नहीं होता है।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि व्यक्तिगत निवेशकों के लिए,

अप्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली छूट यह है : अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रारंभिक निवेश पर होने वाली ब्याज के रूप में आय पर आय कर की छूट। (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : मैं दी जाने वाली छूटों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं उनसे केवल यह कह रहा हूं कि इन मामलों को एक ही अधिकारी निपटाए ताकि इसमें विलंब न हो और सभी कुछ प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हम ऐसा विभाग तो नहीं खोलेंगे लेकिन हम आपके इस सुझाव पर गौर करेंगे कि वित्त मंत्रालय में इस कार्य के लिए एक अधिकारी अनुभाग बनाया जाए जिससे सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायें ताकि हम सभी सुधारों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सकें।

श्री रमेश चेन्नीथाला : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनिवासी भारतीय निवेशकों की कठिनाइयों से अवगत है। सरकार ने अनिवासी भारतीय निवेशकों के निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अभी जैसे माननीय सदस्य ने कहा है उन्हें रियायतें उपलब्ध कराने के बारे में कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। बात तो केवल उसके कार्यान्वियन के तरीके की है और उसी में सुधार किया जाना चाहिए। परंतु मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि जैसे हम अनिवासी भारतीयों द्वारा अधिकाधिक निवेश किए जाने के इच्छुक हैं साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि ये सभी लाभ जोकि अनिवासी भारतीयों को दिए जाते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो। उदाहरण के तौर पर यह संभव है कि चूंकि अनिवासी भारतीयों को इन सब रियायतों और छूटों सहित देश में निवेश की इजाजत है। अतः यह भी हो सकता है कि इस देश से काला धन बाहर विदेश भेजा जाए और फिर वही धन सफेद धन के रूप में वापस देश में आए। अतः अनिवासी भारतीयों की जमा धनराशि काले धन को सफेद में बदलने का एक अतिरिक्त साधन नहीं बन जाए। हमें यह सावधानी भी बरतनी होगी। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम यह सावधानी बरतेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार की पूर्व सरकार ने उद्योगपतियों के साथ पूंजी निवेश के लिए एक मीटिंग की थी लेकिन उद्योगपतियों ने बिजली की कमी के कारण उद्योग खड़ा नहीं किया। क्या मंत्री जी बिहार में बिजली की कमी को पूरा करवा कर कोई उद्योग खड़ा करवाना चाहते हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर वह उसके बारे में तफसील से जानकारी दे दें तो उसके सिलसिले में जो भी कार्यवाही करने की जरूरत होगी वह अवश्य की जाएगी।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, पूंजी निवेश के लिए जो सरकार ने व्यवस्थायें दी हैं, उस व्यवस्था से प्रोत्साहित होकर विदेशी प्रवासियों द्वारा पूंजी निवेश की क्या स्थिति है? यदि वह स्थिति अच्छी नहीं है तो उनकी अपेक्षाएं क्या हैं? यदि उनकी अपेक्षाओं के आधार पर उन्हें सुविधायें दी गई तो पूंजी निवेश करने में हमें सुविधा महसूस होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर हम एन० आर० आई० को पूछते रहेंगे कि और कितनी सुविधायें चाहिए तो वह ज्यादा अपेक्षायें करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि इस देश के कई लोगों की शिकायत यह है कि हिन्दुस्तान के जो लोग प्रमाणिकता के साथ अपने टैक्स देते हैं उन्हें कोई कनसैशन नहीं मिलता है लेकिन विदेश से जो लोग ज्यादा पैसा लाने के लिए तैयार हैं, उनको ज्यादा कनसैशन मिलते हैं। इसलिए मैं कृपा करके यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने कनसैशन हम लोगों ने दिए हैं, उनसे ज्यादा कनसैशन की अपेक्षा न करें। जो कुछ भी हमने इसमें दिया है, उसके आधार पर काफी एन० आर० आई० डिपाजिट मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वश्चन, श्री एल० के० आडवाणी। शंकर सिंह बघेला।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन तिवारी : बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हुजूर··· (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : बहुत इम्पोर्टेंट क्वश्चन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकर्त्ता नहीं हैं। लोढ़ा साहब आप जानते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जाएं। लोढ़ा जी, बैठ जाएं। तो क्या किया जाए ? मैं जानता हूं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : नियम 48 की उपधारा तीन के तहत आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : पावर जो है उसमें हमको लगता है कि पिछली बार सवाल उठा था, जब प्रश्नकर्ता नही हैं तो इसको न लिया जाए। हो सकता है कि फिर उसको इस्तेमाल न करने के लिए कहा जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : स्पीकर साहब, इस सदन में यह सवाल मैंने और प्रो० रंगा साहब ने, दोनों ने मामला उठाया था और आपको आपके कार्यालय से पता लगेगा कि स्पीकर साहब को यह अधिकार है, किसी विशेष सवाल के लिए, जिन्होंने सवाल पूछा है, अगर वह उपस्थित नहीं हैं लेकिन आप मानते हैं कि सवाल महत्वपूर्ण है तो आपको दूसरे सदस्य को यह सवाल पूछने की इजाजत देने का अधिकार है। यह खुद मैंने सवाल उठाया था और रूलिंग मेरे हक में मिली थी।

प्रो० राम गणेश कापसे : यह सवाल पूछने के लिए हम तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मधु दंडवते जी का निवेदन सुनने के बाद जो नियम है, उसमें मैं मंत्री महोदय से सीधे कहूंगा कि वह जवाब देंगे उसके बाद मैं पूरक प्रश्न पूछने के लिए इजाजत दूंगा। श्री मधु दंडवते।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पाइंट ऑफ आर्डर क्या है । मैंने तो आपके कहने पर ले लिया । कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : अब तक अध्यक्ष पीठ ने इसकी अनुमति नहीं दी है लेकिन चूंकि इसकी इजाजत दी जा चुकी है, अतः आप हमें भी इसकी इजाजत दें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या समस्त सभा को । जब भी आप चाहें आपको मामले में अनुमति दी जाएगी । आप भी इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं । माननीय सदस्यों के लिए मैं प्रासंगिक नियम पढ़ देता हूं । नियम 48 (3) में कहा गया है :

> "यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर इस कारण न पूछा जाए कि जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष, किसी सदस्य की प्रार्थना पर निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाए ।"

इसलिए इसका उत्तर श्री मधु दंडवते द्वारा दिया जा रहा है ।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपनी जानकारी के लिए बताता हूं कि पिछली पार्लियामेंट में मैंने एक पाइंट ऑफ आर्डर उठाया था और जाखड़ साहब ने मेरे हक में अपना निर्णय दिया था । आपने आज जो निर्णय दिया है, वही निर्णय उन्होंने दिया था । मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं ।

विकास के लिए धनराशि

[अनुवाद]

*887. @ **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** :
@ **श्री शंकर सिंह बघेला** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि 543 संसदीय चुनाव क्षेत्रों के लिए 815 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जायें जिसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य के सुझाव के अनुसार कृषि, ग्रामीण स्वच्छता, बीज संसाधन एवं भंडारण सुविधा, मरुभूमि के बढ़ने पर नियंत्रण, बारानी खेती, वनरोपण, गन्दी बस्ती सुधार, पेयजल सप्लाई, औषधालयों आदि के क्षेत्र में संबंधित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खर्च किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अनुवर्ती कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

@ ये माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे, लेकिन नियम 48 (3) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष ने कुछ अन्य माननीय सदस्यों का अनुरोध स्वीकार कर लिया और प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति प्रदान की ।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) कुछ संसद सदस्यों से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि संबंधित सदस्यों के सुझाव पर विकास कार्यों के उत्तरदायित्व के लिए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु दो करोड़ रुपए आबंटित किए जाएं ।

(ख) और (ग) जैसे ही विकेन्द्रीकृत योजना, विशेष रूप से क्षेत्रीय विकास की धारणा बन जाती है, तो प्रत्येक पंचायत/मंडल पंचायत/जिला परिषद की आवश्यकताओं पर व्यापक ध्यान देना योजना का एक अभिन्न अंग बन जाएगा । वर्तमान योजना आयोग इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है । अलग से निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर बजट प्रावधान करना न ही तो वांछनीय है और न ही व्यवहार्य है ।

श्री सन्तोष मोहन देव : हमारे लोकतंत्र में निचले स्तर पर विकास कार्य शुरू होने के पश्चात् मतदाता विधायकों और सांसदों में अन्तर नहीं समझते हैं । वे सांसदों से भी निचले स्तर के विकास कार्य में सम्मिलित होने की आशा करते हैं । दुर्भाग्यवश सभी राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों में सांसदों की उपेक्षा की है और जब वे मतदाता के पास जाते हैं तो वे पूछते हैं कि आपका क्या कार्य है । संसद में मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार का हमेशा यही दृष्टिकोण रहता है कि सांसदों का कार्य नीति निर्माण में भाग लेना और निचले स्तर पर इसे कार्यान्वित करना है । परन्तु अब स्थिति बदल गयी है । आप प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ रुपये आबंटित नहीं कर सकते हैं । परन्तु जब आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हैं और परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए निचले स्तर पर तंत्र को सम्मिलित करते हैं तो क्या आप लोक सभा के सदस्यों को उस राशि में, जो केन्द्र और राज्यों से दी जाती है, सम्मिलित नहीं कर सकते ? परियोजना अभिनिर्धारण के मामले में भी हमारी बात का कुछ महत्व होना चाहिए । हमें भी कुछ कार्यों से जोड़ा जाए तो अच्छा है । **(व्यवधान)** मेरा प्रो० मधु दण्डवते से अनुरोध है कि वे इन बातों का विश्लेषण करके देखें और यह कहने के बजाए कि ऐसा सम्भव नहीं है, कुछ निर्णय करें । मेरे विचार से मेरे अनुरोध से समूची सभा सहमत होगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं और उनका सम्मान करता हूं तथा जानता हूं कि अनेक माननीय सदस्य इन भावनाओं से सहमत हैं । **(व्यवधान)** इसलिए मैंने कहा अनेक माननीय सदस्यों··· **(व्यवधान)** ···महोदय, वे प्रश्न पूछते हैं परन्तु जवाब नहीं चाहते हैं । मेरे साथी श्री साठे ने पहले ही कह दिया था कि मुझे एक मंत्री के रूप में जवाब नहीं देना चाहिए बल्कि मुझे अपने आपको सदस्य समझना चाहिए । यदि मैं स्वयं को एक सदस्य समझूं प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए । परन्तु फिर भी मैंने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं और निस्संदेह हम पूरे मामले की जांच करेंगे । परन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुरानी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया है । इस नीति को स्वीकार न करने के संबंध में मैंने पिछली सरकार की नीति के बारे में बता दिया है । यह पृष्ठभूमि थी··· **(व्यवधान)** जिसे श्री सोमनाथ चटर्जी ने हस्तक्षेप करते समय बताया था कि आज भी वर्तमान प्रावधान के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर योजना बनाई जाती है, राज्य योजना और जिला योजना बोर्ड की व्यवस्था है तथा इस जिला योजना बोर्ड के सांसद तथा विधायक सदस्य हैं । **(व्यवधान)** क्योंकि वे जिला योजना बोर्ड के सदस्य भी हैं··· **(व्यवधान)** श्री साठे, क्या हम बातचीत ही करते रहेंगे ? मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए । प्रश्नकाल के संचालन का यह तरीका नहीं है । मेरी बात खत्म होने के बाद आप प्रश्न पूछना मैं उसका जवाब दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी तरफ मत देखें। आप अध्यक्ष पीठ की ओर ध्यान दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप बड़े सुन्दर हैं। मैं आपकी तरफ ही ध्यान दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार सांसद और विधायक जिला योजना बोर्ड के सदस्य हैं इसलिए वे व्यय के प्रत्येक पहलू के संबंध में अपनी बात कह सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश, जैसा कि श्री साठे ने ठीक कहा है, कि इस विशेष प्रावधान को सभी मामलों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। यह एक पहलू है। इसलिए योजना आयोग ने विगत अनेक वर्षों से कहा है कि यदि आप सांसदों और विधायकों को ये विवेकाधिकार दे देंगे तो इन व्यक्तिगत विवेकाधिकारों से प्राथमिकताओं, जो अखिल भारतीय, राज्य और जिला बोर्ड के स्तर पर निर्धारित की जाती हैं, में परिवर्तन की सम्भावना रहेगी। परन्तु अपने साथी श्री सन्तोष मोहन देव की बात का जवाब देने के बावजूद मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मामले की पुनरीक्षा करेंगे, समूची सभा के दृष्टिकोण पर विचार करेंगे और तत्पश्चात् अन्तिम निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय उन राज्य सरकारों को, जिन राज्य सरकारों द्वारा वहां के विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में खर्चा करने के लिए विभिन्न राशि अलाट की जाती है जैसे : महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और भी ऐसे अन्य प्रदेश हैं, क्या माननीय मंत्री जी उनके मुख्य मंत्रियों से यह कहेंगे कि इन विधायकों की सूची में वहां के सांसदों को भी शामिल कर लिया जाये ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का केन्द्रीय फैसला होने के बाद उन्होंने जो सुझाव दिया है उसको कार्यान्वित करने का सवाल आयेगा। मैंने सबसे पहले कहा है कि यहां विभिन्न पार्टी के लोग हैं, आप मत समझिये कि सारे सदन की राय एक है, अलग-अलग पार्टियों की राय भी अलग-अलग हो सकती है। उनके साथ हम सलाह-मशविरा करेंगे और येकरते के बाद जो सहमति होगी, उसके आधार पर अगर फैसला होता है तो जरूर मुख्य मंत्रियों के साथ सम्पर्क करके, जो सुविधायें एम० एल० एज० को मिलती हैं यही सुविधायें एम० पीज० को भी मिल सकती हैं कि नहीं, इस पर हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इसके अतिरिक्त कि हम और हमारी पार्टी सैद्धान्तिक रूप से इस सुझाव से सहमत नहीं हैं, मैं इस कारण इस पर आपत्ति करता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। यदि हमें ये विवेकाधिकार नहीं आयेंगे तो हमारे पुनः निर्वाचित होने के अवसर कम हो जायेंगे।...(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम यह सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था करेंगे कि आप जैसे लोग लोक सभा के लिए पुनः चुने जायें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में जिला योजना बोर्ड में सांसदों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके विपरीत उन्होंने जिला विकास परिषद के नाम से एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। उसमें भी हम ऐसे सदस्य नहीं हैं जो यह मांग कर सकते हैं कि अमुक विशेष क्षेत्र

में अमुक विशेष विकास कार्य शुरू किया जाना चाहिए। उसमें भी हम यहां की तरह प्रश्न पूछ सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं। यह जानकारी का मामला है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति योजना आयोग के निदेशों के कारण पैदा हुई है। यदि ऐसा नही है तो क्या यह सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जायेगी कि विकास कार्यों के संबंध में सांसदों विशेषत: लोक सभा के सदस्यों के दृष्टिकोण पर विचार किया जाए? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, प्रावधान करना एक बात है और इसका कार्यान्वियन करना दूसरी बात है। जहां तक योजना आयोग द्वारा दिये गये निदेशों का संबंध है, उनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिला योजना बोर्ड में सांसदों और विधायकों की एक भूमिका है। इसका कार्यान्वियन किया जाता है अथवा नहीं यह अलग बात है परन्तु इस प्रश्न को, जो उन्होंने पूछा है, इससे जोड़े बिना सभा को आश्वासन देता हूं कि हम समूचे मामले की नए सिरे से पुनरीक्षा करेंगे और तत्पश्चात् अन्तिम निर्णय लेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, जिला विकास बोर्ड या पंचायत अथवा पंचायत समिति, जो केन्द्र द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रही है, में सांसदों के सम्मिलित न होने के कारण यह समस्या पैदा होती है। सांसदों को धनराशि आबंटित करने का विचार हानिकारक होगा और आयोजना के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत होगा। इसलिए सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्थानों पर निर्वाचित समिति के विवेकाधिकार से व्यय की जानी चाहिए। यदि ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा यह और हानिकारक बात होगी। निस्संदेह मेरे राज्य में कोई पंचायत नहीं है और कोई अध्यक्ष नहीं है। परन्तु सरकार ने योजनाओं के कार्यान्वियन का कार्य सांसदों और विधायकों को सौंप दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्रीकरण तथा निचले और जिला स्तर पर जनता के द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन से विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि विचार-विमर्श के बाद सभी दल इस सुझाव का समर्थन करेंगे तो हम इस चेतावनी को ध्यान में रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रावधान का दुरुपयोग न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री ललित विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या नया सदस्य हूं और आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को अपना अनुभव बताना चाहता हूं। जब मैं एम० पी० चुना गया, उसके 4 महीने के अंदर मुझे मालूम पड़ा कि हमारी जो जनता है, क्षेत्र के जो वासी हैं, वे उम्मीद करते हैं कि मैं वहां म्युनिसपल कमेटी के मेंबर की तरह फंक्शन करूं, बी० डी० ओ० की तरह फंक्शन करूं, दरोगा की तरह फंक्शन करूं और उनकी समस्याओं का समाधान करूं।

अध्यक्ष महोदय, विकास के जितने कार्यक्रम अफसरों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, उनका जितना फल लाभार्थियों के पास पहुंचना चाहिए, उतना नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लोक सभा के लिए चुने हुए जो सदस्य हैं, विकास के मामले में उनकी भी आवाज सुनी जानी चाहिए। भले ही हमें रुपया खर्च करने की पावर न दें, लेकिन क्षेत्र के लिए जो भी विकास योजना बने, उसके पूरा निर्धारण और पहचान में हमारी स्वीकृति होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

विदेशों के साथ वस्तु विनिमय व्यापार

[अनुवाद]

888. **श्री अन्बारासु इरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान किसी देश के साथ वस्तु विनिमय व्यापार संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच विशेष रूप से किन-किन वस्तुओं का विनिमय किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अन्बारासु अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री अन्बारासु इरा : महोदय, मेरे पास पूछने के लिए कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 889—श्री राधा मोहन सिंह उपस्थित नहीं हैं। अगला प्रश्न संख्या 890 —श्री अमर रायप्रधान वह भी उपस्थित नहीं हैं। अब प्रश्न संख्या 891—श्री हरि केवल प्रसाद।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बैंकों की शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

*891. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की और शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शाखाओं के कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ग्रामीण इलाकों में बैंकों की शाखाएं खोलने के वास्ते जारी किए गए ग्यारह लाइसेंसों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लाइसेंसों की वैधता-अवधि, सितम्बर, 1990 तक बढ़ा दी है। इस जिले में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक के पास कोई भी लाइसेंस लम्बित नहीं है। आज की तारीख तक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के पास, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित जिन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंस लम्बित पड़े हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

केन्द्र	खंड
1. बंगराबाजार	बनकटा
2. करायलशुक्ला	बरहाज
3. खोरीलारीरामपुर	भटनी
4. सरायन	भाटपररनी
5. मेडापाकड	तदैव
6. महुआबुजुर	फाजिलनगर
7. बनकोटा	मोतीचाक
8. खोटीर	रामकोला
9. तबंपार	सालेमपुर
10. पीपराकनक	ताम कुही
11. महुआखुर्द	कैप्टनगंज

श्री हरि केवल प्रसाद : मान्यवर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि देवरिया जिले में बैंकों की शाखाएं खोलने के वास्ते जारी किए गए लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो गयी थी, जिसे 1990 तक बढ़ा दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो अवधि बढ़ायी गयी है, अवधि बढ़ानें के बावजूद भी वहां पर बैंक शाखा नहीं खुली है, क्या वहां बैंक शाखा खोलने की अनुमति देंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह हमारे विचाराधीन है। हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त जिन 11 स्थानों पर बैंक खोलने का प्रस्ताव था, क्या वहां भी बैंक खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष जी, सवाल सिर्फ इन ग्यारह स्थानों का ही नहीं है, इसके अलावा भी यदि कोई केस होगा उसके सिलसिले में हम विचार करेंगे। इसके बारे ,में पुनर्निर्णय होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पुस्तकों का आयात

*881. **श्री राम बहादुर सिंह** :

श्री समरेन्द्र कुण्डु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत भारी संख्या में पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों का आयात किया जाता है;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान इन पुस्तकों के आयात पर कुछ कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) शैक्षिक पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों के आयात पर कितने प्रतिशत विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(घ) क्या सरकार का खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान 114.12 करोड़ रु० मूल्य की मुद्रित पुस्तकों और 2.79 करोड़ रु० मूल्य के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा आवधिक पत्रिकाओं का आयात किया गया।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान पुस्तकों और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों के आयात-मूल्यों की प्रतिशतता क्रमशः 97.6 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत रही।

(घ) जानकारी तथा विचारों के मुक्त प्रवाह के लिए पुस्तकों के महत्व को देखते हुए, ओ० जी० एल० के अधीन पुस्तकों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किंतु, आयात सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए नई आयात नीति में समुचित प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन

882. **श्री माधवराव सिंधिया** :
श्री सरजू प्रसाद सरोज :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र में एक लाख से सात लाख टन की वार्षिक क्षमता वाले इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो नीति में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) संशोधित नीति की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) आर्थिक सक्षमता के दायरे में लोहे तथा इस्पात की मदों का उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र को पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के संबंध में अत्याधिक लोचकता प्रदान करने के बारे में सरकार के विचार के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

फोटोग्राफी के सामान का आयात

*883. **श्री बो० राजरवि वर्मा** : **क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित उत्पादन से अथवा आयातित जम्बो रोल्स से देश में कितनी मात्रा में और किस प्रकार के फोटोग्राफी के सामान का उत्पादन होता है;

(ख) क्या ऐसे सामान का आयात करने की अनुमति दी जा रही है जिसका देश में ही

उत्पादन हो रहा है हालांकि ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जम्बो रोल्स से बनाए गए वैसे ही माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) परिष्कृत रूप से फोटोग्राफिक फिल्म (रंगीन) और फोटोग्राफिक कागज (रंगीन) स्टाक और बिक्री के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयात करने की अनुमति है। ऐसा पर्यटकों की आयातित फोटोग्राफिक रंगीन फिल्मों के लिए दर्शायी गई अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि पर्यटन को, जोकि विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बढ़ावा देने पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। फिर भी इसके साथ ही स्वदेशी उत्पादन की टैरिफ उपायों से रक्षा की जा रही है।

विवरण

निम्नलिखित प्रकार की फोटो-सुग्राहीकृत वस्तुएं आधारभूत स्तर से विनिर्मित की जा रही हैं :

1. श्वेत श्याम सिने पोजिटिव
2. श्वेत-श्याम सिने साउंड निगेटिव
3. श्वेत-श्याम सेल फिल्म
4. श्वेत-श्याम फोटोग्राफिक कागज
5. सेल्यूलोज-ट्राइ-ऐसीटेट पर आधारित एक्सरे फिल्म
6. रेजिन कोटेड कागज
7. वीडियो इमेजिंग फिल्म

निम्नलिखित फोटो-सुग्राहीकृत वस्तुओं को आयातित जम्बो रोल्स से रूपांतरित किया जाता है :

1. पालियस्टर फिल्म पर आधारित औषधीय और औद्योगिक एक्सरे फिल्म
2. सिने कलर पोजिटिव
3. कलर रोल फिल्म
4. ग्रेफाइट आर्ट फिल्म
5. फोटोग्राफिक रंगीन कागज

वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 6.8 मिलियन वर्ग मीटर एकीकृत फोटोग्राहीकृत सामान का उत्पादन किया गया और वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 18.2 मिलियन वर्ग मीटर विभिन्न अन्य फोटो सुग्राहीकृत सामान का उत्पादन/आयात किया गया।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

[हिन्दी]

*884. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में इस समय कितने निवेशक हैं;

(ख) पूंजी निवेश से संबंधित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की कितनी योजनाएं हैं;

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास इस समय निवेश के लिए कितनी पूंजी उपलब्ध है;

(घ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विदेशों में कोई योजना या 'निधि' आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यास मंडल में ग्यारह न्यासी हैं।

(ख) इस समय निवेश के लिए सात योजनाएं चल रही हैं।

(ग) 15 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निवेश्य निधियां 15802 करोड़ रुपए की थीं।

(घ) और (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट का प्रस्ताव, जापान की नोमुरा प्रतिभूतियों और एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर एक नई अपतटीय निधि प्रारम्भ करने का है। इस निधि में, जापान, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में निवेशकों से अभिदान के लिए पेशकश की जाएगी। इस निधि का प्रबंध भारतीय ट्रस्ट द्वारा किया जाना है।

कर्नाटक में संगीत और नृत्य उत्सव आयोजित करने के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

*886. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ महीने पूर्व बेलूर और हालेबिड के मंदिरों में संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने बेलूर और हालेबिड के मंदिरों में प्रतिवर्ष संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार ने बेलूर और हालेबिड मंदिरों में किसी संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन नहीं किया है। तथापि, कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन, कर्नाटक नृत्य अकादमी, ने वर्ष 1989-90 के दौरान संगीत और नृत्य के हालेबिड महोत्सव का आयोजन किया तथा केन्द्रीय संस्कृति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय, संगीत नाटक अकादमी ने इस उत्सव को सह-प्रायोजित किया और 25,000 रुपए का तदर्थ अनुदान भी दिया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर आयुक्तों (अपील) द्वारा अपीलों का निपटान

*889. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर आयुक्तों (अपील) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी अपीलों का निपटान किया गया;

(ख) इन आयुक्तों के पास लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) इन मामलों को कब तक निपटाये जाने की आशा है; और

(घ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान आयकर आयुक्तों (अपील) द्वारा निपटाई गई अपीलों की संख्या तथा उसके पास अनिर्णीत पड़े हुए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वित्त वर्ष	वर्ष के दौरान किया गया निपटान	वर्ष के अन्त में अनिर्णीत पड़े हुए मामले
1987-88	70,130	1,20,106
1988-89	86,961	1,15,563
1989-90	62,568	1,33,285

(वर्ष 1989-90 के लिए ये आंकड़े केवल दिसम्बर, 89 के माह तक के लिए हैं।)

2. अनिर्णीत पड़े हुए मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निपटान हेतु प्रत्येक आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा एक महीने में 90 अपीलों को, उनके महत्व की एक प्रणाली सहित, निपटाए जाने का एक कोटा नियत किया गया है।

3. अनिर्णीत पड़े हुए मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान करने के लिए विविध प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(i) अपीलों के निपटान के लिए एक कोटा निर्धारित करना;

(ii) मुख्य आयुक्तों द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के कार्य का प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण करना तथा उसकी निगरानी करना; और

(iii) कार्यभार की मात्रा में वृद्धि से निपटने के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के अतिरिक्त पदों का सृजन करना।

नान-कंपेक्ट पुप उपभोक्ताओं को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा सप्लाई

*890. श्री अमर रायप्रधान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बी' दर्जे के नान-कांपेक्ट ग्रुप उपभोक्ताओं को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान माल की सप्लाई संबंधी पत्र जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान सेल द्वारा अनेक 'बी' दर्जे के नान-कम्पैक्ट ग्रुप उपभोक्ताओं को लोहा और इस्पात की सप्लाई की गई है। उनको जारी किए गए पत्रों के आकड़े सेल द्वारा अलग से नहीं रखे जाते।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली रुग्ण कंपनियों को बड़े व्यावसायिक घरानों को सौंपना

*892. **श्री के० प्रधानी :**
श्री डी० अमात :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कंपनी लिमिटेड का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग में कार्यरत रुग्ण कंपनियों का प्रबंध बड़े व्यवसायिक घरानों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने छोटे उद्यमियों की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं बड़े व्यावसायिक घरानों को सौंपने में सहायता करने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन बड़े व्यावसायिक घरानों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि० का गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के रुग्ण एककों को बड़े व्यावसायिक घरानों को सौंपने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही इस मंत्रालय ने बड़े व्यावसायिक घरानों द्वारा छोटे उद्यमियों की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं को अपने हाथ में लेने के लिए उनकी सहायता करने के वास्ते उनके साथ कोई विचार-विमर्श किया है।

रुग्ण औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाना

[हिन्दी]

*893. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अब तक कितने प्रस्ताव मंजूर किए गये तथा अनुमोदित किये गये;

(ख) क्या इन मंजूर किए गए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही आरंभ कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब से बचने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) इस बात की तसल्ली हो जाने पर कि संबंधित कंपनी उचित समय में स्वयं ही अपनी शुद्ध मालियत को सकारात्मक बना सकती है, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने दिनांक 30 अप्रैल, 1990 तक, रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17 (2) के अंतर्गत, 100 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को ऐसा करने की अनुमति दे दी थी। उक्त बोर्ड ने 92 अन्य कंपनियों के मामले में पुनर्वास/पुनरूद्धार योजनाओं को भी मंजूर किया था।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, अपनी मंजूरियों/अनुमोदनों में एक शर्त रखता आ रहा है जिसके अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है।

मुंगेर, बिहार में सोने का भंडार

*894. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले में सोने का भंडार पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सही ढंग से निकालने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) मुंगेर जिले के सोनू प्रखंड में मामूली स्वर्ण स्थान देखने में आया है, जिसका बिहार सरकार द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है।

जायरे को निर्यात

[अनुवाद]

*895. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जायरे को भारतीय वस्तुओं के निर्यात की संभावना का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने फरवरी, 1987 में जायरे के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। प्रतिनिधि मंडल ने यह पता लगाया कि बिल्डर्स हार्डवेयर, औजार, विनिर्माण मदों, साइकिल पुर्जों आदि जैसे हल्के इंजीनियरी सामान के निर्यात की अच्छी संभावना है।

उद्योगों की स्थापना के लिए प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो मदें अभिज्ञात की गयी हैं, उनमें शामिल हैं : हैंड पम्प, विद्युत पम्प, कृषि उपकरण, बाइसिकल, मोपेड, बेसिक इलैक्ट्रिक गजेट्स, ट्रांजिस्टर रेडियो, टिलर्स, मूलभूत भेषजीय पदार्थ छोटी मोटर तथा कृषि आधारित उद्योग।

दूरदर्शन के लिए नियमित महानिदेशक की नियुक्ति

*896. श्री पीटर जी० मरबनिआंग : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन महानिदेशक का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद को नियमित आधार पर कब तक भरे जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) महानिदेशक, दूरदर्शन के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

कर-मुक्त औषधियां

*897. डा० किरोड़ी लाल मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर-मुक्त औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन औषधियों को कर से मुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) औषधियों तथा दवाइयों पर केंद्रीय तथा राज्य दोनों कर लगाए जाते हैं। केंद्रीय करों में सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर शामिल हैं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 का प्रशासन, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता है, कानून द्वारा राज्य सरकारों को सौंपा गया हुआ है तथा केवल उन्हें ही लोकहित में ऐसे करों को लगाने से छूट देने के अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार केंद्रीय सरकार केवल सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में ही छूट प्रदान करती है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(क) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी बल्क ड्रग्स को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है। इन बल्क ड्रग्स की विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, नामशः (i) राष्ट्रीय तपेदिक रोग उन्मूलन कार्यक्रम, (ii) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, (iii) राष्ट्रीय रोहा रोग (ट्रैकोमा) नियंत्रण कार्यक्रम तथा अंधेपन पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, (iv) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा (v) राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अपेक्षित दवाइयों के उत्पादन के लिए आवश्यकता पड़ती है।

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बल्क ड्रग्स में से निर्मित सभी औषध निर्मितियों को (नेत्र-चिकित्सा में प्रयोग के अलावा अन्य किसी चिकित्सीय प्रयोग के लिए टेट्रासाइक्लिन अथवा हाइड्रोकोर्टोइसोन पर आधारित औषध निर्मितियों को छोड़कर) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कारणों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है।

(ग) पेटेंट अथवा स्वत्वाधिकार वाली 30 दवाइयों को, जिनमें कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी (कार्डियोवासकूलर) बीमारियों आदि के उपचार के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली विनिर्दिष्ट जीवन-रक्षक दवाइयां शामिल हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है।

(घ) प्रजातिगत नामों के अंतर्गत दवाइयों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रजातिगत नामों के अंतर्गत बेचे जाने वाली सभी दवाइयों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(ङ) सभी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और बायो-कैमिक दवाइयों को चिकित्साओं की इन प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

2. सीमा शुल्क

(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनूसूची के अध्याय 99 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कैंसर-रोधी, हृदय रोगों से संबंधित औषधियों आदि को सीमा-शुल्क से पूर्णतः छूट दी जाती है। इसी प्रकार, 22 सितंबर, 1981 की (समय-समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना सं० 208/81 सी० शु० में विनिर्दिष्ट कुछेक जीवन-रक्षक औषधियों, दवाइयों और उपकरणों को भी इस कारण से सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है कि ये सामान्यतः देश में उपलब्ध नहीं होती हैं।

(ख) 22 सितंबर, 1981 की (समय-समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना सं० 208/81 सीमाशुल्क में विनिर्दिष्ट अथवा सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 99 के अंतर्गत आने वाली कुछेक जीवन-रक्षक औषधियों तथा दवाइयों के निर्माण के लिए भारत में आयात की गई बल्क ड्रग्स को मूल सीमाशुल्क से तथा उपषंगी शुल्क से छूट दी जाती है। तीन विनिर्दिष्ट बल्क ड्रग्स नामशः कार्बेनसिलिन डाईसोडियम, लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड तथा रिफम्पीसिन को उस समय मूल सीमाशुल्क तथा उपषंगी शुल्क से छूट दी जाती है जब उनका आयात संबंधित औषध निर्मितियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। उपरोलिखित बल्क ड्रग्स को सीमा शुल्क से छूट भारत में जीवन-रक्षक औषधियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए दी गई थी।

नोएडा में साफ्टवेयर निर्यात केन्द्र के लिए उपग्रह संपर्क

*898. **श्री एम० जे० रावधा :**

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्टवेयर निर्यात के लिए भारत का प्रथम उपग्रह संपर्क केंद्र नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो नई संपर्क प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसमें साफ्टवेयर निर्यात में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) यह प्रणाली कब तक आरंभ कर दी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब के जिला न्यायालयों में निविष्ट किए गए भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले

*899. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब के जिला न्यायालयों में भूमि अधिग्रहण संबंधी कितने मामले निर्दिष्ट किए गए हैं;

(ख) निर्दिष्ट किए गए मामलों में कुल अंतर्गस्त राशि कितनी है; और

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा तोषण-राशि के रूप में तथा ब्याज के रूप में कितनी धनराशि अदा की गई ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 6222.

(ख) 78,63,06,912.81 रुपए।

(ग) 16,22,49,874.71 रुपए।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा आसपास के क्षेत्रों का विकास

*900. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा करने के लिए अपने आस-पास के क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस क्या पर कार्यवाही की गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों में 'वर्षवार' इसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खर्च की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उत्पादन के लिए सामाजिक वातावरण तैयार करने हेतु ग्रामीण विकास पर खर्च की गई राशि को उत्पादन और उत्पादकता के साथ जोड़ने के लिए अक्तूबर, 1986 में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(i) नयी सड़कों का निर्माण तथा विद्यमान सड़कों का सुधार

(ii) नालियां

(iii) पेय जल की सुविधाएं

(iv) स्कूल भवन

(v) रोजगार सृजन की योजना

(vi) चिकित्सा संबंधी सुविधाएं

(vii) सामुदायिक कुओं में गाद निकालना और उनका नवीकरण, तथा

(viii) कुक्कुट फर्मों का विकास।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने को आसपास के क्षेत्रों का विकास करने के संबंध में अभ्यावेदन

जन प्रतिनिधियों से भी प्राप्त होते रहे हैं। संयंत्र तथा गैर-संयंत्र सदस्यों से गठित समिति परिसरीय विकास संबंधी योजना बनाती है, सिफारिशें करती है तथा कार्यकलापों की समीक्षा करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	खर्च की गयी धनराशि
1987-88	14.26 लाख रुपये
1988-89	46.60 लाख रुपये
1989-90	72.09 लाख रुपये

(ङ) जी, हां।

केरल में जीवन बीमा निगम की शाखा खोलना

9317. श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल में जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) किस-किस स्थान पर;

(ग) क्या अडूर में जीवन बीमा निगम की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त शाखा कब तक खोली जानी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम की चार शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। उनके स्थान निम्नानुसार हैं :—

प्रस्तावित शाखा स्थान	जिला	जीवन बीमा निगम के नियंत्रक मंडल का नाम
1. अदीमली	उडुक्की	अर्नाकुलम
2. कन्नानोर-II	कन्नानोर	कोजीकोड
3. अडूर	पतनमथिता	त्रिवेन्द्रम
4. क्वीलोन-II	क्वीलोन	त्रिवेन्द्रम

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, उपर्युक्त के अनुसार, अन्य तीन स्टेशनों के साथ अडूर में शाखा खोलने के लिए औपचारिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इस शाखा के 31 दिसंबर, 1990 से पहले खोले जाने की संभावना है।

आकाशवाणी की पत्रिकाओं का बंद होना

9318. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी की पत्रिकाएं कब बन्द की गई थीं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त पत्रिका-समूह के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोई जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस मामले में की गई अनुवर्ती कार्यवाही क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) प्रत्येक विभाग में हो रहे खर्च की पुनरीक्षा करने और मितव्ययता लाने के अंग के रूप में, आठ भाषाओं में प्रकाशित की जाने वाली आकाशवाणी पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। चार आकाशवाणी पत्रिकाओं अर्थात् "अकाशी" (असमिया), "बेतार जगत" (बंगला), "नभोवाणी" (गुजराती) और "वाणी" (तेलुगु), को 1-1-1986 से बन्द किया गया था और शेष चार आकाशवाणी पत्रिकाओं अर्थात् "आकाशवाणी" (अंग्रेजी), "आकाशवाणी" (हिन्दी), "आवाज" (उर्दू) और "वनोली" (तमिल) को 1-4-1987 से बन्द कर दिया गया था। इन पत्रिकाओं से कई वर्षों से घाटा हो रहा था और ये आत्मनिर्भर नहीं थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु निधि का नियतन

[हिन्दी]

9319. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार केंद्रीय नियतन की राशि कितनी थी;

(ख) क्या आठवीं योजना में सरकार का पर्यटन के संवर्धन पर अधिक बल देने का विचार है;

(ग) आठवीं योजना में राजस्थान में विशेषकर अजमेर और पुष्कर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई विशिष्ट योजनाएं कौन-सी हैं; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि का नियतन किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के संवर्धन हेतु विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई केंद्रीय सहायता की राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों को केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृति और रिलीज की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. आंध्र प्रदेश	310.46	223.24
2. अरुणाचल प्रदेश	39.19	16.00
3. असम	82.62	58.74
4. बिहार	65.42	49.00
5. गोआ	41.89	33.99
6. गुजरात	238.57	146.13
7. हरियाणा	376.60	345.44
8. हिमाचल प्रदेश	153.87	85.40
9. जम्मू और कश्मीर	244.26	309.50
10. कर्नाटक	252.20	126.72
11. केरल	861.10	573.39
12. मध्य प्रदेश	268.12	157.02
13. महाराष्ट्र	109.53	76.09
14. मणिपुर	75.08	41.75
15. मेघालय	120.17	75.00
16. मिजोरम	75.44	55.00
17. नागालैंड	134.97	87.22
18. उड़ीसा	138.49	105.17
19. राजस्थान	150.08	119.34
20. पंजाब	178.62	81.93
21. सिक्किम	118.97	70.75
22. तमिलनाडु	473.67	227.48
23. त्रिपुरा	77.44	51.50
24. उत्तर प्रदेश	445.75	382.60
25. पश्चिम बंगाल	368.70	202.47
जोड़	5400.72	3750.87

नोट : वर्ष 1989-90 के आंकड़े अनंतिम हैं।

उत्तर प्रदेश में घण्डियाल में बैंक शाखा खोलना

[अनुवाद]

9320. श्री तेज नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में पौड़ी गढ़वाल में कितने ग्रामीण बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने का विचार है और वे किस-किस स्थान पर खोले जाएंगे;

(ख) क्या सरकार ने गढ़वाल में घण्डियाल में, जिसके निकट घनी आबादी है तथा वहां पर स्कूल, कालेज और अन्य सरकारी संस्थान हैं, बैंक की शाखा अथवा एक्सटेंशन काउंटर खोलने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो घण्डियाल में कब तक बैंक शाखा खोल दी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) पौड़ी गढ़वाल जिले में बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते बैंकों को जारी लाइसेंसों में से 28 केंद्रों में कार्यालय खोले जाने बाकी हैं। इन लाइसेंसों की वैधता अवधि को सितंबर, 1990 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। आशा की जाती है कि उक्त अवधि के अन्दर-अन्दर सभी आवंटित केंद्रों में बैंक अपनी शाखाएं खोल देंगे। इन केंद्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) शाखा लाइसेंसिंग नीति (1985-90) के अंतर्गत बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते राज्य सरकार द्वारा पौड़ी गढ़वाल में स्थित घण्डियाल को एक केंद्र के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

विवरण

पौड़ी गढ़वाल जिले में शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों के पास लंबित लाइसेंसों के लिए केंद्रों का ब्यौरा

केंद्र का नाम	खंड का नाम
1	2
1. मैठनघाट	बीरोंखाल
2. मैठणाघाट	”
3. खिर्सू	चांदकोट
4. रीठाखाल	”
5. दोगड्डा	दोगड्डा
6. किशनापुर	”
7. बिलखेत	कैबीखाल
8. शंकरपुर	नैनी डंडे
9. किनथोखीखाल	”
10. हल्दूखाल	नैनी डांडल

1	2
11. बिघौली	पावौ
12. खांडूसैंण	पौड़ी
13. दमदेवल	पोखरा
14. सिरीखाल	"
15. घव्खाल	रिखणीखाल
16. देबिओखाल	"
17. खेड़ाखाल	खिर्सा
18. "	"
19. नाहसैंण	कोट
20. दियूली	यामकेश्वर
21. गैंडखाल	"
22. दियूली	"
23. गुमखोल	लैंड्सडाउन
24. धौंतियाल	"
25. वदियाम	ढांगू
26. चैलूसैंन	"
27. नहासम	कल्गीखाल
28. बिलखेत	"

केरल में दूरदर्शन मलयालम के कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

9321. श्री ए० विजय राघवन : सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दूरदर्शन के मलयालम कार्यक्रम कुल कितने क्षेत्र में प्रसारित होते हैं;

(ख) दूरदर्शन के मलयालम कार्यक्रमों के प्रसारण के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला नया क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या सरकार पालघाट में दूरदर्शन के मलयाली कार्यक्रमों को दिखाने के लिए सुविधा प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) त्रिवेन्द्रम के दूरदर्शन

केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को इस समय राज्य के लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में टेलीकास्ट/रिले किया जाता है।

(ख) से (घ) कालिकट में विद्यमान अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर लगाये जा रहे उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर, त्रिवेंद्रम के दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लगभग 5,500 और अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उपलब्ध हो जाने की आशा है। इससे पालघाट जिले के भागों को भी लाभ पहुंचने की आशा है।

दूरदर्शन को वर्ष 1989-90 के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापनों से कमाई

9322. **श्री राम दास सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापनों से कमाई गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दूरदर्शन ने जिन प्रथम दस कंपनियों से विज्ञापनों के माध्यम से अधिकतम राशि कमाई है उनसे कमाई गई राशिवार उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन को वर्ष 1989-90 में विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों से 210.13 करोड़ रुपये की सकल आमदनी हुई।

(ख) दूरदर्शन को दिए गए व्यापार के अनुसार, प्रथम 10 विज्ञापन एजेंसियों के नाम नीचे दिए गए हैं;

1. मैसर्स लिंटास इंडिया
2. मैसर्स हिंदुस्तान थांमसन एसोसियेट्स लिमिटेड
3. मैसर्स ओजिल्वी बेन्शन एंड मैथर प्राइवेट लिमिटेड
4. मैसर्स मुद्रा कम्यूनिकेशन्स
5. मैसर्स रेडिफ्युजन एडवरटाइजिंग
6. मैसर्स एवरेस्ट एडवरटाइजिंग
7. मैसर्स कांट्रेक्ट एडवरटाइजिंग
8. मैसर्स क्लेरियान एडवरटाइजिंग
9. मैसर्स पूर्णिया एडवरटाइजिंग
10. मैसर्स अल्का एडवरटाइजिंग

आम और काजू का निर्यात

9323. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आम और काजू का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले फार्मों और फलोद्यानों से बढ़िया किस्म के आम और काजू (कच्चा) की खरीद कर उसका निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बढ़िया किस्म के आम और काजू के उत्पादकों से सीधे खरीदे करने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है ताकि उन्हें इसके लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सकें;

(ग) क्या सरकार को इन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) कृषि एवं साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), जो वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है, उपजकर्ताओं से निर्यात के लिए आमों की सीधे खरीद करने के लिए पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय विपणन सहकारी संघ लिमिटेड (नेफेड) और महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम (एम० ए० आई० डी० सी०) जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इसका अभिप्राय उपजकर्ताओं की मदद करना है ताकि उन्हें उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें मिल सकें।

काजू की अधिकतर पैदावार केरल राज्य में होती है। केरल राज्य सरकार के पास काजू की खरीद के लिए पहले से ही एक योजना है जिसका उद्देश्य भी काजू उपजकर्ताओं को उचित कीमतें देना है।

(ग) और (घ) निर्यातकों को, जिनमें बागवानी की मदें भी शामिल हैं, आर० ई० पी० आयात लाइसेंस, नकद मुआवजा सहायता और ऋण सुविधायें निर्यात प्रोत्साहन रूप में दी जाती हैं। बागवानी फसल के उत्पादकों को जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं उनमें शामिल हैं; विस्तार सेवाओं का प्रावधान, सुधरी हुई किस्मों, जीवनाशी नियंत्रण आदि पर अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम उपलब्ध कराना।

आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्घोषित ग्रेड-चार (हिन्दी) के आरक्षित पद

9324. **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या-क्या हैं जहां पर 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्घोषक ग्रेड-4 (हिन्दी) के आरक्षित पद रिक्त पड़े हुए हैं और उनका आकाशवाणी केन्द्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पदों को 31 दिसम्बर, 1990 तक भरने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उद्घोषक ग्रेड-4 (हिन्दी) वर्ग में कोई बकाया रिक्तियां नहीं हैं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

नये पर्यटक "रिसोर्ट" स्थापित किए जाने के बारे में उच्च स्तरीय समिति

9325. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नए पर्यटक रिसोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया को गति देने हेतु एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन हैं और किन-किन पर्यटक रिसोर्ट्स का विकास किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में आदिवासियों को कानूनी सहायता देने के लिए धनराशि का आबंटन

9326. **श्री वसन्त साठे** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इसमें से वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(.) धन की कमी के कारण आदिवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करने में चालू वर्ष के दौरान होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) महाराष्ट्र में आदिवासियों को विधिक सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र में आदिवासियों को विधिक सहायता दी जाने के लिए पृथक से कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुल बजट अनुदान और उपगत व्यय निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	बजट अनुदान	व्यय की गई राशि
1987-88	25,40,000	16,66,726
1988-89	25,88,000	आंकड़े तुरंत उपलब्ध नहीं हैं और महाराष्ट्र राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ऐसे आंकड़े एकत्र कर रहा है।
1989-90	33,70,000	

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। विधिक सहायता स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाता है। धन की कोई कमी नहीं है। अतः आदिवासियों की विधिक सहायता करने में कोई कठिनाई नहीं है।

चावल की भूसी का निर्यात

9327. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से कितनी मात्रा में चावल की भूसी का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) चावल की भूसी के प्रमुख आयातकर्ता देश कौन-कौन से हैं; और

(ग) वे प्राथमिक पत्तन कौन-कौन से हैं जहां से अधिकांश मात्रा में चावल की भूसी का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान चावल की भूसी के निर्यात की अनुमति नहीं थी। किन्तु, केवल एक फर्म अर्थात् मै० शिवाथेने लिनोपेक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 19 अक्तूबर, 1988 को ब्रिटेन को परीक्षण के उद्देश्यों के लिए नमूने के तौर पर 2 एम० टी० चावल की भूसी के निर्यात की अनुमति दी गई थी। चूंकि यह निर्यात वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था, इसलिए इससे कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई थी। यह निर्यात बम्बई से किया गया था।

(ख) चावल की भूसी के आयात को सरणीकृत किया गया है और चालू आयात नीति के अन्तर्गत यह कार्य केवल स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन/हिन्दुस्तान वेजीटेबिल्स आयल कारपोरेशन द्वारा किया जा सकेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"गवर्नमेंट अर्ज्ड टू क्लैम्प फाइनांसियल एमर्जेंसी" शीर्षक समाचार

[हिन्दी]

9328. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अप्रैल, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" दैनिक में प्रकाशित "गवर्नमेंट अर्ज्ड टू क्लैम्प फाइनांसियल एमर्जेंसी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि सरकार राजस्व प्राप्तियों में सुधार करके और व्यय में कमी लाकर राजस्व और कुल घाटे दोनों ही को नियंत्रित करने के उपाय कर रही है, फिर भी सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि आर्थिक स्थिति इतनी गम्भीर है कि वित्तीय आयात स्थिति लागू करने की जरूरत पड़े।

कर्नाटक में सोने का उत्पादन

[अनुवाद]

9329. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में सोने का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने सातवीं योजना अवधि में उस राज्य में किसी नई सोने की खान का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो उन नई सोने की खानों में सोने का अनुमानतः कितना भण्डार है;

(घ) क्या उन उन खानों में सोने का खनन आर्थिक तौर पर व्यवहार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो उस राज्य में सोने की नई खानों से सोना निकालने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कर्नाटक से 7970 किलो स्वर्ण उत्पादन हुआ।

(ख) और (ग) जी हां। स्वर्ण निक्षेपों में आकलित स्रोत/भण्डार इस प्रकार हैं:—

क्षेत्र	आकलित भंडार (लाख टन)	स्थल पर ग्रेड ग्राम/टन
कोलार स्वर्ण क्षेत्र		
होसूर चैम्पियन पश्चिम	17.2	2.69
मैसूर खान आपशन खंड		
हट्टी स्वर्ण क्षेत्र		
बुधिनी खंड	2.09	2.16
नुगीहाली शिष्ट पट्टी		
कैम्पिन्कोट खंड	11.3	1.94

होसूर चैम्पियन पूर्व, ऊटी और हीराली प्रखंडों में खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा विस्तृत गवेषण किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी सांगली प्रखंड (गदाग स्वर्ण क्षेत्र) और अजनहाली प्रखंड (चित्रदुर्ग शिष्ट पट्टी) में स्वर्ण की खोज की है।

(घ) इन निक्षेपों की अर्थक्षमता अभी निर्धारित की जानी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बैलाडीला खानें

9380. श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडीला खानों से लौह अयस्क निकालने का कार्य बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके बन्द होने के फलस्वरूप प्रतिदिन कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(घ) मध्य प्रदेश में अयस्क निकालने का कार्य बन्द होने और ढुलाई व लदान के कारण खानों के निकट स्टाक जमा हो जाने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) विशाखपट्टणम बन्दरगाह में अप्रैल माह के प्रथम 25 दिनों के लिए अयस्क उठाने के लिए कोई जहाज न आने के कारण बैलाडिला स्थिति नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की दो खानों में से एक खान में कुछ दिनों (17-4-90 से 24-4-1990 तक) के लिए उत्पादन कार्य बन्द रहा। अतएव सम्पूर्ण प्रणाली ही अवरुद्ध हो गयी।

(ग) विदेशी मुद्रा में कोई वास्तविक हानि नहीं होगी क्योंकि वर्ष के लिए निर्यात वचन-बद्धता को इस अस्थायी अवरुद्धता के बावजूद भी पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

(घ) विशाखापट्टणम बन्दरगाह से अयस्क के लदान दर में वृद्धि करने के लिए पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। अप्रैल माह की अपेक्षा मई में लदान के स्तर में काफी वृद्धि होने की आशा है और जून माह में इसके और अधिक बेहतर होने की सम्भावना है।

पोलैण्ड के साथ व्यापार

9331. श्रीमती कुसुमवती राणे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलैण्ड के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पोलैण्ड के साथ मिलकर स्थापित किए गए संयुक्त उद्यमों की संख्या क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) पोलैण्ड के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इनमें शामिल हैं व्यापार किए जाने वाले माल की मदों का विस्तार और विविधीकरण, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान आदि। चूंकि संतुलित रुपया व्यापार प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात के विप्रेषण के लिए आयात द्वारा रुपया निधियों का सृजन किया जाता है अतः पोलैण्ड से होने वाले आयात को भी प्रोत्साहित किया जाता है। परम्परागत व्यापार के अतिरिक्त, सहयोग के नए तरीकों जैसे संयुक्त उद्यमों, उत्पादन सहयोग आदि को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि पोलैण्ड में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव अभी तक पक्का नहीं हुआ है फिर भी भारत में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है जिसमें पोलैण्ड की इक्विटी भागीदारी होगी। भारत-पोलैण्ड व्यापार नीति 1990 में आयात सूची में जो नई मदें शामिल की गयी हैं वे हैं : मेटल स्क्रैप, और पिण्ड लोहा, और निर्यात सूची में शामिल नई मदें हैं : डिस्पोजेबल डायपर्स, ग्रामोफोन रिकार्ड्स और कैसेट्स।

पुरी समुद्र तट पर एक 'रिसार्ट' की स्थापना

*9332. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से पुरी समुद्र तट पर एक "रिसार्ट" की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने समुद्र तटीय रिसार्ट की स्थापना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया है; और

(ग) समुद्र तटीय रिसार्ट की स्थापना कब तक कर ली जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने पुरी में महोदधि निवास पर एक समुद्रतटीय विहार-स्थल का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय को भेजा था। राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी गई थी। उन्हें यह सलाह भी दी गई थी कि वे पर्यावरण की दृष्टि से उच्च ज्वार रेखा के 500/200 मीटर के अंदर अवस्थित समुद्रतटीय विहार-स्थल परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए गठित अंतर-मंत्रालय समिति का अनुमोदन भी प्राप्त कर लें। राज्य सरकार ने संशोधित प्रस्ताव अभी तक नहीं भिजवाया है।

बम्बई हवाई अड्डे पर नशीली गोलियों का पकड़ा जाना

9313. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने वहां के हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में नशीली गोलियां पकड़ी हैं,

(ख) यदि हां, तो सामान भेजने वालों तथा प्राप्त करने वालों सहित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) पकड़ी गई नशीली गोलियों की ठीक-ठीक मात्रा कितनी है और उनका मूल्य कितना है; और

(घ) क्या इस संबंध में किसी को गिरफ्तार किया गया और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) 20 4-1990 को, एयर कार्गो काम्पलेक्स, सहार एअरपोर्ट, बम्बई के अधिकारियों ने अफ्रीकी पत्तनों को भेजे जाने के लिए पावरलूम पर बनी सूती छपी हुई बिस्तर की चादरों के रूप में घोषित निर्यात कार्गो की तीन खेपों में से, जिसमें 15 पैकेज शामिल थे, 467 650 किलोग्राम की मैन्ड्रैक्स की गोलियां (निषिद्ध मनः प्रभावी पदार्थ ब्रांड नाम-मैथाक्वालीन) अभिगृहीत की थीं। इन पैकेजों में नशीले औषध द्रव्य होने का शक था और इन खेपों का व्यापक जांच पड़ताल करने पर उक्त माल बरामद हुआ।

पोतलदान बिलों में प्रेषक का नाम मैसर्स प्रीमल इम्पैक्स प्रा० लि० वापी, गुजरात तथा प्राप्तकर्त्ताओं के नाम (i) मैसर्स एस० सैमुयल, पी० ओ० बाक्स न० 88971, मोम्बासा, (ii) डी० चागा नादू मोम्बासा लि०, पी० ओ० बाक्स न० 90252, मोम्बासा, केनिया तथा (iii) अरनोल्ड नगोम्बे, पी० ओ० बाक्स न० 2879, हरारे, जिम्बाबे दिखाए गए थे।

अभिगृहीत नशीले औषध द्रव्यों का अवैध मूल्य लगभग 28.06 लाख रुपये बताया गया है।

इस अभिग्रहण के संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोटों के प्रसार पर नियंत्रण रखने और संतुलति ऋण विस्तार के लिए किए गए उपाय

9334. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार करेंसी नोटों के प्रसार पर नियंत्रण रखने और संतुलित ऋण विस्तार के लिए एक मुश्त उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अर्थव्यवस्था और मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 अप्रैल, 1990 को ऋण नीति उपायों के पैकेज की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों का उद्देश्य नकदी की वृद्धि को नियंत्रित करना और ऋण विस्तार को सामान्य करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की वास्तविक ऋण आवश्यकतायें पूरी हों। निवल मांग और सावधि देयताओं के सांविधिक नकदी अनुपात को 38.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.5 प्रतिशत करना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। गेहूं और कपास जैसी वस्तुओं के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों में संशोधन किए गए हैं। मुद्रा बाजार की पहुंच को विस्तृत किया गया है ताकि इसे चयनात्मक तरीके से बढ़ाया जा सके। भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ऋणदाताओं के रूप से मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान

9335. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली :**
श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या **वित्त मंत्री** सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमानों के बारे में 23 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) यह मामला अभी भी विचाराधीन है तथा इस बारे में निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है।

शेयर बाजार में इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना

[हिन्दी]

9336. **श्री गंगाचरण लोधी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956

के उपबंधों के अन्तर्गत गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा संबंधित शेयर बाजारों राइट्स शेयर जारी करने के बाद इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा राइट्स शेयर के लिए कितनी कम्पनियों को अनुमति दी गई और तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने शेयर बाजार में अपने शेयरों को सूचीबद्ध कर लिया है, यदि हां, तो ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होंने अपने शेयर सूचीबद्ध नहीं किए तथा इसके क्या कारण हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के इक्विटी शेयर स्टाक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए जाने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे सूचीबद्धकरण की विहित अपेक्षाएं पूरी नहीं करते ।

(ख) जिन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को 1988-89 और 1989-90 के दौरान सहमति दी गई थी उनके कम्पनी-वार आधिकारिक निर्णयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राशि (लाख रुपए) (प्रीमियम सहित)
	1988-89	
1.	सुपर ट्यूब्स प्राइवेड लिमिटेड	40.00
2.	एवरेस्ट एडवरटाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड	9.23
	1989-90	
1.	इकानामिक्स पालीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	20.95
2.	शिल्टन होटल प्राइवेट लिमिटेड	43.20
3.	गरवारे सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	10.00

बिहार में आकाशवाणी केन्द्रों का विस्तार

9337. **श्री बसई चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आकाशवाणी केन्द्रों के विस्तार के लिए बनाई गई योजना क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष में स्थापित किए जाने वाले नए आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में, बिहार के हजारीबाग, पूर्णिया, सिंहभूम, सासाराम

और डाल्टनगंज में एक-एक नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। जमशेदपुर में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम चल रही है। इसके अलावा, अनुमोदित सातवीं योजना में पटना के मौजूदा 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती/विज्ञापन) को 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर में बदलने की स्कीम भी शामिल है। ये स्कीमें 1990-91 के दौरान चालू हो जाएंगी।

विश्व व्यापार में सी० आई० ए० की भूमिका

[अनुवाद]

9338. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे "सी० आई० ए० टू मानीटर वर्ल्ड ट्रेड" समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना तथा झोंपड़ी बीमा योजना

9339. **श्री के० एस० राव** :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों द्वारा लागू की गई निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना तथा झोंपड़ी बीमा योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) साधारण बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 1990 तक निपटाये गए उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए दावों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं का 31 मार्च, 1990 तक समाप्त होना अपेक्षित था; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) दोनों योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

1. **निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना** :—निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा 1985-86 के बजट में की गई थी और प्रारंभिक तौर पर इसे देश के 100 जिलों में लागू किया गया था। 15 अगस्त, 1985 को इसके आरंभ के बाद से इस योजना को चरणबद्ध तरीके से देश के 214 जिलों में लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त, 1988 से इस योजना को देश के उन जिलों में भी लागू कर दिया गया है जो इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं थे, और इस प्रकार यह योजना अब सारे देश में लागू हो गई है।

इस योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनकी वार्षिक आय समग्र स्रोतों से कुल मिलाकर 7200 रुपए से अधिक नहीं है। निर्धन परिवारों, जिनमें भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, पारम्परिक शिल्पकार आदि शामिल हैं, के अर्जक सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर, मृतक के आश्रितों को 3000 रुपए की अदायगी की जाती है। यह योजना, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कम्पनियों, अर्थात्, (i) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, (ii) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, (iii) ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और (iv) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रशासित की जाती है। इस योजना से संबंधित समस्त प्रीमियम लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है और बीमाकृत को योजना के अन्तर्गत कोई प्रीमियम अदा नहीं करना पड़ता है।

2. **ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लिए झोंपड़ी बीमा योजना**—(क) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए झोंपड़ी बीमा योजना पहली मई, 1988 से लागू हो गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को उस समय राहत प्रदान करती है जब उनकी झोपड़ियां व सामान आग लगने से नष्ट हो जाता है। ऐसे निर्धन परिवार जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपए से अधिक नहीं है, इस योजना के अन्तर्गत पात्र हैं। आग के कारण हुई हानि की स्थिति में बीमा कंपनी झोंपड़ी के लिए 1000 रुपए और झोंपड़ी में रखे सामान के लिए 500 रुपए की अदायगी करेगी। इस योजना से संबंधित समस्त प्रीमियम लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है और झोंपड़ी निवासियों को योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रीमियम की अदायगी नहीं करनी पड़ती।

(ख) दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 31-12-1989 तक, जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, सूचित किए गए एवं निपटाए गए दावों की संख्या के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:—

	सूचित किए गए दावे	निपटाए गए दावे
निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना	37,013	29,587
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लिए झोंपड़ी बीमा योजना	1,02,532	82,072

(ग) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा पालिसी की अवधि 31 मार्च, 1990 को और झोंपड़ी बीमा पालिसी की अवधि 30 अप्रैल, 1990 को समाप्त हो गयी है।

(घ) दोनों प्रकार की पालिसियों का नवीकरण करने और इन दोनों योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम को पहले से ही आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

केंद्रीय सूचना सेवा में शामिल किये कर्मचारी संवर्ग

[हिन्दी]

9340. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सूचना सेवा को और व्यापक तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पिछले दस वर्षों के दौरान इस सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों के संवर्गों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों का चयन करने के कारण तथा मानदंड क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के कुछ पृथक पदों को केंद्रीय सूचना सेवा (अब भारतीय सूचना सेवा के रूप में ज्ञात) में शामिल किया गया था—

1. गृह मंत्रालय—पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो

2. गृह मंत्रालय—केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल

3. गृह मंत्रालय—केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय—आकाशवाणी

6. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय—नागरिक पूर्ति विभाग

7. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग)

8. ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

9. श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग।

(ख) उपर्युक्त विभागों में पत्रकारिता तथा प्रचार संबंधी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को केंद्रीय सूचना सेवा संवर्ग में शामिल किया गया था ताकि उनके सेवा के भावी अवसरों में सुधार किया जा सके और गतिशीलता लाई जा सके। सेवा रिकार्डों में किए गए निष्पादन के आधार पर, छानबीन के बाद इन्हें केंद्रीय सूचना सेवा में शामिल किया गया था।

पट्टे पर स्थान लेने हेतु बैंकों को मार्गनिर्देश

[अनुवाद]

9341. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पट्टे पर किराए के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थान लेने के वास्ते अपनाए जाने वाले मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मार्गनिर्देश कब जारी किए गए थे;

(ग) इन मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बैंकों द्वारा पट्टे पर स्थान लेने की स्थिति में पट्टा-विलेख का नवीकरण करते समय किराए में वृद्धि हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या बम्बई और देश के अन्य भागों में सभी बैंकों द्वारा उपरोक्त मानदंडों/मार्गनिर्देशों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (च) सरकार ने परिसर किराए पर लेने के बारे में कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1983 में, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को, पट्टा/किराया आधार पर परिसर लेने के बारे में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए थे। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ परिसर लेने के लिए प्रस्तावों की जांच करने के वास्ते एक उचित प्रणाली तैयार करने, मकान-मालिकों को अग्रिमों के रूप में दी जाने वाली ऋण की रकम, पट्टे की अवधि, परिसर के स्थान, उचित शर्तों पर पट्टे के नवीकरण आदि की भी व्यवस्था की गई है। बैंकों द्वारा पट्टे पर लिए गए स्थान के संबंध में पट्टा-विलेख के नवीकरण के लिए किराए में वृद्धि करने के बारे में कोई भी विशेष मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। पट्टे का नवीकरण करते समय, किराए का निर्धारण, पट्टाकर्ता और पट्टेदार द्वारा संबंधित पहलुओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्गनिर्देशों को मद्देनजर रख कर किया जाना होता है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का पालन करें।

तमिलनाडु में तंजावूर नगर में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के दर्शक

9342. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तंजावूर में लोगों को पिछले कुछ महीनों से दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दूरदर्शन रिले केन्द्र कोडईकनाल और दूरदर्शन ट्रांसमीटर तंजावूर दोनों से स्पष्ट प्रसारण नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) बताया जाता है कि तंजावूर में, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू० एच० एफ०) बैंड वाले अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर का प्रयास उसके सेवा क्षेत्र में संतोषजनक है। तंजावूर नगर सहित इस जिले के कुछ भागों को कोडईकनाल के उच्च शक्ति (10 कि० वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर से भी संतोषजनक सेवा प्राप्त होती है जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी (वी० एच० एफ०) बैंड पर कार्य करता है। यू० एच० एफ० बैंड पर काम करने वाले अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से सिगनल प्राप्त करने के वास्ते दर्शकों के लिए यह जरूरी है कि वे उचित दिशा की ओर लगाए गए उपयुक्त एंटीना का उपयोग करें। वैसे कोडईकनाल के उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर और तंजावूर के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का कार्यनिष्पादन संतोषजनक बताया जाता है।

आयकर विभाग, आगरा सर्कल में कर्मचारियों का उत्पीड़न

[हिन्दी]

9343. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर डिवीजन के आगरा सर्कल के आयकर विभाग में कर्मचारियों के उत्पीड़न के कुछ मामले उनके ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान नई दिल्ली का कार्यकरण

[अनुवाद]

9344. **श्री के० राममूर्ति** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संस्थान के कार्यकलापों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अरब देशों से तस्करी का सामान

[हिन्दी]

9345. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों से भारी मात्रा में तस्करी का सामान देश के पश्चिम तट के बम्बई और अन्य स्थानों के समुद्री पत्तनों और हवाई अड्डों पर पहुंचता है;

(ख) क्या ऐसे सामान को वहां अनुपस्थित ऐसे हज यात्रियों के नाम पर जहाजों से उतारा जाता है, जिन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होती;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बड़े पैमाने पर हो रही इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में पर्यटक

[अनुवाद]

9346. श्री पी० सी० थामस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केरल के सबरीमाला, भारननगमन, मलयात्तूर, शिवगिरि, एरूमली और मनजनीक्कारा पर्यटन केंद्रों, तीर्थस्थानों की कितने-कितने पर्यटकों/तीर्थ-यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इन स्थानों के विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई धनराशि खर्च की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केंद्रीय सरकार का इन स्थानों के विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एक योजना बनाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में इन केंद्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पर्यटन का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। केंद्रीय पर्यटन विभाग राज्यों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों को उनके गुण-दोषों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केरल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पूर्वी क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात

9347. श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्री चित्त बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात देश के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की गहराई से जांच की है; और

(ग) इसे राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री श्री (अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) दिसंबर, 1989 के अन्त की

स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में तथा समग्र रूप से क्षेत्र में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात अखिल भारत स्तर के ऋण : जमा अनुपात की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। तथापि, दिसंबर, 1987 के अंत की स्थिति की तुलना में पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्र में ऋण : जमा अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है।

संबंधित राज्यों के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जिसमें बैंकों, राज्य सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इन राज्यों में ऋण : जमा अनुपात पर नजर रखती है। ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा था। बैंकों से यह भी कहा गया था कि नई शुरू की गई सेवा क्षेत्र योजना की कार्यनीति के अंतर्गत जिला ऋण योजनाएं और वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करते समय, उन्हें नई बैंक योग्य योजनाएं तैयार करके कमी वाले क्षेत्रों में बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा सके।

बादाम के लिए आयात-नीति

9348. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बादाम की आयात-नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि बादाम के आयात के लिए आयात लाइसेंस बादाम के वास्तविक आयातकों को दिए जाने चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 27-7-88 से पहले प्रतिष्ठित व्यापारियों को साधारण मेवों के लिए उनके लाइसेंसों पर मेवों की एक मद के रूप में बादाम आयात करने की अनुमति थी। दिनांक 27-7-88 से मेवों के प्रत्येक लाइसेंसधारी को 20,000 रु० मूल्य तक के बादामों के, इस कार्य के लिए उसे जारी किए गए विशेष लाइसेंस पर, आयात की अनुमति दी गई थी। इसके साथ-साथ अतिरिक्त लाइसेंस रखने वालों को ऐसे लाइसेंसों के समग्र मूल्य के भीतर 5 प्रतिशत तक बादाम आयात करने की अनुमति भी दी गई थी.

(ग) जी, हां।

(घ) वास्तविक आयातकों द्वारा बादाम के आयात की अनुमति देने के सुझाव पर विचार किया गया था, परंतु इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

उत्तर प्रदेश में "सोरन" पर्यटन स्थल

[हिन्दी]

9349. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में "सोरन" नामक स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस स्थल को कब तक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) किसी स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करना केंद्रीय पर्यटन विभाग की नीति नहीं है। पर्यटन का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी में पानी की सप्लाई

9350. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी को कारखाना चलाने के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) क्या इस उद्योग के प्रबंधकों का मनासी वाकल सिंचाई योजना के जल में भागीदारी करने का विचार है ताकि इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी मिल सके, यदि हां, तो कितनी मात्रा में पानी मिलेगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) किया गया खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	खर्च (लाख रुपए में)
1988-89	170.88
1989-90	71.22

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चाय उद्योग द्वारा दिए गए सुझाव

[अनुवाद]

9351. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग ने केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया है कि वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए चाय आयात करने वाले कुछ देशों के साथ भारत को द्विपक्षीय वार्ताओं में चाय उद्योग और व्यापार को भी शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो चाय उद्योग द्वारा किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) सरकार ने उनके प्रस्तावों को किस हद तक स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रबड़ का न्यूनतम मूल्य

9352. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्टेट कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन ने रबड़ की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए तथा रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान कराने और सरकार से रबड़ का न्यूनतम मूल्य 24.60 रु० प्रति किलो निर्धारित करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) केरल स्टेट को-आपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फैडरेशन ने 9 फरवरी, 1990 को एक संकल्प पारित किया, जिसमें सरकार से न्यूनतम कीमत 24.60 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

(ख) किन्तु रबड़ की बैंच मार्क कीमत वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा किए गए लागत अध्ययन के आधार पर निश्चित की जाती हैं और इन अध्ययनों और अन्य संबंधित मुद्दों के आधार पर उक्त कीमत को अद्यतन किया जाता है। आर० एम० ए०—IV ग्रेड के लिए अक्तूबर, 1988 से लागू बैंच मार्क कीमत 17,800 रुपए प्रति मी० टन है।

केरल में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

9353. श्री ए० चार्ल्स : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का केरल में एक बड़े पैमाने पर एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक की दरी बुनाई तकनीक को प्रोत्साहन देने हेतु योजना

9354. श्रीमती बासव राजेश्वरी :
श्री जी० एस० बासवराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने दरी बुनाई तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक दरी बुनकरों को कुल कितनी राशि देगा;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाएं इस योजना को शुरू करेंगी; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत किन शर्तों पर सहायता दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूखे मेवों का निर्यात

[हिन्दी]

9355. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से निर्यात किए जाने वाले सूखे मेवे और फल कौन से हैं;

(ख) इनका निर्यात किन देशों को किया जा रहा है;

(ग) पिछले वर्ष निर्यात किए गए सूखे मेवों/फलों का मूल्य क्या हैं और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इन मदों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) मेवों में अखरोट तथा ताजे फलों में आम, अंगूर, सेब, सन्तरे, नींबू जाति के फल, तरबूज आदि भारत से निर्यात किए जा रहे हैं। अखरोट मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतार और ब्रिटेन को निर्यात किए जाते हैं जबकि ताजे फल ओमान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन तथा बंगलादेश को निर्यात किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान अखरोट/ताजे फलों के निर्यात की मात्रा तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

	मात्रा (टन में) (अनन्तिम)	मूल्य (लाख में) (अनन्तिम)
ताजे आम और अन्य फल	60,000	4,500
मेवे	*7,536	576

*मेवों के लिए आंकड़े वर्ष 1986-87 के लिए हैं।

स्रोत : एपीडा।

(घ) चालू वर्ष में विशिष्ट मदों के लिए कोई अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं : नकद मुआवजा सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति देना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, नए बाजार विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि।

गैर-सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का निवेश

9356. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 से पूर्व लागू गैर-सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि के निवेश सम्बन्धी योजना को फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का 1986 से पूर्व लागू इस योजना को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे फिर से शुरू करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां। गैर-सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि के निवेश संबंधी योजना, जो 1986 से पूर्व लागू थी, को फिर से चालू करने के संबंध में कुछ राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) 1986 से पूर्व लागू योजना को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने संग्रहों में वृद्धि करने के लिए इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, डाक-घर मासिक आय योजना और राष्ट्रीय बचत योजना जैसी नई योजनाएं शुरू की हैं। इन साधनों से निवल संग्रहों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, निवल अल्प बचत संग्रहों के मुकाबले राज्य सरकारों के ऋण की राशि 1 अप्रैल, 1987 से 66.6 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है।

पोलिस्टर स्टेपल फाइबर का निर्यात

[अनुवाद]

9357. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों द्वारा यूरोप और अमरीका को पोलिस्टर फाइबर के निर्यात किए जाने का "इन्टरनेशनल रेयन एंड सिंथेटिक फाइबर कमेटी, पेरिस" ने जोरदार विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कमेटी ने क्या आरोप लगाए हैं;

(ग) क्या इन आरोपों की भारत सरकार ने जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) ऐसा कहा जाता है कि पेरिस की इंटरनेशनल रेयॉन एंड सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी ने भारत की सिंथेटिक एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल से इस आधार पर भारत से यूरोप को निर्यात किए जाने वाले पोलिस्टर स्टेपल फाइबर की कीमतों के बारे में जानकारी मांगी है कि भारत से इस उत्पाद की निर्यात कीमतें यूरोपीय कीमतों की तुलना में काफी कम लग रही हैं।

इसके उत्तर में सिंथेटिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ने इंटरनेशनल रेयॉन एंड सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी को उन कीमतों के बारे में जानकारी दी है जिस पर यूरोप को पोलिस्टर निर्यात किया जा रहा है। इस जानकारी से यह पुष्टि होती है कि भारतीय निर्यातकों द्वारा कम मूल्य पर बेचे जाने का आरोप निराधार है।

अभी तक भारत सरकार को इस संबंध में निर्यातकों या आयातकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इलायची का उत्पादन

9358. **श्री वी० कृष्ण राव :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष इलायची का राज्यवार उत्पादन कितना हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : पिछले दो वर्षों के दौरान इलायची का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है :—

	मैट्रिक टन में	
छोटी इलायची	1988-89	1989-90
केरल	2820	1925
कर्नाटक	1000	745
तमिलनाडु	430	450
	4250	3120
बड़ी इलायची		
सिक्किम	3500	2500
पश्चिम बंगाल	500	450
	4000	2950

निवासियों पर संगीत कार्यक्रमों का प्रभाव

9359. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सरकारी बस्तियों में निवासी कल्याण एसोसिएशनों के वार्षिक समारोहों में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पार्टियां उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं और "नशाबंदी" जैसे कार्यक्रम दिखा रही है जिससे बच्चों, जिनकी संख्या ऐसे कार्यक्रमों में अधिक होती है, पर अच्छा प्रभाव पड़ने के बजाय, वे शराब आदि पीने को प्रवृत्त होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पार्टियों के कार्यक्रमों की समीक्षा करने और उनमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां। सरकारी कालोनियों के निवासियों की कल्याण एसोसिएशनों के वार्षिक समारोहों सहित बड़े उत्सवों के दौरान प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रमों के अलावा संगीत के कार्यक्रम, जैसे, नृत्य नाटक, ड्रामा, कठपुतली-शो, लोक गायन/लोक संगीत, हरिकथा, बुर्राकथा, यक्षगान, नुक्कड़ नाटक इत्यादि आयोजित करवाती है। लोगों में सामाजिक आर्थिक महत्व के विषयों पर, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना, अस्पृश्यता उन्मूलन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मद्यनिषेध, नशीली दवाईयों के उपयोग से हानि इत्यादि के बारे में लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है इसमें नशाबन्दी भी शामिल है जिससे मद्यनिषेध पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) यह सत्य नहीं है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली निजी पार्टियां "नशाबंदी" विषय पर इस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं जिनसे बच्चों के दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ने की बजाय उन्हें नशे की ओर प्रवृत्त किया जाता है।

(ग) प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् इन पार्टियों की छानबीन करने के बारे में पहले ही एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत उन द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कार्यक्रमों की जांच की जाती है ताकि उन्हें नए विषयों और तकनीकों के बारे में नवीनतम जानकारी मिलती रहे। पार्टियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और उपयुक्त स्क्रिप्ट भी उपलब्ध कराये जाते हैं और श्रोताओं की प्रतिक्रिया/फीडबैक के आधार पर कार्यक्रमों को अद्यतन भी किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनेस्को आदि के सहयोग से वार्षिक आधार पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें इन पार्टियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

सतना (मध्य प्रदेश) में मिट्टी की खानें

[हिन्दी]

9360. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में जैतवारा स्थान पर लाल, पीली और सफेद मिट्टी की अनेक खानें हैं;

(ख) क्या इन मिट्टियों को धोकर, और साफ करके देश के सभी भागों में भेजा जाता है और रंग रोगन, टूथ पेस्ट और अन्य रसायनों में इनका प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या इन मिट्टियों को धोने और साफ करने का कार्य वन संरक्षण अधिनियम के कारण अब रोक दिया गया है, जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की है कि इस लघु उद्योग में लगे लोगों को कुछ सहायता मिले और वे सही ढंग से कार्य कर सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। ये मिट्टियां विविध उपयोगों के लिए देश के विभिन्न भागों को भेजी जाती हैं।

(ग) जंतवाड़ा के गेरू (ओकर) धारी संपूर्ण क्षेत्र वन भूमि में है और इन क्षेत्रों में खनन आरंभ करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति लेनी जरूरी है। सतना जिले में मिट्टी खनन हेतु वन भूमि के अपवर्तन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी

[अनुवाद]

9361. **डा० देबी प्रसाद पाल :**
प्रो० के० वी० थामस :

क्या **वित्त मंत्री** यही बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पियरलेस जनरल फाइनेंसट एंड एनवेस्टमेंट कंपनी द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस कंपनी के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को मैसर्स पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि० (पीयरलेस), कलकत्ता के खिलाफ कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसमें सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश के रूप में निधियों को लगाए जाने का आरोप लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पीयरलेस द्वारा किए गए इस प्रकार के निवेश की कुल रकम आमतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अधीन पाई गई। तथापि, ये निवेश कंपनी की गतिविधियों के स्वरूप के अनुकूल प्रतीत नहीं होते और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी सूचना कंपनी को दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1987 में अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश जारी किए हैं जो पीयरलेस जैसी कंपनियों पर लागू हैं। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार करने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि, निधियों के निवेश के तरीके आदि का प्रावधान है। इन निदेशों में निवेश पर सुरक्षित प्रतिलाभ और जमाकर्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था है।

बस्तर, मध्य प्रदेश में खनिज भंडार

[हिन्दी]

9362. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान अप्रैल, 1990 तक मध्य प्रदेश में बस्तर जिल की किन-किन खानों से कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य का कुरंड, टीन और अन्य खनिजों का खनन किया गया;

(ख) इन खानों में ऐसे खनिजों का अनुमानित कितना भंडार है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन खानों में चोरी के कितने मामले पकड़े गये; और

(घ) ऐसे पकड़े गए लोगों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नई ऋण नीति

[अनुवाद]

9363. **श्री जी० एस० बासवराज** :
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक पत्रों के लिए बाजार को व्यापक आधार प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने नई ऋण नीति संबंधी मार्गदर्शों में कुछ रियायत देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों का ब्यौरा क्या है जिनको देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक राजी हो गया है; और

(ग) इससे अर्थव्यवस्था के विकास में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करने के लिए मार्गनिर्देशों में अप्रैल 24, 1990 से निम्नलिखित छूट दी गई है :—

(i) कंपनी की वास्तविक निविल राशि पूर्व निर्धारित 10 करोड़ रुपये के स्थान पर 5 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ii) कंपनी की कार्यशील पूंजी (निधि पर आधारित) सीमा पूर्व निर्धारित 25 करोड़ रुपये की बजाए 15 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए ।

(iii) भारतीय साख निर्धारित सूचना सेवा लि० (क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि०) का न्यूनतम साख निर्धारण पी-1 प्लस (जमा) की जगह पी-1 होगा ।

(iv) साखपत्र के मूल्यवर्ग पूर्व के 25 लाख रु० की बजाए 10 लाख रु० के गुणक में हो सकते हैं, बशर्ते कि एक निवेशकर्ता के निर्गम का न्यूनतम आकार एक करोड़ के स्थान पर 50 लाख रु० हो ।

वाणिज्यिक पत्र की योजना जनवरी, 1990 से ही प्रभावी हो गई है और अब तक जारी वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि सिर्फ 96.50 करोड़ रुपये है ।

दिल्ली में झुग्गियों का बीमा

[हिन्दी]

9364. श्री आर० एन० राकेश :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झुग्गियों का बीमा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1990 तक कितनी झुग्गियों का बीमा किया गया;

(ग) दिल्ली में अप्रैल, 1990 के दौरान आग लगने के कारण मुआवजा के लिए मामला दायर करने वाले झुग्गी निवासियों की संख्या क्या है और दावे की कुल राशि क्या है;

(घ) क्या सरकार का आग लगने के कारणों की जांच करने का प्रस्ताव है ताकि यह पता चल सके कि क्या इन झुग्गियों में आग बीमा दावा पीने के इरादे से लगायी गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले पर कब तक जांच पूरी होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है ।

(ग) प्रतीत होता है कि सरकार को अभी तक ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) पुलिस के पास मामले दर्ज कराए गए हैं और इन मामलों की जांच की जा रही है । तथापि, 23-4-1990 को मोतिया खान में झुग्गियों में आग लगने के मामले में एक मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है, ताकि आग लगने के कारणों का पता चल सके और व्यापक उपाय, यदि कोई हो, की भी सिफारिश की जा सके, जिससे झुग्गियों व इसी तरह की अन्य बस्तियों में आग लगने के जोखिम को कम किया जा सके । रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल सकेगा ।

पैराक्सीलीन का आयात

[अनुवाद]

9365. श्री एस० बी० थोरट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैराक्सीलीन के आयात को ओ० जी० एल० के० अंतर्गत रखा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इससे देश के लिए विदेशी मुद्रा की हानि होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

काले धन का उपयोग

9366. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काले धन की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए, सरकार इस धन को सामाजिक कल्याण सबंधी योजनाओं में निवेश करने संबंधी कोई व्यापक और प्रभावी वित्तीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन योयनाओं को कब तक तैयार किया जायेगा; और

(घ) इन योजनाओं के लिए अधिकतम धन-राशि प्राप्त करने के वास्ते पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु क्या रियायतें/प्रोत्साहन देने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) काले धन की उत्पत्ति के कारण अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाली खामियों की सरकार को जानकारी है सरकार इसकी वृद्धि को रोकने और इसके प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयत्न करती रही है। चूंकि यह समस्या जटिल है, इसलिए इसका अनेक तरीकों से समाधान करने की जरूरत है। अत: इसके प्रचलन तथा इसकी और उत्पत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक, विधायी और संस्थागत उपायों सहित सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली का द्विभाजन

[हिन्दी]

9367. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली का द्विभाजन करने का है, यदि हां तो तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(ख) क्या तीस हजारी के वकीलों ने इसका विरोध किया है, और यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या तीस हजारी न्यायालय का द्विभाजन करने में आम जनता को अधिक असुविधा होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) सरकार, तीस हजारी न्यायालय के द्विभाजन के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं कर रही है क्योंकि यह विषय विशेष रूप से, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

बैंकों की विदेशी शाखाओं में धोखाधड़ी

9368. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के क्या नाम हैं जिनकी शाखायें विदेशों में हैं और वहां पर उनमें से प्रत्येक की कितनी शाखायें हैं;

(ख) क्या विदेशों में बैंकों की शाखाओं के संबंध में जांच पड़ताल के मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक के लम्बित मामलों की संख्या सहित उन बैंकों के नाम बतायें ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 31-21-89 की स्थिति के अनुसार जिन भारतीय बैंकों की शाखाएं विदेशी में हैं, उनके नाम और उनमें से प्रत्येक की शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है—

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
स्टेट बैंक आफ इंडिया	23
बैंक आफ इंडिया	25
बैंक आफ बड़ौदा	47
इंडियन बैंक	3
इंडियन ओवरसीज बैंक	6
यूको बैंक	7
केनरा बैंक	1
सिंडिकेट बैंक	1
भारत ओवरसीज बैंक लि०	1
जोड़	114

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सहकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनकी विदेशी शाखाओं के संबंध में उसे प्राप्त हुई सूचना के अनुसार गत चार वर्षों अर्थात् 1985 से 1989 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों की संख्या नीचे दी गई है :—

बैंक का नाम	धोखाधड़ी के मामलों की संख्या			
	1986	1987	1988	1989
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टेट बैंक आफ इंडिया	6	—	—	1
बैंक आफ बड़ौदा	11	11	12	7
बैंक आफ इंडिया	6	3	2	4
इंडियन बैंक	1	—	—	—
इंडियन ओवरसीज बैंक	3	—	—	—
पंजाब नेशनल बैंक	2	—	—	—
सिंडिकेट बैंक	1	—	1	—
यूको बैंक	1	1	1	—

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जब तक धनराशि की वसूली कर्मचारियों की जिम्मेदारी आदि संबंधी सभी मानदंडों के अनुसार सारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती धोखाधड़ी के इस तरह के सभी मामलों में संबंधित बैंक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मारवाड़ ग्रामीण बैंक

[अनुवाद]

9369. **श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मारवाड़ ग्रामीण बैंक को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मारवाड़ ग्रामीण बैंक द्वारा पाली जिले के देसूरी ताल्लुक में धनेरव के आदिवासियों कोलाकर-सुविधा प्रदान करने, कृषि ऋण बांटने तथा पेंशन देने की सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) मारवाड़ ग्रामीण बैंक का स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर में विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मारवाड़ ग्रामीण बैंक का उसके धनेरव शाखा के ग्राहकों को विभिन्न परिचालनात्मक कारणों से लाकर-सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता मारवाड़ ग्रामीण बैंक द्वारा उसके सेवा के लक्ष्य समूहों के सदस्यों को कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। चूंकि ग्रामीण बैंक सरकारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं अतः मारवाड़ ग्रामीण बैंक द्वारा पेंशन का संवितरण व्यवहार्य नहीं है।

हिंसा तथा महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार में दृश्यों को दिखाने पर रोक

9370. **श्री सुधीर गिरि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चल-चित्रों में महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार के दृश्यों को दिखाने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 1989 तथा 1990 में कोई कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : फिल्मों की जांच करने तथा उन्हें प्रमाणित करने का काम चलचित्र अधिनियम, 1952 में निर्धारित प्रक्रिया तथा उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किया जाता है। वर्ष, 1989 के दौरान, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा भारतीय तथा विदेशी फिल्मों से लगभग कुल 18,000 मीटर लंबाई के दृश्य काटे गए क्योंकि इन दृश्यों में खून-खराबा, निरर्थक तथा बेकार की हिंसा दिखाई गई थी, महिलाओं को अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया था, उनमें अभद्रता, भ्रष्टता तथा अश्लीलता आदि दिखाई गई थी। इसी अवधि के दौरान बोर्ड ने 17 भारतीय फिल्मों तथा 11 विदेशी फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया। सरकार ने लगभग 30 फिल्मों के आवेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं कि चलचित्र अधिनियम की धारा 5-ङ के अधीन उनके सेंसर प्रमाण पत्र स्थगित या रद्द क्यों न कर दिए जाएं क्योंकि पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए उन फिल्मों के प्रिंटों में अनधिकृत दृश्य जोड़े गए पाए गए हैं। सरकार ऐसी कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी ताकि फिल्मों में अनधिकृत दृश्यों का जोड़ा जाना रोका जा सके।

सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति न होना

9371. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कुछ संवर्गों में लम्बे समय से पदोन्नति नहीं हुई है;

(ख) क्या समूह "ग" और "घ" में स्वतः पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार इस बात को जानती है कि कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनमें पदोन्नति के अवसर नहीं हैं या पदोन्नति के आसार अपर्याप्त हैं।

(ख) से (घ) सरकार में विभिन्न स्तरों पर पदों का सृजन आवश्यकता के आधार पर विचार करके किया जाता है। यदि पदोन्दति के स्तरों में पद कार्यात्मक रूप से औचित्यपूर्ण/आवश्यक नहीं हैं तो ऐसे पद पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने तथा गतिरोध को दूर करने मात्र के लिए सृजित नहीं किए जा सकते हैं। तथापि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष की मांग के आधार पर सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या समूह "ग" और "घ" के सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में कम से कम एक पदोन्नति दी जा सकती है।

स्वर्ण तस्करी तथा हवाला लेन-देन रैकेट

9372. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने अप्रैल, 1990 में नई दिल्ली में 50 करोड़ रु० तक की स्वर्ण तस्करी तथा हवाला लेन-देन रैकेट का भण्डाफोड़ किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) छापों के दौरान पकड़ी गई मदों, रोकड़, जेवरात और अन्य अभियोगात्मक दस्तावेजों के ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) 214 विवेकानन्दपुरी, नई दिल्ली के निवासी संजय और ललित गोयल नामक दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा ली गई विभिन्न तलाशियों के परिणामस्वरूप 79.78 लाख रुपए मूल्य के दस-दस तोले के विदेशी मार्के वाले सोने के 200 बिस्कुट तथा 5.92 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और बड़ी मात्रा में आयातित चिकित्सा संबंधी और शल्यक उपकरण आदि बरामद किए गए हैं और अभिगृहीत किए गए हैं। कुछेक ऐसे दस्तावेज भी जब्त किये गये हैं जिनसे यह पता चलता है कि तलाशी लेने से पूर्व के लगभग 12 महीनों की

अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति मुख्य रूप से सोने की तस्करी के संबंध में 50 करोड़ रुपये तक के हवाला अथवा विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के संभवतः लिप्त थे।

(घ) ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों पर विभागीय न्यायनिर्णयन में अर्थदंड लगाया जा सकता है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत उन्हें नजरबन्द भी किया जा सकता है।

उज्जैन, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के प्रसारण में सुधार

[हिन्दी]

9373. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के प्रसारण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) उज्जैन शहर, इन्दौर में कार्यरत उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में आता है और उस ट्रांसमीटर से अच्छी तरह से कवर होता है।

(ख) सरकार की नीति यह है कि साधनों को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानो को उचित प्राथमिकता दी जाए।

दूरदर्शन में अधिकृत एजेंसियों की संख्या

[अनुवाद]

9374. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के पास अधिकृत एजेंसियों का विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार को दूरदर्शन की अधिकृत एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी एजेंसी-वार ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस समय दूरदर्शन के पैनल में 103 प्रत्यायित एजेंसियों और 35 अनन्तिम प्रत्यायित एजेंसियों के नाम हैं।

(ख) और (ग) प्रत्यायित एजेंसियां, अपने ग्राहकों की ओर से विभिन्न केन्द्रों से निरंतर आधार पर विज्ञापनों के प्रसारण का प्रस्ताव करती हैं। तथापि, ऐसे प्रस्तावों की केन्द्रीय रूप से कोई सूची नहीं रखी जाती है।

पूर्वी ब्लाक को निर्यात

9375. **श्री नाथू सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान सोवियत संघ सहित पूर्वी ब्लाक के क्षेत्रों को रुपए के भुगतान से किए गए कुल निर्यात का मूल्य कितना है;

(ख) उपर्युक्त निर्यातों के लिए जारी अग्रिम लाइसेंस जारी करने पर दुर्लभ मुद्रा में खर्च की गई विदेशी मुद्रा (रुपये के अलावा) की राशि कितनी है; और

(ग) क्या ऐसे निर्यातों के लिए किसी आर० ई० पी० लाभ की अनुमति है, और यदि हां, तो क्या ऐसे निर्यातों के लिए जारी आर० ई० पी० लाइसेंस दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों (रुपये में अदायगी से भिन्न) से आयात करने के लिए भी वैध है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) नवीनतम जानकारी के अनुसार 1989-90 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान सोवियत संघ सहित पूर्वी ब्लाक को रुपया भुगतान के आधार पर निर्यात 4107.44 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का हुआ। वित्त वर्ष के शेष महीने के व्यापार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) रुपया भुगतान क्षेत्र को निर्यात के लिए जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खंड 1) के पैरा 244 में निहित प्रावधान के अनुसार अग्रिम लाइसेंस के आधार पर निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने पर लाइसेंस धारक विशेष आर० ई० पी० का हकदार है। इस प्रकार जारी किए गए लाइसेंस दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से भी आयात करने के लिए वैध हैं।

निर्यात के लिए लाइसेंस

9376. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामातर आधारों पर रुपया मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र को निर्यात के लिए लाइसेंस देने की नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान तथा भविष्य निर्यात व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को इस नीति के विरोध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) व्यापार और उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नई नीति उन निर्यात उत्पादों के मामले में लागू नहीं होगी, जिनमें विनिर्माण कार्य अधिक हैं और ऊंचा मूल्य देते हैं। जिन अन्य मामलों में, विनिर्माण कार्य मामूली है और जिनका आयात अधिक होता है उन मामलों में सामान्य मुद्रा क्षेत्र में संतुलित निर्यात नीति लागू करने का अधिकार जनहित में सरकार ने अपने पास रखा है।

हिमाचल प्रदेश में बैंक आफ इंडिया की शाखायें खोलना

[हिन्दी]

9377. प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1989-90 के दौरान बैंक आफ इंडिया को हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखाएं खोलने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या क्या है;

(ख) इसमें से मार्च, 1990 तक खोली गई शाखाओं की संख्या क्या है;

(ग) शेष शाखाओं के न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) बैंक की इन शाखाओं को शीघ्र खोले जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के वास्ते वर्ष 1989-90 के दौरान बैंक आफ इंडिया को मूल रूप से कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया था। अलबत्ता, यूको बैंक को मूल रूप में आबंटित किए गए 8 ग्रामीण केन्द्र दिसंबर, 1989 में बैंक आफ इंडिया को दोबारा आबंटित कर दिए गए थे।

बैंक ने इन केन्द्रों में अभी तक कोई शाखा नहीं खोली है क्योंकि शायद ये शाखाएं उसे उसे हाल ही में आबंटित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंसों की वैधता अवधि सितम्बर, 1990 तक बढ़ा दी है और आशा है कि बैंक उस तारीख से पहले इन केन्द्रों में शाखाएं खोल देगा।

केरल में रबड़ की खेती

[अनुवाद]

9378. श्री टी० बशीर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फिलहाल कितने एकड़ भूमि में रबड़ की खेती होती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने एकड़ भूमि में रबड़ की खेती की गई;

(ग) केरल में छोटे और मध्यम रबड़ खेतिहरों की संख्या क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत, योजना-वार लाभभोगी खेतिहरों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ की खेती के अंतर्गत लाए गए नए क्षेत्र निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1987-88	13,000
1988-89	8,000
1989-90	7,000

वर्ष 1988-89 के अंत में केरल में रबड़ बागान के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र 3 661 लाख हेक्टेयर है।

(ग) लगभग 3.68 लाख उपजकर्ता ऐसे हैं जिनके पास रबड़ के अन्तर्गत 4 हैक्टेयर तक जमीन है तथा ऐसे उपजकर्ताओं की संख्या 2900 है जिनके पास 4 से 20 हैक्टेयर तक जमीन है।

(घ) से (ङ) रबड़ की खेती का विस्तार मुख्य रूप से रबड़ बागान विकास (आर० पी० डी०) योजना के कार्यान्वयन द्वारा किया जाता है जिसके अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त परामर्शी एवं तकनीकी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, फसल का संसाधन करने तथा छोटी जोत वाले क्षेत्रों का विपणन करने के लिए स्मीक हाउसेज का निर्माण करने, रबड़ शीट रोलर खरीदने, सिंचाई सुविधाएं स्थापित करने, पॉवर स्प्रेयर की खरीद के लिए तथा मधु मक्खी पालन के उपकरण के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

7वीं योजना के अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के तहत लाभान्वित कृषकों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :

आर० पी० डी० योजना	106,800
बागान संबंधी उपकरणों का वितरण	9,000
विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएं	75,000

बैंकों में गबन

[हिन्दी]

9379. श्री शोपत सिंह मक्कासर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में गबन की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) मामलेवार, कितनी राशि की वसूली की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक धोखाधड़ियों से संबंधित आंकड़ों की इकट्ठा करने और रख-रखाव की वर्तमान प्रणाली से बैंकों में गबन संबंधी मामलों की अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, वर्ष 1987, 1988 और 1989 के लिए बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ियों की संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि, चाहे इन घटनाओं की तारीख कुछ भी हो, इस प्रकार है :—

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (लाख रुपए)
1987	1902	4087.34
1988	1834	2902.24
1989	1584	5021.67

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1987 (जुलाई से दिसम्बर) 1988 और 1989 के दौरान धोखाधड़ियों से संबद्ध मामलों में बरामद की गई रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	बरामद की गई रकम (लाख रुपए)
1987 (जुलाई से दिसम्बर)	630.67
1988	1679.52
1989	2276.10

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

चीनी का निर्यात

[अनुवाद]

9380. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात की गई चीनी की किस्म तथा दर क्या है; और

(ग) इस निर्यात के बदले में उन देशों से आयात की गई वस्तुएं कौन-सी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान भारत से चीनी का निर्यात नीचे दिया गया है :

(मात्रा टनों में)
(मूल्य: करोड़ रु०)

1988-89		1989-90	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
31700	20.33	32500	22.34

अधिकांश निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका को उनके अधिमानी कोटा के आधार पर तथा नेपाल को किया गया। उक्त निर्यात का किसी आयात के साथ कोई संबंध नहीं था।

फास्फोरिक एसिड का आयात

9381. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान फॉस्फोरिक एसिड का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में तथा किन-किन दरों पर इसका आयात किया गया; और

(ग) फॉस्फोरिक एसिड का आयात करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए पी2 ओ5 की मात्रा तथा प्रति मीट्रिक टन लागत भाड़ा भारित औसत कीमत नीचे दी गई है :

वर्ष	1000 मी० टन में मात्रा (पी०2 ओ5)	अमरीकी डालर में प्रति मी० टन लागत भाड़ा भारित औसत कीमत
1987	833.6	333.32
1988	1616.1	407.78
1989	882.6	427.36

(ग) फॉस्फोरिक अम्ल का आयात आपूर्तिकर्ता को 60 दिन की ऋण शर्तों पर लागत-भाड़ा आधार पर किया गया है।

आवासों के लिए बैंकों से ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव

9382. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** आवासों के लिए बैंकों से ऋण के बारे में 16 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान दिए गए 237 करोड़ रुपए के आवास वित्त में से बैंक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों तथा आम जनता को अलग-अलग कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(ख) वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लिए आवासों के लिए बैंकों द्वारा क्या राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का आमतौर पर मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए आवास ऋण की अधिकतम सीमा 12.5 प्रतिशत ब्याज की दर से 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को मंजूर किए गए ऋणों की राशि के संबंध में उसके पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता दिसम्बर, 1988 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई 237 करोड़ रुपए की आवासीय वित्त की राशि में बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए ऋणों की रकम शामिल नहीं है।

(ख) बैंकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को आवास के लिए निर्धारित की गई राशि नीचे दी गई है :—

(I) बैंकों का आवास वित्त के लिए उनको आबंटित की गई कुल राशि का 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष ऋणों के रूप में उपलब्ध कराना होता है। इसमें से कम से कम आधी राशि प्रत्यक्ष आवास ऋणों के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(II) आबंटित की गई राशि का 30 प्रतिशत बैंकों द्वारा अप्रत्यक्ष ऋणों के रूप में आवास वित्तीय संस्थाओं, आवास बोर्डों और अन्य सार्वजनिक अभिकरणों आदि को सावधि ऋणों के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

(III) आबंटित की गई राशि का शेष 40 प्रतिशत भाग बैंकों द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासन एवं शहरी विकास निगमों के गारंटी शुदा बोंडों और ऋणपत्रों में के रूप में लगाया जाता है।

(ग) और (घ) आवास ऋणों की अधिकतम सीमा 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक करने की कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं

[हिन्दी]

9383. डा० बंगाली सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम क्या हैं;

(ख) भारत के समाचार पत्र पंजीयक के पास नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजियन के लिए उत्तर प्रदेश के कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन्हें कब पंजीकृत किया जाना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1149/90]

(ख) और (ग) 15-5-1990 की स्थिति के अनुसार, 411 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का पंजीकरण लंबित है। 337 समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को विसंगति पाए जाने संबंधी पत्र पहले ही भेज दिए गए हैं और 74 आवेदनों पर कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्राप्त होने और औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर प्रैस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अनुसार समाचारपत्रों का पंजीकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का पुनर्गठन

[अनुवाद]

9384. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बोर्ड का हाल में पुनर्गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष भारतीय फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित और अनुभवी हस्ती श्री डी० वी० एस० राजू हैं और फिल्म जगत की जानीमानी दस हस्तियां को बोर्ड का अंशकालीन निदेशक बनाया गया है। निगम का उद्देश्य उभरते फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता देना और कम बजट वाले वीडियो थियेटरों और करीब 600 सीटों की क्षमता वाले लघु सिनेमा थियेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके, स्तरीय सिनेमा के प्रदर्शन की व्यवस्था करना है। वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को 3 करोड़ रुपए का योजना समर्थन देने का निर्णय लिया है।

2. आठवीं योजना के दौरान भी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को पर्याप्त योजना समर्थन देने की परिकल्पना दी गई है ताकि निगम स्तरीय सिनेमा को बढ़ावा देने और उसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पंजाब को सहायता

9385. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में, विशेष रूप से होशियारपुर जिले में जरूरतमंद किसानों को उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए गत दो वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए उपरोक्त सहकारी बैंकों/सहकारी समितियों द्वारा कुछ शर्तें पूरी किए जाने पर बल दिया है और सहकारी बैंकों/सहकारी समितियों को ऐसी शर्तों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) पंजाब में सहकारी बैंकों/समितियों को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से वित्त पोषण को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) राष्ट्रीय कृषिऔर ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के गत दो वर्षों के दौरान, पंजाब राज्य सहकारी बैंक को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए, पुनर्वित्त सहायता के रूप में निम्नलिखित राशि उपलब्ध करायी है।

वर्ष	राशि-करोड़ रुपए
1988-89 (जुलाई-जून)	181.28
1989-90 (जुलाई-जून)	193.04

वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के 2 वर्षों के दौरान होशियारपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से पंजाब राज्य सहकारी बैंक को कृषि संबंधी मौसमी परिचालनों के लिए मंजूर की गई ऋण सीमा निम्नानुसार थी :—

वर्ष	राशि-करोड़ रुपए
1988-89	3.60
1989-90	9.92

(ख) अल्पावधि कृषि ऋणों के वित्तपोषण के वास्ते केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड से पुनर्वित्त केवल तभी दिया जाता है जब केंद्रीय सहकारी बैंकों की अतिदेय राशियां मांग के 60 प्रतिशत से अधिक न हों। सीमाएं वास्तविक ऋण देने के कार्यक्रम और नाबार्ड द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम अन्तर्ग्रस्तता के बीच अन्तर तक ही स्वीकार की जाती हैं। ऋण सीमाओं पर आहरण गैर-अतिदेय कवच की उपलब्धता, छोटे किसानों को वित्त सहायता देने के मानदंडों की अनुपालना, आवधिकता अनुशासन और न्यूनतम अन्तर्ग्रस्तता की शर्तों के अनुपालन के अधीन दिए जाते हैं।

(ग) आगामी 1990 के खरीफ मौसम के लिए ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर किए गए ऋण सीमाओं की मंजूरी और प्रचालन के लिए कुछ रियायतें दी हैं जो इस प्रकार हैं :—(1) आवधिकता सम्बन्धी अनुशासन समाप्त कर दिया गया है, (2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मंजूर ऋण सीमाओं पर आहरण के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान अनतिदेय कवच के बनाए रखने में छूट दी गई है, (3) ऋणों की वापसी अदायगी में राज्य सहकारी बैंकों द्वारा चूकों को माफ करना, (4) इस शर्त को हटाया जाएगा कि साप्ताहिक आधार पर राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्धारित न्यूनतम अन्तर्ग्रस्तता का 75 प्रतिशत बनाए रखना होगा और (5) अतिरिक्त ऋण सीमा की मंजूरी पर विचार किया जाएगा। ये रियायतें 1990 के खरीफ कार्यों के लिए ऋण की मांग को पूरा करने में सहकारी बैंकों की सहायता करेंगी।

बिहार में तस्करी पर नियंत्रण

9386. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल से बिहार की ओर बहने वाली नदियों के द्वारा की जा रही तस्करी के नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1989 में और 31 मार्च तक इन नदियों के माध्यम से तस्करी करते हुए सामान सहित कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए और इस अवधि में तस्करी का कितना माल पकड़ा गया तथा उसका मूल्य कितना था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) नीचे सारणी में भारत-नेपाल सीमा पर किए गए अभिग्रहणों के दर्शाए गये मूल्य से यह बात सिद्ध होती है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी, बिहार क्षेत्र तथा नदी मार्गों सहित भारत-नेपाल सीमा के आर-पार की जाने वाली तस्करी के खिलाफ हमेशा सतर्क रहते हैं। तथापि, नदी मार्गों पर कोई अभिग्रहण/

गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं। पटना निवारक समाहर्तालय को नदी मार्गों पर गश्त लगाने के लिए 3 मोटर लांचों को अब आबंटित कर दिया गया है।

सारणी

(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	भारत-नेपाल सीमा पर अभिगृहीत माल का मूल्य
1987	1297
1988	1659
1989	2051

विदेशी अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन

9387. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विदेशी अश्लील फिल्मों तथा उनके उत्तेजक शीर्षकों वाले पोस्टरों के प्रदर्शन की लहर-सी आ गई;

(ख) क्या इन फिल्मों का आयात अनिवासी भारतीय योजना के अंतर्गत किया जा रहा है;

(ग) अश्लील फिल्मों पर रोक लगाने के लिए कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सरकार का अपनी युवा पीढ़ी को ऐसी अश्लील फिल्मों तथा पोस्टरों के प्रदर्शन से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) अश्लील विदेशी फिल्मों तथा उत्तेजक शीर्षकों वाले पोस्टरों के प्रदर्शन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) अनिवासी भारतीय योजना के अंतर्गत आयातित फिल्में भी शिकायतों में शामिल हैं।

(ग) सरकार को अश्लील विदेशी फिल्मों और पोस्टरों के प्रदर्शन सहित फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित विभिन्न मामलों पर समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। विशिष्ट विषयों पर कोई पृथक् रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(घ) अवयस्कों के लिए जिन फिल्मों को उपयुक्त नहीं समझा गया उन्हें कांट-छांट के के साथ/के बिना "वयस्क प्रमाणपत्र" दिए जाते हैं। इन फिल्मों का प्रदर्शन 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों तक सीमित कर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित कुल 457 विदेशी फिल्मों में से 177 फिल्मों को "वयस्क" प्रमाण पत्र दिया गया।

सिनेमा पोस्टरों का प्रदर्शन राज्यों का विषय है। तथापि, सरकार की पहल पर, भारतीय फिल्म उद्योग ने बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में फिल्म प्रचार स्क्रीनिंग समितियां गठित की हैं।

भागलपुर के हुए दंगों के बारे में दूरदर्शन पर प्रसारण

9388. **श्री बी० एन० गाडगिल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर में हुए दंगों के सम्बन्ध में नलिनी सिंह द्वारा निर्मित वृत्तचित्र, सेंसर करने के पश्चात् दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसे उसके मूल रूप में दूरदर्शन पर प्रसारित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) बाहरी एजेंसियों/निर्माताओं द्वारा दूरदर्शन के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का पूर्वावलोकन किया जाता है। कार्यक्रम के आधारभूत उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन दृश्यों को जोड़ना या हटाना आवश्यक होता है उन्हें सम्बन्धित निर्माता के साथ परामर्श करके जोड़ा या हटा दिया जाता है। भागलपुर से संबंधित वृत्तचित्र के मामले में निर्माता ने दूरदर्शन द्वारा दिए गए सुझावों को मान लिया था तथा उसमें संशोधन कर दिए थे। प्रसारण से पूर्व दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम को संपादित या सेंसर नहीं किया गया था।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण

9389. **श्री छेदी पासवान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने की नीति अपनाई है जिन्हें रसोई-गैस की डीलरशिप/खुदरा आउटलेट और सुपर किरोसिन आयल/लाइट डीजल आयल डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप आबंटित की गई है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई अधिसूचना जारी की है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने में विलंब करने अथवा ऋण न दिए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियां, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो से संबंधित व्यक्तियों को डीलरशिप देने हेतु, पूरे देश में खुदरा आऊटलेटों/सुपर किरोसिन आयल (एस० के० ओ०), लाइट डीजल आयल (एल० डी० ओ०), डीलरशिप के विकास के लिए एक योजना चला रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ये हिदायतें जारी की हैं कि वे ऐसे ऋणकर्ताओं को, जिन्हें डीलरशिप दी गई है, उन्हें उनकी अनुमानित आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी सुविधाएं तथा बिक्री डिपो/शो-रूम के निर्माण तथा उपकरणों की खरीद के लिए सावधि ऋणों की व्यवस्था करें। नकदी ऋण सुविधाओं और सावधि ऋणों के बदले प्रतिभूति के रूप में रखी गयी परिसंपत्तियों का आग,

चोरी और सेंधमारी के जोखिम से बचने के लिए, उनकी पूरी कीमत के बराबर, बीमा करवाना होता है।

(ग) से (ङ) जब कभी ऋण देने में देरी करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच की जाती है और संबंधित बैंकों द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

सीमावर्ती जिलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर क्षेत्रीय कार्यक्रम

9390. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सीमावर्ती जिलों में, निकट के देशों के भारत विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम को निष्फल करने अथवा रोकने के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर क्षेत्रीय कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार क्षत्रीय कला, संस्कृति, सामाजिक ढांचा और राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम तैयार करेगी; और

(ग) क्या सरकार भारत के विरुद्ध विदेशों के प्रचार को रोकने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेष सलाहकार समिति का भी गठन करेगी ?

सूचना और प्रसारस मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी के कई रेडियो स्टेशन हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन केन्द्रों के कार्यक्रमों में स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय विषयों से संबंधित कार्यक्रम और कला, संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक विषयों तथा राष्ट्रीय एकता से संबंधित कार्यक्रम शामिल होते हैं। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन रिले करने के अलावा ये केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में भी समाचार बुलेटिन प्रसारित करते हैं जिनमें सही-सही सूचना देने के साथ, सीमापार से किए जाने वाले प्रचार का प्रतिकार भी किया जाता है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, दूरदर्शन द्वारा, समय-समय पर कार्यान्वित किए जाने वाले विस्तार कार्यक्रमों में सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करने को प्राथमिकता दी गई है। इस समय पंजाब और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों से क्षेत्रीय प्रसारण सेवा उपलब्ध है। अन्य सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रीय सेवा शुरू करना अपेक्षित उपग्रह क्षमता/माइक्रोवेव लिंकेजों पर निर्भर करेगा। तब तक, इन राज्यों में कार्यरत ट्रांसमीटर दिल्ली से मूल रूप से प्रसारित होने वाली राष्ट्रीय और नेटवर्क सेवाएं, प्रसारित करना जारी रखेंगे, जिनमें कला, संस्कृति सामाजिक ढांचे और राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

काली मिर्च के मूल्य

9391. **श्री पलाई के० एम० मंथ्यू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काली-मिर्च के मूल्य में भारी गिरावट लाने की एक व्यवसाय-एकाधिपतियों और दलालों की मिली भगत से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे रोकने का कोई प्रस्ताव या योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) चूंकि काली मिर्च एक निर्यातोन्मुख वस्तु है, अतः इसकी घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और साथ ही पूर्ति एवं मांग स्थिति के अध्यधीन रहती हैं। इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आसान उपलब्धता तथा भारत में भारी उत्पादन के कारण काली मिर्च की कीमतों में गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय ने फारवर्ड मार्केट कमीशन के साथ सट्टेबाजी का मामला उठाया था।

अधिकारियों/मंत्रियों द्वारा विदेशी दौरे

9392. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोसले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1989 से अप्रैल, 1990 के दौरान अधिकारियों तथा मंत्रियों द्वारा कुछ विदेशी दौरे किए गए हैं;

(ख) क्या गत वर्ष इसी अवधि के दौरान किए गए विदेशी दौरों की तुलना में इन दौरों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में इन दौरों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) यह सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है और इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालों/विभागों से एकत्र करना होगा। इस सूचना को एकत्र करने में बहुत समय और श्रम लगेगा तथा उससे जो परिणाम प्राप्त होगा वह सूचना एकत्र करने में लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा स्थायी आधारभूत ढांचे का विकास

9393. **श्री सत्यगोपालमिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बंगलौर में नियमित रूप से व्यापार मेले आयोजित करने के लिए भारतीय व्यापारी मेला प्राधिकरण द्वारा इन नगरों में स्थायी आधारभूत ढ़ांचे के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) ट्रेडफेयर अथारिटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य न केवल दिल्ली में अपितु अन्य महत्वपूर्ण शहरों तथा राज्यों की राजधानियां में भी मेले आयोजित करना है। हालांकि देश मे बम्बई जैसे महानगरीय शहरों मे प्रदर्शनी के लिए व्यवस्थापना विकसित करने के लिए कुछ प्रस्ताव है लेकिन कोई निश्चित परियोजना उभरकर सामने नहीं आयी है।

मध्य प्रदेश में कम शक्ति तथा अधिक शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी केन्द्र

9394. श्री परसराम भारद्वाज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अब तक खोले गए कम शक्ति तथा अधिक शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना स्थलवार संख्या कितनी है; और

(ख) आठवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य (मंत्री श्री पी० उपेन्द्र) :

(क) दूरदर्शन ट्रांसमीटर :

मध्य प्रदेश में सातवीं योजना के दौरान जिन 42 स्थानों पर एक-एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किया गया है, उनके नाम हैं : अम्बिकापुर, बेलाडिल्ला, बेन्दूल, भिंड, बालाघाट, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, हरड़ा, कांकेर, चन्देरी, डूंगरगढ़, इटारसी, गुना, दमोह, कूरुवे, जगदलपुर, मानिन्दरगढ़, झाबुआ, खारगोन, कुरसिआ, मलंजखंड, मन्दसौर, मांडला, नागदा, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, राजगढ़, रायगढ़, सतना, सिवनी, सिधी, शाहडोल, शिवपुरी, सिंगरौली, शिवपुर, टिकमगढ़, पंचमढ़ी, राजहरा-झरंदिली, शाजापुर, कोरबा और खंडवा। इसके अलावा सिंगरौली में एक ट्रांसपोजर भी चालू किया गया।

रेडियो केन्द्र :

मध्य प्रदेश राज्य में सातवीं योजना अवधि के दौरान कोई रेडियो स्टेशन चालू नहीं किया गया। तथापि, राज्य में 10 नये रेडियो केन्द्र स्थापित करने की सातवीं योजना स्कीमों को चालू वर्ष के दौरान कार्य रूप देने का कार्यक्रम है।

(ख) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय आबंटन और वास्तविक लक्ष्यों को अंतिम रूप दिए जाने पर ही मध्य प्रदेश राज्य में दूरदर्शन/रेडियो सेवा के और विस्तार की स्कीमों पर विचार किया जायेगा।

दूरदर्शन पर एक ही फिल्म को बार-बार दिखाना

9395. श्री सूबेदार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन पर एक ही फिल्म को कितनी बार दिखाया गया और इस अवधि में दिखाई गई फिल्मों तथा गत तीन वर्षों में इसी अवधि के दौरान दिखाई गई फिल्मों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी फिल्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दुबारा दिखाया गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन फिल्मों को कितनी बार दिखाया गया है; और

(ग) फिल्म के दुबारा प्रदर्शन की संभावना को कम से कम करने तथा नई फिल्में दिखाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ख) पिछले चार महीनों के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से प्रसारित हिन्दी फीचर फिल्मों में से कोई भी फिल्म दुबारा नहीं दिखायी गयी है। पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1987 से 1989 तक) में इसी अवधि के दौरान दिखाई गई हिन्दी फीचर फिल्मों में से भी कोई फिल्म दुबारा प्रसारित नहीं की गई थी।

अतः स्पष्ट है कि फीचर फिल्मों के पुनर्प्रसारण को निरुत्साहित करने के लिए इस विषय पर लागू दिशा-निर्देश पर्याप्त हैं

डिब्बे-बन्द माल की ढुलाई में विलम्ब

9396. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ौसी पत्तनों पर डिब्बा-बन्द माल की ढुलाई में विलम्ब के कारण निर्यातकों को होने वाली हानि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ (एफ० आई० ई० ओ०) और अखिल भारतीय पोतवाणिक परिषद (ए० आई० एस० सी०) से पड़ौसी पत्तनों पर माल की वर्तमान ढुलाई में उनके सदस्यों को हुई वास्तविक हानि का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ढुलाई में विलम्ब को रोकने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) हालांकि सरकार द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय पोतवाणिक परिषद (ए० आई० एस० सी०) तथा भारतीय निर्यात संगठन परिषद के परामर्श से किए गए एक तात्कालिक मूल्यांकन से पता चला है कि प्रथमदृष्टया कंटेनर युक्त माल के व्यापार में परिवहन तथा ब्याज की लागत में कमी करके बचत की जा सकती थी किन्तु पड़ोसी देशों के पत्तनों पर कंटेनरों के नौ कान्तरण में लगे समय पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम में कल्याण कोष सृजन पर प्रतिबंध

9397. **श्री राम सजीवन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लागू समझौते के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक होटल और रेस्टोरेंट में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कुल कारोबार की एक प्रतिशत धनराशि से एक ऐसा कल्याण कोष बनाने की व्यवस्था है, जिसमें से खर्चा इस प्रयोजन हेतु गठित की गई समिति, जिसमें कर्मचारियों के दो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, की मंजूरी से ही किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अशोक होटल इस सांविधिक

उपबन्ध का पालन नहीं कर रहा है और जोरदार विरोधों के बावजूद समिति के कर्मचारी-प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना ही इस कोष से खर्चा कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) मजदूर संघों के साथ किए गए समझौते के अनुसार होटल एवं केटरिंग यूनिटों के लिए प्रत्येक वर्ष बिक्री (सिगरेट की बिक्री और दुकानों/प्रदर्शनियों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क को छोड़कर) के 1/11 वें अंश के 10 प्रतिशत की दर से अंशदान करके कल्याण कोष की स्थापना की जा रही है। कोष का प्रबंध एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रबंधक द्वारा नामित 3 व्यक्ति और श्रमिकों द्वारा चुने गए 2 कामगार प्रतिनिधि होंगे।

(ख) से (घ) संघों के साथ हस्ताक्षरित द्वि-पक्षीय समझौते का स्वरूप सांविधिक नहीं है। जहां तक अशोक होटल, नई दिल्ली का संबंध है, श्रमिकों के दो प्रतिनिधि चुनने के लिए मार्च, 1989 में चुनाव आयोजित किए गए थे, जबकि मतगणना के समय एक विवाद खड़ा हो गया था जिसका निपटारा संघों के बीच भारी अन्तर प्रतिद्वन्दिता के कारण नहीं किया जा सका। इसलिए समिति श्रमिकों द्वारा पहले चुने गए दो प्रतिनिधियों के सहयोग से चलाई जा रही है। इस प्रकार समिति द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए नगद अनुदान कर्मचारी कल्याण कोष से दिया गया।

"रूपीज 1.6 करोड़ वर्थ आफ गोल्ड सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9398. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "रूपीज 1.6 करोड़ वर्थ आफ गोल्ड सीज्ड इन सिरसा (हरियाणा)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जब्ती से स्वर्ण-तस्करों के किसी गिरोह का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गिरोह की कार्यप्रणाली क्या है;

(घ) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 5 अप्रैल, 1990 को, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने सिरसा (हरियाणा) में एक मारूति कार रोकी थी। कार की तलाशी लेने पर कार के दरवाजों के भीतर खाली स्थानों में रखे लगभग 1.6 करोड़ रुपए के मूल्य के लगभग 47 किलोग्राम वजन के विदेशी मार्के वाले सोने के 400 बिस्कुट बरामद किए गए थे। सोने और मारूति कार को अभिगृहीत कर लिया गया था। कार के दो अभिधारियों नामशः सुखदेव सिंह उर्फ फौजी तथा निर्मल सिंह उर्फ निम्मा को, जो तस्करी में लिप्त गिरोह के सदस्य थे, गिरफ्तार कर लिया गया था और तत्पश्चात

उन्हें 18 अप्रैल, 1990 को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत निरुद्ध कर लिया गया था।

उत्तर प्रदेश में आगामी दो वर्षों के दौरान उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

[हिन्दी]

9399. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में आगामी दो वर्षों के दौरान उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना की जायेगी; और

(ख) ये कब से कार्य करना आरंभ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) बरेली में कार्यक्रम निर्माण सुविधा सहित एक उच्च शक्ति (10 कि० वा०)ट्रांसमीटर कार्यान्वियनाधीन है। इस ट्रांसमीटर के 1991 के दौरान सेवा के लिए चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हत्या संबंधी निर्णयाधीन मामले

9400. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गत तीन वर्षों से पांच वर्षों की अवधि तक के हत्या और अपराध संबंधी कितने-कितने मामले निर्णयाधीन हैं और गत दो वर्षों से ऐसे मामलों में कितनी अपीलें विचाराधीन हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सम्बलपुर और राऊरकेला में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाना

[अनुवाद]

9401. **श्री अनादि चरण दास** :
श्री डी० अमात :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सम्बलपुर और राऊरकेला में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएं और टी० वी० कार्यक्रमों में सुधार किया जाए;

(ख) क्या राज्य की शत-प्रतिशत जनसंख्या तक टी० वी० कार्यक्रम देखने की सुविधा प्रदान करने हेतु कम शक्ति वाले 32 और ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय, उड़ीसा की लगभग 65.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीम के रूप में चालू वित्तीय वर्ष (1990-91) के दौरान भवानीपत्तन का कार्यान्वियनाधीन उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर के सेवा के लिए चालू हो जाने पर यह सेवा बढ़कर लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या को प्राप्त हो जाएगी। राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या को कवर करने हेतु राज्य में 32 अतिरिक्त अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर को स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार का उड़ीसा सहित देश के कवर न हुए बाकी भागों को शीघ्रातिशीघ्र कवर करने का प्रयास है। किन्तु, इसके लिए भारी मात्रा में साधन जुटाने होंगे और इसलिए शत-प्रतिशत कवरेज उपलब्ध कराना इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए विभिन्न चरणों में ही संभव हो पाएगा।

महाराष्ट्र में नान्देड़ में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

9402. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नान्देड़ में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने और कब से कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) नान्देड़ में प्रस्तावित रेडियो केन्द्र की इमारत तैयार हो गयी है। तकनीकी उपकरण लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। टावर खड़ा करने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 30 मीटर ऊंचे अन्तरिम मास्ट के साथ इस परियोजना के, शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है ताकि इसे चालू किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जब्त वस्तुएं बेचने वाली दुकानें

[हिन्दी]

9403. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गयी वस्तुएं बेचने वाली कितनी अधिकृत दुकानें हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में ऐसी अनधिकृत दुकानों की जानकारी है जो इन वस्तुओं की बिक्री करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) विदेशी मूल के अधिसूचित माल को बेचने के लिए उत्तर प्रदेश में 139 दुकानों को प्राधिकृत किया गया है।

(ख) और (ग) सीमा-शुल्क प्राधिकारी ऐसे माल को अप्राधिकृत रूप से बेचे जाने के प्रति

सतर्क रहते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने वित्त वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्रमश: लगभग 26,000* रुपए और लगभग 4,5000* रुपए के मूल्य का ऐसा माल अभिगृहीत किया था जिसे अप्राधिकृत रूप से बेचने का प्रयास किया जा रहा था।

(*आकड़े अनन्तिम हैं)

अलकनंदा ग्रामीण बैंक में भर्ती पर प्रतिबन्ध

[अनुवाद]

9404. **श्री सी० एम० नेगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अलकनंदा ग्रामीण बैंक में भर्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक ने वर्ष-वार कितनी नई शाखाएं खोली हैं; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार, कितने-कितने कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि ग्रामीण बैंक में नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(घ) बताया गया है कि इस बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1987, 1988 और 1989 के दौरान कोई नई शाखा नहीं खोली गई है।

(ङ) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक ने पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं :—

वर्ष	नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की संख्या
1987	32
1988	15
1989	18

स्वर्ण भंडार

9405. **श्री कल्पनाथ राय :**

श्री एडुआर्डो फलेरो :

श्री दिलीप सिंह जू देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस समय कितनी मात्रा में सोने का भंडार है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस भंडार में कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है;

(ग) सोने की उपर्युक्त मात्रा में जब्त किए गए सोने की मात्रा कितनी है; और

(घ) जब्त किए गए सोने का निपटान किस प्रकार करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास दिनांक 31-3-1990 को विदेशी मुद्रा आरक्षित सहित 332,563 किलोग्राम सोना था।

(ख) दिनांक 31-3-1988 को आरक्षित स्वर्ण, 324,989 कि० ग्रा० था, जो दिनांक 31-3-1990 को बढ़कर 332,563 कि० ग्रा० हो गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्यतया स्वर्ण की खरीद टकसाल से मानक स्वर्ण छड़ों के रूप में की जाती है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जब्त किए गए सोने की मात्रा या मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब्त किए गए स्वर्ण का निपटान किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन की दरों में संशोधन की मांग

9406. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र संगठन और भारतीय समाचार सेवा (आई० एन० एस०) ने दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय (डी० ए० वी० पी०) से विज्ञापन की दर में 1 जनवरी, 1989 अथवा 1 अप्रैल, 1989 से वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञापन निदेशक ने इन दरों में संशोधन का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन-दरों में संशोधन के मामले में लघु और मध्यम समाचार पत्रों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) जी, हां। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से प्राप्त दरों में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नौवें वित्त आयोग की सिफारिशें

9407. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवें वित्त आयोग की सिफारिशें बिना संशोधन के स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें स्वीकार करने से पहले राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(ग) राज्य सरकारों की आम प्रतिक्रियाएं क्या-क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि अन्तरण संबंधी वित्त आयोग की सिफारिशों को आमतौर पर एक पंचाट के रूप में माना जाता है, इसलिए सामान्य प्रथा का अनुसरण करते हुए कोई औपचारिक परामर्श अपेक्षित नहीं था।

दक्षिण में समाचारपत्रों के पंजीयक का उप-कार्यालय अथवा शाखा-कार्यालय खोलना

9408. **श्रीमती जे० जमुना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबारी कागज के आबंटन इत्यादि मामलों के संबंध में समाचार पत्रों विशेष रूप से छोटे और मझौले समाचारपत्रों की आवश्यकता को तत्काल पूरा करने के लिए दक्षिण में समाचारपत्रों के पंजीयक का उप-कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) मद्रास स्थित, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के मौजूदा कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रादेशिक कार्यालय करने और दक्षिण में, बंगलौर में, एक और कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ताकि इस क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस स्कीम की आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यरूप दिए जाने की संभावना है।

कन्याकुमारी में खनिजों की खोज

9409. **श्री एन० डेनिस** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में खनिजों के भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में अनुमानतः कितनी मात्रा में खनिज भंडार उपलब्ध हैं; और

(ग) उनका वाणिज्यिक दृष्टि से विदोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी हां। समुद्रतटीय बालू निक्षेपों में अनुमानतः 68.08 मिलियन टन इल्मेनाइट, 4.32 मिलियन टन स्टाइल 0.13 मिलियन टन जरकन तथा 4.85 मिलियन टन गार्नेट भण्डार हैं।

(ग) निक्षेपों का वर्तमान में भारत सरकार के उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लि० द्वारा विदोहन किया जा रहा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का स्टाक यार्ड

9410. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्टाक यार्ड से कुल कितनी मात्रा में लोहे और इस्पात की डिलीवरी दी गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान कुल कितनी धन-राशि समायोपरि भत्ते के रूप में दी गई तथा "रिस्टेकिंग" पर कितना व्यय किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) "सेल" द्वारा लोहा और इस्पात सामग्री स्टाकयार्डों और इस्पात संयंत्रों से सीधे भी बेची जाती है । स्टाकयार्डों से बेचे गये लोहा और इस्पात (सीधी बिक्री को छोड़ कर) की मात्रा निम्नानुसार है :—

(हजार टनों में)

	1987-88	1988-89	1989-90 (अनन्तिम)
कच्चा लोहा	436.7	377.2	507.1
इस्पात	4228.7	4630.9	4277.1

(ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान केन्द्रीय विपणन संगठन में कोई समयोपरि खर्चे का भुगतान नहीं किया गया । रिस्टेकिंग प्रभार सम्बन्धी आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखे जाते ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद

9411. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न श्रेणियों में कितने प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से इस प्रतिशत को वास्तव में पूरा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी संवर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद

क्रम सं० संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. अधिकारी	15 प्रतिशत	7-1/2 प्रतिशत
2. लिपिकीय 3. सफाई कर्मचारियों समेत अधीनस्थ स्टाफ	संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर।	

पदोन्नतियों द्वारा भरे गए पद

पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के मामले में, जहां कहीं आरक्षण का नियम लागू होता है, अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7-1/2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ख) बैंक उक्त आरक्षणों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए निम्नलिखित उपाय अमल में लाने के लिए कहा गया है।

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक अर्हताओं में ढील दे दी गयी है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं में उन्हें अधिक संख्या में लेने में आसानी हो।
2. आम उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के चयन के लिए एक निम्नतर विभाजक सीमा (कट आफ प्वाइंट) निर्धारित की जा रही है।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती-परीक्षाओं के वास्ते तैयार करने के वास्ते बैंकों द्वारा भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को साक्षात्कार बोर्डों में रखा जा रहा है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हितों की सुरक्षा की जा सके।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार अलग-अलग बैठकों/तारीखों को लिए जाते हैं ताकि साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान उनकी आम उम्मीदवारों के साथ तुलना न की जा सके।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से परीक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता है ताकि इन जातियों के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को बैंकिंग उद्योग में अनेक पदों के लिए आवेदन करने में आसानी हो।

7. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उक्त जातियों के उम्मीदवारों को यात्रा-व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे गए आरक्षण का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से; बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साल में एक बार अपने-अपने निदेशक-बोर्डों के सम्मुख एक समीक्षा रिपोर्ट रखें जिसके वास्ते एक विस्तृत प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा भी समीक्षा की जांच की जाती है।

9. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संपर्क अधिकारियों के वास्ते वार्षिक बैठकें/सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं।

10. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग में संपर्क अधिकारी, तीन महीने के एक बार सरकारी क्षेत्र के कम से कम एक बैंक की गहराई से जांच करता है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण-नीति का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

11. सरकार द्वारा एक विस्तृत प्रोफार्मा तैयार किया गया है ताकि बैंक और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के लिए पूरी अनुज्ञेय पिछली बकाया को मांग पत्र में शामिल किया जा रहा है।

12. सभी संवर्गों में बकाया रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के लिए वर्ष 1989 में एक विशेष अभियान सफलतापूर्वक आरंभ किया था और वर्ष 1990 में भी इसी प्रकार का अभियान चलाने का विचार किया गया है।

मलंजखंड क्षेत्र की तांबे की खानें

[हिन्दी]

9412. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मलंजखंड के किस क्षेत्र में तांबे की खानें हैं और वहां तांबे के अनुमानतः कितने भंडार हैं;

(ख) अब तक कितना तांबा निकाला गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में तांबा परिष्करण संयंत्र विद्यमान है और यदि नहीं, तो उस फैक्टरी का नाम और स्थल क्या है, जहां तांबे को परिष्करण के लिए भेजा जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मलंजखंड में ही तांबे का परिष्करण करने का संयंत्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) मध्य

प्रदेश के बालाघाट जिले में मलंजखंड तांबा खान का धरातली क्षेत्र 1.54 वर्ग किलोमीटर है। यहां अब तक 250 मिलियन टन अयस्क भंडार होने का अनुमान है।

(ख) मलंजखंड खान से लगभग 11.5 मिलियन टन तांबा अयस्क निकला जा चुका है।

(ग) मलंजखंड में प्रद्रावण एवं शोधन सुविधाएं नही हैं अतः यहां उत्पन्न सान्द्रों को धातु शोधन हेतु खेतड़ी कापर कम्पलेक्स (राजस्थान) और इंडियन कापर कम्पलेक्स (बिहार) स्थित संयंत्रों को भेजा जाता है। शेष सान्द्रों का विदेशों से टोल प्रद्रावण करवा कर तांबा धातु प्राप्त की जाती है।

(घ) मलंजखंड में धातु संयंत्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के निगम

941?. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के निगम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 (21 मार्च, 1990 तक) के दौरान इनमें से प्रत्येक निगम को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का इन निगमों के घाटे को किस तरह तथा कितने समय में पूरा करने का विचार है; और

(घ) इन निगमों के चेयरमैनों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कब-कब नियुक्त किया गया था?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के जो निगम पिछले दो वर्षों से घाटे में चल रहे हैं, उनके नाम और उनके घाटों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

निगम का नाम	वर्ष	घाटे की राशि (लाख रु० में)
ई० सी० जी० सी०	1988-89	910
	1989-90	शून्य
मिटको	1988-89	174
	1989-89	115 (अनन्तिम)
मसाला व्यापार निगम लि०	1988-89	9.66
(एस० टी० सी० एल०)	1989-90	शून्य

घाटे के मुख्य कारण हैं, (क) बड़े-बड़े दावों का भुगतान (ख) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव, (ग) अनुकल्पों के विकास के कारण अभ्रक की मांग में कमी।

(ग) ई० सी० जी० सी० और एस० टी० सी० एल० को अब घाटा नहीं हो रहा है। प्रबंधकीय, विपणन और वित्तीय सहायता देने के लिए एम० एम० टी० सी० और मिटको का विलय करने का प्रस्ताव है ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाभकारिता, प्रचालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता प्राप्त की जा सके।

(घ) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :

नाम	नियुक्ति की तारीख
श्री जे० जी० कांगा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ई० सी० जी० सी०	8-3-1988 (अप०)
श्री ए० के० वर्मा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मिटको	6-6-1988
श्री एस० नारायणन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एस० टी० सी० एल०	1-6-1987

राजस्थान में टोडाराय सिंह में खनन कार्य

9414. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के टोडाराय सिंह क्षेत्र में खनन कार्य बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पट्टेधारी हैं और इनके पास पट्टा कब से है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) वन विभाग ने तहसील टोडाराय सिंह में सभी भाटक-सह रायल्टी पट्टा धारियों को गौण खनिजों का खनन बंद करने के लिए फरवरी, 1990 में नोटिस जारी किये थे क्योंकि पट्टा क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत था। परंतु कुछ भाटक-सह-रायल्टी पट्टाधारियों ने इन नोटिसों के खिलाफ न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, फलतः वहां खनन कार्य पूर्ववत जारी है।

(ग) इस समय 107 भाटक-सह-रायल्टी पट्टाधारियों में से 44 अनुसूचित जातियों और 18 अनुसूचित जनजातियों के हैं। उनके पास ये पट्टे 1954 से हैं।

दुबई में अंतर्राष्ट्रीय वसन्त मेले में भारतीय मंडप

9415. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वसन्त मेले में भारतीय मंडल में किस माल की मांग अधिक थी; और

(ख) इसमें कितने मूल्य के आर्डर बुक किए गए और इस संबंध में व्यापार संबंधी कितनी जानकारी मांगी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इंटरनेशनल स्प्रिंग फेयर, बुम्बई, 1990 में भारतीय मंडल पर मांग किए गए माल का ब्यौरा और बुक किये गए आर्डरों का मूल्य

	बुक किए गए आर्डरों का मूल्य	प्राप्त वास्तविक व्यापार पूछताछों का मूल्य
	(करोड़ रुपयों में)	
1. वस्त्र मदें	9.65	1.70
2. खाद्य उत्पाद	1.60	2.15
3. प्लास्टिक का सामान	1.10	1.11
4. इंजीनियरी माल	0.43	6.98
5. रसायन तथा सहबद्ध उत्पाद	0.20	1.78
6. भेषजीय उत्पाद	0.20	—
7. सुगन्धियां तथा रसायन	0.45	0.95
8. इलैक्ट्रानिक खिलौने	0.40	0.20
योग	14.03	14.87

नागालैंड में पर्यटक स्थलों का विकास

[अनुवाद]

9416. **श्री शिक्हिहो सेमा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागालैंड राज्य में बहुत से पर्यटक स्थल होने के कारण वहां पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं;

(ख) क्या इन संभावनओं के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो नागालैंड की योजनाओं को राष्ट्रीय पर्यटन विकास योजना में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यटन का विकास करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य में पर्यटन संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं :—

क्रम सं०	परियोजना/स्कीम का नाम
1.	वोखा/दोयांग नदीकिनारे, पिपहेमा, त्सेमिनयू, चजौबा, चांगकि, तिजितमोन सड़क, चिगडांग, सैंडल, कोहिमा-दीमापुर सड़क और लोथा ब्रिज पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।
2.	कोहिमा में युद्ध कब्रिस्तान पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था
3.	कोहिमा में यात्री निवास
4.	कोहिमा में सांस्कृतिक केंद्र
5.	ट्रैकिंग उपकरणों की व्यवस्था।

महाराष्ट्र में अंकाई में एक दूरदर्शन प्रसारण (रले) केंद्र की स्थापना

9417. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के अंकाई में एक दूरदर्शन प्रसारण (रिले) केंद्र की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित करने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्तान सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चेन्गुन चेरी में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की स्थापना

9418 **श्री रमेश चेन्नी थाला** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चेन्गुन चेरी, कोट्टायम केरल में एक दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस केंद्र की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी०उ पेन्द्र) : (क) और (ख) केरल के कोट्टायम जिले में चेन्नाचेरी अक्तूबर, 1989 से एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले से ही कार्यरत है।

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध-मंडल में बार-बार फेरबदल

9419. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध मंडल में निदेशक मंडल द्वारा अप्रैल, 1986 से कितनी बार फेरबदल किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कार्यक्षमता और सेवाओं में सुधार के बहाने गैर-व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रबंध ग्रहण करने के लिए पक्षपात करके बार-बार इस फेरबदल की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें बार-बार फेरबदल करने के क्या कारण हैं, और वर्ष 1986 से मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान इन परिवर्तनों के कारण प्रत्येक विभाग/प्रभाग/अनुभाग/यूनिट तथा व्यवासायिक समूह में यदि कोई उपलब्धि हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने कार्य और प्रशासकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के समय-समय पर पद सृजन/पदोन्नयन/श्रेणी/पद की व्यवस्था करके उच्चस्तर पर पुनर्गठन किया है । 1986 से अब तक किए गए ऐसे परिवर्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । विशेषज्ञता काडर में उच्च स्तरीय पद (यथा वित्त तथा लेखा, होटल और इंजीनियरी) हमेशा व्यवसायिकों के पास रहे हैं । लाभप्रदता की दृष्टि से गत चार वर्षों की भारत पर्यटन विकास निगम की कुल उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	कुल व्यापार	लाभ/हानि परिचालन निवल (कर पूर्व) (करोड़ रुपये में)	
1986-87	83.23	19.51	6.59
1987-88	94.33	22.24	8.64
1988-89	106.17	23.50	9.68
1989-90 (अनन्तिम)	118.54	26.97	12.20

विवरण

1986

(क) उपाध्यक्ष के दो पदों का वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों में पदोन्नयन ।

(ख) वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद का सृजन ।

(ग) उपाध्यक्ष के एक पद का उपाध्यक्ष (प्रशिक्षण) के रूप में पुनर्पदनामित करना, इन पदों पर नियोजन इसी अनुसार किया गया ।

1988

(क) 3 वरिष्ठ उपाध्यक्षों का प्रोन्नति पर और 3 अन्य अधिकारियों का उपाध्यक्ष के रूप में नियोजन।

(ख) उपाध्यक्ष के एक पद का आफिसर-आन-स्पेशल-ड्यूटी टू मैनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में पुनर्पदनामन।

(ग) सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन बिक्री (जिसका नाम अब शुल्क मुक्त व्यापार है) प्रभाग को चलाने के लिए उपाध्यक्ष के दो पदों का पुनर्पदनामन।

1989

(क) मार्च, 1989

मार्च 89 में निम्नलिखित व्यापक पुनर्गठन किया गया :—

—वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद का कारपोरेट प्लानिंग के लिए उपयोग किया गया। यह कार्य प्रबंध सेवा प्रभाग से अलग किया गया। मुख्य लक्ष्य दीर्घ और अल्प अवधि की योजनाओं को तैयार करने में बल देना था।

—तत्कालीन मौजूदा प्रबंध सेवा प्रभाग का नाम परियोजना, इंजीनियरिंग एवं परामर्शी सेवा प्रभाग कर दिया गया। पहले के प्रबंध सेवा प्रभाग के इंजीनियरिंग कार्य और परामर्शी कार्य को मिलाकर एक कर दिया गया।

उपर्युक्त पुनर्गठन का लक्ष्य बिजनेस ग्रुप कार्यों और उनके पारस्परिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करना था।

(ख) अगस्त 1989

—उपाध्यक्ष के स्तर पर 2 नियमित प्रोन्नतियां करना।

—ओ एस डी टू मनेजिंग डाइरेक्टर के पद का उपाध्यक्ष के रूप में पुनर्पदनामन।

—उपाध्यक्ष के स्तर पर 3 स्थानापन्न प्रबंध करना।

1990

(क) वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष (निगमित सेवाएं एवं मानव संसाधन विकास) के रूप में पुनर्पदनामन/एच० आर० डी० के कार्यों को कारपोरेट प्लानिंग सेवाओं के साथ मिला दिया गया।

(ख) आई० पी० एस० प्रभाग का नाम बदल कर डी० एफ० टी० प्रभाग रखा जाना और प्रभाग को चलाने के लिए एक उपाध्यक्ष की उपाध्यक्ष (डी० एफ० टी०) के रूप में नियुक्ति।

(ग) वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्य) के रूप में पुनर्पदनामन/ए० टी० टी० प्रभाग, यात्रा अभिकरण कारपोरेट संचार प्रभाग और सामग्री प्रबंध एवं विकास के वाणिज्यिक कार्य उसके अधीन किए गए।

(घ) परियोजना और परामर्शी प्रभाग को चलाने के लिए एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का स्थानापन्न प्रबंध करना।

उत्तर प्रदेश में हिमालय क्षेत्र के विभिन्न जिलों को विश्व बैंक से सहायता

9420. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही जलागम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में हिमालय क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) कब तक जिलावार, वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या यह राशि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की जा रही है जिसके लिए यह दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता यता लगाए गए घटकों और विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों में निवेशों को पूरा करने के लिए परियोजना से आबद्ध होती है, और जिलों के लिए निधियों का कोई विशिष्ट आवंटन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में "जलागम" नामक विश्व बैंक की सहायताप्राप्त कोई योजना नहीं है। शायद इसका अभिप्राय 'जल निगम' से है, जो विश्व बैंक समूह की सहायता से चलाई जा रही जल-आपूर्ति और शहरी विकास परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एक एजेंसी है। जल निगमों के लिए विश्व बैंक से कोई विशिष्ट सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में हिमालय क्षेत्र की परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में होती है। इस प्रकार इन परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	करार की तारीख	ऋण की राशि	31-3-1990 तक उपयोग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	हिमालयई जल विभाजक प्रबंध	8-6-1983	46.20	14.99	
2.	उत्तर प्रदेश विद्युत	27-7-1988	350.00	26.60	
3.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	21-12-1987	150.00	28.90	इसमें नैनीताल अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर के निवेश शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6
4.	छठी आबादी	11-9-1989	124.60	6.00	बहु-राज्यीय परियोजना जिसमें अन्यों के साथ पूरा उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है।
5.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	16-6-1989	280.00	27.80	राष्ट्रव्यापी परियोजना जिसमें उत्तर प्रदेश सहित 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
6.	तकनीशियन शिक्षा	करारों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं	260.00	—	उत्तर प्रदेश सहित बहु-राज्यीय परियोजना।

रबड़ की खेती करने वालों को राजसहायता

9421. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ की खेती करने वालों को वर्ष 1989-90 में कुल कितनी राज सहायता दी गई;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी राज सहायता वितरित की जाएगी;

(ग) रबड़ बोर्ड से अधिकतम लाभ किस राज्य को प्राप्त हो रहा है; और

(घ) क्या सरकार का प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में अधिक उत्तार-चढ़ाव न आने देने के लिए तथा किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से इसके लिए असमर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) रबड़ बोर्ड में वर्ष 1989-90 के दौरान रबड़ उपजकर्ताओं को कुल लगभग 10.65 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। वर्ष 1990-91 के लिए 13.12 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव है।

(ग) केरल राज्य रबड़ बोर्ड से अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा है।

(घ) सरकार प्राकृतिक रबड़ के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं करती है क्योंकि विद्यमान बेंच मार्क कीमत की तुलना में उपजकर्ताओं को प्राप्त मूल्य काफी लाभकारी है। फिर भी, सरकार उपजकर्ताओं और रबड़ की खपत करने वाले उद्योग दोनों के हितों की रक्षा के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रही है।

विदेशी निवेश पर प्रतिबंध

9422. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशी निवेश के बारे में लगाए गए 40 प्रतिशत के प्रतिबंध पर विदेशी निवेशकों द्वारा आमतौर से स्वागत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) नई नीति के अन्तर्गत कितना विदेशी निवेश प्राप्त होने का अनुमान है;

(घ) क्या किसी अन्य देश ने इस प्रतिबंध पर असंतोष प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) हमारी विदेशी निवेश और सहयोग नीति के अन्तर्गत 40 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की सामान्य सीमा रही है परन्तु निर्यातोन्मुख परियोजनाओं या अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाओं में उच्चतर स्तरों पर भी निवेशों की अनुमति है । यह नीति जारी है । कोई नई नीति नहीं अपनाई गई है और इसलिए किसी अन्य देश द्वारा नई नीति से असंतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाडु में विधान परिषद का सृजन

9423. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विधान परिषद के पुनः सृजन का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधेयक राज्य सभा में 10 मई, 1990 को पुरःस्थापित किया जा चुका है ।

विद्यमान विनिमय जोखिम प्रणाली में त्रुटियां

9424. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग व्यापार मंडल द्वारा अल्प अवधि और दीर्घ अवधि दोनों व्यापार संबंधी विद्यमान विनिमय जोखिम पद्धति की त्रुटियों को दूर करने के बारे में दिए गए सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग व्यापार मंडल (फिक्की) ने नई दिल्ली में 10 नवम्बर, 1989 को अन्य बातों के साथ-साथ, विनिमय जोखिम प्रशासन पर एक कार्यशाला आयोजित की थी । कार्यशाला के लिए तैयार किए गए पृष्ठभूमि कागजात में भारत के व्यवसाय एवं उद्योग के अल्प-अवधि और दीर्घ-अवधि लेन-देनों के विनियम जोखिम सम्बन्धी कवच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था । विद्यमान योजनाओं को मोटे तौर पर तीन वर्गों में

वर्गीकृत किया गया था, अर्थात् अग्रिम संविदा, निर्यात ऋण गारंटी निगम के माध्यम से विनिमय जोखिम कवच एवं विनिमय जोखिम प्रशासन योजना तथा इस बारे में कुछ सुझाव दिए गए थे।

पूर्वोक्त कार्यशाला में किए गए सुझाव नोट कर लिए गए हैं।

केरल में पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए प्रस्ताव

9425. **श्री सुरेश कोडी कुन्नील** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटन विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, विशिष्ट स्कीमों को उनके गुण दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केरल राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए विस्तृत स्कीमें अभी प्रस्तुत नहीं की हैं।

अभ्रक का सरणीकरण

9426. **श्री ए० के० राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960, 1970, 1980, 1985 तथा 1989-90 में अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों का उत्पादन, इनकी देश में खपत तथा निर्यात इनका कितना हुआ है,

(ख) क्या गैर-सरकारी व्यापारियों के लाभ के लिए अभ्रक के 50 प्रतिशत सरणीकरण का मानदंड मूल्यवर्धित अभ्रक उत्पादों, जिनकी अब विदेशों से मांग है, पर लागू नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अभ्रक उत्पादों के 50 प्रतिशत निर्यात को आरक्षित करके अभ्रक व्यापार निगम के लाभ में वृद्धि करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1960, 1970, 1980, 1985 और 1989-90 में प्रसंस्कृत अभ्रक और विनिर्मित अभ्रक उत्पादों के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

मात्रा मी० टन में

वर्ष	उत्पादन	प्रसंस्कृत अभ्रक का निर्यात		मूल्य करोड़ रुपए में विनिर्मित अभ्रक का निर्यात	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1960	उ० न०	28459	10.82	110	0.11

1	2	3	4	5	6
1970	21894	22543	15.36	4312	1.81
1980	12327	6267	21.15	17816	12.98
1985	7491	18762	24.14	15787	15.21
1989-90	उ० न०	18236	31.29	16850*	15. 0*

उ० न० --उपलब्ध नहीं

*अनुमानित

अभ्रक की आन्तरिक खपत के प्राधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, भारत में अभ्रक और अभ्रक उत्पादों की लगभग 3000 मी० टन प्रति खपत का अनुमान है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

ताजे और संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात

9427. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान ताजे और संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात की मात्रा, मूल्य और उनके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले;

(ग) क्या सरकार ताजे और/अथवा संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को नियंत्रित/कम करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) ताजे और संसाधित खाद्यों के निर्यात के परिणामों पर न तो इस मंत्रालय के अधीन कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा और न ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई विशेष अध्ययन किया गया है । सरकार का उद्देश्य यह है कि निर्यात में वृद्धि इस तरह से की जाए कि देश के अन्दर अनिवार्य रूप से जरूरत की मदों के अनियमित निर्यात से देश की अर्थ-व्यवस्था प्रभावित न हो । उन मदों के बारे में निर्यात नियंत्रण लागू किया जाता है जिनकी आपूर्ति स्थिति यह मांग करती है कि उनका निर्यात देश के व्यापार हित में नियमित किया जाना चाहिए ।

आयकर न्यायधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामले

9428. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1990 की स्थिति के अनुसार आयकर न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामलों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) आयकर अपील अधिकरण के समक्ष तारीख 31 दिसंबर, 1989 को 1,66,998 मामले लंबित थे।

(ख) कुछ सदस्यों ने अधिकरण में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है और आशा है कुछ अन्य शीघ्र ही पदभार ग्रहण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त शेष रिक्त पदों के भरे जाने के लिए भी कारंवाई की जा रही है। मामलों के निपटारे के लिए एक सदस्यीय अधिकरण की अधिकतम धनीय सीमा चालीस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है।

राजस्थान में बाल-विवाह

9429. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 1990 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "दि डे आफ चाइल्ड मैरेजेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें प्रकाशित समाचार के अनुसार राजस्थान राज्य के अनेक भागों में 27 अप्रैल, 1990 को "आखी तीज" उत्सव के अवसर पर शारदा अधिनियम का पूर्णतः उल्लंघन करके हजारों बाल विवाह समारोह आयोजित किए गए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में और शारदा अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने और बाल विवाह की ऐसी सामाजिक बुराइयों को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने बाल-विवाह की कुप्रथा के परिणामों की बाबत जनता को जन प्रचार माध्यम, स्वैच्छिक संगठनों के इस कार्य में सहयोजन और कुछ अन्य उपायों द्वारा शिक्षित करने के लिए अनेक कदम, जिनमें से एक शिक्षा पर बल देना है, उठाए हैं। इनमें आकाशवाणी कार्यक्रम, सिनेमा स्लाइडें दिखाना, पोस्टर और दूरदर्शन लघु वृत्तचित्र, ग्रामीण महिलाओं के साथ सामूहिक चर्चा करना आदि सम्मिलित हैं। बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को जो बाल-विवाह के अवरोध के लिए है, वर्ष 1978 में इस दृष्टि से संशोधित किया गया था कि अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजन के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 42 में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, सभी मामलों में (नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी) अपराध संज्ञेय हों तथा किसी व्यक्ति को वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सके। बाल विवाह की प्रथा समाज के कुछ वर्गों में बहुत गहराई तक पैठी हुई है और कोई भी विधान चाहे उसके उपबंध कितने ही कठोर क्यों न हों, इस प्रथा को समाप्त

नहीं कर सकेगा । इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करके ही इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है ।

बहु-मंजिली वाणिज्यिक काम्पलैक्सों में पूंजी निवेश

9430. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मन्त्री** बहु मंजिली इमारतों के भवन निर्माताओं द्वारा कर-अपवंचना के बारे में 6 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 3805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बहु-मंजली वाणिज्यिक काम्पलेक्सों/विक्रय केन्द्रों के पट्टेदारों द्वारा पूंजी निवेश के स्रोतों के बारे में कितने मामलों की जांच की गई थी;

(ख) इन जांचों के क्या परिणाम रहे;

(ग) सरकार ने अचल संपत्ति के सौदों में बेहिसाबी निधियों के निवेश का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(घ) क्या पट्टा विलेख में दिखाई गई राशि किराए की वास्तविक राशि से कम दिखाई जाती है; और

(ङ) इस प्रकार के काले धन के सृजन को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) पट्टेधारकों द्वारा किए गए निवेश के स्रोत के बारे में जांच-पड़ताल आयकर विभाग द्वारा कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान उन मामलों में की जाती है, जो छानबीन के दायरे में आते हैं ।

समूची दिल्ली में विविध स्थानों पर स्थित बहु-मन्जिली इमारतों में अनेक शापिंग केन्द्र हैं । ऐसे शापिंग केन्द्रों में दुकानों के पट्टेधारकों ने अलग-अलग शापिंग केंद्रों में अलग-अलग समय पर इन दुकानों को शायद प्राप्त किया होगा । ऐसे पट्टेधारकों के मामलों में अलग-अलग क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग-अलग कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण किया जाता है । मांगी गई सूचना को एकत्र करने के लिए दिल्ली में विविध कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारित किए गए सभी कर-निर्धारितियों के कर-निर्धारण विषयक रिकार्डों का हवाला दिया जाना आवश्यक होगा । इस सूचना को एकत्र करने के प्रयोजनार्थ किया जाने वाला प्रयास तथा लगाया जाने वाला समय इसके प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) अचल संपत्ति की लेन-देनों में लेखा बाह्य निधियों के रूप में किए गए निवेश का पता लगाने के लिए आय कर विभाग द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं, उनमें निम्नलिखित तरीके भी शामिल हैं :—

(i) जिन मामलों में कर-निर्धारण अधिकारी का यह मत हो कि किसी अचल सम्पत्ति का कम मूल्य दिखाया गया है तो उन मामलों में कर-निर्धारण अधिकारी उस सम्पत्ति के सही मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी (जो एक तकनीकी विशेषज्ञ होता है) को लिख सकता है; और

(ii) ऐसी सर्वेक्षण तथा तलाशी की कार्यवाहियां करना, जिनके तहत संपत्तियों के न्यून मूल्यांकन से सम्बन्धित साक्ष्य का पता लगाया जा सके।

(घ) और (ङ) पट्टा-विलेखों में किराए की राशि को कम दिखाने का तरीका कर-अपवंचन के तरीकों में से एक है। यह समस्या संपूर्ण रूप में कर-अपवंचन की समस्या का एक अंग है। सभी तरीकों से किए जाने वाले कर-अपवंचन की रोकथाम हेतु आयकर विभाग विविध उपाय करता है, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल है :—

(i) सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण की कार्यवाहियां करना;

(ii) समुचित मामलों में तलाशी लेने तथा अधिग्रहण की कार्यवाहियां करना;

(iii) केंद्रीय सूचना शाखाओं से प्राप्त सूचना का एक योजनाबद्ध तरीके से सत्यापन करना;

(iv) कुछ चुनिंदा मामलों में गहन जांच-पड़ताल करना;

(v) कतिपय अधिसूचित शहरों में आयकर अधिनियम के अध्याय XX ग के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास अचल संपत्ति का पूर्व-क्रयाधिकार होना।

राज्य व्यापार निगम पर सीरिया का प्रतिबन्ध

9431. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डैमास्कस स्थित भारतीय दूतावास को सीरिया की सरकार से तीन सालों के लिए राज्य व्यापार निगम से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए भारतीय दूतावास द्वारा किए गए प्रयासों के क्या परिणाम हैं; और

(ग) मामला इस समय किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास को कहा गया था कि सीरिया में व्यापार करने के लिए एस० टी० सी० पर से व्यापार प्रतिबंध हटाने के मामले को सीरियाई सरकार के साथ उठाए। दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास ने कुछ और जानकारी मांगी है जो उन्हें भेजी जा रही है।

पेट्रोल की तस्करी

9432. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल पर उच्च भारतीय टैरिफ से बंगलादेश से होने वाली तस्करी में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) अभी हाल ही में, बंगलादेश से भारत में पैट्रोल की तस्करी के किसी मामले के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अजमेर के दूरदर्शन रिले केन्द्र की ट्रांसमिशन क्षमता और रेंज

[हिन्दी]

9433. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर दूरदर्शन केन्द्र की ट्रांसमिशन क्षमता और रेंज कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस रिले केन्द्र की ट्रांसमिशन रेंज बढ़ाने के लिए अधिक शक्तिशाली टावर की स्थापना करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से ग्रहण करने के लिए अजमेर जिले के विजयनगर, कावर आदि शहरों में एक नया रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) अजमेर में 100 वाट शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है। इसकी सेवा रेंज लगभग 25 किलोमीटर है जिसमें किनारे के क्षेत्र आ जाते है, जहां ऊंचे एंटीनों या बूस्टरों आदि की सहायता से संतोषजनक रिसेप्शन संभव है।

(ख) से (घ) यद्यपि ब्यावर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही स्थापित किया जा चुका है, लेकिन इस समय अजमेर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने या विजयनगर में एक अन्य ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। सरकार का यह प्रयास है कि देश के कवर न हुए शेष भागों में दूरदर्शन सेवा का यथाशीघ्र विस्तार किया जाये किंतु यह इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली में अमानी कलाकार

[अनुवाद]

9434. श्री रामजी लाल सुमन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 15 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार, आकाशवाणी दिल्ली के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी, पंजाबी और उर्दू ड्रामा/समाचार वाचकों/उद्घोषकों के रूप में काम करने वाले स्वीकृत अमानी कलाकारों (कैजुअल आर्टिस्ट्स) की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन अमानी कलाकारों आदि के चयन के बारे में कोई मानदंड/दिशानिदेश निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इन्हें दिए जाने वाले कार्य की फीस को बढ़ाने तथा ऐसे सभी स्वीकृत अमानी कलाकारों को कार्य के समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने आदि के बारे में विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दिनांक 15 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में स्थित आकाशवाणी स्टेशनों में हिन्दी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में उद्घोषणा, समाचार वाचनन और नाटक में भाग लेने वाले नैमित्तिक कलाकारों की संख्या संलग्न में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय फीस बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बुकिंग, सेवा की अनिवार्यता कार्यक्रम की आवश्यकता और कलाकारों की तत्काल उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन कठिनाइयों और एक नैमित्तिक कलाकार को एक माह में दिए जाने वाले अवसरों की सीमा के अन्तर्गत सभी को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में बराबर का अवसर दिया जाता है।

विवरण

	हिन्दी	पंजाबी	उर्दू	नाटक
समाचार सेवा प्रभाग	48	6	16	—
विदेश सेवा प्रभाग	34	7	19	113
विज्ञापन प्रसारण सेवा	35	—	—	—
आकाशवाणी, दिल्ली	40	6	—	224
राष्ट्रीय चैनल	22	—	9	100

टिप्पणी :—1. कुछ कलाकार एक से अधिक एककों को सूचियों में शामिल हैं।

2. राष्ट्रीय चैनल अपने कलाकार आकाशवाणी, दिल्ली चैनल से लेता है।

महाराष्ट्र में झीलों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

9435. श्री बसंत साठे : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से राज्य में महत्वपूर्ण झीलों के विकास के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकार को 1990-91 के दौरान सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) जी, हां। कोयानगर में एक पर्यटक परिसर, जिला सतारा में एक झील रिसार्ट निर्माण का प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भेजा गया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्ताव पर विचार महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी में चोरी के मामले

[हिन्दी]

9436. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी में चोरी के कितने मामले हुए और चोरी किए गए सामान का मूल्य कितना था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसमें कोई कर्मचारी शामिल पाया गया था और यदि हां, तो दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी में पिछले तीन वर्षों के दौरान चारी की दो वारदातें हुई। दोनों वारदातें क्रमशः सौ रुपए और तीन लाख रुपए की थीं।

(ख) दर्ज प्राथमिकी (एफ० आई० आर०) का ब्यौरा इस प्रकार है :--

केस संख्या	प्राथमिकी संख्या व तारीख	निहित राशि
1.	एफ० आई० आर० संख्या 8/87, दिनांक 3-1-87	100.00 रुपए
2.	एफ० आई० आर० संख्या शून्य, दिनांक 15-12-89	3,00,000.00 रुपए

(ग) पहली चोरी में किसी कर्मचारी का हाथ नहीं था। दूसरी चोरी में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो जवान शरीक पाए गए। उन्हें निलंबित कर दिया गया है तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

ऋण माफी

[अनुवाद]

9437. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग ने पहले के पूर्व पाकिस्तान के प्रवासियों, श्री लंका, बर्मा आदि के देश प्रत्यावर्तियों के जिम्मे दिनांक 31 मार्च, 1984 को बकाया ऋण को बट्टे-खाते डालने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग की उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के निर्णय को विधिवत रूप से लागू किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार बट्टे-खाते डाली गई कुल ऋण-राशि कितनी है;

(ङ) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत बसाए गए प्रवासियों पर भी उक्त आदेश लागू किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि विस्थापित व्यक्तियों, प्रत्यावर्तित व्यक्तियों आदि को राहत पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास हेतु राज्यों को दिए गए ऋणों, जो 1983-84 के अंत में बकाया रह गए थे, को बट्टे खाते डाल दिया जाए।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बट्टे खाते डाले जाने संबंधी आवश्यक स्वीकृतियां सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों को जारी कर दी गई थीं तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि संघ सरकार द्वारा बट्टे खाते डाले गए 131.33 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों के संदर्भ में लाभ अलग-अलग विस्थापित व्यक्तियों/प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को प्रदान किया जाए। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आता है तथापि, भारत सरकार ने जनवरी, 1990 में निर्णय लिया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वासित विस्थापित/प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के प्रति 1 अप्रैल, 1985 को बकाया रहे 56.84 लाख रुपए के ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया जाए।

विवरण

क्र० सं०	राज्य सरकार का नाम	बट्टे खाते डाली गई राशि (रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6,03,08,575.47
2.	असम	8,87,17,947.36
3.	बिहार	3,66,30,750.52
4.	गुजरात	2,67,79,466.52
5.	हिमाचल प्रदेश	60,146.57
6.	हरियाणा	11,23,011.56
7.	जम्मू और कश्मीर	3,35,37,547.96
8.	कर्नाटक	3,56,58,594.40
9.	केरल	74,74,703,01

1	2	3
10.	मेघालय	41,67,235.86
11.	मणिपुर	8,75,010.00
12.	मध्य प्रदेश	5,74,24,370.23
13.	महाराष्ट्र	3,02,15,263.90
14.	उड़ीसा	2,06,86,498.31
15.	पंजाब	41,35,285.49
16.	राजस्थान	4,35,75,478.47
17.	त्रिपुरा	29,41,941.00
18.	तमिलनाडु	46,64,03,703.73
19.	उत्तर प्रदेश	2,26,37,179.85
20.	पश्चिम बंगाल	36,99,16,391.29
	जोड़	1,31,32,69,101.50

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल राज्य कृषि विकास सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता

9438. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋणों आदि के रूप में केरल राज्य कृषि विकास सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान साधारण ऋण तथा राज्य में शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास सहकारी बैंक को उसके द्वारा जारी किए जाने वाले विशेष विकास डिबेंचरों में अंशदान करके उसे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उक्त बैंक द्वारा विशेष विकास डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्राप्त उपलब्धि, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अंशदान भी शामिल है, इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत कार्यक्रम	विशेष विकास डिबेंचर कार्यक्रम उपलब्धि	(लाख रुपए) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अंशदान
1987-88	2500.00	2108.35	1889.98
1988-89	3500.00	3336.04	3128.14
1989-90	3400.00	3280.70	3096.90

(ग) केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 1990-91 के दौरान 38.04 करोड़ रुपए का योजनाबद्ध ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

वर्ष 1990-91 के दौरान दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना

9439. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री इरा अन्बारासु :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार का कुछ नए दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये स्टूडियो किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) इन स्टूडियो की स्थापना के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान चालू किए जाने वाले टी० वी० कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की एक अनन्तिम विवरण के रूप में सूची संलग्न है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए मोटे तौर पर ये मानदंड अपनाएं जाते हैं :—

1. प्रत्येक राज्य की राजधानी में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना। यह मानदण्ड दीर्घावधिक उद्देश्य को ध्यान में रख कर तय किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की भाषा में प्राइमरी (प्रादेशिक) सेवा की व्यवस्था की जाएगी।
2. चुने गए गांवों के समूहों के लाभ के लिए, क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम का निर्माण करने की व्यवस्था 'इन्सेट उपयोग स्कीम" के तहत कुछ स्थानों का चयन।
3. सांस्कृतिक महत्व के चुने गए स्थान।
4. विशिष्ट समूहों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजधानियों और सांस्कृतिक केंद्रों के अलावा चुने गए रिले केन्द्र।

विवरण

1990-91 के दौरान चालू किए जाने के लिए प्रस्तावित दूरदर्शन कार्यक्रम/निर्माण केन्द्रों की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1990-91 के दौरान चालू किए जाने वाले कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	1. सिल्चर
	2. डिब्रूगढ़
	3. गुवहाटी (स्थायी व्यवस्था)
	4. गुवाहाटी (कार्यक्रम निर्माण सह फीडिंग केन्द्र)
बिहार	1. मुजफ्फरपुर
	2. पटना (अंतरिम व्यवस्था)
	3. डाल्टनगंज
गोवा	पणजी
जम्मू और कश्मीर	जम्मू अंतरिम व्यवस्था
कर्नाटक	गुलबर्गा
मध्य प्रदेश	1. भोपाल (सीमित सुविधा)
	2. रायपुर
मणिपुर	इम्फाल
मेघालय	1. शिलांग
	2. तुरा
मिजोरम	आईजोल
नागालैंड	कोहिमा
उड़ीसा	भुवनेश्वर (सीमित सुविधा)
पांडिचेरी	पांडिचेरी
त्रिपुरा	अगरतला

एशियाई विकास कोष से रियायती सहायता

9440. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई विकास कोष से रियायती सहायता प्राप्त करने हेतु बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर एशियाई विकास कोष की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जी; हां। परन्तु एशियाई विकास निधि दाताओं द्वारा एशियाई विकास निधि के पांचवें पुनर्भरण के आकार और समय तथा भारत और चीन की इन रियायती स्रोतों तक पहुंच के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मन्दसौर जिले (मध्य प्रदेश) का पर्यटक केंद्र के रूप में विकास

[हिन्दी]

9441. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में पर्यटक-रुचि के अनेक स्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई योजना मंजूरी के लिए केंद्रीय सरकार को भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/सेना कर्मचारियों की चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति

[अनुवाद]

9442. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सेना कर्मियों को निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला गहन अध्ययन और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए निर्वाचन सुधार समिति को निर्देशित कर दिया गया है।

"मेरा भारत महान" का प्रसारण

9443. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मेरा भारत महान" धारावाहिक का दूरदर्शन से प्रसारण बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने में सहायता मिली थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस धारावाहिक की लोकप्रियता और इसके राष्ट्रीय एकता लाने के उद्देश्य को देखते हुए इसका दूरदर्शन से प्रसारण पुनः शुरू करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कई लघु श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम तैयार किए गए थे ये कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा नेहरू शताब्दी समारोह के भाग के रूप में "मेरा भारत महान" शीर्षक के अंतर्गत प्रसारित किए गए थे। यह समारोह अब समाप्त हो गया है। फिलहाल इस शीर्षक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाने के लिए राष्ट्रीय एकता के विषय पर दूरदर्शन से ऐसे कई लघु कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभाव को जानने के लिए दूरदर्शन द्वारा अभी तक कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

कर्नाटक में वित्त कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

9444. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक की कुछ वित्त कंपनियों ने जनता से धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो इन वित्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि दोषी वित्त कंपनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी जाये; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोषी वित्त कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज न कराने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सरकार को इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं कि कर्नाटक में कुछ वित्त कंपनियां जमाकर्ताओं द्वारा अपनी जमा राशियां मांगने पर वापस नहीं कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इनमें से अधिकतर

कंपनियां अनिगमित निकाय हैं जो जमा राशियां स्वीकार करने का कार्य करती हैं। ऐसे अनिगमित निकायों की जमाराशियां स्वीकार करने संबंधी गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ग के प्रावधानों के तहत विनियमित की जाती हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके उल्लंघन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपरोक्त/पूर्वोक्त प्रावधानों को लागू करने का समवर्ती अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने पुलिस इन्सपेक्टरों को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्कालिक कार्यवाही के लिए कुछ अनिगमित निकायों के नाम राज्य पुलिस प्राधिकारियों को उपलब्ध कराये हैं।

कर्नाटक राज्य में कार्यरत कुछ अनिगमित निकायों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ग की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, और मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित और न्यायाधीन है।

कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलना

9445. **श्री एच० सी० श्रीकांतय्या :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए;

(ख) ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ग) वर्ष 1990 के दौरान राज्य में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से कितने कर्नाटक के हसन जिले में खोले जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) कर्नाटक के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 13 है।

(ख) ये बैंक बेलारी, रायचूर, धारवाड़, बेलगांव, मैसूर, हसन, गुलबर्ग, बीदर, चित्रदुर्ग, तुमकुर बेंगलूर (ग्रामीण), कोलार, बीजापुर, चिकमगलूर, कोडागू, शिमोगा, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और मन्डया जिलों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) इस समय वर्ष 1990 के दौरान कर्नाटक में कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) हसन जिले में पहले से ही कावेरी ग्रामीण बैंक कार्य कर रहा है और इस जिले में दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना

9446. **श्री एच० सी० श्रीकांतय्या :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश को निर्यात से आय बढ़ाने के लित व्हाइट फील्ड बंगलौर में एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसे स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) बंगलौर शहर में और इसके आस-पास सिले-सिलाये वस्त्रों और रेशमी वस्त्रों के बढ़ते हुए निर्यात उद्योगों की आवश्यकता-पूर्ति हेतु इसे शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत-अमरीका संयुक्त आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग वार्ता

9447. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अमरीका संयुक्त आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग की हाल ही में हुई बैठक की वार्ता का स्वरूप क्या था;

(ख) किन-किन विषयों पर बातचीत की गई और बैठक के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारत-संयुक्त राज्य आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग की स्थापना आर्थिक और वाणिज्यिक हित के पारस्परिक मामलों पर चर्चा करने के लिए भारत-संयुक्त राज्य संयुक्त आयोग के तत्वावधान में की गई है । वाशिंगटन में 2-3 अप्रैल, 1980 को हुई उप-आयोग की बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल थीं :—

(i) आर्थिक विहगावलोकन—भारत, संयुक्त राज्य और विश्व में आर्थिक संभावनाओं पर चर्चा ।

(ii) वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार और द्विपक्षीय निवेश से संबंधित मामले ।

(iii) उरूगुवे गोलमेज बैठक : दोनों पक्षों द्वारा बातचीत के मुख्य मुद्दे और प्रगति का मूल्यांकन । सामान्य प्रथा के अनुसार दोनों पक्षों में पारस्परिक हित के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ । बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया जिस पर अनुवर्ती कारंवाई अपेक्षित हो ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

[हिन्दी]

9448. **श्री हरीश रावत** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1990 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा इस उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन मामले की संख्या क्या है;

(ख) इस उच्च न्यायालय में प्रतिवर्ष निपटाये गये मामलों की औसत संख्या क्या है; और

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटान किये जाने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) तारीख 31-12-1989 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 4,68,242 मामले लंबित थे ।

(ख) औसतन, वर्ष 1986 से 1988 के के दौरान 52770 मामले निपटाए गए हैं ।

(ग) न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी किए गए हैं, अर्थात्, एक जैसे विधि के प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, विशेष न्यायपीठों का गठन आदि । जनवरी, 1989 में सरकार ने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उस पर उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति का गठन किया है ।

माइक्रोवेव रेडियो स्टेशनों की क्षमता बढ़ाना

9449. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कि० वाट क्षमता वाले कुछ माइक्रोवेव रेडियो स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने की कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेडियो स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या अल्मोडा स्थित रेडियो स्टेशनों की भी क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) आकाशवाणी का 1 किलोवाट क्षमता का कोई माईक्रोवेव रेडियो स्टेशन नहीं है, तथापि, आकाशवाणी के 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर हैं । अनुमोदित सातवीं योजना में, ईटानगर, भोपाल और इलाहाबाद में एक-एक किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने की स्कीमें हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देवलथल में एक परियोजना की स्थापना

9450. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में देवथल में एक परियोजना स्थापित करने का विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन में अब तक क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं;

(ग) क्या सरकार का इन कठिनाइयों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने का विचार है कि यह परियोजना वहां किसी भी रूप से स्थापित की जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड ने भिलाई स्थित अपने रिफैक्ट्री संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट के उत्पादन के लिए पिथौरागढ़ (देहरादून) में एक रोटरी किलन काम्पलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। तापसह उद्योग की परिस्थितियां बदल जाने के कारण इस परियोजना की वित्तीय तथा आर्थिक सक्षमता संदेहास्पद हो गई थी। अतएव परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी निर्णय नहीं लिया जा सका है।

नैनीताल बैंक का बैंक आफ बड़ौदा में विलय

9451. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा द्वारा नैनीताल बैंक का अपने बैंक में विलय कर, इस बैंक के स्थानीय स्वरूप में परिवर्तन करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय जनता द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

मधुपुर (बिहार) का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

9492. **श्री जनार्दन यादव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुपुर पर्यटन स्थलों के विकास और इन स्थानों को पर्यटन केन्द्र घोषित करने की कोई योजना सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) बिहार के मधुपुर में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है। तथापि, पर्यटन अभिरुचि के किसी स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने की नीति केन्द्रीय पर्यटन विभाग की नहीं है।

अधिक टकसालों की स्थापना

[अनुवाद]

9453. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय विभिन्न मूल्य वर्गों के मुद्रा सिक्के विदेशों में ढलवाये जाते हैं और इस पर विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है;

(ख) क्या सरकार का सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए देश में ही सिक्के ढालने हेतु कुछ नई टकसाल स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तमिलनाडु में ऐसा एक नया टकसाल स्थापित करने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं, इस समय किसी भी मूल्य वर्ग के किसी भी सिक्के की ढलाई विदेश में नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) चूंकि विद्यमान टकसाल विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों की समस्त मांग को पूरा करने की स्थिति में हैं, इसलिए इस समय किसी भी नई टकसाल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब सरकार के विरुद्ध दायर किए गए धन संबंधी मुकदमे

9454. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब सरकार के विरुद्ध धन संबंधी कितने मुकदमे दायर किए गए हैं और कितनी धनराशि के मुकदमे दायर किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने मुकदमेबाजी से पूर्व सरकारी कार्यवाही की पुनरीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामलों की पुनरीक्षा की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सेवा मामलों से संबंधित पंजाब सरकार के विरुद्ध दायर मुकदमे

9455. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेवा मामलों से संबंधित कितने मुकदमे पंजाब सरकार के विरुद्ध न्यायालयों में दायर किए गए;

(ख) इस मुकदमेबाजी के क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या सरकार का मुकदमेबाजी से बचने के लिए इन मामलों का पुनरावलोकन करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र के उच्च अधिकारी

9456. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के दस उच्च अधिकारियों की यात्रा और महंगाई भत्ते पर वर्ष-वार कितनी कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) ये अधिकारी कितनी अवधि तक संयंत्र में ड्यूटी पर रहे तथा कितनी अवधि तक बाहर दौरों पर रहे;

(ग) क्या प्रबंध निदेशक सहित अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा संयंत्र में कार्य करने की न्यूनतम अवधि के बारे में कोई मार्ग निर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	रुपए	डालर
1987-88	4,30,822	3440
1988-89	5,08,108	5020
1989-90	4,27,358	1790

टिप्पणी : इस खर्च में दैनिक भत्ता, हवाई/रेल किराया, होटल बिल और विदेशी दौरों पर के खर्च शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने के उन 10 शीर्ष प्रबंधकों की अपने मुख्यालय से बाहर दौरे पर रहे, की कुल दिवस संख्या 1207 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उदयपुर में संगमरमर उत्पादन

[हिन्दी]

9457. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उदयपुर में संगमरमर का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में संगमरमर खनन-कार्य के विकास का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/योजनायें

[अनुवाद]

9458. श्री जी० एस० बासराज :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें दशक में देश को पर्यटन के लिए आकर्षक बनाने हेतु सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों की अत्यधिक विविधतापूर्ण छवि तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन पर पर्यटन का विकास करने के लिए विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में कई राज्य सरकारों के केन्द्र सरकार को अपनी योजनायें प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) दसवें दशक के गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए, राज्य सरकारों और पर्यटन उद्योग के परामर्श से 18 परिपथ/निर्धारित किए गए हैं। ये परिपथ मौजूदा परिपथों से भी जुड़े हैं। इन परिपथों से संबद्ध गंतव्यों पर आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है। कलात्मक कार्यक्रमों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा ताकि देश के प्राचीन नृत्यों एवं संगीत के रूपों को फिर से प्रचलित किया जा सके। स्थानीय भोजन से संबंधित खाद्य समारोहों का आयोजन भी किया जाएगा। सम्पूर्ण देश में मनाए जाने वाले परम्परागत त्यौहारों को "उत्सवों के कलैंडर" में शामिल भी किया गया है जिसका विशेष रूप से संवर्धन किया जाएगा।

(ग) से (ङ) जी, हां। उपर्युक्त प्रस्तावित कार्यवाही में राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

बिहार में बैंक ऋण प्रदान करने में अनियमितताएं

[हिन्दी]

9459. श्री तेज नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में बैंक अधिकारी किसानों को दिए बैंक ऋण में दलाली लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का दोषी अधिकारियों के खिलाफ कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने सीधे किसानों को ऋण देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास इस मामले के बारे में कोई सूचना नहीं है। बहरहाल, किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर कमीशन लिए जाने की शिकायतों सहित, बैंकों के कार्यकरण के विरुद्ध जब कभी कहीं से शिकायतें सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित बैंक को प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच की जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। संबंधित बैंक का प्रबंधन चूक करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अपने सेवा विनियमों के अनुरूप कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना समस्त देश में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हिताधिकारियों की अर्थक्षम योजनाओं की लागत सरकार द्वारा आंशिक तौर पर सब्सिडी के रूप में और अंशत: वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋणों के रूप में वहन की जाती है। किसानों से अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने के साथ-साथ बैंक ऋणों की वापसी अदायगी की आशा की जाती है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा सामग्री की सप्लाई

[अनुवाद]

9460. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा किन-किन विभागों को सामग्री की सप्लाई की गई;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को अनियमितताओं के मामलों की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को भविष्य में कुछ और उत्तरदायित्व सौंपने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) भारत सरकार के केंद्रीय क्रय संगठन के रूप में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को सामग्री सप्लाई करता है। केन्द्रीय उपक्रमों, राज्य सरकारों' अन्य अर्ध सरकारी निकायों से मांग प्राप्त होने पर यह उन्हें भी सामग्री सप्लाई करता है।

(ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा सामागी की खरीद सुव्यवस्थित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा समवर्ती लेखा-परीक्षा की पद्धति द्वारा इसकी पूरी छानबीन की जाती है इस प्रकार की लेखा-परीक्षा से आदेश दिए जाने में किसी बड़ी अनियमितता के किसी मामले का प्रत्यक्षत: पता नहीं चलता है। तथापि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर आडिट पैरों द्वारा या विशिष्ट शिकायतों के प्राप्त होने पर सतर्कता संबंधी जांच से प्रक्रिया संबंधी गलतियों के मामलों का पता लगा है। स्थान की दृष्टि से इन सभी मामलों का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बरेली (उत्तर प्रदेश) में एक पांच सितारा होटल खोलने का प्रस्ताव

9461. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किन योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) क्या बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पांच सितारा होटल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से उत्तर प्रदेश में विभिन्न यात्रा परिपथों का संवर्धन कर रहा है । यह संवर्धन प्रचार एवं मार्किटिंग प्रयासों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें पर्यटक साहित्य का मुद्रण, फिल्मों तथा श्रव्य-दृश्यों; आदि का निर्माण शामिल है । राज्य सरकारों को, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों को गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

युवा पर्यटन के विकास हेतु नीति तथा कार्यक्रम

9462. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को युवाओं में साहसिक भावना को और बढ़ावा देने के लिए देश में युवा पर्यटन के विकास संबंधी विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि रखी गई है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए चुने जाने वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन प्रस्तावों को दिल्ली में शुरू किए जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट परियोजनाओं के आधार पर, मुख्यतः युवाओं के लाभ के लिए साहसिक खेल पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करता है । ये कार्यक्रम पर्यटन संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए व्यापक आधार प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं में साहस की भावना जगाने के लिए होते हैं ।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान साहसिक खेल जैसे जल क्रीड़ा, पर्वतारोहण,

ट्रेकिंग और हिमक्रीड़ा आदि के लिए 117.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण दोषों और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर दी जाएगी।

(ङ) संघशासित क्षेत्र दिल्ली के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

चाय का उत्पादन और मांग

9463. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान चाय के कुल उत्पादन और मांग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मांग और पूर्ति के अन्तर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी चाय निर्यात की गई;

(घ) उक्त अवधि में वर्ष 1989-90 तक चाय के बिक्री मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश की मांग को पूरा करने हेतु चाय के निर्यात में कटौती करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) :(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैलेन्डर वर्ष-वार कुल उत्पादन, मांग और निर्यात नीचे दिए गए हैं :—

(मिलियन कि० ग्रा० में)

वर्ष	उत्पादन	मांग	निर्यात	मांग (—) एवं पूर्ति (+) के बीच अन्तर
1987	665	445	202	+18
1988	701	460	215	+26
1989	684	475	205	+4

(घ) पिछले वर्षों के दौरान देश में नीलामी के समय जो औसत कीमत रही, वह नीचे दी गई है :

वर्ष	औसत कीमत (रु०/किग्रा०)
1987	25.12
1988	24.36
1989	36.63
1990 (मार्च तक)	43.06

(ङ) सरकार का उद्देश्य है कि चाय से होने वाली निर्यात आय को अधिकतम किया जाए तथा साथ ही घरेलू खपत के लिए उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में चाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

दिल्ली में पर्यटक लॉज

9464. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कुल कितने पर्यटन लॉज हैं;

(ख) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दिल्ली में और अधिक पर्यटक लॉज निर्मित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यह लॉज कहां-कहां निर्मित किए जायेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) इस समय दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली 209 स्थापनाओं को लाइसेंस दिया है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी बैंकों में जमा राशियां

9465. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्यरत गैर-सरकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे बैंकों की संख्या कितनी है जिनमें लोगों की जमा राशियां 100 करोड़ से अधिक हैं;

(ग) क्या सरकार का इन गैर-सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों का कब तक राष्ट्रीयकरण किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के 29 भारतीय वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे हैं। दिनांक 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों में से 18 बैंकों के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशियां हैं।

(ग) और (घ) इस समय इन बैंकों को राष्ट्रीयकृत करना सरकार उचित नहीं समझती है।

वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यातक

9467. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वैज्ञानिक उपकरणों और शैक्षिक सहायक सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है और इन वस्तुओं के निर्यात से काफी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्तन निदेशालय को इन उत्पादों के निर्यातकों पर उनके विरुद्ध "फेरा" के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए बहुत से मामले भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी व्यापार नीति के संबंध में अखिल भारतीय आयातकर्ता संघ के सुझाव

9468. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयातकर्ता संघ ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन को देखते हुए विदेश व्यापार नीति के कुछ पहलुओं को पुनर्विचार करे;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ ने इस संबंध में 1990-93 की निर्यात नीति में अंतर्विष्ट करने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) वर्ष 1990-93 की आयात-निर्यात नीति तैयार करते समम विभिन्न जगहों से प्राप्त सुझावों पर विधिवत विचार किया गया था । स्वीकार्य सुझावों को शामिल किया गया है ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा धनराशि जुटाना

9469. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के विदेशी बाजारों से परिवर्तनीय बाण्डों के माध्यम से धनराशि जुटाने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) टाटा आयरन एण्ड स्ट्रील कम्पनी द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कम्पनी की कोई अन्य वैकल्पिक योजना अपनाने की पेशकश की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) मैं० टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी ने अपनी विस्तार और विविधिकरण योजना के वित्तपोषण हेतु 1500 से 2000 लाख तक के अमरीकी डालर के बांड जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक टेलीविजन सैटों की स्थापना

9470. **प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने सामुदायिक टेलीविजन सैट स्थापित किए हैं;

(ख) क्या सरकार और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के और अधिक टेलीविजन सैट स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के लिए इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केंद्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत देश में सामुदायिक अवलोकन के लिए अब तक कुल 11,301 टी० वी० सैट लगाए गये हैं। उनमें से अधिकांश सैट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं।

(ख) से (घ) जहां तक दूरदर्शन का संबंध है पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुने गए स्थानों पर सामुदायिक अवलोवन के लिए 5000 टी० वी० सैट तथा इसी प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य में 100 टी० वी० सैट लगाने के लिए सातवीं योजना के अन्तर्गत विशेष स्कीमें अनुमोदित की गई थीं। इनमें से, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी 1487 टी० वी० सैट लगाए जाने बाकी हैं। दूरदर्शन ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन सैटों को लगाने के लिए कदम उठाए हैं। सातवीं योजना की अनुमोदित स्कीमों के अन्तर्गत कश्मीर घाटी में सामुदायिक अवलोकन के लिए 500 टी० वी० सैट (वर्तमान 650 श्याम और श्वेत ब्लैक सैटों को बदलने के अलावा) और उड़ीसा के तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना में एक सीधा रिसेप्शन सैट लगाने की भी योजना है। देश में सामुदायिक अवलोकन के लिए अतिरिक्त टी० वी० सैट लगाने की दूरदर्शन की इस समय कोई और अनुमोदित स्कीम नहीं है।

उड़ीसा में समुद्र तटीय सैरगाहों का विकास

9471. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेष रूप से तट के पुरी-कोणार्क भाग पर कुछ समुन्द्र तटीय "रिसोर्ट" विकसित करने का कार्य पर्यावरण के आधार पर रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। उड़ीसा सरकार को पर्यावरण की दृष्टि से पुरी-कोणार्क पट्टी पर समुन्द्रतटीय विहार स्थल परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध कराने की सलाह दी गई थी। राज्य सरकार ने अभी तक ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं।

पाराद्वीप में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना

9472. **श्री गोपीनाथ गजपति :**
श्री सरजू प्रसाद सरोज :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री बी० एन० रेड्डी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण कोरिया की सहायता से उड़ीसा में पाराद्वीप में पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का इसे 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख संयंत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार को उड़ीसा में पाराद्वीप में साउथ कोरिया के सहयोग से पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यह समझा जाता है कि उड़ीसा की सरकार ने इस प्रकार के इस्पात संयंत्र की स्थापना की संभाव्यता की जांच की है। इस संबंध में शक्यता रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में क्रोम अयस्क का विदोहन

9473. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुमानतः कितनी मात्रा में क्रोम अयस्क उपलब्ध है;

(ख) क्रोम अयस्क का भंडार अधिकांशतः किस क्षेत्र में उपलब्ध है; और

(ग) राज्य में उपलब्ध क्रोम अयस्क के समुचित विदोहन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकलन के अनुसार उड़ीसा में क्रोमाइट का कुल भू-वैज्ञानिक भंडार लगभग 1830 लाख टन है।

(ख) उड़ीसा के सुकिन्दा नुआसाही क्षेत्र में क्रोम अयस्क के विशाल निक्षेप हैं।

(ग) देश में फैरो/चार्ज क्रोम का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त क्षमता सृजित की गई है ताकि राज्य में अयस्क का दोहन किफायती रूप में किया जा सके।

क्रोम अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध

9474. **श्री गोपीनाथ गजपति :**
श्री सरजू प्रसाद सरोज :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रोम अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से यह प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ग) इस संबंध में उड़ीसा सरकार को दिये गए अनुदेश का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) एम० एम० टी० सी० के माध्यम से (I) क्रोम अयस्क पिंड जिनमें सी आर2 ओ3 38 प्रतिशत से अधिक न हो और (II) न्यून सिलिका सुचूर्ण्य/फाइन अयस्क जिसमें सी आर2 ओ3 52 प्रतिशत से अधिक न हो और सिलिका 4 प्रतिशत से अधिक हो, के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह नीति 1-4-1990 से प्रभावी है।

(ग) क्रोम अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कोई निर्देश उड़ीसा राज्य सरकार को नहीं दिया गया है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आयात और निर्यात

9475. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) क्या निजी एजेन्सियों को आयात और निर्यात का कार्य सौंपा गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या एजेन्सियों द्वारा किए गए घपले के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा विगत तीन वर्षों के आयात तथा निर्यात किए गए माल का मूल्य निम्न प्रकार से है :—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	1987-88	1988-89	1989-90 (अनन्तिम)
निर्यात	728.3	872.6	1081.0
आयात	1524.8	2245.4	3409.1

(ख) खनिज एवं धातु व्यापार निगम अपने आयात तथा निर्यात का काम गैर सरकारी एजेंटों को नहीं सौंपता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा

[हिन्दी]

9476. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में इस्पात और खान उद्योग की अलग-अलग दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है; और

(ख) दुर्घटनाओं में मारे गए उन व्यक्तियों के आश्रितों की संख्या कितनी है जिन्हें अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया है और कितने मामले लंबित पड़े हैं और ये मामले कब से लंबित हैं और उसका कारण क्या है; और

(ग) उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

नोटों का परिचलन

[अनुवाद]

9477. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च और 30 अप्रैल, 1990 को समाप्त हुए सप्ताहों के दौरान नोटों के परिचलन में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1990 से प्रारम्भ हुए सप्ताह-वार पिछले चार महीनों की तुलना में यह स्थिति क्या है;

(घ) क्या नोटों के परिचलन में कमी से मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) 30 मार्च, 1990 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान नोटों के परिचलन में 316 करोड़ रुपए की कमी हुई थी । 27 अप्रैल, 1990 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 47 करोड़ रुपए की थोड़ी कमी दर्ज की गई । नोटों का परिचलन कुल मुद्रा भंडार सम्बन्धी उपायों के संघटकों में से एक है ।

(ग) 5 जनवरी, 1990 से 27 अप्रैल, 1990 तक सप्ताह की समाप्ति के साथ-साथ साप्ताहिक घट-बढ़ को दर्शाने वाला एक विवरण जिसमें परिचलन में नोटों के आंकड़े दिए गए गए हैं; संलग्न, है ।

(घ) और (ङ) परिचलन में नोटों और मुद्रा स्फीति की दर के बीच एक दूसरे के साथ

कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। मूल्यों में वृद्धि मांग और पूर्ति की स्थिति के बीच असंतुलनों को परिलक्षित करती है।

विवरण

परिचलन में नोट

(करोड़ रुपए)

अवधि/समाप्त सप्ताह	परिचलन में नोट	पिछले सप्ताह की तुलना में घट-बढ़
5 जनवरी, 1990	44,805	+735
12 जनवरी, 1990	45,351	+546
19 जनवरी, 1990	45,188	—163
26 जनवरी, 1990	44,773	—415
2 फरवरी, 1990	45,024	+251
9 फरवरी, 1990	46,149	+1125
16 फरवरी, 1990	46,275	+126
23 फरवरी 1990	46,084	—191
2 मार्च, 1990	46,345	+261
9 मार्च, 1990	47,350	+1005
16 मार्च, 1960	47,614	+264
23 मार्च, 1990	47,046	— 568
30 मार्च, 1990	46,730	—316
6 अप्रैल, 1990	47,529	+799
13 अप्रैल, 1990	48,851	+1322
20 अप्रैल, 1990	49,303	+452
27 अप्रैल, 1990	49,256	— 47

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दोषयुक्त आर्ट पेपर की खरीद

9479. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1984-85 के दौरान दोषयुक्त आर्ट-पेपर खरीदने से हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषयुक्त कागज को कैसे निपटाया गया है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) आर्ट पेपर के 13 प्रमुख निर्माताओं से टेंडर आमंत्रित करके भारत पर्यटन विकास निगम ने 1984-85 में निम्नलिखित दो पार्टियों को आर्ट पेपर की आपूर्ति के लिए जिसका मूल्य उनके सामने दर्शाया गया है, आदेश दिए थे—

	(लाख रुपए में) आर्ट पेपर
1. मैसर्स बंसल पेपर मिल्स	(क) 23.91
	(ख) 12 60
2. मैसर्स बालारपुर इंडस्ट्रीज लि०	(क) 16.80
	(ख) 25.11

मैसर्स बंसल पेपर मिल्स द्वारा आपूर्ति किए गए आर्ट पेपर पर कुछ प्रचार सामग्री का मुद्रण करने के पश्चात् यह पाया गया कि पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं थी। इसको ध्यान में रखकर दोनों पार्टियों द्वारा आपूर्ति किए गए सम्पूर्ण आर्ट पेपर की जांच कराई गई और इन्हें भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं पाया गया।

यद्यपि मैसर्स बालारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लगभग 14.00 लाख रुपए मूल्य का अप्रयुक्त आर्ट पेपर वापिस ले लिया और राशि लौटा दी जबकि मैसर्स बंसल पेपर मिल्स ने विवाद किया और 22.10 लाख रुपये के मूल्य का अप्रयुक्त आर्ट पेपर वापिस नहीं लिया। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने 1984-85 में खरीदे गए पूरे आर्ट पेपर का, अब तक 3.30 लाख रुपए मूल्य के पेपर को छोड़कर, अपने ग्राफिक्स और अन्य कार्यों के उपयोग में ले लिया।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम ने सतर्कता जांच कराने के पश्चात दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

नागपुर दूरदर्शन केन्द्र को सुविधाएं

9479. **श्री वसंत साठे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर दूरदर्शन केन्द्र स्टूडियो और अन्य आधारभूत सुविधाओं के बिना चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन निदेशक नागपुर ने इस संबंध में उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान उन पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस समय, दूरदर्शन केन्द्र नागपुर मात्र क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के सीमित निर्माण के लिए कार्यक्रम निर्माण सुविधा से सुसज्जित है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि सरकार नागपुर में स्टूडियो सुविधा स्थापित करने की मांग को समझती है। किन्तु इसको स्वीकार करना इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तपेदिक रोग के निदान के लिए आवश्यक इन्टरमीडिएट का आयात

9480. **श्री बसंत साठे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक रोग के निदान के लिए आवश्यक इन्टरमीडिएट अर्थात् "फारमाइल/रिफाम्पसिन 3वी को दिनांक 9 अक्तूबर, 1990 को खुला लाइसेंस से हटाकर सीमित अनुमेय सूची में शामिल किया गया था और नई आयात एवं निर्यात नीति के अंतर्गत पुनः उसे खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 30 मार्च, 1990 को समाप्त हुए गत एक वर्ष के दौरान मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात ने लघु क्षेत्र का कितनी यूनिटों को तपेदिक रोग के निदान संबंधी आवश्यक इन्टरमीडिएट के आयात हेतु लाइसेंस जारी किए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिफैम्पिसिन का विनिर्माण मूल आधार से किया जाता है, प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश पर इस मद को ओ० जी० एल० सूची से सीमित अनुमेय मद-सूची में अन्तरित किया गया था बाद में लघु क्षेत्र के एककों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर आयात नीति की समीक्षा की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बल्क औषधि की उपलब्धता बनी रहे, रिफैम्पिसिन मद की अनुमति ओ० जी० एल० के अधीन इस शर्त पर दी गई है कि आयातकों को अपनी संविदाएं विकास आयुक्त (औषधियां), रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग के पास पंजीकृत करानी होंगी।

(ग) मुख्यालय की अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति के अनुमोदन के आधार पर दिनांक 30 मार्च, 1990 तक लघु क्षेत्र के तीन एककों को आयात लाइसेंस जारी किए गए थे।

महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

9481. **श्री बसंत साठे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आए वित्तीय संकट को दूर करने के लिए सहायता देने हेतु केन्द्र को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में राज्य सरकार ने क्या प्रस्ताव किए हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चुनाव याचिकाएं

[हिन्दी]

9482. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुनाव याचिकाओं के न्याय-निर्णय हेतु पृथक फौरम गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1980 और 1985 के दौरान बिहार से कितनी चुनाव याचिकाएं दायर की गईं;

(घ) पिछले तीन वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में राज्यवार कितनी याचिकाएं अभी भी लंबित पड़ी हैं;

(ङ) क्या ये याचिकाएं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निपटाई जा रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इन याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) अपेक्षित जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(ङ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन अर्जी का विचारण यथासंभव शीघ्र किया जाएगा और विचारण को छह मास के भीतर पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। तथापि, वस्तुतः बहुत कम निर्वाचन अर्जियों उस अवधि में निपटाई जाती हैं।

(च) निर्वाचन अर्जियों के शीघ्र निपटारे के लिए, उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में नियुक्तियां की जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि आसीन न्यायाधीश अनन्य रूप से निर्वाचन अर्जियों के संबंध में कार्यवाही कर सकें।

विवरण-1

बिहार राज्य से वर्ष 1980, 1984 और 1985 में लोक सभा/विधानसभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की संख्या

क्रम सं०	निर्वाचन	उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की सं०
1.	लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 1980	14
2.	विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 1980	39
3.	लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 1984	5
4.	विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 1985	45

विवरण-2

विभिन्न उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के समक्ष तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित निर्वाचन अर्जियों/अपीलों की संख्या (तारीख 15 मई 1990 को यथाविद्यमान)

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में	उच्चतम न्यायालय में
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	1
3.	असम	1	—
4.	बिहार	10	5
5.	गुजरात	2	1
6.	हरियाणा	—	1
7.	हिमाचल प्रदेश	—	4
8.	जम्मू-कश्मीर	44	—
9.	कर्नाटक	—	1
10.	केरल	1	—
11.	मध्य प्रदेश	6	17
12.	महाराष्ट्र	4	7
13.	मणिपुर	2	—
14.	मेघालय	—	—
15.	मिजोरम	—	—
16.	नागालैंड	—	—
17.	उड़ीसा	—	1
18.	पंजाब	—	1
19.	राजस्थान	3	1
20.	सिक्किम	—	1
21.	तमिलनाडु	—	3
22.	त्रिपुरा	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	29	11

1	2	3	4
24.	पश्चिमी बंगाल	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	—	—
2.	लक्षद्वीप	—	—
3.	*गोवा, दमन और दीव	—	—
4.	दादर और नागर हवेली	—	—
5.	पांडिचेरी	—	—
		103	61

*गोवा को, तारीख 30-5-1987 से राज्य का दर्जा दिया गया है।

मियादी ऋण संविदाओं में परिवर्तनीय खंड

[अनुवाद]

9483. **श्री सरजू प्रसाद सरोज :**
श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके मियादी ऋण संविदाओं में अंतर्विष्ट की गई परिवर्तनीय खंड के क्षेत्र की पुनरीक्षा के लिए समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में "आर्थिक विकास में बैंक और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका" पर सेमिनार आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हुए; और

(ङ) इस संबंध में बैंक और वित्तीय संस्थाओं की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) परिवर्तनीयता खंड के कार्य क्षेत्र की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए वित्त मंत्रालय के सचिव एवं मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि आर्थिक विकास में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर अखिल भारतीय निर्माता संघ (ए० आई० एम० ओ०) द्वारा बम्बई में 21-4-90 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। अलबत्ता संगोष्ठी में कोई निष्कर्ष/निर्णय आदि नहीं लिया और घोषित किया गया।

विदेशों में राज्य व्यापार निगम के अधिकारी

9484. **श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने अपने अधिकारियों को विदेश के किन शहरों में तैनात किया है;

(ख) इन अधिकारियों के वहां होने का मुख्य लक्ष्य क्या है;

(ग) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में इन अधिकारियों का कार्य निष्पादन कैसा रहा है;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम का किसी और विदेशी राष्ट्र में नया कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) राज्य व्यापार निगम के इस समय निम्नलिखित विदेशी कार्यालय हैं : न्यूयार्क, मास्को, पूर्व बर्लिन, लन्दन, पेरिसा, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत, हरारे, मेलबोर्न, मालदीव, नैरोबी, जद्दा तथा ढाका ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के विदेशी कार्यालयों का उद्देश्य यह है कि जिस देश/क्षेत्र में वे स्थित हैं वहां गहन विपणन एवं संवर्धात्मक प्रयासों द्वारा व्यापारिक क्रियाकलाप को बढ़ावा दिया जाए ।

(ग) विदेशी कार्यालय खरीददारों का पता लगाने तथा निर्यात के क्षेत्र में माल छुड़ाई के काम का अनुवर्तन करने में लगे हुए हैं । वे राज्य व्यापार निगम को बाजार आसूचना की रिपोर्टें भेज रहे हैं जो एस० टी० सी० द्वारा संचालित मदों के संबंध में कीमत, उनकी मांग तथा उपलब्धता पर अच्छी आधार सामग्री साबित होती है ।

(घ) और (ङ) एस० टी० सी० की यह योजना है कि जद्दा तथा कुवैत में वर्तमान कार्यालयों को बंद करके दुबई में एक कार्यालय खोला जाए ।

बहुमूल्य तथा दुर्लभ धातुएं

9485. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुमूल्य तथा दुर्लभ धातुओं के नाम क्या-क्या हैं जिनका इस समय देश में खनन किया जाता है तथा इन धातुओं का अनुमानतः कितना भंडार उपलब्ध है;

(ख) क्या इन भंडारों का निर्धारण करने एवं पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०) तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन० एन० आर० एम० एस०) द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का प्रयोग किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन धातुओं के भंडारों का पता लगाने के लिए तथा इनकी मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किन-किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस करने वाले आयकर आयुक्तों के पुत्र

9486. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आयकर आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों के पुत्र उनके तैनाती के स्थान पर चार्टेड एकाउन्टेन्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आयकर विभाग के ऐसे आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके अन्तर्गत ऐसे मामलों में पूर्वानुमति लेना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आयकर आयुक्तों/मुख्य आयकर आयुक्तों के पुत्र उनकी तैनाती के स्थानों पर चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस शुरू करने के बारे में सन्तान द्वारा भारत सरकार की अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ) इनके प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

दिल्ली में जवाहर व्यापार भवन का निर्माण

9487. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राज्य व्यापार निगम के जनपथ, नई दिल्ली स्थित जवाहर व्यापार भवन के निर्माण का अनुमानित व्यय कितना है;

(ख) मूल अनुमानित व्यय से यह कितना अधिक है;

(ग) इसकी सजावट और फर्नीचर की खरीद पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या उन्हें फर्नीचर की खरीद में धोखाधड़ी करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल श्रीधरन) : (क) जवाहर व्यापार भवन का निर्माण लागत अनुमानतः 3280 लाख रुपए है। इस राशि में सिविल कार्य ठेकेदार के वे अतिरिक्त दावे शामिल नहीं है जो संवीक्षाधीन हैं और जिनकी राशि 3.20 करोड़ रुपए तथा 1.24 करोड़ रुपये हैं, दावों के सम्बन्ध में बाकी राशि न्याय निर्णयाधीन है।

(ख) प्रारम्भिक आकलन (1977 में किया गया) 476.10 लाख रुपए का था। किन्तु यह सही नहीं था क्योंकि चौकी क्षेत्र, सैन्ट्रल वातानुकूलन क्षेत्र के सम्बन्ध में कम आंकलन किया गया था, अतिरिक्त लागत संरचनात्मक स्वरूप लिफ्टों, अग्निशमन प्रणाली आदि की वजह से आई। दिसम्बर, 1985 में 25.90 करोड़ रुपए का संशोधित आकलन स्वीकृत किया गया।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1990 तक 3.25 करोड़ रुपग व्यय का अनुमान है।

(घ) तथा (ङ) फर्नीचर तथा फर्निशिंग के लिए सौंपे गए कार्य मे अनियमितताओं की जांच एस० टी० सी० द्वारा की जा रही है।

जीवन रक्षक उपकरण के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करना

9488. **श्री के० एस० राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जीवन-रक्षक उपकरण के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस विकेन्द्रीकरण से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) वर्तमान नीति में खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत जीवन रक्षक उपस्कर के आयात की अनुमति उन्हीं व्यापारियों को दी जाती है जिनके पास पश्चबिक्री सेवा प्रबंध पर्याप्त हों जिन्हें डी० जी० टी० डी० द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह बात सुनिश्चिय करने के उद्देश्व से कि मात्रता-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के कारण ऐसे उपस्करों की उपलब्धता में कोई अड़चन न जाए; ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया गया है और डी० जी० टी० के अतिरिक्त, किसी भी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों अथवा सिविल सर्जन तथा किसी मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी ऐसे प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन से एजेन्सी के रूप में नामजद किया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे माल में वृद्धि करने के प्रयाय

8489. **श्री के० एस० राव** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण योजना के एक अंग के रूप में कच्चे माल में वृद्धि करने के लिए अपनी निधि की तीस प्रतिशत धनराशि निवेश करने पर सहमत हो गई है जैसा कि दिनांक 19 मार्च, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कच्ची सामग्री के उत्पादन तथा संभाल संबंधी प्रचालन कार्यों में सुधार लाने के लिए अपनी आधुनिकीकरण योजना में अपने आन्तरिक स्रोतों के एक बड़े हिस्से का पूंजी निवेश कर रही है।

(ख) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय कर रही है, जो निम्नलिखित हैं :—

—चल रही आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन संबंधी योजनाएं,

—उपयुक्त क्वालिटी की उपयुक्त मात्रा में आदानों, विशेषकर कम राखयुक्त कोककर कोयला सहित कोककर कोयले की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना,

—निजी विद्युत उत्पादन का संवर्धन एवं इष्टतमीकरण,

—उपस्करों का सुव्यवस्थित अनुरक्षण,

—प्रौद्योगिकीय मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन,

—बेहतर कार्य संस्कृति तैयार करना, जिसमें मुख्य रूप से बेहतर सामूहिक रूप से कार्य करने तथा उच्च स्तर का अनुशासन रखने पर ध्यान दिया जाएगा;

—उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास,

—"सेल" के संयंत्रों/इकाइयों में पूर्ण रूप से गुणवत्ता नीति को अपनाना तथा उसका कार्यान्वयन।

चाय बागानों के संबंध में परामर्शदात्री समिति

9490. श्री के० एस० राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को चाय बागानों के संबंध में एक परामर्शदात्री समिति स्थापित किए जाने के बारे में भारतीय चाय संघ की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने परामर्शदात्री समिति की रचना को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) सरकार को चाय बागान सम्बन्धी स्थायी परामर्शदात्री समिति स्थापित करने के लिए भारतीय चाय संघ से एक सुझाव मिला है, ताकि कृषि आय-कर, लेवी, चाय एस्टेटों का भूमि प्रबंध, आदि जैसी समस्याएं सुलझायी जा सकें।

(ग) और (घ) बागान-क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने तथा सरकार एवं बागान उद्योग के बीच पारस्परिक कार्यकलाप की पद्धति को सुकर बनाने के लिए सरकार "बागान विकास समन्वय समिति" स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस समिति में सम्बन्धित राज्य सरकारों, वस्तु बोर्डों और बागान-उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

हीरे तथा जवाहरातों का निर्यात

9491. श्री के० एस० राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात किए गए हीरों, तराशे गए तथा पालिस किए गए जवाहरातों और सोने के जेवरातों की अनुमानित मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का 1994-95 तक इन वस्तुओं के निर्यात में तिगुनी वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो 1994-95 तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की इन वस्तुओं का निर्यात करने का विचार है; और

(घ) इस बारे में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को प्रोत्साहन देने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा तैयार किए गए प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1990-91 के दौरान क्षेत्र-वार निर्यात लगभग 7,000 करोड़ रुपए का हो सकता है बशर्ते कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्य हालात अनुकूल रहें ।

(ख) और (ग) मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने वर्ष 1989-90 के दौरान हीरे सहित रत्न एवं आभूषण के 127.04 करोड़ रुपए के निर्यात की सूचना दी है । प्रायोगिक रूप में ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 1994-95 के दौरान इन निर्यातों को बढ़ाकर लगभग 248 करोड़ रुपए का किया जाए ।

(घ) एम० एम० टी० सी० का ऐसा विचार है कि शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख परिसरों में स्थापित स्वर्ण आभूषण एककों को विपणन अन्तर्निविष्टियां, विदेशों में प्रदर्शनियां और क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करके तथा ब्याज की उदार दर के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए स्वर्ण आयात और आपूर्ति हेतु सहायता देना जारी रखा जाए ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कार्य निष्पादन

[हिन्दी]

9492. **डा० महावीपक सिंह शाक्य** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम के अलावा कौन-कौन-सी एजेंसियां होटल चला रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये गए होटलों की तुलना में इन होटलों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कार्य निष्पादन अपेक्षाकृत असंतोषजनक रहा है;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० जो कि एयर इंडिया के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित होटलों का परिचालन कर रही है—

1. सेन्टौर होटल, जुहू बीच, बंबई
2. सेन्टौर होटल, दिल्ली हवाई अड्डा
3. सेन्टौर लेक व्यू होटल, श्रीनगर
4. सेन्टौर होटल, बंबई हवाई अड्डा
5. इंडो होक्के होटल, राजगीर (एक सहायक कंपनी)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले तथा इसके द्वारा चलाए जा रहे 25 होटलों की तुलना में होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के होटलों का कारोबार, निवल लाभ/हानि और प्रतिशत अधिभोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत संतोषजनक है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। इस दिशा में किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

1. उत्पाद में सुधार।

2. विज्ञापन/प्रचार पर अपेक्षाकृत अधिक बल।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं० निगम का नाम	1987-88			1988-89			1989-90 (अनन्तिम)		
	कारोबार	निवल लाभ/ हानि	%अधिभोग	कारोबार	निवल लाभ/ हानि	%अधिभोग	कारोबार	निवल लाभ/ हानि	%अधिभोग
1. होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया के होटल	2907.47	(—)228.90	55.8	3022.70	(—)410.52	51.4	3135.37	(—)423.37	51.8
2. भारत पर्यटन विकास निगम के होटल	6531.24	644.91	70	7305.86	740.59	70	7922.81	823.72	72

भारतीय पर्यटन विकास निगम के श्रीनगर स्थित होटल में हानि

9493. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा श्रीनगर में चलाए जा रहे होटल में हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी हानियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम का श्रीनगर में कोई होटल नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्पंज लोह एककों का विस्तार

[अनुवाद]

9494. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्पंज लोह एककों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1990 को देश में स्पंज लोह एककों की उत्पादन क्षमता कितनी थी; और

(घ) स्पंज लोह एककों का विस्तार करने के लिए अब तक कितनी राशि निवेश की गई ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार देश में स्पंज लोहे की इकाइयों की उत्पादन क्षमता 14 लाख टन थी । आठवीं योजना के अन्त तक देश में स्पंज लोहे का उत्पादन 50 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है ।

(घ) इस समय स्पंज लोहा परियोजनाओं पर अपेक्षित औसतन निवेश संस्थापित क्षमता का लगभग 6,000 रुपए प्रति टन है ।

नई आयात-निर्यात नीति में संशोधन

9495. **श्री वामन राव महाडीक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वर्ष 1990-93 के लिए घोषित की गई आयात-निर्यात नीति में संशोधन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या संशोधन करने का प्रस्ताव है और इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) आयात-निर्यात नीति की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर सभी संबंधित मुद्दों पर विचार

करने के बाद तथा अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

महाराष्ट्र में डोंगरी में मैंगनीज के भंडार

[हिन्दी]

9496. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के लोहार डोंगरी में मैंगनीज अयस्क भारी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो यह लगभग कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) क्या उपर्युक्त क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क खानों को बंद कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन्हें पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन केंद्रों और पर्वतीय भ्रमण स्थलों में होटल आवास

[अनुवाद]

9497. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन देश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पर्यटन केंद्रों और पर्वतीय भ्रमण स्थलों में पर्याप्त संख्या में होटल आवास की कमी की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो पूरे देश में इन स्थानों पर अधिक संख्या में होटल आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की आय पर्यटन से होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) केंद्रीय सरकार ने पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटकों में जिनमें होटल आवास भी सम्मिलित हैं, गैर-सरकारी पूंजी निवेश को लुभाने के लिए अनेक वित्तीय तथा आर्थिक प्रोत्साहनों/रियायतों की घोषणा की है। इस उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पर्यटन वित्त निगम की स्थापना भी की गई है।

रियायती दर पर डीजल की आपूर्ति के लिए एम० पी० ई० डी० ए० की योजना

9498. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल केरल मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट आपरेटर्स एसोसियेशन ने मछली पकड़ने की नावों और जलपोतों को रियायती दर पर डीजल की आपूर्ति करने के लिए ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या मछली पकड़ने वाले पोतों को रियायती दर पर डीजल की आपूर्ति के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्राय में राज्य मंत्री (श्री अरंगि श्रीधरनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव प्रशासनिक मन्त्रालय अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय को भेज दिया गया है ताकि संबंधित मन्त्रालय के परामर्श से इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

महाराष्ट्र में कम शक्ति वाले और उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

9500. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) क्या ये ट्रांसमीटर पूरे राज्य के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इनकी क्षमता में वृद्धि करने या ऐसे और ट्रांसमीटर स्थापित करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में इस समय दूसरी चैनल सेवा सहित 5 उच्च शक्ति और 40 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इन ट्रांसमीटरों से राज्य की लगभग 62 प्रतिशत आबादी की सेवा उपलब्ध हो रही है। इसमें किनारे के क्षेत्रों के वे लोग भी शामिल हैं जहां पर ऊंचे एन्टेना बूस्टरों आदि से संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त किया जा सकता है।

अम्बाजोगई में कार्यान्वियनाधीन उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना हो जाने और औरंगाबाद के 10 किलोवाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर को इसकी पूर्ण शक्ति में चालू करने पर, राज्य में जनसंख्या का कवरेज बढ़कर करीब 81 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। राज्य में दूरदर्शन का और विस्तार इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणों में किया जा सकता है।

विदेशों में बसे भारतीयों से विदेशी मुद्रा अर्जन

9501. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भारत में रह रहे अपने संबंधियों को प्रति-वर्ष लगभग कितनी धनराशि भेजी है ?

वित्त मंत्रलय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : विदेशों में रहने वाले भारतीयों से ही प्राप्त प्रेषणाओं के संबंध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वर्तमान नियमों के अधीन प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा 10,000 रुपए या इससे कम राशि की प्रेषणाओं का ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक को बताना आवश्यक नहीं है। तथापि, 1987-88 को समाप्त होने वाले 3 वर्षों के दौरान निजी अंतरण

प्राप्तियों की राशि जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीयता वाले अनिवासियों से प्राप्त प्रेषणाएं शामिल हैं जैसे कि वह भुगतान शेष संबंधी आंकड़ों में दर्ज हैं, निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	करोड़ रुपए
1985-86	2716
1986-87	2991
1987-88	3533

कोचीन निर्यात संसाधन जोन

[अनुवाद]

9502. श्री टी० बशीर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन निर्यात संसाधन जोन में अब तक कितने औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं;

(ख) उन एककों के नाम क्या-क्या हैं और उनके द्वारा किन-किन उत्पादों का निर्माण किया जाता है;

(ग) इन एककों के नाम क्या-क्या रियायतें/प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन निर्यात संसाधन जोन द्वारा वर्ष-वार कितना कारोबार किया गया; और

(ङ) अगले वर्ष के दौरान कोचीन निर्यात संसाधन जोन में कितने एकक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) अभी तक 16 एककों ने अपनी परियोजनाएं स्थापित कर दी हैं और कोचीन निर्यात संसाधन जोन में उत्पादन आरंभ कर दिया है।

(ख) एकक का नाम	विनिर्माण-मद
1. मैसर्स डी० बी० डिओ (चरण-1)	सगन्ध तेल
2. मैसर्स डी० बी० डिओ (चरण-2)	सुगन्धित मिश्रण
3. मैसर्स डी० बी० डिओ (चरण-3)	तेलों का परिशोधन, राल का विनिर्माण आदि
4. मैसर्स टैक्स गार्मेन्ट्स	सिले सिलाए परिधान
5. मैसर्स शेवेरौय एस्टेट लि०	ऊतक संवर्धन पादप
6. मैसर्स कोचीन स्टोन्स	मूल्यवान रत्न
7. मैसर्स आस्मा रबड़ उत्पाद	दस्ताने
8. मैसर्स ओटी फिनि (इंडिया) लि०	टेलिस्कोपिक एंटीना

एकक का नाम	विनिर्माण-मद
9. मैसर्स ओवरसीज लैटेक्स (प्रा०) लि०	रबड़ के दस्ताने
10. मैसर्स केरल रबर एंड रिक्लेम्स लि०	रबड़ के दस्ताने
11. मैसर्स टाबा ग्लब्ज (प्रा०) लि०	रबड़ के दस्ताने
12. मैसर्स ए० वी० टी० रबर प्रोडक्ट्स लि०	रबड़ के दस्ताने
13. मैसर्स युनिवर्सल ग्लब्ज (प्रा०) लि०	रबड़ के दस्ताने
14. मैसर्स आर्क सिंथेटिक्स	खाद्य-सामग्री डिब्बे
15. मैसर्स निकासू पैक (प्रा०) लि०	फीड बोतल
16. मैसर्स इंन्लटैक्स रबर (प्रा०) लि०	रबड़ के दस्ताने

(ग) इस जोन में एककों के लिए भारत-सरकार ने निम्नलिखित रियायतें/प्रोत्साहन दिये हैं :—

(1) पूंजीगत माल, कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं, स्पेयर्स, औजारों और पैकिंग सामग्री का निशुल्क आयात;

(2) 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं;

(3) विदेशी निवेशकर्ताओं द्वारा अर्जित लाभों और लाभांशों को स्वदेश भेजने की सुविधा;

(4) संवेदनशील मदों के बहिष्कार तथा लागू शुल्कों के भुगतान के अध्यधीन घरेलू विनिष्टियों पर निर्भर करते हुए उत्पादन का 15-25 प्रतिशत उत्पादन घरेलू टैरिफ क्षेत्रों में बेचने की सुविधा;

(5) किए गए वास्तविक निर्यात पर डी० टी० ए० एककों के लिए लागू दरों के 50 प्रतिशत की दर पर नकद मुआवजा सहायता;

(6) कार्य संचालन के पहले 8 वर्षों में 5 वर्षों की अवधि के लिए निगमित कर-अवकाश;

(7) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों पर उत्पाद शुल्क से छूट।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचीन निर्यात संसाधन जोन से किए गए निर्यात नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्यात
1987-88	3.92
1988-89	6.25
1989-90	11.00

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान चार और एककों में उत्पादन आरंभ हो जाने की आशा है।

आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण

9503. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा पिछले 12 माह के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में धारा 133-क तथा 133-ख के अधीन किए गए सर्वेक्षणों की संख्या क्या है;

(ख) धारा 133-क तथा 133-ख के अधीन पता लगाए गए मामलों की अलग-अलग तथा शहर-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या कर-निर्धारण मामलों के निपटान की दर में वर्षों से सन्तोषजनक वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) आयकर निर्धारण के निपटान की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि किए जाने लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए कर-निर्धारण की शुद्धता की जांच करने के लिए फिर से खोले गए कर-निर्धारण मामलों का प्रतिशत क्या है; और

(च) इस प्रकार की पुनरीक्षा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वित्त वर्ष 1989-90 के संबंध में संगत सूचना निम्नानुसार है :—

	धारा 133-क के अध्यधीन सर्वेक्षण	धारा 133-ख के अध्यधीन सर्वेक्षण
बम्बई	733	1,45,968
कलकत्ता	671	54,791
दिल्ली	167	1,03,999
मद्रास	382	3,690

(ख) किए गए सर्वेक्षणों तथा पता लगाए गए नए कर-निर्धारितियों की संख्या के बीच कोई प्रत्यक्ष सह-सम्बद्धता के बारे में हालांकि कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी संबंधित मुख्य आय-कर आयुक्तों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ऐसे नए कर-निर्धारितियों की संख्या नीचे दी गई है, जिन्होंने वित्त वर्ष 1^89-90 के दौरान अपनी आय की विवरणियां दायर की थीं :—

मुख्य आयुक्त	नए कर-निर्धारितियों की संख्या
बम्बई	58,442
कलकत्ता	58,893
दिल्ली	34,494
मद्रास	39,059

(ग) कर-निर्धारणों के अपेक्षित निपटान की तुलना में कर-निर्धारणों के निपटान के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 1979-80 के दौरान निपटान-दर 60.28 प्रतिशत थी जो वित्त वर्ष 1988-89 में बढ़ कर 86.60 प्रतिशत हो गई।

(घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वर्षानुवर्ष आधार पर कर-निर्धारणों के निपटान की प्रगति की समीक्षा करता है तथा इस कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निरन्तर यथोचित उपाय करता रहता है। उदाहरण के तौर पर, निपटान-दर में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 की कार्य-योजना में कतिपय श्रेणियों में जांच-पड़ताल विषयक कर-निर्धारणों के निपटान से संबंधित लक्ष्यों में वृद्धि की गई है। आय विवरणी के साथ संलग्न पावती-फार्म में भी संशोधन करके उसे पुनः तैयार किया गया है ताकि उसे कम्प्यूटर की आदान-सामग्री (इन-पुट) के रूप में इस्तेमाल करके आय-कर अधिनियम की धारा 143 (1) (क) के अध्यधीन आय विवरणियों पर कार्यवाही करने के कार्य में गति लाई जा सके।

(ङ) आय-कर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को यह प्राधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा किए जा चुके कर-निर्धारण के किसी मामले को कर-निर्धारण की सत्यता की जांच-पड़पाल करने मात्र के प्रयोजनार्थ पुनः खोल सके।

(च) भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

बैंक डकैतियां

[हिन्दी]

9504. **श्री शोपत सिंह मक्कासर :**
श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कितनी बैंक डकैतियां हुईं और वर्ष-वार प्रत्येक डकैती में कितनी धनराशि लूटी गई; और

(ख) पकड़े गए अभियुक्तों की संख्या और उनसे बरामद धनराशि का वर्ष-वार, राज्य-वार और मामले-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान हुई लूटपाटों/डकैतियों की कुल संख्या, उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि, बरामद की गई राशि और इन लूटपाटों/डकैतियों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान हुई लूटपाटों/डकैतियों की संख्या, उनमें अंतर्ग्रस्त राशि, बरामद की गई राशि और इन लूटपाटों/डकैतियों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लूटपाटों/डकैतियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	बरामद की गई राशि (लाख रु०)	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
		1987			
1.	आंध्र प्रदेश	2	14.78	—	—
2.	असम	3	47.24	36.40	8
3.	बिहार	26	46.35	2.13	32
4.	चंडीगढ़ (यू० टी०)	1	0.25	—	—
5.	दिल्ली (यू० टी०)	1	0.22	—	—
6.	गुजरात	6	7.57	3.99	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1	0.05	0.05	—
8.	जम्मू एंड कश्मीर	1	—	—	—
9.	केरल	2	5.46	0.24	1
10.	मध्य प्रदेश	3	0.08	0.03	5
11.	महाराष्ट्र	1	0.15	—	1
12.	मणिपुर	1	0.01	—	—
13.	नागालैंड	1	2.25	—	2
14.	उड़ीसा	1	0.32	—	3
15.	पंजाब	26	591.44	100.60	49
16.	राजस्थान	1	1.88	1.88	3
17.	तमिलनाडु	3	4.34	2.09	1
18.	उत्तर प्रदेश	7	4.22	0.27	3
19.	पश्चिम बंगाल	4	13.87	—	—
	जोड़	91	740.48	147.68	111

1	2	3	4	5	6
			1988		
1.	आंध्र प्रदेश	7	6.07	1.16	9
2.	असम	2	1.22	0.11	4
3.	बिहार	21	32.96	4.46	19
4.	चंडीगढ़	1	4.35	—	—
5.	गुजरात	2	1.88	1.14	2
6.	हरियाणा	4	0.48	0.21	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1	28.44	5.65	—
8.	कर्नाटक	2	1.00	—	1
9.	मध्य प्रदेश	2	5.65	4.80	5
10.	महाराष्ट्र	1	0.50	—	—
11.	मेघालय	1	3.75	—	—
12.	नागालैंड	2	6.83	—	—
13.	उड़ीसा	3	19.82	—	—
14.	पंजाब	30	23.00	1.50	3
15.	राजस्थान	2	0.43	—	2
16.	तमिलनाडु	1	0.13	0.13	4
17.	उत्तर प्रदेश	3	3.49	—	4
18.	पश्चिम बंगाल	3	11.89	0.33	—
	जोड़	88	151.89	19.49	54
			1989		
1.	असम	7	14.86	—	—
2.	बिहार	24	36.67	—	5
3.	चंडीगढ़ (यू० टी०)	1	—	—	1
4.	गुजरात	5	3.41	—	—
5.	हरियाणा	2	1.16	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1.02	—	—
7.	जम्मू एंड कश्मीर	6	2.99	—	—

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	1	0.93	—	—
9.	महाराष्ट्र	1	6.05	—	—
10.	मेघालय	2	5 28	0.36	5
11.	पंजाब	23	36.19	0.11	2
12.	राजस्थान	3	5.36	—	—
13.	उत्तर प्रदेश	9	17.29	0.21	5
14.	पश्चिम बंगाल	3	3.69	0.25	4
	जोड़	88	134.90	0.93	22

(आंकड़े अनन्तिम)

मुक्त आयात लाइसेंस योजना हेतु एसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिए गए सुझाव

[अनुवाद]

9505. **श्री एन० जे० राथवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोशियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने महत्वपूर्ण और आवश्यक आदानों और कच्चे माल के आयात में तेजी लाने हेतु मुक्त आयात लाइसेंस योजना को शुरू करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उनके द्वारा अनेक सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इनमें से कितने सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1990-93 के लिए आयात-निर्यात नीति बनाते समय, एसोचेम सहित विभिन्न मंचों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे। उन सभी सुझावों पर विचार किया गया था और जिन्हें स्वीकार्य पाया गया उन्हें नई आयात-निर्यात नीति तथा कार्यपद्धति पुस्तिका में समाविष्ट कर लिया गया है।

पूर्वी तट पर तस्करी विरोधी अभियान

9506. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी तट पर तस्करी विरोधी अभियान की कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ख) पूर्वी तट सहित संपूर्ण देश

में तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है । पूर्वी तट पर तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने के सम्बन्ध में कार्यरत सभी सम्बन्धित एजेंसियो के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जाना होता है । जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाएगा, रात को प्रयोग की जाने वाली दूरबीनों तथा सेल्फ लोडिंग राइफलों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ-साथ सीमा शुल्क गश्त यान तथा वाहनों की भी व्यवस्था की जाएगी । भुवनेश्वर तथा हैदराबाद में राजस्व आसूचना निदेशालय के क्षेत्रीय एककों की स्थापना करके आसूचना एकत्र करने वाले तन्त्र को सुदृढ़ बना दिया गया है ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर जब्त किया गया सामान

[हिन्दी]

9507. **डा० बंगाली सिंह :**
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 से आज तक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों से जब्त किए गए माल का ब्योरा क्या है और इनका मूल्य कितना है;

(ख) कितने मूल्य का ऐसा सामान अभी तक नहीं बेचा गया है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 1 जनवरी, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों से अभिगृहीत किए गए माल के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं :—

सारणी

	मात्रा (किलोग्राम में)	मात्रा (लाख रुपए में)
हेरोइन	72.53	हेरोइन का कोई ठीक-ठीक मूल्य नहीं दिया जा सकता है चूंकि यह विभिन्न कारकों जैसे इसकी शुद्धता, उदगम स्थान तथा बिक्री के स्थान, स्थानीय मांग और आपूर्ति आदि पर निर्भर होता है ।
सोना	424	1365
अन्य विविध माल	—	77

(ख) और (ग) अभिगृहीत की गयी हेरोइन तथा जब्त किए गए सोने का बिक्री द्वारा निपटान नहीं किया जाता है परन्तु हेरोइन को नष्ट कर दिया जाता है और सोने को भारत सरकार की टकसाल में जमा करवा दिया जाता है ।

70 लाख रुपए मूल्य के बकाया माल का निपटान सभी विभागीय तथा न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं के समाप्त होने पर ही किया जा सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि

[अनुवाद]

9508. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-90 में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (आई० पी० आर० एस०) के अन्तर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत और अधिक धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि इंजीनियरी को नुकसान न हो; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (आई० पी० आर० एस०) के लिए वित्त व्यवस्था, इंजीनियरिंग माल निर्यात सहायता निधि (ई० जी० ई० ए० एफ०) से की जाती है। यह निधि मुख्यत: पिग आयरन और मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादिक स्टील को संयुक्त संयंत्र समिति की मदों पर वसूल किए गए उपकर से बनाई गई है। ई० जी० ई० ए० एफ० में निधियों की राशि मुख्यत: उपर्युक्त उपकर से प्राप्त रकम पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) ई० जी० ई० एफ० में निधि उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंजीनियरिंग माल के निर्यात की निर्बाध गति से अनुमति देने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं।

फ्रांस और ताज होटल ग्रुप के सहयोग से समुद्रतट पर्यटन स्थल का विकास

9509. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताज होटल ग्रुप को फ्रांस की कंपनी के सहयोग से देश में समुद्रतट पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव में 650 लाख रुपए की 50 प्रतिशत विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी की परिकल्पना की गई है।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण क्षेत्र

9510. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के अन्त में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग दूरदर्शन प्रसारित कार्यक्रम देख सकते थे; और

(ख) हिमाचल प्रदेश और पंजाब की कितने प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम देख सकेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जहां 1989-90 के अन्त में पंजाब की लगभग 99 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध थी वहां हिमाचल प्रदेश में 58.7 प्रतिशत जनसंख्या को यह सेवा उपलब्ध थी। इन आंकड़ों में दोनों राज्यों में किनारे के इलाकों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं जहां संतोषजनक रिसेप्शन के लिए ऊंचे एन्टेना बूस्टर आदि लगाने की जरूरत पड़ती है।

(ख) चूंकि दोनों राज्यों में दूरदर्शन सेवा को और सुदृढ़ करने के लिए योजना (जिसको सातवीं योजना से आगे लाया गया है) के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा होने की आशा नहीं है इसलिए इन दोनों राज्यों में वर्ष 1990-91 के अन्त तक जनसंख्या की कवरेज वही रहेगी।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी

9511. श्री कमल चौधरी : : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में नशीले पदार्थों की तस्करी के कुछ मामले सामने आये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को दी गई सूचना के अनुसार 1-1-1990 से 30-4-1990 तक की अवधि के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार के पता लगाए गए मामलों की संख्या तथा उन मामलों के विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

	हरियाणा			हिमाचल प्रदेश			पंजाब		
	मामलों की सं०	मात्रा कि०ग्रा० में	गिरफ्तार व्यक्तियों की सं०	मामलों की सं०	मात्रा कि०ग्रा० में	गिरफ्तार व्यक्तियों की० सं०	मामलों की सं०	मात्रा कि०ग्रा० में	गिरफ्तार व्यक्तियों की०सं०
अफीम	34	58.950	35	1	0.190	1	1	15.595	10
हेरोइन	—	—	—	—	—	—	7	107.925	1
गांजा	4	1.670	4	—	—	—	—	—	—
हशीश	—	—	—	18	24.786	18	1	0.025	1

सरकार ने नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्य रोधी कानूनों को कठोर बनाना तथा उनके प्रवर्तन में सुधार करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में निवारक तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा इन्टरपोल, अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, सीमा-शुल्क सहयोग परिषद, संयुक्त राज्य अमेरिका की ड्रग्स एन्फोर्समेंट एजेन्सी आदि जैसी राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच सम्पर्क में सुधार लाना शामिल है।

पंजाब में पर्यटन के विकास के लिए योजनाएं

9512. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार कौन से उपाय अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) पंजाब में पर्यटन का विकास करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी याजनाओं को स्वीकृति दी गई; और

(ग) उनके लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है और अब तक उन पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) पंजाब में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग का निम्मलिखित उपाय करने का विचार है :—

1. पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान पंजाब के महत्वपूर्ण त्यौहारों का संवर्धन ।

2. जोर मेला और होला पर्व पर फोल्डरों का प्रकाशन ।

(ख) और (ग) पंजाब में पर्यटन का विकास करने के लिए, गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की गई हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं० स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	अभी तक रिलीज की गई राशि
1. दसुया में पर्यटक परिसर	8.45	3.00
2. पर्यटक परिसर, होशियारपुर	18.83	5.00
3. मोगा में पर्यटक परिसर	10.00	4.00
4. गुरदासपुर में पर्यटक परिसर	10.50	3.00
5. पटियाला में टूरिस्ट मोटल	49.85	15.00
6. नदामपुर में स्नैक बार	7.15	3.00
7. संघोल में पर्यटक परिसर	15.93	5.00

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जज

[हिन्दी]

9513. **श्री बसई चौधरी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जज हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तारीख 1-5-1990 को विद्यमान स्थिति

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	अनुसूचित जाति के न्यायाधीश	अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश
1.	इलाहाबाद	1	—
2.	मुंबई	4	—
3.	गुवाहाटी	—	2
4.	गुजरात	1	—
5.	कर्नाटक	1	2
6.	केरल	1	—
7.	मद्रास	1	—
	योग	9	4

निगमित क्षेत्र के लिए पूंजी जुटाना

[अनुवाद]

9514. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग व्यापार मण्डल ने उनके मन्त्रालय से निगमित क्षेत्र के लिए पूंजी जुटाने संबंधी योजनाओं पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग व्यापार मण्डल ने इस सम्बन्ध में आठवीं आयोजना-संभावनाएं संबंधी अपने दस्तावेज में कुछ सुझाव दिए थे। उनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के समान ही निजी क्षेत्र में एक निगमित बचत ट्रस्ट की स्थापना करना, निजी उद्यमों के शेयरों में निवेश के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों का सरलीकरण, निजी तथा सरकारी बाण्डों के बीच समानता, विदेशी निवेशकों के लिए एक ही स्थान पर स्वीकृतियां, और विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा प्रभावी आयात बचतों के लिए अनिवासी भारतीयों के साथ सृजनात्मक साझेदारी स्थापित करना सम्मिलित है।

चूंकि एक पृष्ठभूमि दस्तावेज में सम्मिलित ये केवल कुछ बातें हैं इसलिए सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सोने की जब्ती

9515. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1990 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गोल्ड इन वाशिंग कमीशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) एस० आई० बेबाल नामक यात्री के अलावा, दो अन्य व्यक्तियों, नामशः शेहजाद अली खान तथा सतनाम सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुवर्ती कार्रवाई में, डी-16-17, फतेहनगर, नई दिल्ली में सतनाम सिंह के आवासीय परिसर की 17 अप्रैल, 1990 को तलाशी ली गई थी। तलाशी के परिणामस्वरूप, कपड़े धोने की 23 मशीनें, 2 रेफ्रिजरेटर, 1 एयर कण्डीशनर तथा 1 टेलीविजन, सभी खंडित हालत में बरामद किए गए थे और अभिगृहीत किए गए थे। एक खंडित रेफ्रिजरेटर 38/1, अशोक नगर, दिल्ली स्थित एक अन्य परिसर से, जो सतनाम सिंह के कब्जे में था, बरामद किया गया था और अभिगृहीत किया गया था।

अग्रिम कर अदायगी की रसीद

9516. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकरदाता द्वारा किए गए अग्रिम कर अदायगी की रसीद की एक प्रति बैंक द्वारा संबंधित आयकर बोर्ड को, जिसमें आयकर अदायगी की गई है, भेजी जाती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे मामलों की सर्कलवार/वार्डवार संख्या क्या है जिनमें आयकर दाताओं की फाइलों से इन रसीदों की प्रतियां गुम पाई गई थीं;

(ग) क्या आयकरदाता को संबंधित बैंक से जमा किए गए कर के प्रमाण के रूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है तथा आयकरदाता की रसीद की प्रति को कोई मान्यता नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा आयकर कार्यालयों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां। बैंकों के लिए यह अपेक्षित होता है कि आयकर-निर्धारितियों द्वारा अदा किए गए अग्रिम करों के चालानों की एक प्रति आयकर विभाग के संबंधित पदनामित अधिकारी को भेजें। इससे पूर्व चालानों को पदनामित अधिकारी द्वारा संबंधित आयकर वार्डों के पास भेजा जाता था। लेकिन, दिसम्बर, 1989 से दिल्ली में तथा कुछ अन्य स्थानों पर चालानों को कंप्यूटर केन्द्रों में भेजा जाता है, जो इन्हें प्रोसेस करने के पश्चात् प्रत्येक कर-निर्धारण अधिकारी के लिए दैनिक वसूली रजिस्टर तैयार करते है। चालानों को स्वयं कंप्यूटर केन्द्र में ही संभालकर रखा जाता है तथा केवल दैनिक वसूली रजिस्टर ही कर-निर्धारण अधिकारियों के पास भेजे जाते हैं।

(ख) चूंकि दिल्ली में, चालानों को अब कंप्यूटर केन्द्र में ही संभालकर रखा जा रहा है तथा उन्हें कर-निर्धारण अधिकारियों के पास नहीं भेजा जाता है, इसलिए, इन चालानों के गुम होने/कर-निर्धारितियों की फाइलों में उपलब्ध नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) ऐसे विरल मामलों में ही अदायगियों का सत्यापन विभागीय कोषागार एककों के

पास उपलब्ध बैंक-स्क्रोलों से किया गया था, जिनमें इससे पूर्व चालानों की विभागीय प्रतियां गुम पाई गई थीं/उपलब्ध नहीं थीं। जिन मामलों में, बैंक स्क्रोलों में भी अदायगी का विवरण नहीं दिया हुआ होता है, उन मामलों में कर-निर्धारितियों को सम्बन्धित बैंक से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

(घ) धोखाधड़ी की किसी भी संभावना से बचने के लिए कम-निर्धारिती के चालान की प्रति को स्वीकार नहीं किया गया। जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है, दिल्ली में तथा कुछ अन्य स्थानों पर चालान को प्रोसेस करने की एक नई प्रणाली को दिसम्बर, 1989 से लागू किया गया है।

परिनिरीक्षा कर निर्धारण के लिए प्रावधान

9517. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम में एक लाख रु० से कम कर योग्य आय के संबंध में परिनिरीक्षा कर निर्धारण का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त श्रेणी के किसी आयकर दाता का एक बार परिनिरीक्षा कर निर्धारण के लिए चयन कर लिए जाने पर यह आवश्यक है कि उस करदाता का कर निर्धारण आगामी कई वर्षों के लिये परिनिरीक्षा कर निर्धारण के अंतर्गत किया जाता रहेगा;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में निरन्तर परिनिरीक्षा कर निर्धारण के मामलों की मंडलवार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) आय कर अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई आर्थिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 1 3 (2) के तहत कर निर्धारण अधिकारी को किसी मामले (विवरणी में घोषित की गई आय पर ध्यान नहीं देते हुए) की छानबीन के निमित्त कार्यवाही करने के लिए उस स्थिति में शक्ति प्रदान की गई है यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक अथवा समीचीन समझे कि कर-निर्धारिती ने आय को कम नहीं दिखाया है अथवा उसने अत्यधिक हानि की संगणना नहीं की है अथवा उसने किसी भी तरीके से कर की न्यून-अदायगी नहीं की है।

(ग) और (घ) हालांकि इस प्रकार की कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है, फिर भी किसी एक वर्ष में छानबीन के लिए हाथ में लिए गए किसी मामले को उसके परवर्ती वर्ष में छानबीन के लिए उस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है, यदि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर कर-निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन समझे।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों का वेतन ढांचा

[हिन्दी]

9518. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन और अन्य सुविधाओं के समान ही वेतन व सुविधाएं देने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के वेतन-ढांचे के बारे में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को कब तक लागू करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन, अन्य भत्ते एवं दूसरे लाभों से संबद्ध प्रश्न पर निर्णय करने के वास्ते, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एस० ओबुल रेड्डी की अध्यक्षता में 26-11-87 को एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था जिसका मुख्यालय हैदराबाद में रखा गया था। न्यायाधिकरण ने 30 अप्रैल, 1990 को अपना अधिनिर्णय दे दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को 1-9-87 से प्रयोजक बैंकों के समान पद के कर्मचारियों को स्वीकृत वेतनमान, भत्ते एवं अन्य लाभ दिए जाए। सरकार अधिनिर्णय के कार्यान्वयन की प्रणाली राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से तैयार कर रही है।

रबड़ का आयात

[अनुवाद]

9519. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिना आयात शुल्क के कच्ची रबड़ का सीधे आयात करने हेतु रबड़ उत्पादों के निर्माताओं को दी गई अनुमति रद्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) रबड़ उत्पादों के विनिर्माताओं को शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत कच्चा रबड़ सीधे और निशुल्क आयात करने की सुविधा उपलब्ध है और यह सुविधा समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिंथेटिक रबड़ का आयात

9520. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि खुले सामान्य लाइसेंस के माध्यम से सिंथेटिक रबड़ का आयात भारतीय रबड़ उत्पादकों के हितों के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे सभी आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ग) चालू वर्ष में कितना सिंथेटिक रबड़ आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) किसी मद के

आयात नीति संबंधी निर्णय अनेक तथ्यों को ध्यान में रखकर लिया जाता है जैसे मांग, घरेलू उत्पादन तथा कीमत-विभेद आदि। तद्नुसार (I) स्टीराइन बुटाडीन रबड़ (एस० बी० आर०) और (II) पोली बुटाडीन रबड़ (पी० बी० आर०) को छोड़कर अन्य सिंथेटिक रबड़ का आयात ओ० जी० एल० के तहत वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) और अतिरिक्त लाइसेंस धारकों द्वारा किए जाने की अनुमति दी जाती है।

तम्बाकू का निर्यात

9521. **श्री रामदास सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के निर्यात में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां। तम्बाकू का निर्यात वर्ष 1981-82 के दौरान 233.39 करोड़ रु० मूल्य के 132.32 मि० कि० ग्रा० के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया। तब से इस निर्यात में आमतौर पर गिरावट आती रही है यद्यपि वर्ष 1989-90 के दौरान तम्बाकू का निर्यात बढ़कर 172.02 करोड़ रु० मूल्य के 73.69 मि० कि० ग्रा० हो गया जबकि उससे पिछले वर्ष यह निर्यात 116.65 करोड़ रुपए मूल्य के 49.15 मि० कि० ग्रा० का हुआ था। विश्व भर में धूम्रपान विरोधी अभियान के कारण तम्बाकू की मांग आमतौर पर घटती जा रही है।

(ख) वी० एफ० सी० तम्बाकू और सिगरेटों के निर्यात पर 5 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता प्रदान की जाती है। विदेशी बाजारों में जिन किस्मों की बेहतर ग्राह्यता है उन्हें अभिज्ञात और विकसित करने के उद्देश्य से प्रयास किए जा रहे हैं। जिन देशों में भारतीय तम्बाकू की बिक्री के लिए संभावना है वहां प्रतिनिधिमंडल भी भेजे जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य

9523. **श्री कमल चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1990 को चाय का कितना भंडार था;

(ग) क्या चाय पर सभी प्रकार की लेवी हटाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) नीचे दी गई तालिका से पता चलेगा कि चालू वर्ष के दौरान प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में नीलामी से चाय की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में ऊंची रही हैं :—

अवधि	लंदन की नीलामी (पैसे/कि०ग्रा०)	कोलंबो की नीलामी एस० एल० रुपए/ किग्रा०	मोम्बासो की नीलामी (के० एस०एच०एस०/ किग्रा०
जनवरी, 90	153.15 (108.72)	75.79 (41 85)	37.71 (24.92)
फरवरी, 90	125.11 (103.70)	80.51 (44.55)	35.08 (25.32)
मार्च, 90	118.42 (103.31)	80.73 (48.24)	37.49 (25.99)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संगत अवधि की कीमतें दर्शाते हैं)

(ख) दिनांक 31-3-90 को चाय के कुल स्टाक की मात्रा 53 मिलियन किग्रा० होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके बाजार संचालन के संबंध में तैयार किए गए मार्गनिर्देश

9524. **श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या **वित्त मंत्री** वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार के नियंत्रण के बारे में 30 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2918 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने अपने निवेश संबंधी गतिविधियों के बारे में मार्गनिर्देश तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो संस्थावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

न्यूनतम निर्यात व्यापार शर्त

9525. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नई आयात निर्यात नीति में निर्धारित न्यूनतम 5 करोड़ रुपए के निर्यात व्यापार की पात्रता शर्त छोटे निर्यातकों के हितों पर बुरा प्रभाव डालेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस शर्त को वापिस लेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) दिनांक

1-4-1990 से प्रभावी आयात-निर्यात नीति में पहले यह घोषित किया गया था कि निर्यात सदन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पूर्णगामी तीन लाइसेंसिंग वर्षों में वार्षिक निबल विदेशी मुद्रा अर्जन औसतन 5 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। अब इस 5 करोड़ रुपए की सीमा को कम करके 4 करोड़ रुपए करने का निश्चय किया गया है। लाइसेंसिंग वर्ष 1990-91 के लिए उन निर्यातकों को एक वर्ष की माफी अवधि की अनुमति होगी जिसका निर्यात सदन प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 1990 की समाप्त हो चुका है और जो आयात-निर्यात नीति 1990-93 में निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।

कर्नाटक में गरीब लोगों की सहायता के लिए केनरा बैंक द्वारा योजनाओं का आरंभ

9526. **श्री ओमकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनरा बैंक ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उनकी सहायता हेतु कुछ योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राज्य में गरीब लोगों के जीवन-स्तर पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का इन योजनाओं की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने वर्ष 1988-89 के दौरान अनुसूचित जाति अनसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपभोक्ता ऋण कार्ड से संबंधित, एक स्कीम प्रारंभ की थी। ऋण कार्ड स्कीम केवल कर्नाटक के 5 जिलों में लागू की गई थी। केनरा बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्कीम ने सीमित सफलता ही प्राप्त की है।

भारत फ्रांस व्यापार

9527. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-फांस आर्थिक संबंध का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाऐ हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत-फ्रांस आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए किन-किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात के कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) सरकार फ्रांस के साथ आर्थिक एवं व्यवसायिक सहयोग का स्तर बढ़ाने के लिए उत्सुक है। जनवरी, 1989 में भारत फ्रांस संयुक्त समिति की नई दिल्ली में हुई 7वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई थी कि आयात-निर्यात का विविधीकरण किया जाना चाहिए; तीसरे देशों की परियोजनाओं में सहयोग होना चाहिए तथा भारत और फ्रांस के उद्यमियों के बीच संयुक्त

उद्यम स्थापित किए जाने चाहिए। तथापि, दोनों देशों के बीच निर्यात एवं आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

नये खान डिवीजनों की स्थापना

9528. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कुछ नये खनन डिवीजन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा कौन-कौन-से नये डिवीजन स्थापित करने का विचार है; और

(ग) नये डिवीजनों के अंतर्गत कौन-कौन-सी नयी खानें रहेंगी ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां। नया खनन प्रभाग (माइनिंग डिवीजन) स्थापित कर लिया गया है।

(ख) नव सृजित खनन प्रभाग का नाम "रा मैटीरियल्स डिवीजन" है।

(ग) रा मैटीरियल्स डिवीजन के अंतर्गत आने वाली खानों के नाम निम्नानुसार हैं :—

1. बोलानी अयस्क खान
2. गुआ लौह अयस्क खान
3. जितपुर कोयला खान
4. चासनाला कोयला खान
5. रामनगर कोयला खान
6. चिरिया लौह अयस्क खान (विकसित की जा रही है)
7. बर्सुआ लौह अयस्क खान
8. कालटा लौह अयस्क खान
9. पूर्णापनी चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खदान
10. इस्पात डोलोमाइट खदान, बड़ा-द्वार
11. इस्पात चूना पत्थर खदान, सतना
12. किरिबुरू लौह अयस्क खान
13. मेघाटाबुरू लौह अयस्क खान
14. भावनाथपुर चूना-पत्थर खान
15. कुटेश्वर चूना पत्थर खान
16. तुलसीडामर डोलोमाइट खदान
17. राजहरा लौह अयस्क खान

18. दल्ली लौह अयस्क खान

19. महामाया लौह अयस्क खान

20. एरीडोंगरी लौह अयस्क खान

21. नन्दिनी चूना-पत्थर खान

22. हर्री डोलोमाइट खदान

23. राउघाट लौह अयस्क खान (अभी विकसित की जानी है)

"सेल गिफ्ट सेल आफ स्केर्स एच आर कॉयल्स" नामक समाचार शीर्षक

9529. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के दिनांक 28 अप्रैल, 1990 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड में में प्रकाशित "सेल गिफ्ट "सेल आफ स्केर्स एच आर कॉयल्स" शीर्षक की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने एच आर कॉयल्स के आपाकरण डिलीवर सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है और "सेल" को हुई हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है; और

(घ) भविष्य में ऐसे असामान्य सौदों को रोकने के क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समाचार में उल्लिखित सामग्री की सप्लाई सेल द्वारा विद्यमान वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की गयी थी। की गई इन कार्रवाइयों से "सेल" को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी। अतः जबावदेही निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए आयु-सीमा

9530. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा घटाये जाने के आधार पर वर्ष 1987 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा घटाकर 26 वर्ष कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 28 वर्ष करने तथा परीक्षा में बैठने के अवसरों में वृद्धि करने का है जैसा कि हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा के लिए किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस पर विचार किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केरल में मन्नाथूर में बैंक की शाखा खोलना

9532. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्नाकुलम जिले के मुवत्तुपुझा ताल्लुक की तिरुमराडी पंचायत में मन्नाथूर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा खोलने में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) वहां बैंक की शाखा खोलने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मन्नाथूर केंद्र में इस समय बैंक की एक शाखा कार्यरत है। पम्पाकोडा खंड, जिसके अंतर्गत यह केंद्र आता है, जनसंख्या के हिसाब से बैंक शाखाओं की संख्या को देखते हुए अधिक बैंक शाखाओं वाला केन्द्र है। हालांकि राज्य सरकार ने बैंक शाखा खोलने के वास्ते इस केन्द्र का चयन किया था, फिर भी बैंकों वाले केन्द्रों/अधिक बैंक शाखाओं वाले खंडों में सीमित शाखा-विस्तार के मानदंडों तथा साथ ही केन्द्र में स्थित वर्तमान बैंक शाखा के कारोबार के स्तर के संबंध में अर्थक्षमता को भी मद्देनजर रखते हुए, किसी भी बैंक को इस केन्द्र का आबंटन करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया।

अभ्रक की खानें

9533. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950, 1960, 1970, 1980 और 1985 तथा 1988-89 की स्थिति के अनुसार अभ्रक को कितनी खानों में काम हो रहा था, उनमें कितने कच्चे अभ्रक का उत्पादन हुआ और इस उद्योग में कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए थे; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अभ्रक उद्योग से विभिन्न करों के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1950, 1960, 1970, 1980, 1985, 1988 तथा 1989 में, चालू अभ्रक खानों, क्रूड व स्क्रैप अभ्रक उत्पादन तथा अभ्रक उद्योग में औसत दैनिक रोजगार के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	चालू अभ्रक खानें	क्रूड व स्क्रैप अभ्रक उत्पादन (टनों में)	औसत दैनिक (रोजगार व्यक्ति)
1950	प्राप्य नहीं	प्राप्य नहीं	प्राप्य नहीं
1960	प्राप्य नहीं	प्राप्य नहीं	प्राप्य नहीं
1970	587	21894	प्राप्य नहीं
1980	275	12327	6,662
1985	166	7335	4,222
1988	146	7533	3,468
1989	145	7946	3,063

(ख) ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और बाद में सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

सिक्कों का उत्पादन

9534. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे आदि जैसे कम मूल्य के सिक्कों का उत्पादन बन्द करने अथवा कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989-90 में प्रत्येक सिक्के के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) लोक सभा में दिनांक 20-3-1981 को घोषित निर्णय के अनुसार 1 पैसे, 2 पैसे और 3 पैसे के सिक्कों की ढलाई बंद कर दी गई थी। 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की ढलाई जारी है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वानुमानित ऐसे सिक्कों की मांग के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1990-90 के लिए इन मूल्य वर्गों के सिक्कों के उत्पादन लक्ष्य को कम कर दिया गया है।

(ग) 1989-90 के लिए 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के उत्पादन संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

5 पैसे	1420 लाख अदद
10 पैसे	6460 लाख अदद

थोक मूल्य सूचकांक

9535. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 के बीच वर्ष 1981-82 पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक पर केन्द्रीय बजट (1990-91) में लगाये गये करों और उनका थोक मूल्य सूचकांक पर पड़े प्रभाव के बारे में किये गए निर्धारण का ब्यौरा क्या है और इस अवधि में प्रत्येक सप्ताह के सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कौन-कौन से मुख्य कारण हैं और प्रत्येक मद के मूल्य में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है तथा इनका सूचकांक पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 17 मार्च, 1990 (बजट-पूर्व सप्ताह) और 28 अप्रैल, 1990 के बीच नवीनतम उपलब्ध थोक मूल्य सूचकांक (1981-82 = 100) में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। थोक मूल्य सूचकांक में सप्ताह-वार घटबढ़ नीचे दर्शाई गई है :

1990 में समाप्त सप्ताह	थोक मूल्य सूचकांक (1981-82 = 100)	साप्ताहिक परिवर्तन (प्रतिशत)
17 मार्च	169.5 (अ)	0.1
24 मार्च	170.3 (अ)	0.5
31 मार्च	170.7 (अ)	0.2
7 अप्रैल	171.6 (अ)	0.5
14 अप्रैल	1[illegible]2.2 (अ)	C.3
21 अप्रैल	172.4 (अ)	0.1
28 अप्रैल	172.8 (अ)	0.2

(अ) = अनन्तिम

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि पूर्ण रूप से बजट में लगाई गई लेवियों और आयातों के कारण नहीं कही जा सकती क्योंकि यह कुछ सीमा तक मौसमी उपादानों और कुछेक वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलनों के कारण भी है।

(ख) मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलनों, राजकोषीय असंतुलनों के कारण होने वाली नकदी में अधिक वृद्धि और सट्टात्मक कार्यकलाओं द्वारा उत्पन्न मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं के कारण है।

17 मार्च, 1990 और 28 अप्रैल, 1990 के बीच मदों के मुख्य समूहों में मूल्य वृद्धि और थोक मूल्य सूचकांक में उनका सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें सरकारी वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखना, आवश्यक आयात करना, बजटीय घाटे की बारीकी से परिवीक्षा करने के साथ-साथ कठोर राजकोषीय तथा मौद्रिक अनुशासन बनाए रखना व जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।

विवरण

17-3-1990 और 28-4-1990 को समाप्त सप्ताहों के लिए मदों के मुख्य समूहों के थोक मूल्य सूचकांक और प्रतिशत परिवर्तन

मदें	भारांश	17-3-90 को सूचकांक (अ)	28-4-90 को सूचकांक (अ)	परिवर्तन (प्रतिशत)
सभी वस्तुएं	100.00	169.5	172.8	1.9
खाद्य वस्तुएं	17.39	177.0	183.2	3.5
खाद्य उत्पाद	10.14	165.0	169.3	2.6
खाद्यान्न	7.92	159.2	163.3	2.5
फल एवं सब्जियां	4.09	165.0	179.5	8.8
खाद्य-भिन्न वस्तुएं	10.08	175.5	177.9	1.4
चाय	0.56	315.1	328.2	4.2
विनिर्मित उत्पाद	57.04	173.5	175.6	1.2
चीनी, खांडसारी व गुड़	4.06	143.1	148.2	3.6
खाद्य तेल	2.45	185.8	193.1	3.9
खनिज तेल	6.67	129.3	141.3	9.3
लोहा और इस्पात	2.44	193.5	195.0	0.8
पेय पदार्थ, तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	2.15	216.7	237.1	9.4
वस्त्र	11.55	169.3	168.7	—0.4
सीमेंट	0.86	150.7	170.1	12.9

(अ) अनन्तिम

मसाला सूची में और मसालों को सम्मिलित करना

9536. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मसाला बोर्ड की मसाला सूची में जायफल, लौंग और वृक्षों से प्राप्त होने वाले अन्य मसालों को सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) जी, हां । मसाला बोर्ड ने प्रस्ताव किया है कि वृक्षों से प्राप्त होने वाले मसाले अर्थात् लौंग, अमलतास, दालचीनी,

जायफल तथा जावित्री को उनकी मसाला अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

करेंसी नोट जारी करना

9537. **श्री प्रतापराव बाबूराव भोसले :**
श्री वाई० एस० महाजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक रुपए के करेंसी नोटों की कुछ नई सीरीज जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में अधिक मूल्य वाले विभिन्न करेंसी नोटों की कुछ और सीरीज जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वित्त सचिव के पद पर पदधारी के बदले जाने के फलस्वरूप मौजूदा डिजाइन में एक रुपए के नोटों की एक नई 'बी' श्रृंखला जारी की गई है, जिसमें नए वित्त सचिव के हस्ताक्षर समाविष्ट किए गए हैं।

(ग) इस समय करेंसी नोटों की और नई श्रृंखलाएं जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में बेरोजगारी स्नातकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

9538. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान कितने बेरोजगार स्नातकों तथा अन्य व्यक्तियों को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया; और

(ख) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं आदिवासियों सहित पिछड़े क्षेत्रों को कितने बेरोजगार स्नातकों को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना से संबंधित बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से स्नातकों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मंजूर किए गए ऋणों से सम्बद्ध सूचना प्राप्त नहीं होती। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-सरकारी बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 1987-88 और 1988-89 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों की सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	मंजूर किए गए ऋण	
	संख्या	रकम (करोड़ रुपए)
1987-88	8732	19.16
1988-89	14154	26.39

राजस्थान और महाराष्ट्र में नए पर्यटन स्थलों का विकास

[हिन्दी]

9539. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र का भ्रमण करने वाले विदेशी और देश के पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान देश का भ्रमण करने वाले कुल पर्यटकों में से कितने प्रतिशत विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया;

(ग) क्या महाराष्ट्र में पर्यटन महत्व के नए स्थलों का विकास करने तथा वहां विद्यमान पर्यटक केन्द्रों/स्थलों के लिए और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(च) इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1989 के दौरान भारत आए कुल विदेशी पर्यटकों में से लगभग 31 प्रतिशत ने राजस्थान की यात्रा की।

(ग) से (ङ) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्यों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर तथा उनके गुणावगुणों, धन की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओ पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अभी प्रस्तुत करने हैं।

(च) महाराष्ट्र में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—स्वदेशी तथा विदेशी मार्किटों में निरंतर प्रचार, फिल्मों एवं प्रचार सामग्री का निर्माण और मेले एवं त्यौहारों का संवर्धन।

राज्यों द्वारा कर की वसूली

[अनुवाद]

9540. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान वसूल किए गए कर/राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय पूल से, उसके द्वारा किए गए कर वसूली प्रयासों के अनुपात में धन दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 से 4 में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा*

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	1988-89	1989-90(अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश (III)	1196.30	1397.64
2.	असम (VI)	574.61	740.03
3.	बिहार	738.91	901.27
4.	चंडीगढ़	455.24	530.06
5.	दिल्ली (VII)	936.09	1123.26
6.	गोआ	102.00	104.70
7.	गुजरात (I)	2049.89	2428.25
8.	कर्नाटक	1049.66	1259.72
9.	केरल (IV)	446.45	488.73
10.	मध्य प्रदेश	905.38	1077.21
11.	महाराष्ट्र	5459.63	6611.38
12.	उड़ीसा	225.82	315.46
13.	राजस्थान	594.64	612.60

1	2	3	4
14.	तमिलनाडु (II)	1462.46	1633.55
15.	उत्तर प्रदेश	1602.67	1928.19
16.	पश्चिम बंगाल (V)	1143.69	1272.53
	सीमा शुल्क द्वारा भुगतान की वापसी को घटाकर	204.63	249.72
	कुल	18738.81	22174.86

(I) दादरा और नगर हवेली, दमन और दियु सहित।

(II) पांडिचेरी और मालाकिपाड़ा टी फैक्ट्री रेंज में समाविष्ट क्षेत्र, यानाम गांव के महा समुदाय को छोड़ कर केरल के जिला त्रिचूर के तालुक मुकुन्दपुरम के गांव पेरियारन का हिस्सा।

(III) पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के गांव यानम सहित

(IV) पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्यद्वीप और महा समुदाय सहित किन्तु मालकिपाड़ा टी फैक्ट्री रेंज, केरल के त्रिचूर जिले के तालुक मुकुन्दापुरम के गांव रपेरियारन के हिस्से को छोड़ कर।

(V) मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश सहित।

(VI) हरियाणा सहित।

(VII) पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर सहित।

*विभागीय रिकार्ड के अनुसार

विवरण-2

सीमा-शुल्क ब्यौरे का समाहर्तालय/कस्टम हाऊस वार विवरण*

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	समाहर्तालय/सीमा शुल्क हाउस	1988-89	1989-90
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	40.90	65.32
2	अहमदाबाद (निवारण)	101.74	107.71
3.	इलाहाबाद	28.18	54.57
4.	औरंगाबाद	81.45	127.49
5.	भुवनेश्वर	110.10	85.00
6.	बम्बई	5739.28	6579.46

1	2	3	4
7.	बम्बई-II	9.43	8.39
8.	बम्बई-III	178.87	186.74
9.	कलकत्ता	2006.35	2196.53
10.	चंडीगढ़	103.23	138.36
11.	कोचीन	338.65	254.53
12.	कोचीन (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	26.38	31.98
13.	कोयम्बटूर	55.86	76.49
14.	दिल्ली	900.14	927.84
15.	गोआ	41.94	46.95
16.	गन्टूर	2.58	5.02
17.	हैदराबाद	106.91	121.92
18.	इन्दौर	66.64	66.69
19.	जयपुर	102.91	137.39
20.	कान्डला	708.97	641.29
21.	कानपुर	382.09	443.05
22.	कर्नाटक	355.00	470.18
23.	मद्रास	2170.57	2459.66
24.	मद्रास (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	25.89	26.86
25.	मेरठ	83.71	98.06
26.	नागपुर	38.80	54.19
27.	पटना	14.17	24.21
28.	पुणे	102.31	123.98
29.	राजकोट	26.06	43.92
30.	सहार वायु सीमा-शुल्क	1054.83	1327.83
31.	शिलांग	1.02	1.2
32.	त्रिरुचिरापल्ली	52.14	60.83
33.	बड़ोदरा	363.78	383.86
34.	विशाखापटनम्	332.06	504.55
35.	पश्चिमी बंगाल	2.15	5.42
	कुल	15755.09	17887.47

* विभागीय रिकार्ड के अनुसार

विवरण-3

वर्ष 1988-89 के निगम कर और आय कर वसूली का राज्यवार ब्यौरा

(रु० करोड़ में)

क्र० सं० राज्य	निगम कर	निगम कर के अलावा आय पर कर
1. आंध्र प्रदेश	66.01	164.46
2. अरुणाचल प्रदेश	00.06	1.59
3. असम	18.54	41.47
4. बिहार	12.94	98.63
5. गोआ	11.87	12.66
6. गुजरात	124.39	320.47
7. हरियाणा	17.83	51.40
8. हिमाचल प्रदेश	2.51	12.93
9. जम्मू व कश्मीर	10.42	16.97
10. कर्नाटक	138.27	207.75
11. केरल	37.06	102.23
12. मध्य प्रदेश	16.91	135.02
13. महाराष्ट्र	1647.08	1285.65
14. मणिपुर	कुछ नहीं	1.88
15. मेघालय	0.025	4.48
16. मजोरम	0.019	0.893
17. नागालैंड	0.058	2.98
18. उड़ीसा	14.33	38.47
19. पंजाब	76.71	109.13
20. राजस्थान	7.81	81.63
21. सिक्किम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
22. तमिलनाडु	179.78	297.38
23. त्रिपुरा	0.001	0.819
24. उत्तर प्रदेश	563.40	245.06
25. पश्चिमी बंगाल	457.70	263.29

(रु० करोड़ में)

क्र० सं० संघ राज्य क्षेत्र	निगम कर	निगम कर के अलावा आय पर कर
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.621	0.522
2. चंडीगढ़	10.71	15.97
3. दमन दियु	0.174	1.13
4. दादरा और नगर हवेली	0.082	0.612
5. नई दिल्ली	646.72	428.60
6. पांडिचेरी	1.59	2.86
7. लक्षद्वीप	—	0.081

विवरण-4

वर्ष 1989-90 के निगम कर और आय कर वसूली के अनन्तिम आंकड़े

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं०	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का नाम	निगम कर	आय कर
1	2	3	4
1.	आगरा	0.693	30.59
2.	अहमदाबाद	111.72	390.20
3.	इलाहाबाद	5.28	75.01
4.	अमृतसर	0.503	47.28
5.	बंगलौर	96.60	251.04
6.	भोपाल	16.88	142.75
7.	भुवनेश्वर	18.09	44.18
8.	बंबई	1460.50	1109.82
9.	कलकत्ता	509.54	274.99
10.	कोचीन	28.42	113.13
11.	हैदराबाद	86.59	193.68
12.	जयपुर	11.22	104.31
13.	जालंधर	4.25	35.83

1	2	3	4
14.	कानपुर	11.57	47.61
15.	लखनऊ	7.29	60.82
16.	मद्रास	232.70	363.44
17.	मेरठ	449.24	69.12
18.	नागपुर	26.73	81.54
19.	नई दिल्ली	589.63	471.17
20.	पटियाला	67.38	115.20
21.	पटना	4.46	114.29
22.	पुणे	53.59	217.90
23.	रोहतक	22.14	57.81
24.	शिलांग	29 44	58.05

*1989-90 के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अभी तक उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त आंकड़े क्षेत्रीय लेखा कार्यालय वार हैं।

राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र

[हिन्दी]

9541. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उनमें कितने रेडियो स्टेशन और रिले केन्द्र हैं;

(ग) रेडियो कार्यक्रमों के लिए कवियों, साहित्यकारों और कलाकारों को आमंत्रित करने का निर्धारित मानदंड क्या है; और

(घ) राजस्थानी बोली के कार्यक्रमों को कितने प्रतिशत समय दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) राजस्थान राज्य में सात आकाशवाणी केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों और उनकी ट्रांसमीटर क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. अजमेर	—	2×100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
2. बीकानेर	—	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांस-मीटर

3. जयपुर	—	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांस-मीटर (संख्या 2)
4. जोधपुर	—	100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांस-मीटर
	—	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांस-मीटर
5. कोटा	—	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
6. सूरतगढ़	—	2 × 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
7. उदयपुर	—	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांस-मीटर

(ख) अजमेर को छोड़कर, 6 पूर्ण विकसित केन्द्र हैं। अजमेर जयपुर का रिले केन्द्र है।

(ग) संगीत और नाट्य कलाकारों को स्वर परीक्षा में उनके ग्रेड के अनुसार प्रसारण के लिए आमन्त्रित किया जाता है। कवियों को उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार और अन्य साहित्यकारों को कार्यक्रम की अपेक्षाओं और कार्यक्रमों के लिए उनकी उपयुक्तता के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

(घ) राजस्थान के केन्द्रों से उच्चरित शब्द कार्यक्रमों में, बोलियों के कार्यक्रमों के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

केन्द्र	कुल कार्यक्रम घन्टे (प्रतिमाह)	राजस्थानी बोली में कार्यक्रम (प्रतिमाह)	प्रतिशत
बीकानेर	106.50	6 घन्टे	5-6 प्रतिशत
जयपुर	117.55	36.50 घंटे	31.50"
जोधपुर	77.48	3.10 घन्टे	4.00"
सूरतगढ़	104.45	39.10 घन्टे	37.43"
उदयपुर	73.00	35.50 घन्टे	48.64"

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय का विकेन्द्रीकरण

[अनुवाद]

9542. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय का विकेन्द्रीकरण करने और उसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी॰ उपेन्द्र) : (क) और (ख)

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित मौजूदा कार्यालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय बना देने और बंगलौर, भोपाल तथा लखनऊ में तीन नए कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ताकि संबंधित क्षेत्रों के समाचार पत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

तैयार औषधियों का आयात

9543. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सामान्य मुद्रा क्षेत्र से भारी मात्रा में तैयार औषधियों का आयात किया जा रहा है और उनका सोवियत संघ को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत तैयार औषधियों का कुल कितना आयात किया गया और इसी अवधि के दौरान सोवियत संघ को इसका कितना निर्यात किया गया;

(ग) इस निर्यात के कारण यदि कोई हानि हुई तो कितनी हुई है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) शुल्क छूट योजना से इतर, माल के आयात और निर्यात के बीच कोई संबंध नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लार्सन एंड टुब्रो "पब्लिक इश्यू"

[हिन्दी]

9544. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लार्सन और टुब्रो का "पब्लिक इश्यू" 1989 किस परियोजना हेतु जारी किया गया था;

(ख) क्या यह परियोजना लागू की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस अवधि का ब्याज अदा किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी अदायगी कब तक कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1989 में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा जारी की गई विवरणिका के अनुसार पूर्णतः परिवर्तनीय ऋणपत्रों के सार्वजनिक निर्गम का उद्देश्य कंपनी के दीर्घावधिक संसाधनों में वृद्धि करना था और अन्य बातों के साथ-साथ जारी पूंजी-व्यय कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना, टर्न-की आधारपर बड़ी परियोजनाओं की संविदाओं को हाथ में लेने के लिए निधियों की आवश्यकताओं को पूरी करना, और शेयर-धारकों के आधार को व्यापक बनाना था। कम्पनी ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो निधियों के उपयोग को मानीटर करने वाली एजेंसी है, को सूचित किया है कि उसने उपर्युक्त निर्गम की आय में से 22 मार्च, 1990 तक 99.83 करोड़ रु० का उपयोग कर लिया है।

(घ) और (ङ) कम्पनी की विवरणिका के अनुसार प्रथम ब्याज की अदायगी ऋण पत्रों

के आवंटन की तारीख से 30 जून, 1990 तक की अवधि के लिए की जानी है और ब्याज वारंट 31 जुलाई, 1990 को या इस तारीख से पहले भेजे जाने हैं।

तमिलनाडु में पर्यटक कोचों पर कर में वृद्धि

[अनुवाद]

9545. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताज होटल समूह ने अपनी दरें डालरों में उद्धरित करने का निर्णय लिया है और भारतीय पर्यटक संचालकों को होटल आरक्षण 50 प्रतिशत प्रभार डालरों में अदा करना पड़ता है;

(ख) क्या ताज होटल समूह का अपनी दरों को डालर में उद्धरित करने का उपरोक्त निर्णय विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुरूप है; और

(ग) इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) सरकार को यात्रा व्यवसाय से इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। तथापि, ताज ग्रुप ने यह बताया है कि उन्होंने 1 अक्तूबर, 1990 से टैरिफ को डालर में कोट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ताज ग्रुप, केवल बड़े प्रोत्साहन यात्रा संचालनों के मामले में, जिनमें काफी कमरों की बुकिंग की जरूरत पड़ती है, वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए विदेशी यात्रा परिचालकों से या तो सीधे या भारतीय यात्रा अभिकर्ताओं के माध्यम से, अमरीकी डालर में आंशिक अग्रिम भुगतान मांगता है। आंशिक अग्रिम भुगतान नियमित यात्राओं के लिए नहीं मांगा जाता। ताज ग्रुप ने बताया है कि अग्रिम भुगतान मांगने की प्रथा पहले भी थी और इस व्यवस्था से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता।

शीर्षस्थ दस कम्पनियों/व्यक्तियों पर आयकर की बकाया राशि

9546. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से कंपनियों तथा व्यक्तियों की ओर आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) आयकर बकाया वाली सूची में दर्ज शीर्षस्थ दस कम्पनियों तथा दस व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर इस समय आयकर की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इस आयकर की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) दिनांक 31-3-1987, 31-3-1988 तथा 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार कंपनियों और गैर कंपनियों (जिनमें फर्म, व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार आदि भी शामिल हैं) की तरफ कुल बकाया आयकर के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण-1 दी गई है। व्यष्टियों के बकाया आयकर के संबंध में कोई अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। दिनांक 31-3-90 की स्थिति के अनुसार कम्पनियों तथा गैर-कंपनियों की तरफ बकाया कर का भी कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) मंत्रालय में दिनांक 28-2-90 की स्थिति के अनुसार ही सूचना उपलब्ध है। बकाया

आयकर की सूची में चोटी की दस कंपनियों तथा दस व्यष्टियों के नामों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है. जिसमें दिनांक 28-2-90 की स्थिति के अनुसार उनमें से प्रत्येक की तरफ बकाया धनराशि का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) अधिकांश मामलों में मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं तथा अपीलीय प्राधिकारियों से उच्च मांग वाली अपीलों के शीघ्र निपटान हेतु अनुरोध किया गया है। विवाद-रहित बकाया करों के सम्बन्ध में, जहां-कहीं भी संभव था, करों की वसूली के लिए कानून के अधीन समुचित कार्यवाही शुरू की गई है।

विवरण-1

तारीख	कम्पनियों तथा गैर-कंपनियों के तरफ बकाया आयकर (करोड़ रु० में)		
	कम्पनियां	गैर-कम्पनियां	योग
31-3-1987	1781.75	1693.57	3475.32
31-3-1988	2203.47	1788.71	3992.10
31-3-1989	3143.01	2148.64	5291.65

विवरण-2

कंपनी का नाम	दिनांक 28-2-90 की स्थिति के अनुसार बकाया आयकर (करोड़ रु० में)	व्यष्टि का नाम	दिनांक 28-2-90 की स्थिति के अनुसार बकाया आयकर (करोड़ रु० में)
इंडियन आयल कारपो० लि०	161.26	विनोद कुमार डिडवानिया	41.44
जी० टी० सी० इंडस्ट्रीज	104.35	मुकर नारायण वाखिया	26.25
कांटीनेंटल कंस्ट्रक्शन लि०	44.70	डा० जे० धर्म तेजा	10.15
जे० के० सिंथेटिक्स लि०	44.22	अनिल कुमार डिडवानिया	9.53
मोदी रबड़ लि०	42.05	हरिदास मुंद्रा	8.40
मैसर्स एस्कोर्ट्स लि०	35.31	आर० के० पारेख	6.97
डी० एस० कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०	24.74	एन० के० पारेख	6.59
टाटा इंजीनियरिंग एंड	22.59	एच० आर० त्रिवेदी	5.94
लोकोमोटिव लि०		एम० एन० कापड़िया	5.31
मोदी पॉन लि०	20.96	श्रीमती पुष्पा देवी टाक (श्री	5.31
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	16.96	बालकिशन टाक की कानूनी वारिस)	

जब्त की गई नशीली औषधियों को नष्ट करना

9547. **श्री नन्दू थापा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्त की गई हेरोइन और अन्य स्वापक औषधियों को नष्ट करने के लिए कोई नियम अथवा मार्गनिर्देश विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन हानिकारक और खतरनाक पदार्थों को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) जब्त की गयी हेरोइन तथा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कुछ अन्य नशीले औषध-द्रव्यों के निपटान के संबंध में सरकार द्वारा स्वापक औषध द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी में एक तीन सदस्यीय स्वापक औषध-द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ निपटान समिति का गठन किया जाए जो सीधे ही संबंधित विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी हो। इस समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित प्रवर्तन एजेंसी का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा, (सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के किसी समाहर्तालय के मामले में सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के उप-समाहर्ता के ओहदे से कम का अधिकारी नहीं होगा)।

नशीले औषध-द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थ निपटान समिति को निम्नलिखित औषध-द्रव्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी मात्रा में निर्धारित प्रक्रियात्मक तथा कानूनी औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर जब ये निपटान के लिए तैयार हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नशीले औषध-द्रव्य का नाम	मात्रा (किलोग्राम में)
1. हेरोइन	2
2. हशीश (चरस)	50
3. हशीश तेल	10
4. गांजा	500
5. कोकीन	1

जिन मामलों में ऊपरोलिखित औषध-द्रव्यों की मात्राएं उपरोक्त सीमाओं से अधिक हों, वहां इन्हें नष्ट किए जाने के सम्बन्ध में आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा ही दिया जाएगा तथा ये नशीले औषध-द्रव्य उनके तथा नशीले औषध द्रव्य निपटान समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पर्यवेक्षण में ही नष्ट किए जाएंगे।

अफीम, मार्फीन, कोडीन, थीबेन के अलावा सभी नशीले औषध-द्रव्यों को भस्म करके ऐसे स्थानों पर जहां इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं एवं सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएं हों, इस बात को

सुनिश्चित करने के बाद नष्ट किया जाएगा कि इससे प्रदूषण की दृष्टि से स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई खतरा होता हो। जहां कहीं भी व्यवहार्य एवं आवश्यक समझा जाए, लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए उचित प्रचार के बाद ऐसे नशीले औषध-द्रव्यों को खुले स्थान पर भी नष्ट किया जा सकता है।

कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता

9548. **श्री जी० एस० बासवराज :**
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता राशि की अदायगी के बारे में कोई दिशा निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसी आशा है कि क्रियाविधि को सरल बनाने से नगद मुआवजा सहायता का समय पर भुगतान और उत्पादकों को साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस तरह यह साफ्टवेयर का निर्यात उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन का कार्य करेगी।

विवरण

कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा सेवाओं को निर्यात पर नगद मुआवजा सहायता के दावा करने संबंधी क्रियाविधि

(I) क. **कंप्यूटर साफ्टवेयर की परिभाषा** : कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात में चुम्बकीय प्रचार माध्यम या लिखित रूप में वास्तविक निर्यात के अतिरिक्त वह निर्यात भी शामिल है जो उपग्रह आंकड़ा संयोजन और परामर्शी और/अथवा भारतीय कंप्यूटर सुविज्ञता द्वारा विदेशों में विदेशी ग्राहकों के स्थान पर प्रदान की गई सेवाओं के जरिए निर्यात किया जाता है। "सुविज्ञता" शब्द में विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

ख. **क्रियाविधि** :

ख. I. विदेशों में विदेशी ग्राहकों के स्थान पर दी गई परामर्शी और कंप्यूटर साफ्टवेयर सेवाओं के साफ्टवेयर निर्यातक परियोजना पूरी होने पर सी० सी० एस० का दावा कर सकते हैं। वे अधूरी परियोजनाओं के पूरा होने तक तिमाही या अर्ध-वार्षिकी आधार पर सी० सी० एस० का दावा भी कर सकते हैं। त्रैमासिक या छःमाही आधार पर सी० सी० एस० के भुगतान के लिए सी० सी०एस० का भुगतान अन्तिम फैसला होने तक तिमाही या छमाही आधार पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा आधार पर होगा, इसे "खाते पर" भुगतान समझा जाए और यदि अधिक या कम भुगतान हुआ हो तो उसे बाद की तिमाही/छःमाही में समायोजित किया जाएगा।

ख. II. जो साफ्टवेयर निर्यातक तिमाही या छःमाही आधार पर सी० सी० एस० के लिए

दावा करते हैं, वे उसकी राशि का एक अधिकतम अनुबंध-पत्र भरेंगे जो कार्यविधि पुस्तिका (1990-93) में निर्धारित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से दावा की गई सी० सी० एस० की राशि के बराबर होगी।

ख. III. इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के पूरी होने तक तिमाही या छःमाही आधार पर सी० सी० एस० का दावा करने के लिए आवेदक इलैक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेगा कि निवल विदेशी मुद्रा में जिस पर सी० सी० एस० का दावा किया जा रहा हो, भारत से विदेश भेजी गई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हो, जिस पर सी० सी० एस० का दावा किया जा रहा है।

ख. IV. गणना प्रयोजन के लिए जो अर्जित निवल विदेशी मुद्रा परिभाषित की गई है इस प्रकार है साफ्टवेयर निर्यात के फलस्वरूप स्वदेश में प्राप्त विदेशी मुद्रा घटा प्रारंभिक हार्डवेयर और अथवा साफ्टवेयर आयात से इतर व्यय के फलस्वरूप विदेश भेजी गई विदेशी मुद्रा (साफ्टवेयर नीति, 1986)

ख. V. सी० सी० एस० के अन्तिम दावे पर निर्णय तभी होगा जब निर्यातकर्ता संबंधित पत्तन कार्यालय में परियोजना पूरी करने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देता है।

ख. VI. भारत में किए गए साफ्टवेयर कार्य के संबंध में जिसका निर्यात वास्तविक रूप में किया गया हो या उपग्रह के जरिए और उसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो उसके संबंध में नगद मुआवजा सहायता दी जाएगी। किंतु सी० सी० एस० भारत में किए गए उस साफ्टवेयर कार्य के लिए नहीं दी जाएगी जो भारत में सप्लाई के लिए किया गया हो भले ही भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाए कंप्यूटर सेवाओं और साफ्टवेयर के मामले में कोई माने गए निर्यात का लाभ नहीं होगा।

ग. अपेक्षित दस्तावेज :

(I) चुम्बकीय प्रचार माध्यम से अथवा लिखित में वास्तविक निर्यात :

(क) खरीद आर्डर/संविदा/करार की प्रतिलिपि।

(ख) भारत में अनुसूचित बैंक या विदेशों में उसकी शाखा द्वारा सत्यापित बीजक।

(ग) कस्टम अधिकारियों द्वारा सत्यापित शिपिंग बिल/वायुयान बिल/पी० पी०।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा सत्यापित जी० आर०/पी० पी० की प्रतिलिपि।

(ङ) आयात-निर्यात क्रियाविधि 1990-93 की पुस्तिका में दिए गए फार्मेट के अनुसार निर्यात का बैंक सर्टिफिकेट।

(च) इलैक्ट्रानिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी आर० सी० एम० सी०।

(II) उपग्रह के जरिए निर्यात

(क) खरीद आर्डर/संविदा/करार की प्रतिलिपि।

(ख) भारत में किसी अनुसूचित बैंक या उसकी विदेशी शाखा द्वारा सत्यापित बीजक।

(ग) निर्यातक द्वारा अर्जित/रिलीज की गई विदेशी मुद्रा के लिए किए गए दावे के पक्ष में जारी विदेशी मुद्रा इनवार्ड रिमीटेंस प्रमाण-पत्र। बैंक सर्टिफिकट (प्रतिलिपि)।

(घ) उपग्रह के द्वारा निर्यात के लिए साफ्टेक्स फार्म (प्रतिलिपि)।

(ङ) इलैक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी आर० सी० एम० सी०।

(III) **परामर्शों और कंप्यूटर साफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात**

(क) खरीद आर्डर/संविदा/करार की प्रति।

(ख) भारत में अनुसूचित बैंक या उसकी विदेश में शाखा द्वारा सत्यापित बीजक।

(ग) निर्यातक द्वारा अर्जित रिलीज की गई विदेशी मुद्रा के लिए किए गए दावे के पक्ष में जारी विदेशी मुद्रा इनवार्ड रिमीटेंस सर्टिफिकेट/बैंक सर्टिफिकेट (प्रतिलिपि)।

(घ) इलैक्ट्रानिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर ई० पी० सी० द्वारा जारी आर० सी० एम० सी० सर्टिफिकेट।

(ङ) प्रारंभिक हार्डवेयर और/या साफ्टवेयर आयात से इतर खर्च के लिए रिलीज की गई/उपयोग की गई विदेशी मुद्रा के संबंध में अधिकृत लेखाकार का प्रमाण-पत्र। इस सर्टिफिकेट में यह शामिल होना चाहिए। भारत के रिजर्व बैंक की स्वीकृति आदेश की संख्या और तारीख, परामर्शदाता और/या कंप्यूटर साफ्टवेयर विशेषज्ञों की विदेशों में यात्रा के लिए जारी विदेशी मुद्रा की राशि, उपरोक्त कार्मिक के लिए भारत में भुगतान की गई मार्ग-व्यय की राशि/विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुसार विदेशों में जो फर्में संविदा करती हैं और निम्नलिखित सुविधाएं लेने वाली फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लें। विदेशी मुद्रा खाता खोलना, विदेशों में साइट-कार्यालय खोलना, यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना। इन फर्मों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पंजीकरण और मानीटरिंग के लिए अपने करार की एक प्रमाणित प्रति आर० बी० आई० को जमा करा दें। परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत, जो निर्यातक ये सुविधाएं नहीं प्राप्त करते, उन्हें आर० बी० आई० में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए उन्हें इस संबंध में सी० ए० सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती।

(च) सी० सी० एस० जिसके अंतिम दावे के लिए खरीद आर्डर/संविदा/करार के अनुसार विदेशी ग्राहक से परियोजना पूरी होने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी० सी० एस० के अन्तिम दावे के लिए कोई व्यक्तिगत बांड नहीं होगा। तिमाही या छःमाही आधार पर सी० सी० एस० के दावे के लिए पैरा ख. II में उल्लिखित व्यक्तिगत बांड लागू होगा।

II. पैरा 1 वर्णित क्रियाविधि और दस्तावेज चालू सी० सी० एस० नीति 31 मार्च, 1992 के समाप्त होने तक कंप्यूटर सेवाओं और साफ्टवेयर के निर्यात पर सी० सी० एस० के लिए लंबित दावों और भविष्य के दावों के संबंध में लागू होंगे।

III. निर्यातक के लिए यह भी बाध्यता है कि वह निर्यात संवर्धन परिषद को प्रति माह निर्यात आंकड़े प्रस्तुत करें जिसकी प्रतियां सी० सी० एस० आवेदन पत्र के साथ लगानी होंगी।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि साफ्टवेयर निर्यातकों के निर्यात निष्पादन को अच्छी प्रकार मानीटर किया जा सके।

12.00 मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने आज के समाचार-पत्रों में देखा होगा कि देश में लोकतंत्र को दबाने के लिए मेहम में किस प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : यह लोकतंत्र की हत्या है। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मामला इस हद तक पहुंच गया है कि यह योजनाबद्ध हत्या उस निर्वाचन क्षेत्र में केवल चुनाव स्थगित करने के लिए की गई है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : केवल एक उम्मीदवार की ही हत्या नहीं की गई है बल्कि यह लोकतंत्र की भी हत्या है। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मेहम में पिछली बार किया गया था, यह केवल राजनीति के साथ खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है बल्कि इस बार तो लोग इससे भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने हत्या की योजना बनाई तथा एक छोटे बच्चे सहित एक उम्मीदवार की हत्या केवल एक ऐसे व्यक्ति के संतोष के लिए की गई है जो विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। (व्यवधान) मेरा अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो यह सब योजना बना रहा है। अनेक व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। मैं यहां पर इसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि देश के लिए इसका और अधिक व्यापक आशय है। केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर प्रशासन का ऐसा प्रयत्न है कि पहले मेहम में चुनाव न करायें जायें, पहले कहीं और चुनाव हों जिससे कि वह व्यक्ति वहां से जीत जाये तथा उसे मेहम में चुनाव न लड़ना पड़े जहां से उसे पता है कि वह चुनाव नहीं जीत सकता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें। दिनेश सिंह जी आप खत्म करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : महोदय, इसी कारण हम इस सदन में इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि यदि यह सदन इस स्थिति का जो अब बनती जा रही है तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच सांठ-गांठ पर ध्यान नहीं देता है तो देश में लोकतंत्र का अंत हो जायेगा। इसीलिए हमारा आपसे

अनुरोध है कि स्थगन प्रस्ताव का जो नोटिस हमने आपको दिया है आप उस पर विचार करें जिससे कि हम यहां पर इस मामले की चर्चा कर सकें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यमुना प्रसाद जी, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमने श्री दिनेश सिंह जी की बात को ध्यान से सुना है। अब आप हमारी बात को भी ध्यान से सुनें।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप कहिए आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लोक सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 58 (3) में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का इन्वाल्वमेंट हो। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का इन्वाल्वमेंट कतई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जायें। मैंने आपकी बात सुन ली है। इसलिए कोई सवाल नहीं होता। मैं रूल जानता हूं। इसलिए कोई प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है।

[अनुवाद]

मैंने व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रारम्भ में ही यह कहना चाहूंगा कि मेहम का मामला राज्य का विषय नहीं है। मेहम चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न नहीं है, जो कुछ देश में हो रहा है, मेहम तो उसका केवल एक संकेत मात्र है। आपने देखा कि इस देश के लोकतंत्र में हिंसा कितनी गहरी जड़ों तक पहुंच गई है। जब तक वह सदन। ···(व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि इसका सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है। यदि वे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, उस स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकते जिससे इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम किया जा सके तब उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यमुना प्रसाद जी, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मेहम निर्वाचन क्षेत्र में घटी घटना हमारे लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग है। यह प्रश्न इस बात से संबंधित नहीं है कि इस मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाये। यह प्रश्न हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं तथा लोकतंत्र को बनाए रखने का है। समाचार-पत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसे हम इस सदन में बताना चाहते हैं। चाहे यह अमेठी अथवा किसी अन्य स्थान पर हुआ हो आप इसकी तुलना इन सबसे कर सकते हैं। परन्तु इससे यह तर्क नहीं बनता कि आप इस प्रकार की घटना का समर्थन करें अथवा निन्दा करें। जब यह

सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठीक प्रकार से चले तब ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में, जैसाकि समाचार-पत्रों में हुआ है, हुई घटना अत्यन्त चिन्ताजनक है।

इस पर चर्चा की जानी चाहिए। यह राज्य विषय इत्यादि का प्रश्न नहीं है। यह लोकतंत्र को बनाये रखने का प्रश्न है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाना चाहिए तथा कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इस विषय पर सर्वसम्मत राय होनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बार मेहम सुर्खियों में आया है। पहली बार जब ऐसी घटना घटी थी तब भी इसने देश के सभी लोकतंत्र प्रेमियों के हृदय में घृणा का भाव पैदा कर दिया था और पुनः जो कुछ भी हुआ उसकी आशंका पहले से थी और कल की दुखद घटना प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट करती है कि यह चुनावी प्रक्रिया को नष्ट करने और अवरुद्ध करने के लिए किया गया है। मुझे मेहम की घटना के बारे में जो भी जानकारी आज मिली है, उस सबके बावजूद मैं किसी भी वर्ग विशेष को या गुट को दोषी नहीं ठहरा पा रहा हूं, मुझे केवल यही कहना है कि यदि राजनीति का स्तर इस हद तक गिर जाये कि चुनाव को रोकने के लिए विरोधी उम्मीदवारों को इस तरह समाप्त किया जा रहा हो तो चाहे जो भी चुनाव को रोकने में दिलचस्पी ले रहा हो, चाहे जिसने भी ऐसा किया हो, उसका पता लगाया जाना चाहिए क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए मामले को सुन लिया है जिसमें कुछ नामों का भी जिक्र किया गया है। प्रकाशित खबरों के आधार पर मैं किसी पर भी दोषारोपण करने नहीं जा रहा हूं। जो कुछ भी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कल जो हत्या की गई है, वह चुनाव को टालने के इरादे से ही की गई थी और जो भी चुनाव को टालने में दिलचस्पी ले रहे हैं उनका पता हम लोगों के द्वारा दलगत भावना को भुलाकर लगाया जाना चाहिए और जो कोई भी पकड़ा जाए और यदि वह इस मामले में किसी भी तरह से लिप्त पाया जाए, उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए चाहे वह इस दल का हो या उस दल का। और इसलिए मैं इस मांग का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि इस मुद्दे पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए और मैं इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं करता कि यह राज्य का विषय है इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा को इस आधार पर सदन में होने से रोका नहीं जाना चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मेहम में जो कुछ हुआ है और जो हर दिन हो रहा है, उससे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और चुनावी प्रक्रिया को खतरा पैदा हो गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया को जबर्दस्ती रोक दिया गया है। अतः देश में लोकतंत्र नहीं रह पायेगा। स्थिति इस हद तक पहुंच गयी है।

मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी से सहमत हूं कि इस पर केवल चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए बल्कि इस घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों को पकड़ा भी जाना चाहिये। अन्यथा, यदि आप लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। यह किसी राजनीतिक दल विशेष का मामला नहीं है। यह मामला पूरे राष्ट्र, पूरे देश और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा है। मेहम में ऐसी ही घटनाएं घटित हुई हैं।

मेहम में पहले घटित हुई घटना पर भी हमने असंतोष व्यक्त किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर गौर नहीं किया गया और तब मामला शांत हो गया। लेकिन अब, मेहम में एक उम्मीदवार

की हत्या कर दी गई है। हो सकता है वह कोई षड्यंत्र हो और उस षड्यंत्र का पता लगाया जाना चाहिए।

अत: इस पर चर्चा होनी चाहिए और सदन में इस आशय का एक संकल्प पारित किया जाना चाहिए कि इस मामले की जांच की जाए तथा जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसके नाम को सार्वजनिक किया जाए तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाये।

इसी से हमारे देश में लोकतंत्र बच पायेगा। इस समय इसे सुलझाने का यही एक रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेहम की घटनाओं के पीछे उन शक्तियों का हाथ है जो लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए कमर कसे हुए हैं। मेहम की घटनाएं लोकतंत्र की बर्बादी और हत्या को अभिव्यक्त करने वाली शक्तियों का प्रतीक हैं। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेहम एक ऐसे अति निंदनीय षड्यंत्र का शिकार हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेहम की घटना बहुत ही निंदनीय है। वहा निर्दयतापूर्वक एक उम्मीदवार की बलि स्वार्थपूर्ण राजनीति तथा स्वार्थपूर्ण चुनाव की वेदी पर चढ़ाई गई है। मेहम में जो निंदनीय घटना घटी है उसकी भर्त्सना के लिए इससे और अधिक कड़े शब्द नहीं हो सकते। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर यह प्रयास करने चाहिए कि ऐसी निंदनीय घटनाओं की उपेक्षा न हो जाए और दोषी व्यक्तियों का भली भांति पता लगाया जाए। महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी गई है और मैं मुस्लिम लीग की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कह सकता हूं कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए तथा सदन में इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। यह लोकतंत्र की सबसे घृणित तरीके से की गई हत्या है। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, सरकार भी सभी ओर के सदस्यों की भांति इस मामले पर चिंतित है। और हमारे सहयोगी माननीय गृह मंत्री इस मामले के तथ्यों के बारे में बताएंगे। सरकार इस मामले पर तुरंत चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन महोदय, मैं आपके समक्ष स्थगन प्रस्ताव के मामले से संबंधित एक-दो प्रक्रिया संबंधी कठिनाईयों को पेश करना चाहता हूं। यद्यपि हम आपके द्वारा किसी भी नियम के अन्तर्गत अनुमति देने पर तुरन्त चर्चा कराये जाने को तैयार हैं···(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : आप स्वतंत्र जांच या किसी भी अन्य प्रकार की जांच क्यों नहीं शुरू करते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय मामलों से संबंधित मंत्री की बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : इस मामले की जांच एक संसदीय समिति द्वारा की जाए। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : इस बारे में तुरंत चर्चा कराए जाने के लिए तैयार होने के सरकार के निर्णय को पुन: दोहराते हुए, मैं नियम 58 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 58 (3) के तहत यह कहा गया है :—

> "प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा।"

यह एक मुद्दा है। नियम 59 के अधीन भी यह कहा गया है कि यदि किसी मामले पर सांविधिक निकाय द्वारा, जिसके पास न्यायिककल्प या न्यायिक शक्तियां हैं, जिसे निपटाया जा रहा है तो इस स्थगन प्रस्ताव के अधीन सदन में इस पर चर्चा करना भी निषेध है और तीसरी असंगति यह भी है कि नियमानुसार इस प्रस्ताव को 4.30 बजे लिया जायेगा (**व्यवधान**) स्थिति यह है कि स्थगन प्रस्ताव के अधीन इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं है। आप किसी अन्य नियम के अधीन चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं···(**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं···(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सदन में सर्वसम्मति देखनी चाहिए। मेहम में हुई लोकतंत्र की हत्या के बारे में न केवल संसद का यह वर्ग बल्कि सभी लोग चिन्तित हैं। यह केवल ··(**व्यवधान**) यह लोकतंत्र की हत्या और राजनीति में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। यह भारत सरकार के लिए चिन्ता का विषय है और भारत सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। सदन की सर्वसम्मति देखते हुए मैं केवल आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दीजिए और हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर जोर देते हैं। (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : हमने संसदीय मामलों के मंत्री की भी बात सुनी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह प्राविधिक प्रश्न नहीं है, यह भावना का प्रश्न है। आज समूचा सदन चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है।

श्री वसंत साठे : इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। केवल इसी तरीके से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की प्रथा रही है कि जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है, अगर कोई विशेष महत्व का नया विषय उठाया जाता है, तो उस पर निर्णय लेना केवल आपके अधिकार क्षेत्र में आता है और हम आपके निर्णय का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह मैं जानता हूं। मुझे इसकी जानकारी है।

मुझे सर्वश्री वसंत साठे, श्री पी० आर० कुमारमंगलम तथा अन्य सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, मैं श्री वसंत साठे को अपनी सहमति देता हूं कि वह निम्न रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करें :

> "···**हाल ही में मेहम में राजनीतिक हत्याओं और राजनीति के अपराधीकरण के** फलस्वरूप लोकतंत्र के लिए उत्पन्न खतरा जैसा कि हाल ही में मेहम में **हुआ है**"

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति का विरोध हुआ है ? अनुमति प्रदान की गई है। नियम 61 के तहत स्थगन प्रस्ताव 4.00 म० प० पर या इससे पहले चर्चा के लिए लिया जाएगा, अगर अध्यक्ष महोदय सदन की कार्यवाही पर विचार करने के बाद ऐसा निर्देश दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बोलपुर) : मेरा अनुरोध केवल यह है कि इसे शीघ्र ही शुरू किया जाये। हम इसका विरोध नहीं करते हैं। इसे गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यवाही शुरू करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

श्री वसंत साठे : जी हां, हम सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हम इसे सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तुरन्त बाद लेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, नियमानुसार कम से कम पचास सदस्यों को इस प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, ऐसा तब होता है जब अनुमति का विरोध किया गया हो। मैंने पूछा था कि क्या अनुमति का विरोध किया गया है, लेकिन, अनुमति का विरोध नहीं हुआ था। यही मुद्दा है।

श्री पी० उपेन्द्र : फिर भी 50 सदस्यों को समर्थन देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर अनुमति का विरोध नहीं हुआ तो अनुमति प्रदान की जाती है और नियम 61 के अधीन स्थगन प्रस्ताव लिया जाएगा।

अब मैं मंत्रियों को सदन के सभापटल पर पत्र रखने की अनुमति देता हूं।

12.27 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : मैं श्री अरुण कुमार नेहरू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय विदेश व्यापार सस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 881/90]

अनुज्ञापन वर्ष 1990-91 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं अनुज्ञापन वर्ष 1990-91 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 882/90]

निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1990 तथा निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1990

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्वाचनों का संचाचन (संशोधन) नियम, 1990, जो 23 फरवरी 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 168 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) निर्वाचनों का संचालन (दूसरा) संशोधन नियम, 1990, जो 23 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 335 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल० टी० 883/90]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई, ओरियण्टल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : मैं श्री अनिल शास्त्री की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का० आ० 150 (अ), जो 19 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 फरवरी, 1990 को बैंक आफ तंजावूर लिमिटेड के इंडियन बैंक के साथ समामेलन की योजना से संबंधित विहित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का० आ० 151 (अ), जो 19 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा बैंक आफ तंजावूर लिमिटेड के इंडियन बैंक के साथ समामेलन की योजना के बारे में है।

(तीन) का० आ० 152 (अ), जो 19 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 फरवरी, 1990 को पारूर सेंट्रल बैंक लिमिटेड के बैंक आफ इंडिया के साथ समामेलन की योजना से संबंधित विहित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(चार) का० आ० 153 (अ), जो 19 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पारूर सेंट्रल बैंक लिमिटेड के बैंक आफ इंडिया के साथ समामेलन की योजना के बारे में हैं।

(पांच) का० आ० 154 (अ), जो 19 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 फरवरी, 1990 को बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड के इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ समामेलन की योजना से संबंधित विहित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(छह) का० आ० 155 (अ), जो 19 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड के इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ समामेलन की योजना के बारे में हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 884/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (*1*) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 885/90]

(ख) (एक) ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 886/90]

(ग) (एक) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 887/90]

(घ) (एक) यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1989-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 888/90]

(ङ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 889/90]

(3) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 890/90]

(दो) बाराबंकी ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 891/90]

(तीन) फरुखाबाद ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 892/90]

(चार) बलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालल में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 893/90]

(पांच) प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 894/90]

(छह) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 895/90]

(सात) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 896/90]

(आठ) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड़ का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 897/90]

(नौ) कोरापुट पंचबटी ग्राम्य बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 898/90]

(दस) पंडयान ग्राम्य बैंक सलूर का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 899/90]

(ग्यारह) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 900/90]

(बारह) पुरी ग्राम्य बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 901/90]

(तेरह) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 902/90]

(चौदह) पालामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 903/90]

(पन्द्रह) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 904/90]

(सोलह) बस्ती ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 905/90]

(सत्रह) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 906/90]

(अट्ठारह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 907/90]

(उन्नीस) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 908/90]

(बीस) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 तक की अवधि का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 909/90]

(इक्कीस) वेंकेटेश्वर ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 910/90]

(बाईस) गोमती ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 911/90]

(तेईस) कछार ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 912/90]

(चौबीस) कल्पतरू ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 913/90]

(पच्चीस) कोलार ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 914/90]

(छब्बीस) नागालैंड ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 के प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 915/90]

(सत्ताईस) विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 916/90]

(अट्ठाईस) रतनागिरि सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक का जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 तक की अवधि का प्रतिवेदन, लेखे या उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 917/90]

(उनतीस) सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 918/90]

(तीस) इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 919/90]

(इकत्तीस) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 920/90]

(बत्तीस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 921/90]

(तैंतीस) मालवा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 922/90]

(चौंतीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 923/90]

(पैंतीस) साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 924/90]

(छत्तीस) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकका वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 925/90]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन—(1990 की संख्या 10)—संघ सरकार (रेल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 926/90]

(5) वर्ष 1988-89 के विनियोग लेखाओं, रेल भाग-1—समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 927/90]

(6) वर्ष 1988-89 के विनियोग लेखाओं रेल, भाग-2—विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 928/90]

(7) वर्ष 1988-89 के ब्लाक लेखाओं (ऋण लेखाओं को समाविष्ट करते हुए पूंजी विवरणों सहित), तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखाओं, रेल की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 929/90]

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हमें भी कुछ मुद्दों पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं, मैं बाद में अनुमति दूंगा। स्थगन प्रस्ताव सबसे पहले लिया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। आपने बात सुनने के लिए हमसे कहा था। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास (करौल बाग) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने यहां बयान दिया था कि 2-3 दिन में दिल्ली को विधान सभा दे दी जाएगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को स्टेटहुड देने की बात कही गई थी लेकिन··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, मैं आपको बोलने की इजाजत देना चाहता हूं लेकिन पहला प्रिसिडेंस एडजर्नमेंट मोशन को है। इसके बाद मैं आपको बोलने का समय दूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, आप अनुभवी आदमी हैं।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि मुझे यह पता चला है कि बी० ए० सी० ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें अगले हफ्ते के लिए यह विषय शामिल नहीं किया गया है। पहले की सरकार ने इसको डिटेन किया और अब यह सरकार हमें भ्रम में डाल रही है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अभी स्थगन प्रस्ताव चल रहा है, आप सभी बैठ जायें।

[अनुवाद]

कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं एक ऐसा मामला उठाना चाहता हूं जिसका इस देश की सुरक्षा पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह भारतीय पनडुब्बियों के बारे में गोपनीय जानकारी बताने के संबंध में है जिन्हें पश्चिम जर्मनी की एच० डी० डब्ल्यू० कंपनी से खरीदा गया है। अब यह शंका हमेशा बनी रहती है कि उन्होंने इस पनडुब्बी का आरेखण तथा डिजाइन दक्षिण अफ्रीका को दिए हैं। यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने पूरे संचलनात्मक आंकड़े भी उन्हें दिए हैं, जिससे हमारी पनडुब्बियां पूरी तरह बेकार हो गयी हैं। इस मामले पर सभा में चर्चा करने की आवश्यकता है और मैंने ध्यानाकर्षण या अल्पावधि चर्चा के लिए सूचना दी है। इसलिए कृपया मामले को किसी भी रूप में स्वीकार करके अगले सप्ताह चर्चा की व्यवस्था करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त हम अब स्थगन प्रस्ताव को लेते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा किंतु मैं एक वक्तव्य चाहता हूं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। अभी एडजर्नमेंट मोशन हो रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : सभी दलों—विशेषतया भारतीय जनता पार्टी वामपंथी पार्टियों तथा अन्य दलों ने दिल्ली के नए ढांचे के संबंध में मांग की है। प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि······(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : माननीय गृह मंत्री जी खड़े हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या प्वाइंट आफ आर्डर है?

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नियम 376 के अंतर्गत मैं इस मामले को उठा रहा हूं। जबकि माननीय गृहमंत्री जी किसी सदस्य के वक्तव्य का उत्तर दे रहे हैं, हमें भी कुछ वक्तव्य देने हैं। (व्यवधान) यह कार्य सूची में नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी उत्तर कैसे दे रहे हैं जबकि हमारे पास भी कुछ मामले हैं। (व्यवधान) यह मद सूची में नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री अकबर, कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ, कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरा प्रश्न साधारण है। आपने श्री साठे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं । मैं जानता हूं श्री सोज कि सभा को कैसे चलाया जाये । कृपया अपनी सीठ पर बैठ जायें ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, हमें यह बताया जाये कि दिल्ली को स्टेटहुड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कार्य-सूची क्या है ? क्या कार्यवाही करनी है ? (व्यवधान) गृह मंत्री इस तरह उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि हमारे भी कुछ मुद्दे हैं । मुझे भी कश्मीर के संबंध में एक मामला उठाना है ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब आप हमें मामला उठाने की अनुमति दें । शून्य काल में आपने एक प्रक्रिया अपनायी थी । श्रीमान इस बार क्या कार्यवाही होनी है । आप मुझे बतायें कि कार्य सूची क्या है । (व्यवधान) यह एजेंडा से अलग मामला उठा रहे हैं । हमने इसका अनुमोदन नहीं किया है । (व्यवधान) मेरी इस पर गंभीर आपत्ति है । मैं चाहता हूं कि आप ही निर्णय लें । मैं नियम को उद्धृत कर रहा हूं । कार्यवाही सूची में यह मद नहीं है । (व्यवधान) इससे सभा में अव्यवस्था फैल जायेगी । मेरा प्रश्न यह है । आपने अनुमति दी है । आप निर्णायक हैं । आप किसी भी बात के लिए निर्णय ले सकते हैं । आपने निर्णय लिया और स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी । उसके अलावा केवल सूचीबद्ध मद दें । एक या दो मिनट के लिए शून्य काल में हमें अनुमति देने की प्रक्रिया है । आपने हमारी बात नहीं सुनी । फिर भी गृहमंत्री जी अपने किसी निकटस्थ की बात का उत्तर देने के लिए खड़े हैं ।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : वे इस सभा के माननीय सदस्य हैं, वे 'कोई भी' नहीं हैं । आप अध्यक्ष को कुछ करने के लिए नहीं कह सकते। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) यह मद सूची में नहीं है (व्यवधान) मेरी एक आपत्ति है । (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था···(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : गृह मंत्री महोदय, मुझे आपत्ति है क्योंकि यह प्रक्रिया के खिलाफ है (व्यवधान) । क्या वे श्री खुराना के प्रति उत्तरदायी हैं । (व्यवधान) उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए । (व्यवधान) फिर आप उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दें । (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष पर कौन हुकुम चला रहा है । (व्यवधान) आप अध्यक्ष पर हुकुम नहीं चला सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही वसन्त साठे को बुलाया है ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : एक बार जब स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी जाती है तो कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकती । मैं नियम 61 का हवाला दे रहा हूं । किसी अन्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, गृह मन्त्री को भी नहीं, आपने श्री वसंत साठे को बोलने के लिए कहा है । फिर, अब यह क्या हो रहा है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं । सोज साहेब आप बैठिए न मैं जानता हूं जब स्थगन प्रस्ताव ले लिया गया, तब मैंने साठे साहेब को बुलाया ।

[अनुवाद]

जब मैंने श्री साठे को बुला लिया है तो कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ माननीय सदस्य क्रुद्ध हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि उनकी आशंका का निवारण करने के लिए गृह मंत्री जी को अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए । मैंने सोचा कि यह एक विशेष मामला है और इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दे दी । यदि उसके लिए आपत्ति है तो मैं अब श्री साठे को बोलने के लिए बुलाता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या होता है । यह दो मिनट में हो जाएगा । आप बैठिए न ।

[अनुवाद]

कृपया अपनी सीट पर बैठिए । आप केवल नियम पुस्तिका के बारे में जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आप अध्यक्ष और सभा पर हुकुम नहीं चला सकते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं । किंतु, आपको सभा की इच्छा का भी ध्यान रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्रीमान, आपने गृह मंत्री को कुछ सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों का उत्तर देने के लिए गृह मंत्री को अनुमति दी है । उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है और वे सब चिल्ला रहे हैं । यह सब क्या है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा को कार्य करने दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए नियम हैं । मैं उन नियमों से अलग नहीं हटना चाहता । किंतु हमें देखना है कि सभा व्यवस्थित ढंग से चले ।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : भाजपा सभा के नियमों को नहीं बदल सकती। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : आप नियम को निलंबित कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्रीमान क्या इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए मैं कुछ कह सकता हूं ? मैं आपको पिछले पूर्वोदाहरणों की याद दिलाता हूं जब पिछली संसद में या उससे पहले किसी समय जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता था या प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाती थी तब अध्यक्ष उस विशेष समय सभा के समक्ष कुछ अन्य मामले उठाने की अनुमति देता था और तब इसे उठाया जाता था। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : नहीं।

एक माननीय सदस्य : इतने सख्त मत होइए।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्यों नहीं ? कोई अन्य व्यक्ति सभा में नहीं बोल सकता। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमान, मैं आपसे मंत्री जी को अनुमति देने का अनुरोध करता हूं और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव आरंभ किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री पी० उपेन्द्र : श्रीमान, लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 61 में दिया गया है कि :

"यह प्रस्ताव "कि सभा अब स्थगित हो" 16.00 बजे लिया जाएगा।···"

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : या···**(व्यवधान)**

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है। आप उनके विरुद्ध क्यों जा रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री पी० उपेन्द्र : कृपया आप प्रतीक्षा करें। मुझे अपनी बात पूरी करने दें। **(व्यवधान)**

"या यदि अध्यक्ष सभा में कार्य की स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, ऐसा निर्देश दें तो उससे पहले किसी भी समय लिया जाएगा।"

आपने पहले ही गृह मंत्री से बोलने के लिए कह दिया है। वे इस पर आपत्ति नहीं कर सकते। ऐसा नियम कहां है कि इस पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस पर तुरंत विचार किया जाए (व्यवधान) आपने फिर पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनुमति क्यों दी। (व्यवधान) महोदय यह आपका स्वविवेक है। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : नियम 378 के अनुसार।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम पढ़े हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : पहले मुझे बात पूरी करने दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री को बोलने की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे (वर्धा) : आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहा है। मैं अपना भाषण आरंभ कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मेरा आपसे और विपक्ष के नेता तथा सम्पूर्ण सदन से एक अनुरोध है। नियम 376 के अंतर्गत···**(व्यवधान)**

कम से कम नियमों के मामले में तो मैं गलती नहीं करूंगा।

मेरा विशेष रूप में विपक्ष के नेता तथा श्री साठे से एक निवेदन है जोकि प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम इस बात के लिए बहुत इच्छुक हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा की जाये, क्योंकि यह हाल ही में हुई घटना के बारे में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। मैंने स्वयं खड़े होकर कहा था कि यह आपके अधीन है। आपने देखा होगा कि जब आपने इसकी घोषणा की थी तो तब हमने सदन में मतदान भी नहीं कराया था। स्थगन प्रस्ताव पर हम गंभीरता से अपने विचार रखना चाहते हैं। **(व्यवधान)** अतः स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावक से मेरा अनुरोध है कि स्थगन प्रस्ताव पर आदर्शवादी और सही तरीके से चर्चा की जाये, गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कुछ मिनट का समय दीजिये और ठीक उसके पश्चात् आगे चर्चा जारी रखी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री राजीव गांधी, विपक्ष के नेता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी कृपया मैंने श्री गांधी का नाम पुकारा है। उनकी बात सुनिए। विपक्ष के नेता की बात सुनिए।

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह मात्र मेहम में चुनाव का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह हमारे देश में लोकतंत्र को बनाये रखने तथा देश में हम जिस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं, उसके बारे में है। **(व्यवधान)**

महोदय, हम भी दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में चिन्तित हैं। हम दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। परन्तु हर चीज के लिए उचित समय की आवश्यकता होती है। आज, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम अपने देश में किस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं और क्या यह बना रहेगा ? यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम दिल्ली के मसले पर सोमवार को विचार कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। महोदय, मेरा निवेदन है कि यदि विपक्ष के माननीय सदस्यगण···**(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप जल्दी ही विपक्ष के सदस्य बनने वाले हैं।

श्री राजीव गांधी : मेरे कहने का आशय है कि दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य।

महोदय, मैं श्री आडवाणी के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने बहुत ही जोरदार वक्तव्य दिया है। उन्होंने मेहम के बारे में जो कुछ कहा है हम उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपने दल के सदस्यों से बात करें और अपने प्रभाव का प्रयोग करें। श्री दण्डवते

ने इस मसले के महत्व को उठाया है। उन्हें अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम इस पर एक गम्भीर चर्चा करवाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष और उनके समर्थक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पर सुव्यस्थित ढंग से चर्चा की जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता से बिल्कुल सहमत हूं कि इस समय हमको मेहम के बारे में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। आज तो तलखाब पैदा हुआ, जो खींचातानी पैदा हुई इसका प्रमुख कारण यह हुआ कि गृह मंत्री जी शायद दो मिनट का बयान देने वाले थे।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष जी, यह पहला प्रसंग नहीं है। अगर किसी एक सदस्य ने या दो सदस्यों ने किसी बात पर सरकार का ध्यान दिलाया, जिसके बारे में सरकार सदन को बताना चाहती है।··· (**व्यवधान**)

कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से मजबूर होते हैं। अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की चर्चा तो आगे होगी, आज नहीं हो सकती, आज तो केवल हम जानना चाहते थे कि इस बारे में सरकार का इस सत्र में क्या इरादा है। इसके बारे में केवल एक मिनट की बात है। गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए थे। बात अब तक खत्म हो जाती। (**व्यवधान**)

जहां तक नियमों का सवाल है, नियमों में आपको पूरा अधिकार है कि मंत्री जी को किसी भी समय, अगर वे कोई बात सदन को बताना चाहते हैं, तो बताने की इजाजत दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में प्रेस्टीज का इश्यू हम नहीं बनाते। लेकिन प्रेस्टीज का इश्यू न बनाते हुए भी हम पिछले दिनों में देखते रहे हैं कि किस प्रकार से केवल 10, 5 या 25 लोग खड़े होकर आपको किसी बात के लिए मजबूर करते हैं। यह हम नहीं होने देंगे।···(**व्यवधान**)

मैं इस समय फिर से घोषणा करता हूं कि आप जो भी निर्णय देंगे, मेरी पार्टी उसको स्वीकार करेगी।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, मेरा दूसरे पक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि इसमें विलंब न होने दें और मेहम मसले को ठंडा करने की कोशिश न करें। देश में ऐसी ही विचारधारा बन

1.00 म० प०

रही है। इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लगभग 45 या 50 मिनट से वे मेहम पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, और इस पर चर्चा में विलम्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री राजीव गांधी : महोदय, एक बार आपने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ कराई है और स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने प्रथम वक्ता का नाम भी पुकारा है,···(**व्यवधान**) जी नहीं; उनका नाम पुकारा गया था (**व्यवधान**) महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है स्थगन प्रस्ताव को स्थगित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।···(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आपने आधे घन्टे का समय नष्ट कर दिया है । अब आप मेहम की स्थिति की गंभीरता के बारे में बोल रहे हैं । आपने मेहम के बारे में बात करके 45 मिनट का समय नष्ट कर दिया है । अमेठी में क्या हुआ था जब डा० संजय सिंह पर गोली चलाई गयी थी । (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, दो मिनट मेरी बात सुनिये । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उठा चुके हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरी बात सुन लें मसले का हल निकल जायेगा । मैं दो मिनट लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो राजीव गांधी और आडवाणी जी कह चुके हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम रूल की बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे । ऐडजोर्नमेंट के अलावा जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अलावा अगर आप किसी को बोलने की अनुमति दें तो हमें भी मौका दें, नहीं तो एडजोर्नमेंट के अलावा जो लिस्टेड आइटम है वही कहें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यस्था बनाये रखिए । मेरे विचार में जब कुछ माननीय सदस्य इस स्थिति के बारे में आन्दोलन कर रहे थे तभी उन्होंने इसे उठाया था । उसके पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए मैंने श्री साठे को पुकारा था, उसके बाद जब गृह मंत्री श्री मुफ्ती कुछ कहना चाहते थे तब उन्होंने इसे उठाया तो स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा कि सदन इस बात से सहमत होगा कि व्यवस्थाबद्ध चर्चा करवाये जाने के लिए, श्री खुराना और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मामलों अथवा शंकाओं का उत्तर देने में श्री मुफ्ती को कोई आपत्ति नहीं होगी । इसमें कई गंभीर आपत्तियां की गई हैं । व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये । मैंने कौल और शकधर की पुस्तिका का अध्ययन किया है । सदस्यों की जानकारी हेतु मैं इसे पढ़ता हूं :—

> "जब किसी स्थगन प्रस्ताव को पेश किए जाने की अनुमति सभा द्वारा दे दी जाए और उस पर चर्चा के लिए समय नियत कर दिया जाए, तो अध्यक्ष को वह प्रस्ताव रखने की अनुमति देनी पड़ती है । सिवाय ऐसी दशा में जहां कोई ऐसी नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिसके कारण उस प्रस्ताव पर नियमों का उल्लंघन किए बिना चर्चा न की जा सकती हो । लेकिन सदस्य को इस बात की स्वतंत्रता है कि यदि वह चाहे तो प्रस्ताव पेश न करे, यद्यपि सभा ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी हो और उस पर चर्चा के लिए समय नियत किया जा चुका हो ।
>
> प्रस्ताव पर चर्चा के प्रारंभ में नियत समय के बाद विलंब नहीं किया जाता, जब तक कि ऐसा करना नितांत आवश्यक न हो । उदाहरण के लिए, संभव है उस समय चल रहे

मत-विभाजन को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो अथवा प्रस्तावक की सहमति से चर्चा प्रारंभ करने में विलंब हो सकता है ।"

अतः नियम स्पष्ट हैं। मेरे विचार में मुझे नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर दिए जाने के लिए मैं उत्तर देने के लिए गृह मंत्री को पुकारता हूं ।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के समाप्त होते ही दिल्ली से कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गयी शंकाओं का उत्तर देने के लिए मैं गृह मंत्री को कहूंगा ।

अब श्री साठे बोलेंगे ।

1.05 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

मेहम में हुई राजनीतिक हत्याओं और राजनीति के अपराधीकरण के परिणामस्वरूप लोक तंत्र के लिए उत्पन्न हुआ खतरा

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो ।"

पूरा राष्ट्र मेहम में हो रही घटनाओं से चिंतित है । इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप तथा पूरा सदन हमारे देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली, जो कि विश्व की सबसे बढ़िया प्रणाली है, के संबंध में काफी चिंतित हैं । सब जानते हैं और हम आज वास्तव में इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है । स्वतन्त्रता के बाद से हमारे देश में कुछेक घटनाओं को छोड़कर स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं । विश्व समुदाय ने भारत को एक आदर्श प्रजातांत्रिक राष्ट्र होने के लिए बधाई दी है । विश्व में सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र हमारे यहां हैं; यह कुछ बड़े लोकतांत्रिक देशों की जनसंख्या से भी बड़े हैं और विश्व का सबसे बड़ा लोककतंत्र है । इस संदर्भ जब हम इस समय विकसित हो रही स्थिति पर विचार करते हैं, जिस परम्परा को हम देख रहे हैं, उसमें हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत की राजधानी के निकट एक राज्य है जहां हाल ही में राजनीतिक विरोधी को दबाने तथा मिटाने के लिए जानबूझकर राजनीतिक हमला किया गया । एक उम्मीदवार एक विशेष व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा हुआ जिसे उस राज्य को चलाने का अधिकार प्राप्त है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं । यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही मेहम में उम्मीदवार हो, यदि आपको अकस्मात पता चलता है कि चुनाव केन्द्रों पर कब्जा किया गया – सभी यह जानते हैं -- वहां गोलीबारी हुई थी—50 से अधिक व्यक्ति मारे गए, तब निर्वाचन आयोग को यह कहना पड़ा था कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित था । चुनाव पहले ही रद्द किए जाने चाहिए थे । यदि आप समाचारपत्र पढ़ें आप पाएंगे

कि पूरा राष्ट्र इसके बारे में सुनकर हैरान था। एक विशेष राजनीतिक व्यक्ति राज्य में न्यूनाधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था। वह चुनावों की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए सत्ता में बना रहना चाहता था क्योंकि यह उस अधिकार— यह मेहम में उस विशेष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण था; यह उसके लिए राज्य सरकार के मुखिया के रूप में सत्ता में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण था।

1.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस प्रकार पिछली बार मेहम कस्बे में पूर्णतया अराजकता तथा हत्या का माहौल बना दिया गया था। इस पृष्ठभूमि में, हम पिछले कुछ दिनों से सोच रहे हैं कि चुनाव, जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था यदि पुनः होते तो क्या दृश्य होता। यह नोट करना महत्वपूर्ण है। यद्यपि मेहम में पुनः चुनाव होने थे तथा मुख्य उम्मीदवार वही व्यक्ति था जिसे सत्ता पक्ष के व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ना था, सत्ता में रहने वाले व्यक्ति ने क्या किया ? उसने एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र दड़बा कलां से भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब हम देखते हैं कि वह बड़ी ही कुशलता से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि वह दरबा कलां से चुनाव जीत सकता है। मेहम से चुनाव लड़ना जोखिमपूर्ण था, इसलिए उसने दूसरे सुरक्षित स्थान से चुनाव लड़ने के लिए पहले से ही पर्याप्त पूर्व सावधानियां बरतीं। इसके बाद इसे और सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है ? आपने विश्व में यह घोषणा की जैसे कि यह व्यक्ति कह रहा है कि "यदि मैं मेहम में इतने वोटों से नहीं जीता तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा।" मैं केवल त्याग-पत्र ही नहीं दूंगा,

[हिन्दी]

मैं सन्यास ले लूंगा राजनीति मे।

[अनुवाद]

वह व्यक्ति यह सब कह रहा है।

महोदय, अब इस पृष्ठभूमि में देखिए क्या होता है। मेहम में 29 उम्मीदवारों में से एक निर्दलीय उम्मीदवार की हत्या कर दी गई है। अब कृपया देखिए।

एक माननीय सदस्य : प्रत्येक के लिए सुरक्षा व्यवस्था है।

श्री बसंत साठे : यद्यपि सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मेहम में क्या हुआ है। यद्यपि दरबा कलां में लोगों को बहुत सुरक्षा दी गई है, वास्तव में इस निर्दलीय उम्मीदवार के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई; और यह व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता है - यद्यपि यह समाचार पत्रों में भी छप चुका है कि इस बात की आशंका थी कि शायद किसी व्यक्ति की हत्या की जाए तथा हत्या किन परिस्थितियां में की गई ?

यह आरोप लगाया जाता है कि उसने सत्ता दल के कुछ सदस्यों के साथ वहां पर रात्रि भोज किया था। उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। और यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये तथ्य हैं जिन्हें गृह मंत्री प्राप्त करेंगे तथा हमें बताने का प्रयास करेंगे—यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस स्थान पर इस व्यक्ति ने खाना खाया था, वहां से वापस आते समय इस व्यक्ति की हत्या कैसे हो गई ?

एक माननीय सदस्य : इसके लिए वहां सुरक्षा व्यवस्था है।

श्री वसंत साठे : सुरक्षा व्यवस्था कहां थी ? सुरक्षा कर्मचारी कहां थे ? यदि वहां सुरक्षा कर्मचारी थे, तो आप देखिए कि हत्या किस प्रकार की गई। ऐसा बताया गया है कि उन पर पीछे से गर्दन पर किसी ने बहुत निकट से वार किया था। इसका यह अर्थ हुआ कि किसी ने जानबूझकर उस व्यक्ति की हत्या की और उसकी गर्दन पर पीछे से गोली चलाई गई। यदि वहां पर सुरक्षा कर्मचारी उनके साथ होते तो क्या ऐसा हो सकता था। सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी, यदि वहां होते— इस प्रकार की घटनाओं तथा मामलों में आप सामान्यतः सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारियों की ही व्यवस्था करते हैं—तो इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई होती। मुझे आश्चर्य होता है कि एक उम्मीदवार की इस प्रकार हत्या की गई। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बेगा राम (गंगानगर) : आपने कितने लोगों को मरवाया, अपने टाइम में, क्या उसकी तरफ आपका ध्यान गया है। मेरे पास यह कटिंग हैं, आप देखिए। आज आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गयी, यह हो गया, वह हो गया।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं, आप बैठ जाइये। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन बीच-बीच में उठ कर बोलना, इस प्रकार से नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : महोदय, जब इस प्रकार के व्यवधान होते हैं तो वाद-विवाद की गंभीरता खो जाती है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कृपया उस स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें प्रजातांत्रिक चुनाव में एक उम्मीदवार की हत्या हुई। महोदय, आप स्वयं एक वकील हैं तथा आप एक सफल वकील रहे हैं। अपराधिक विधि का मूल सिद्धांत विद्वेष है। एक विशेष अपराधिक कार्य के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है ? अपराधिक कार्य से किसे लाभ हो सकता है। ये दो बातें हैं जिनके बारे में सामान्यतः प्रत्येक अपराध में प्रश्न किया जाता है तथा पूछताछ की जाती है। यहां भी एक अपराध हुआ है। इस चुनाव को रद्द करने से किसे लाभ हो सकता था, किसे लाभ पहुंचा है ? क्या वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है और जिसे देश में सभी व्यक्ति जानते हैं कि वह चुनाव जीत सकता है—वही व्यक्ति दोषी ठहराया जा रहा है—अथवा क्या वह व्यक्ति जो किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है और वह यह महसूस करता है कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र से अवश्य ही जीत जाएगा और वह चुनाव रद्द कर दिया जाता है, तो वह उसके लिए अच्छा ही होगा, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे किसे लाभ होगा ? अतः संदेह उस व्यक्ति पर होता है जिसे इस हत्या से तथा चुनाव रद्द होने से लाभ हो सकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक हत्या का एक स्पष्ट उदाहरण है, न केवल एक उम्मीदवार था, क्योंकि उम्मीदवारों की स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है अथवा दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है अथवा पहले भी हत्याएं हुई हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यहां ऐसी स्थिति है जब कि एक सत्ता का व्यक्ति अंतर्ग्रस्त है। एक ऐसा प्राधिकारी जो एक महत्वपूर्ण पद पर है अन्तर्ग्रस्त

है। यदि तथाकथित रूप से हत्याएं की जाती है, अब सभी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि सत्ता के एक ऐसे प्राधिकारी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रजातंत्र का क्या होगा, और क्या प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा। आज यह हरियाणा में हुआ है। कल यह पूरे देश में किसी अन्य स्थान पर हो सकता है। तब भी वे सभी व्यक्ति जो सत्ता में हैं इसी प्रकार की बातों में शामिल होना आरंभ कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो क्या प्रजातंत्र बचा रह सकता है? यही प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, हमें किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपराधी का पता लगाने दीजिए तथा जैसाकि सभा में सभी ओर से मांग की गई है इसकी जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र को बचाने की चिंता है। इस देश में संसदीय प्रजातंत्र निर्वाचन प्रक्रिया; स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का प्रश्न है। अतः मेरे विचार से सदन के सभी पक्ष इस संबंध में चिंतित हैं। अतः यदि एक संसदीय समिति जिसमें सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो, गठित की जाती है तो उसे इस बात का पता लगाना चाहिए कि मेहम का क्या हुआ? यदि हम प्रजातंत्र की हत्या की इस प्रवृत्ति को, चुनाव संबंधी प्रक्रिया को प्रारम्भ में ही कमजोर होने से रोक सकते हैं जिसके संबंध में स्वयं संसद ने गंभीरता से विचार किया है तथा सारा उत्तरदायित्व स्वयं लिया है तो इसके बाद मेरे विचार से हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे तथा हम यह जान सकेंगे कि वहां पर क्या हुआ था, प्रवृत्ति क्या है तथा इसे किस प्रकार रोका जा सकता है चाहे इससे कोई भी दल अथवा सत्ता का कोई भी व्यक्ति क्यों न संबंधित हो। अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि पूरा सदन इस संदर्भ में मेहम के इस प्रश्न पर इसकी गंभीरता के अनुरूप तथा हमारे देश की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार विचार करे। यह दलगत मामला नहीं है। हमें पक्षपातपूर्ण धारणाओं से ऊपर उठना चाहिए तथा हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रजातंत्र जीवित रहे, क्योंकि यदि प्रजातंत्र जीवित रहता है तो हम सभी जीवित हैं। यह राष्ट्र केवल तभी तक बना रह सकता है जबकि यहां पर मजबूत प्रजातंत्र हो, न केवल आंतरिक जीवतंता हो बल्कि हम बाह्य आक्रमणों का भी मुकाबला कर सकें और यह केवल तभी हो सकता है जबकि देश में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया जीवित रहे। अतः मैं पूरी सभा से, सभा के सभी पक्षों से यह अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर उसी दृष्टि से विचार करें। आपने मेरा पूरा वक्तव्य सुना होगा, मैंने इसे पार्टी का मामला नहीं बनाया है। इसे वाद-विवाद का एक मुद्दा बनाया जा सकता है। कोई भी किसी भी पार्टी के विरुद्ध आरोप लगा सकता है, आदि। हम इस संबंध में कितने भी विस्तार में जा सकते हैं। किंतु इस दृष्टिकोण से समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा सभा से यह निवेदन है कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जानबूझकर प्रजातंत्र का हत्या करने का प्रयास किया गया है, अतः अब हमें स्वयं इस पर ध्यान देना है तथा यह देखना है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया जीवित रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि साठे साहब ने बताया और अखबारों में चर्चा आई कि मेहम में जघन्य हत्या हुई है। हम भी इस बात को मानते हैं कि प्रजातंत्र प्रणाली में किसी भी उम्मीदवार की हत्या होना बहुत बुरी बात है और इससे प्रजातंत्र को खतरा है। लेकिन यह जो हत्या हुई है, अमीर सिंह वहां से इनडीपेन्डेन्ट उम्मीदवार था और जब नामांकन

पत्र दाखिल करने के बाद सिम्बल ऐलोटमैंट हुआ था तो आनन्द सिंह डांगी उसी गांव से संबंध रखता है जिससे अमीर सिंह संबंध रखता है। अमीर सिंह ने प्रोटैस्ट किया था चीफ इलैक्शन कमीशन के सामने कि आनन्द सिंह डांगी का जो चुनाव चिन्ह बदला गया था, कबूतर से छतरी किया गया था, उसमें आनन्द सिंह डांगी ने सरेआम धमकी दी थी कि तेरे को देख लिया जाएगा। उससे दो वर्ष पहले हरियाणा पंचायत के चुनाव हुए थे और अमीर सिंह के बड़े भाई प्रताप सिंह ने पंचायत का चुनाव लड़ा था। पंचायत के चुनाव में आनन्द सिंह डांगी के उम्मीदवाद की जमानत जब्त करवाई थी। यह बहुत पुरानी दुश्मनी थी, यह नया मामला नहीं था। फरवरी में मेहम का चुनाव हुआ था उस वक्त भी अमीर सिंह ने 360 का परचा दर्ज करवाया था कि रात को मेरे गांव के लोगों ने मेरे घर पर आकर गोलियां चलाई। मैं कल मेहम में मौजूद था। लोगों ने जो बातें कही हैं, वहां पर जो चर्चा चल रही है वह अखबारों से बिल्कुल भिन्न है। अमीर सिंह की जो हत्या हुई है और जो चुनाव प्रक्रिया आज चल रही थी, हमारे यहां प्रदेश के गृह मंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्य मत्री चौधरी चौटाला ने दस दिन पहले बयान दिया था कि मेरा गलत किस्म के लोगों से वास्ता पड़ रहा है क्योंकि पत्रकारों ने पूछा था कि आप दो जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पहले से कह दिया था कि ऐसे लोगों से वास्ता पड़ रहा है कि वे किन्ही कारणों से इस चुनाव को पोस्टपोन करवाएंगे और मुझे विधानसभा जाने से रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे लोग प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, हरियाणा प्रदेश में जनता ने पहले ही साबित कर दिया है, यही कारण हुआ। कांग्रेस के उम्मीदवार रूप सिंह बूढ़ा ने बयान दिया है गांव में जाकर, अखबारों में छपा है कि हमने आनन्द सिंह डांगी की फरवरी में इन्तजार की थी, 20 लाख रुपया दिया था और जो हत्या हुई थी फरवरी 28 को, सारे का सारा सेहरा आनन्द सिंह डांगी को है और कांग्रेस के उम्मीदवार ने गांव-गांव में जाकर बयान दिए हैं और वह अखबारों में भी छपे हैं कि हमने आनन्द सिंह डांगी को 30 लाख रुपए दिए हैं और वहां जो 28 फरवरी को हत्याएं हुई हैं उसमें इनका हाथ था। इस बात की घोषणा शमशेर सिंह सुरजेवाला ने एक मंच में भी की थी। आज साठे साहब यह कह रहे हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। मैं साठे सहाब को बता देना चाहता हूं कि मेहम का जो चुनाव था वह एकतरफा था। कांग्रेस न तो मेहम में न अम्बाला में और न ही दड़वाकलां में मुकाबले पर थी। हरियाणा प्रदेश के अन्दर कांग्रेस पार्टी का जनाजा निकल रहा है। वहां जो कांड हुआ है यह एक बहुत बड़ा षडयंत्र था। चार आदमियों के नाम से एफ० आई० आर० दर्ज किया गया था। एक आनन्द सिंह डांगी के नाम से, दूसरा उसके भाई धर्मपाल ने नाम से और तीसरी कल्लू के नाम से और चौथा राजेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज थी। ये सब उसी गांव से संबंध रखते है। हम मानते हैं कि वहां जो कुछ हुआ वहुत बुरा हुआ। प्रजातंत्र में अगर कोई ऐसे मारा जायेगा तो कोई भी चुनाव लड़ना पसन्द नहीं करेगा। मेरी इस बात को साठे साहब भी अवश्य मानेंगे। साठे साहब इनक्वायरी की जो बात कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की पुलिस पहले से इसकी छानबीन कर रही है और मेरे हिसाब से······**(व्यवधान)**······एफ० आई० आर० दर्ज कराने के बाद पुलिस सारे मामले की छानबीन कर रही है। सारा मामला जनता के सामने है। साठे साहब ने कहा कि एक व्यक्ति की वजह से सारा मामला बिगड़ रहा है। यह बात सत्य नहीं है। मैं अपने समस्त साथियों से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री श्री सम्पत सिंह ने बयान दिया था और चिट्ठी लिखी थी सारे अखबारों के एडिटरों को कि वे वहां आयें और देखें कि चुनाव किस प्रकार चल रहा है और दूसरे लोग कैसे हालात वहां पैदा कर रहे हैं।

यदि मैं उन बयानों को सदन के सामने रख दूं तो सब हैरान रह जायेंगे। सरे आम डांगी ने कहा था कि हमारे पास हैंडगन हैं, मैं किसी भी कीमत पर वहां से ओम प्रकाश चौटाला को उम्मीदवार नहीं बनने दूंगा और चुनाव नहीं होने दूंगा। यदि वहां शांतिपूर्वक चुनाव होता मैं कह सकता हूं कि वहां से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीतते और आनन्द सिंह डांगी की जमानत जब्त होती। डांगी ने दो दिन से ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं किया और कांग्रेस का भी यही हाल था। हमारे कार्यकर्त्ता घर-घर जाकर वोट मांगने के लिए गए। मुख्य मंत्री के खिलाफ लांछन लगाना ठीक नहीं है। हमारे एक साथी श्री अभय सिंह के ऊपर भी लांछन लगाये गए। इससे पहले मेहम में जो घटना घटी उसकी एक इनक्यारी हो रही है। जब हमने एक इनक्वायरी कमेटी बैठायी तो कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया लेकिन आज कांग्रेस के लोग इनक्वायरी करवाने की बात करते हैं। ऐसे में आप उसका सामना क्यों नहीं करते ··· (व्यवधान)

गोली कहां चली भजन लाल जी को इसका पता है। सारा चक्रव्यूह इनके द्वारा ही रचा गया। इसमें वह लोग शामिल थे जो कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे थे। उन्होंने मुझे इस सदन में धमकी दी थी कि हिसार से चुनाव जीत कर आये हो, मैं हिसार में नहीं था, वरना तुम चुनाव जीत कर नहीं आ सकते थे। इस प्रकार की धमकी एक संसद सदस्य को देना ठीक नहीं है। जो ऐसी धमकी दे सकता है वह बड़े से बड़ा कांड कराने में भी शामिल हो सकता है। मैं साठे साहब को बता देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला एम० एल० ए० बनेंगे। दड़बा कलां से तो एम० एल० ए० बनेंगे ही साथ ही मेहम से भी एम० एल० ए० बनेंगे।

यह कांड कराने की उन लोगों की साजिश है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवी लाल जी के बढ़ते हुए कदमों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आज हिन्दुस्तान से कांग्रेस पार्टी का नाश हो रहा है। इसमें साफ रूप से कांग्रेस का हाथ है। आनन्द सिंह डांगी की खुले रूप में मदद कांग्रेस पार्टी ने 27 फरवरी को की। उसने ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में, अखबारों में बयान दिए थे कि कांग्रेस के लोगों ने आनन्द सिंह डांगी की मदद की है, मेरी मदद नहीं की। उस वक्त के नेताओं ने मेहम के अन्दर बयान दिए थे कि हमें वोट मत दो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी मत दो, आनन्द सिंह डांगी को दो इसलिए जो सारा का सारा प्रकरण हुआ, यह छोटा प्रकरण नहीं था। पांच महीने की साजिश थी, करोड़ों रुपया खर्च किया गया था और इसके लिए मेरे सामने बैंचों पर बैठे पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं और खुद इनके लोगों ने कह दिया कि रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हम लोगों ने सब को सुरक्षा प्रदान की थी। जहां तक साठे साहब ने कहा कि दड़बा कलां में सुरक्षा प्रदान की गई है। कल के अखबारों में छपा है कि दड़बा कलां के उम्मीदवार परेशान हैं, सुरक्षा से, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने बयान दिया है, हमारे एस० पी० को टेलीफोन किया है कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, आपके उम्मीदवार स्वयं इस प्रकार के षड़यन्त्र में शामिल हों, वह सुरक्षा न मांगें तो सरकार उसमें क्या करेगी। अमीर सिंह को भी सुरक्षा प्रदान की गई थी। हरियाणा प्रदेश में किसी को भी असुरक्षित नहीं रखा जाता लेकिन यह सारा का सारा षड़यन्त्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को और चौधरी देवी लाल जी को बदनाम करने के लिए रचा गया था। अमीर सिंह डांगी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत अच्छा लड़का था, 34 वर्ष उसकी उम्र थी। जिस प्रकार से हमारे साथियों ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्य मंत्री बनने के लिए इस प्रकार का काण्ड करवाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, सदन जानता है कि इस चुनाव में अखबारों में लिखा गया है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सब उम्मीदवारों से बहुत आगे हैं,

आनन्द सिंह डांगी मुकाबले में नहीं था, कांग्रेस मुकाबले में नहीं थी इसलिए इन लोगों ने षड़यन्त्र रचा है। एफ० आई० आर० उसके सगे भाई ने दर्ज कराई है तो लोग कहते हैं कि झूठा है। हम एक बात कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की पुलिस किसी प्रकार का अन्याय करे तब तो यह लोग कोई बात कहें लेकिन जब उनके परिवार के लोगों ने 4 आदमियों के नाम खुद लिए हैं तो सरकार उसमें क्या करेगी, क्योंकि पिछले चार महीनों से लगातार कांग्रेस के लोग इस प्रकार का षड़यन्त्र कर रहे हैं कि हरियाणा में किसी तरह हमारे पांव जम जायें, हम वहां सहारा ले सकें किसी का, चाहे उसके लिए हमें कितना ही बड़े से बड़ा घिनौना काण्ड ही क्यों न करना पड़े। आज मेहम की जनता जानती है, मेहम में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, तनाव केवल दिल्ली में मेरे सामने बैठे साथियों के दिमाग में है, इनके दिलों में है कि हरियाणा में हम किस प्रकार से लड़ेंगे और आज बात करते हैं···(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : डांगी के घर गोली चली है, उसमें दो लोग मरे हैं।

श्री जय प्रकाश : आप लोग सुनिए। डांगी के घर में जो गोली चली है···

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : आप बोलने की कृपा करिए, हम सुन रहे हैं।

श्री जय प्रकाश : सुनना पड़ेगा।

श्री भजन लाल : फिर हमारी बात भी सुनना, जाना मत।

श्री जय प्रकाश : दड़बाकलां की तो बात इन लोगों ने कही, वहां पूरी सुरक्षा प्रदान की थी, मेहम में सुरक्षा थी लेकिन फिर भी हमारी सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार, कि मेरी सी० आई० डी० करने के लिए हरियाणा सरकार ने मेरे पीछे पुलिस लगाई है। इन लोगों के बयान हैं। यह ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं, इलाके में तो घुस नहीं सकते लेकिन अखबार के माध्यम से केवल हमारे नेताओं को, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर कहीं भी अशान्ति नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ और मेरे साथी भजन लाल जी कहते हैं कि गोली चलाई······(व्यवधान)··· आप बैठें, हमने आपकी सारी बात सुन ली।

श्री बसंत साठे : आपका यह कहना है कि अमीर सिंह ने कोई सुरक्षा नहीं मांगी थी ?

श्री जय प्रकाश : हमने सुरक्षा दी है।

श्री बसंत साठे : तो सुरक्षा के बाद मर गया ?

श्री जय प्रकाश : डांगी ने कल खुद पुलिस के ऊपर गोली चलाई है, उसके गांव मतीना में और पुलिस ने आनन्द सिंह डांगी के लोगों का मुकाबला किया है, आज यह बात करते हैं कि आनन्द सिंह डांगी तो बड़ा बेचारा आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है···

उपाध्यक्ष महोदय : मि० जय प्रकाश जी, यह मामला बड़ा नाजुक मामला है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जरा सुनियेगा। यह बड़ा नाजुक मामला है···

श्री जय प्रकाश : हम मानते हैं, जी।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले सुनिए। इलेक्शन के अन्दर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिएं, इसके ऊपर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले सुनिए, बाद में बोलिए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा के अन्दर ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए जिसका जबाब देने के लिए दूसरा आदमी यहां नहीं है। आप किसी का नाम लिए बगैर···

श्री जय प्रकाश : मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का नाम लिए बगैर बड़े नाजुक ढंग से आपको अपनी बात को कहना है।

श्री जय प्रकाश : मैं पहली बार इस हाऊस में आया हूं। (व्यवधान) इन्होंने भी नाम लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, साठे साहेब ने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री जय प्रकाश : साठे साहेब ने भी लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : साठे साहेब ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा।

श्री जय प्रकाश : मैं अपनी बात कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जरूर कहिए, मगर इस प्रकार से मत कहिए कि जो यहां पर नहीं हैं उनके खिलाफ आप बोलें तो उनको बोलने का चांस नहीं मिले।

(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : जब हमें पता लगा कि अमीर सिंह की हत्या मुंडाल गांव में हो गयी है (व्यवधान) जब सुबह लोगों का पता लगा कि अमीर सिंह की हत्या की गयी है तो हजारों लोग वहां गये। यह बात लोगों को सुबह सुबह पता लगी कि उनकी हत्या हुई है। हजारों लोग मेहम के अन्दर इकट्ठे हुए। मेहम के अन्दर सभी ने यह कहा कि यह सारा षड्यंत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इलेक्शन में विघ्न पैदा करने के लिए किया गया है ताकि वह असेम्बली में न जा सकें। उनको वहां जाने से रोकने के लिए यह काम किया गया है। जब अमीर सिंह की अंत्येष्टि हुई तो उसमें हजारों लोग गए। अंत्येष्टि के बाद कांग्रेस के लोग भी वहां गए। लेकिन अपने आप को हरियाणा पंचायत संघर्ष समिति का प्रधान कहने वाला आनन्द सिंह डांगी उसी गांव में मौजूद था ··(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसको मुलजिम बनाओ।

श्री जय प्रकाश : मुलजिम तो पुलिस बनाएगी। क्या पता आप लोगों की भी बारी आ जाए? (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : (व्यवधान)···*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री कल्पनाथ राय ने कहा है वह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गोपाल पचेरवाल (टोंक) : श्री भजनलाल जी के हंसने से ऐसा लगता है कि वह उनकी मौत से खुश हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी गलत बात है । आपको यह बोलने का कोई अधिकार नहीं ।

[अनुवाद]

आप इस तरह की बात नहीं कर सकते । यह उचित नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी, कल मेहम के इलाके में आम लोगों में यह चर्चा थी कि अमीर सिंह के हत्यारों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए । अमीर सिंह के भाई ने नाम दिए हैं और हरियाणा प्रदेश के मुंढाल गांव में एफ० आई० आर० दर्ज है । इसकी बाकायदा एफ० आई० आर० दर्ज हुई है । जब पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए उनके गांव गयी और उनके घर पर पहुंची तो उसको पकड़ने से रोका गया । क्या इस प्रकार से कहीं हुआ है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाए और उस पर गोली चलायी जाए । यह सब उस गांव में हुआ । यह सारी की सारी स्थिति चुनाव के कारण पैदा हुई । वहां एफ० आई० आर० दर्ज है (व्यवधान) और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि कातिलों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए । लेकिन जब हरियाणा की पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने जाती है तो उनके लोग यह सब करते हैं । वे लोग गिरफ्तारी से क्यों बच रहे हैं ? उनको पुलिस के सामने आना चाहिए और अपने को निर्दोष साबित करना चाहिए । हमारी पुलिस ने फौरन कार्यवाही शुरू की और दूसरी पार्टी के लोगों की इस बात से पता चलता है कि इस हत्या काण्ड में कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि पांच बजे लोग अपने टैंट उठा करके, अपने घरों को चले गए और हम लोगों को साढ़े नौ बजे पता चला कि अमीर सिंह की हत्या हुई है । अगर ये लोग निर्दोष होते तो उसकी अन्त्येष्टी पर अवश्य शामिल होते । हमारे गांव में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो गांव के लोग अपनी दुश्मनी को भुला कर उसकी अन्त्येष्टी पर जरूर जाते हैं । सभी लोग इस बात को मानते हैं कि जिन लोगों के एफ० आई० आर० में नाम दर्ज हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए, यही बात मैं कहता हूं । उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो लोग पुलिस का मुकाबला करते हैं और हरियाणा प्रदेश में शान्ति भंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जो मदद करते हैं और उनके समर्थक हैं, उनको भी कंडेम करना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस देश में लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली अपनाई है । उसके भविष्य के लिए यह स्थगन प्रस्ताव बड़े महत्व का है और हरियाणा के मेहम नामक स्थान पर जो कुछ हुआ है हम उसकी कड़ी भर्त्सना किए बैगर नहीं रह सकते ।

महोदय, साफ-साफ लगता है कि वहां हत्या जानबूझकर की गई है और प्रत्यक्षतः यह एक पूर्व नियोजित हमला था तथा स्वाभाविक रूप से हम इस बारे में चिन्तित हैं। चूंकि इस देश ने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का वरण किया है और संसदीय लोकतांत्रिक सरकार का आधार चुनाव होते हैं, हमें देखना होगा कि चुनाव प्रक्रिया क्षीण न हो और वह निर्विघ्न रहे तथा इस देश के लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए जिसका अभिप्राय यह भी है कि जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं, उन्हें लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने और अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम रखने दिया जाए और कम से कम ऐसे हस्तक्षेप और जघन्य कृत्य नहीं होने चाहिए जिससे कि देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया रुक जाती है। महोदय, मुझे भरोसा है कि इसके बारे में दो राय नहीं हैं। इसी के साथ, सभा में जो कुछ हो रहा है, उस पर भी मैं अपनी चिंता व्यक्त किए बगैर नहीं रह सकता। हम जैसे ही इस तरह के मामले चर्चा के लिए ले लेते हैं तो मैं साफ-साफ कहूंगा कि जो कुछ हो रहा है, मैं उसकी अपनी और अपने दल की ओर से कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस देश में चुनाव प्रक्रिया के भविष्य के बारे में मैं अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं। लेकिन इस प्रस्ताव के संबंध में इस सभा में जो चर्चा हो रही है, क्या उसकी भी चिन्ता है? श्री साठे ने एक वरिष्ठ संसद-विद होने के नाते नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने मामले को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। क्या किसी को इस बात पर शक है कि उनका निशाना कौन है? क्या किसी को शक है कि जनता दल की तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्य का लक्ष्य कौन है? महोदय, क्या यह हो सकता है कि हत्या के संबंध में आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाएं। हम चाहते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उन्हें बड़े से बड़ा दंड देना होगा। यह स्पष्टतः एक हत्या का मामला है और समाचार पत्रों से यही लगता है कि यह एक पूर्व-निर्धारित और सुविचारित जानबूझकर की गई हत्या थी। लेकिन, महोदय, हम यहां क्या कर सकते हैं। हम चुनावों और चुनावों की निष्पक्षता के बारे में चिंतित हैं। साठे महोदय ने कहा है कि इस देश में चुनाव सदा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं।

श्री बसंत साठे : हां काफी हद तक।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब वह यह कह रहे हैं कि "कुल मिलाकर"। क्या इस देश के चुनावों का यह रिकार्ड है? यही कारण है कि हाल ही में जब सभी राजनैतिक दलों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसे प्रधान मंत्री जी ने इस देश में चुनाव सुधारों के संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया था, तो सभी दलों ने अपनी आशंकाएं और चिंता व्यक्त की थीं कि राजनीति का किस तरह से अपराधीकरण किया जा रहा है, चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से विकृत किया जा रहा है और न केवल इसमें हिंसा ने प्रवेश कर लिया है बल्कि इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर भी यह हावी हो गई है। इसलिए एक समिति गठित की गई और अब मुख्य चिंता यह है कि इस देश में राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसे कैसे रोका जाए। मैं इसे साफ-साफ कह दूं कि जैसे हम इस हत्या की भर्त्सना करते हैं, वैसे ही हम पाखंड को भी माफ नहीं करते। इस सभा में कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा धर्म-परायणता का रुख अपनाया जा रहा है, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते।

महोदय, इस देश में क्या हो गया? जब से संविधान लागू हुआ है, कितने चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं? क्या पश्चिम बंगाल में 1972 में जो हुआ उसे हम भूल सकते हैं? क्या कोई भी इस देश में वह भूल सकता है? उस समय पूरी चुनाव प्रक्रिया उलट पुलट हो गई

थी। लोगों को मतदान करने तक की अनुमति नहीं थी। 1972 में श्री ज्योति बसु के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव 10 बजे सम्पन्न हुए जब सैंकड़ों लोग अपने मत डाल चुके थे।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, और गंभीर मामले भी हैं। उन्हें 1972 में हुई घटना का जिक्र करने की क्या आवश्यकता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : त्रिपुरा में पिछले विधान सभा चुनावों में क्या हुआ था? 1977 में जब श्री दिलीप चक्रवर्ती दक्षिण कलकत्ता से संसदीय चुनाव में उम्मीदवार थे, और स्वयं उन पर हमला हुआ तब मैं वहां पर साक्षी था।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, मुझे एक व्यवस्था-प्रश्न उठाना है। स्थगन प्रस्ताव को गृहीत करते समय नियमों को पढ़ा गया था और जो प्रस्ताव गृहीत किया गया है, वह हाल की घटना संबंधी मामले के बारे में है। क्या इस वाद-विवाद में 1971 और 1972 के मामलों को उठाया जा सकता है? **(व्यवधान)** कृपया अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़े गए प्रस्ताव को देखें। यह मेहम में हाल की घटना के संबंध में है। क्या हम 1971 और 1972 के बारे में बात शुरू कर दें? यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और कोई चुनाव हारती है तो यह गलत है और यदि यह चुनाव जीतती है तो क्या यह सही है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, पिछले चुनाव के दौरान त्रिपुरा में सेना किसने भेजी थी? क्या चुनाव से पूर्व सेना भेजना हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप है? मैं यह जानना चाहूंगा। अमेठी में क्या हुआ था?

उपाध्यक्ष महोदय : चटर्जी महोदय, समय बहुत सीमित है। अतः अपनी चर्चा का दायरा न बढ़ाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, चर्चा का दायरा तो यह है कि इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। चर्चा का क्षेत्र तो यह है। यह सभा चर्चा के दौरान यह पता नहीं लगा सकती कि कौन हत्यारा है। इसलिए मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चर्चा को इतना न बढ़ाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जहां तक चुनाव प्रक्रिया का संबंध है, यह तो आवश्यक है ही। मैंने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की कि इस सभा में आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अमुक-अमुक व्यक्तियों को हत्यारा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। साठे महोदय ने यह साफ-साफ कहा। इसीलिए मुझे अपनी चिन्ता दर्शानी पड़ रही है। इस सभा का इस प्रयोजन के लिए उपयोग हो रहा है। उन्होंने पूछा : लाभार्थी कौन है, इस हत्या से किसको फायदा होगा? वह यह प्रश्न पूछ कर ही नहीं रुके हैं। उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है। उन्होंने कहा है, "सत्ता में बने हुए प्राधिकारी" वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैं यह बात साफ कर दूं कि मैं किसी 'क' अथवा 'ख' अथवा सत्ता में शीर्ष व्यक्ति के संबंध में कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं दे रहा हूं। यदि वह दोषी है, यदि उसे दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। यदि वह सरकार का प्रमुख है और यदि वह दोषी है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन माननीय सदस्य उसका नाम लिए बगैर उसकी पहचान बता रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्य ने एक अन्य नाम का उल्लेख किया है। क्या सभा का संचालन इस तरह से होगा? आइए हम इस

मामले, अर्थात् क्या हम देश में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने दिया जाएगा, की गंभीरता तक अपने को सीमित रखें।

श्री पी० चिदम्बरम : इसलिए आप विगत 1972 की बात कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, मैं विगत की बात करूंगा, क्योंकि आपने इसे शुरू किया है। इस देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रणाली को उन लोगों ने विकृत कर दिया है जो किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना चाहते थे। यह एक अनवरत बात है। हम अप्रसन्न हैं। हमें यह अप्रसन्नता है, कि हमारे सार्वजनिक जीवन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस बात का फायदा उठाने वाले लोग और राजनैतिक दल यहां पर हैं। मुझे पता है, आप अप्रसन्न है। मुझे मालूम है कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है इसलिए आप बेचैन हैं। यही कारण है कि चिदम्बरम महोदय को यह कहना पड़ता है कि आप विगत 1972, 1977 की बात नहीं कर सकते। मेहम में क्या हुआ ? अमेठी में 1989 में क्या हुआ। वहां पर क्या हुआ ? इसलिए, जैसा मैंने कहा, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। हम मांग करते हैं कि सभी संभव कदम उठाने होंगे और हम यह भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार की भूमिका कुछ भी हो, यह एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। उन्हें देखना होगा कि न केवल इस मामले में अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, बल्कि भविष्य में ऐसे अवसर न आएं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को भी सुनिश्चित करना है चाहे यह घटनाएं कहीं हों।

मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं उस समय बहुत दुखी हुआ जब इस सभा में इस तरह की बातें कही गईं। आपने माननीय सदस्यों में से एक सदस्य को रोकने की भी कोशिश की थी। संभवतः आप उस समय पीठासीन नहीं थे, जब श्री साठे बोले थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन यदि ऐसी बात थी, तो किसी को भी यह पता लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि हत्यारा कौन है। यह ऐसा स्थान नहीं है।

महोदय, यहां भड़काने वाले तत्व भी हैं। यह बात भी बड़ी गंभीर है। मेरी जानकारी का स्रोत समाचार पत्रों तक ही सीमित है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह समाचार-पत्र पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि यह एक जानबूझकर की गई और पूर्व नियोजित हत्या थी। इसे देखते हुए यह बात बहुत गंभीर है। निस्संदेह कोई विवाद या झगड़ा नहीं रहा था। यह लगता है कि यह हत्या जानबूझकर की गई थी और मैं मांग करता हूं कि यह सरकार इस देश को साफ-साफ बता दे कि आप अपने को विगत से अलग कर रहे हैं और इस सरकार के शासन में भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटने दी जाएंगी ताकि इस देश में चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकें और लोगों को अपने मताधिकार का अपने ढंग से प्रयोग करने की अनुमति हो।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेहम में जो घटना हुई है, मेरी पार्टी और मैं जितने भी कड़े शब्दों में इसकी निन्दा करें, वे छोटे पड़ेंगे। हम इसकी निन्दा पूरी शक्ति के साथ करते हैं। एक तो बेगुनाह की हत्या हुई इसलिए और उसके साथ-साथ देश का चुनाव किधर जाएगा। यह जो देश के अन्दर गलत दिशा चुनावों को मिल रही है उसको कैसे रोका जाए इस पर विचार होना चाहिए, वैसे इस पर विचार किया जा रहा है कि फ्री एण्ड फेयर चुनाव

कैसे हों। मैं स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि स्थगन प्रस्ताव होता है केन्द्रीय सरकार की निन्दा करने के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें केन्द्रीय सरकार ने क्या ऐसा किया कि उसकी निन्दा की जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह मामला अगर चुनाव के साथ न जुड़ा होता तो केवल राज्य का मामला था, कानून और व्यवस्था का मामला था। मैं इस घटना की पूरी शक्ति के साथ निन्दा करना चाहता हूं और मुझे इसके लिए अपने शब्द छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मैं इस स्थगन प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक कही गई कि यह सदन इस मामले में पूरी तरह सक्षम नहीं है क्योंकि उसके पास कोई मशीनरी नहीं है ही नहीं हमारे पास कोई साधन और अधिकार हैं कि हम यह तय कर सकें कि हत्यारा कौन है। हां, एक गाइड लाईन जरूरी तय कर सकते हैं। सरकार को अपना सुझाव जरूर दे रहे हैं। केवल अखबारों में आए उस पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते। अभी एक बात कही गई कि मर्डर के लिए उद्देश्य क्या हो सकता है, उससे किस को लाभ मिलने वाला है, यह ठीक है कि राजनीतिक लोग कुछ भी कहें, लेकिन राजनीति की ए० बी० सी० जानने वाले समझ सकते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहा होता है, अगर ऐसी घटना होती है तो हारने वाले की तरफ से होती है न कि जीतने वाले की तरफ से, क्योंकि हारने वाला अपने आप भी छुरा घोंप सकता है या अपने पर हमला करा सकता है सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कभी-कभी वह खुदकशी भी कर लेता है। यह मर्डर जो कराया गया इसके पीछे उद्देश्य यही है कि मुख्य मंत्री को बदनाम किया जाए ताकि वह किसी प्रकार से चुनाव हार जायें।...

श्री भजन लाल : आपने बहुत अच्छी दलील दी है। आपने समर्थन दिया है।

श्री मदन लाल खुराना : जो बैंक ग्राउण्ड है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी, भजन लाल जी से यही कह रहा हूं कि इसको राजनीतिक दृष्टि से न लें, अगर हमने मित्रता के नाते उनको पहले एडवाइज दी थी तो वह सही बात कही थी। हम डबल स्टैंडर्ड नहीं रखते कि जिस समय अमेठी में कुछ हो तब न बोलें और यहां हो तो इस्तीफा मांग ले। मेरे मित्र कह रहे थे कि अमेठी में जब गोली चली थी आपका पुराना साथी कई दिनों तक मौत से जूझता रहा, एक मर भी गया, मैं तब मानता अगर आप उस वक्त हिम्मत दिखाते और कहते कि उस समय भी इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आपने उस समय इस्तीफा नहीं मांगा क्योंकि प्रदेश और केन्द्र में आपकी सरकार थी। हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं कि जो मालिक कहे वही करें। पिछले मेहम प्रकरण में हमको लगा कि उस घटना से सरकार की छवि खराब हो रही है तो हमने उनको एडवाइज किया था। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो अपनी जीत के लिए मर्डर नहीं करवा सकता, बाद में कुछ भी हो, यह तो राजनीति की ए, बी, सी जानने वाला भी समझता है। मर्डर से किसको नुकसान होगा यह तो आप भी जानते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : आपकी आत्मा जो कहे वह बोलें।

श्री मदन लाल खुराना : मैं आत्मा से ही बोलता हूं, पहले भी बोलता था तो आत्मा से ही बोलता हूं आज भी बोलता हूं तो आत्मा से ही बोलता हू, हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हमारी आत्मा मरी हुई नहीं है।

2.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप इधर चेयर को अड्रैस करें।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो चिन्ता हो रही है कि यह अपराधीकरण हो रहा है ठीक कहा गया है। यह कोई अकेली एक घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनायें हुई हैं डैमोक्रेसी का मरडर करने के लिए। ये बड़े फेयर एन्ड फ्री इलेक्शन्ज की बात करते हैं। हमारे मित्र सी० पी० एम० के नेता ने भी कहा कि हत्याएं हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं दिल्ली के लिए आप लोग पांच साल के लिए चुने गए, उसे सात साल तक कैसे बढ़ाया? चुनाव होने दे तीन दिन पहले ही दिल्ली के चुनावों को कैसे रद्द कर दिया गया? आपको तो जब भी मौका मिला सत्ता में रहने का, आपने पूरी कोशिश की कि सत्ता हाथ में रहनी चाहिए चाहे इसमें एमरजेंसी लगायी जाए, चाहे दिल्ली के चुनाव 5 साल के लिए साथ-साथ कराये जायें, चाहे कहीं मर्डर कराये जायें या कहीं फौज भेजी जाए या फिर टी० वी० का दुरुपयोग किया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पुलिस के हवाले कैसे किया? जैसे वहां के मुख्यमंत्री ने···(व्यवधान)

पिछली मेहम की घटना को देखते हुए जिस तरह से हरियाणा के मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि वे उस क्षेत्र में नहीं जायेंगे, सैण्ट्रल अपनी पुलिस भेजे। क्या यह कम हिम्मत थी उनकी? इसलिए मैं यह भी साथ में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा की पुलिस इसकी जांच नहीं करती और सैण्ट्रल की कोई एजेंसी करती तो सबको संतोष होता कि लोगों को न्याय मिला तो एकदम से निष्पक्ष न्याय मिले। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि या तो महम की पिछली घटनाओं को लेकर जो कमीशन बैठा था, यह मामला भी उसे सौंप दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए और असली कलप्रिट सामने आ जाए। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जो वहां के मुख्यमंत्री के हित में है क्योंकि इससे यह दिखायी देगा कि यह निष्पक्ष जांच हुई है। इसके अतिरिक्त यदि वहां के मुख्यमंत्री किसी और एजेन्सी या पुलिस से जांच कराते हैं तो समझ लीजिए भजनलाल जी, कि यही कहा जाएगा कि चूंकि वहां के मुख्यमंत्री थे, इसलिए यह जानबूझकर हो रहा है। अतः केन्द्रीय सरकार की किसी एजेंसी से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। इसलिए मेरा सुझाव है इस हत्या की घटना की जांच हरियाणा पुलिस के पास न रहकर केन्द्र की किसी एजेंसी के पास हो तो अच्छा होगा या फिर मेहम की घटनाओं को लेकर जो पहले कमीशन बैठा था, यह मामला उसे दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो मर्डर हुआ, उसकी चिन्ता है। अब कल बात हो रही थी कि प्रधान मंत्री के इलाके में हरिजन की हत्या हुई लेकिन अमेठी में जो हुआ उसके बारे में? लेकिन आप तो बार-बार मेहम की बात ही करते हैं, जबकि आपको इस तरह की सारी घटनाओं को एक नजर से देखना चाहिए मैं यही आपसे कहना चाहता हूं··· (व्यवधान)··· मैं यहां बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं लेकिन आप डबल स्टैन्डर्ड इस्तेमाल मत करिए। हत्या हत्या है और डैमोक्रेसी का मर्डर डैमोक्रेसी का मर्डर है। वहां गोली चलायी गयी, कोल्ड ब्लडेड काण्ड हुआ है। यदि ऐसा काण्ड अमेठी में होता है तो उसकी भी निन्दा करिये, यदि इधर होता है तो उसकी भी निन्दा करिये। यह नहीं हो सकता कि यहां तो आप निन्दा करें, अपनी जगहों पर खड़े हो जायें और अमेठी में कोई ऐसा मामला सामने आये तो कहें कि हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे आका का मामला है।···(व्यवधान)·· उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात

यहीं तक सीमित रखते हुए, आपसे इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं की हमें निन्दा करनी चाहिए मगर इसमें किसी तरह का डबल स्टैन्डर्ड नहीं होना चाहिए। जिस तरह देश में राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, उसे रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए और कल हरियाणा में जो घटना हुई है, मैं चाहता हूं कि उसकी जांच हरियाणा पुलिस से न करायी जाये, यह वहां के मुख्यमंत्री के हित में है। वे इसकी जांच के लिए केन्द्र से कहें और इसकी जांच किसी केन्द्रीय एजेंसी से करायी जाये अथवा पहले से अमेठी काण्ड की जांच के लिए जो कमीशन बैठा हुआ है, उसे भी यह काम सौंपा जा सकता है, यही मेरा निवेदन है।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि आप माननीय सदस्यों से कहें कि मेरी बात सुनने की कृपा करें ... (**व्यवधान**) ... यदि आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है और किसी पार्टी का मामला हो भी नहीं सकता, बल्कि यह प्रजातंत्र को बचाने का मसला है। ...(**व्यवधान**) ... अभी तो मैंने कोई ऐसी बात कही ही नहीं है। हम भी वाह वाह से फालतू बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन हमने कोई ऐसी बात नहीं की और न हमने किसी को बीच में टोका। यहां गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे जरा अपनी पार्टी के लोगों का ठीक रखें। हमने कभी किसी को बीच में नहीं टोका, यदि ऐसा होगा तो यहां किसी को नहीं बोलने देंगे, उसका फायदा क्या है। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आप मेरी बात का उस समय जवाब दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी कहूंगा कि मेहरबानी करके आप जरा इन्हें रोकने की कृपा करें। अभी तो मैंने कहा ही कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ चेयर को एड्रैस कीजिए और बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेहम का मसला इतना गम्भीर मसला है, जिसके बारे में सारे सदन का चिन्तित होना नितान्त आवश्यक है। यह किस्सा पहली बार मेहम में नहीं हुआ, आप जानते हैं कि जब वहां इससे पहले चुनाव एनाउन्स हुए थे, 27 फरवरी को वोट डलने थे, उस समय भी वहां बड़ा भारी डैमोक्रेसी का मर्डर हुआ था ... (**व्यवधान**) ... यह बात मैं नहीं कहता, इन्हीं की पार्टी के सीनियर मंत्री, इनके दल के, चौधरी चरण सिंह जी के बेटे, चौधरी अजीत सिंह जी का कहना है। वे मौके पर गए थे, उनकी माता जी भी मौके पर गयी थीं, और कुछ लोग भी मौके पर गए थे, उन्होंने वहां जाकर जो कुछ देखा, उसके बाद यहां आकर स्टेटमैंट दिया प्रेस में कि वाकई बड़ा जुल्म और अन्याय वहां पर हुआ है, वहां कि सरकार ने घोर अन्याय वहां पर किया है, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिये। इसलिए मैं यह बात नहीं कहता हूं, इनकी पार्टी के नेताओं का यह कहना है। इतना ही नहीं, सारे देश के अखबार वाले वहां मौके पर गए और लगभग प्रेस के 100 महानुभावों ने अपनी आंखों से सारे माजरे को देखा, उसकी चश्मदीद गवाह इस देश की प्रेस है कि किस तरह उनके सामने बूथ्स का कैप्चरिंग हुआ, किस तरह लोगों के साथ ज्यादती जुल्म हुए और किस तरह लोगों को मारा गया। एक नहीं मरा, 45 आदमियों की जानें पिछले इलैक्शन में गईं जिनमें से 22 लोग पब्लिक के और 23 पुलिस कर्मचारी हैं। ... (**व्यवधान**)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां बोलिए।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी 45 हत्याओं की बात कर रहे हैं। वहां पर सिर्फ 8 हत्याएं हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जाइए।

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : चौधरी साहब, आप क्यों गलतबयानी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार इस प्रकार से उठकर बोल रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 22 के लगभग जो सिपाही मारे गए, उनके बिस्तर अभी तक बैरकों में पड़े हैं, वे अभी तक लौटकर इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वे मर गए हैं। उनके घर के लोग परेशान हैं। पता नहीं इन्होंने उनको कहां ले जाकर डाला है, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही हैं। आठ तो ये खुद मान रहे हैं।

श्री कपिल देव शास्त्री : चौधरी सहाब, सत्य बोलो। आप किसी एक का भी नाम ले दो ?

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर इंडिया टु डे की तरफ से तैयार की गई न्यूज ट्रेक फिल्म टी वी पर देख लेंगे, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां क्या हालत है यह पहले भाग में है और दूसरे भाग मे दिखाया गया है कि किस तरह से बूथों पर कब्जा हो रहा है और किस तरह से ** ने खुद गोली चलाकर, गांव के सरपंच को,...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, प्लीज नाम न लीजिए। जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं उनका नाम न लीजिए। नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष जी, मैंने नाम ले दिया, मैं उसे वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, सारे प्रदेश के लोगों को पता है।

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आप इसको छोड़ दीजिए।

श्री भजन लाल : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह के हालात वहां हुए हैं। अभी खुराना साहब बोल रहे थे यहां पर बी० जे० पी० की तरफ से और सी० पी० एम० की तरफ से भी माननीय सदस्य बोल रहे थे। खासतौर से बी० जे० पी० और सी० पी० एम० के लोगों ने कहा कि वहां मेहम में बड़ा अन्याय और जुल्म हुआ है और ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाण के मुख्य मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

श्री बालगोपाल मिश्र : आपने पहले निर्देश दिया था कि किसी का भी नाम नहीं लिया जाना चाहिए। यह आपका निर्देश है। मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपसे अनुरोध करता हूं।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है । कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री : यह तो असत्य कहा जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से हर बार, पाइंट ऑफ आर्डर रेज कर के ऑब्स्ट्रक्शन मत कीजिए । अगर किसी ने किसी के खिलाफ एलीगेशन लगाया है, डिफेमेटरी स्टेटमेण्ट किया है तो उसका नाम यहां पर लेना वर्ज्य है । अगर कोई किसी के खिलाफ पोलिटिकली बोल रहा है, तो वह वर्ज्य नहीं है । कृपया आप इस तरह से बार-बार पाइंट आफ आर्डर न उठाएं । कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया था कि जो कोई भी दोषी पाया जाता है उसे दण्ड दिया जाना चाहिए । उसने कोई नाम नहीं लिया है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठ जाइए, आपको बोलना है तो मैं टाइम दे दूंगा ।

श्री भजन लाल : मैं नाम लेकर कहता हूं कि सभी पार्टियों के लोगों ने इस्तीफा मांगा । दुख की बात तो यह है कि इस देश के प्रधान मंत्री जिनको सबने कहा, देश के अखबारों ने कहा, पोलीटिकल कमेटी मीटिंग में डिस्कस हुआ और कमेटी में सबने कहा कि इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री दोषी हैं, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए । लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दबाव में इस्तीफा मांग नहीं सकते थे । वे अपने आपको कहते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूं । इससे ज्यादा कमजोर कोई आदमी हो सकता है कि डेमोक्रेसी का इस तरह से मर्डर हुआ हो और सारे देश के लोग कहें, उनकी पार्टी के मंत्री कहें, बी० जे० पी० के नेता कहें, देश के लोग कहें, उसके बावजूद डिप्टी प्रधान मंत्री के दबाव में आकर श्री वी० पी० सिंह ने इस्तीफा नहीं मांगा । (व्यवधान) श्री देवी लाल हाउस के मैम्बर हैं, उनका नाम लेना कोई मना नहीं है । (व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मेरा पाइंट आफ आर्डर है, इसको एक्सपंज किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार इस प्रकार से पाइंट आफ आर्डर मत उठाइए । पोलीटीकली इस हाउस में डिस्कस किया जा सकता है, पोलीटीकली नाम लिया जा सकता है, डीफेमेटरी, ऐलीगेटरी स्टेटमेंट किसी के खिलाफ नाम लेकर नहीं करते हैं । आपका पाइंट आफ आर्डर नहीं है । कृपया बार-बार इस प्रकार से मत कीजिए ।

श्री भजन लाल : जो प्रधान मंत्री कहते थे कि हम नैतिकता के आधार पर राजनीति करेंगे, क्या यही उनकी नैतिकता है ? इतने लोग मर गए, कितनी ज्यादती, जुल्म हुए । जिस देवी जी के लड़के को उन लोगों ने चार बार वहां से चुनकर भेजा, वे उस ऐरिया में अफसोस करने भी नहीं गए, न ही वहां के मुख्य मंत्री गए, न ही श्री देवी लाल गए । मुझे कहते हुए महसूस होता है इलैक्शन कमीशन के बारे में, इनडीपैंडेंन्ट बौडी है उसके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता,

लेकिन इलैक्शन कमीशन ने भी इन सरकार के दबाव में आकर ऐसी जुल्म, ज्यादती की है कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। सबने यह कहा था कि दुबारा डेट तय करके चुनाव होना चाहिए लेकिन मुख्य मंत्री को वहां से भागने का मौका दे दिया। उससे पहले उन्होंने कहा कि वोटर्स लिस्ट रिवाइज होगी और 30 दिन का समय उसमें लगेगा। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं 15 दिन का समय दो ताकि मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ सकूं, यहां तो इस इलाके में, गांव में घुस नहीं सकूंगा। इसलिए एक महीने से 15 दिन पर ले आए, इससे भी ज्यादा ज्यादती की बात हो सकती है। सरकार के दबाव में आकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को दूसरी जगह भागने का मौका दे दिया। अगर इतने ही बहादुर थे तो एक ही जगह से लड़ना चाहिए था, दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत थी? पहले तो जनता दल बोर्ड के लोग इस्तीफा मांगते थे फिर बोर्ड के लोगों ने कह दिया कि जहां से मरजी आए, वहीं से ले लो। मैं पूछना चाहता हूं कि श्री वी० पी० सिंह की और सरकार की नैतिकता कहां गई?

अब दूसरा चुनाव आ गया और डेट रखी गई। एक बार मुख्यमंत्री वहां पर जायजा लेने के लिए गए, बाकायदा पुलिस की छावनी में, मोर्चेबंदी में गए और देखा कि लोगों की आंखें ठीक नहीं हैं। दूसरी जगह फार्म भरा और कह दिया कि मैं हल्के में नहीं जाऊंगा। यह किस मुंह से हल्के में जायेंगे? कितने लोगों की आंख बंद करके ये हल्के में जायेंगे? ये और इनका बेटा दोनों वहां दाखिल नही हो सकते हैं। वहां के लोगों में इतना अधिक रोष है जिसका कोई अंत नही है। उनको पहले ही पता लग गया था कि उनकी वहां जमानत बचने वाली नहीं है। इसी बात को लेकर उन्होंने जानबूझकर अपना आदमी खड़ा किया। वह उनका खास आदमी था। अमीर सिंह जिसकी हत्या हुई उसको वहां से खड़ा कर दिया। लोगों में जो आम चर्चा है, उसको मैं बता रहा हूं। जयप्रकाश जी ने कह दिया कि इसमें आपका हाथ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह सदन है। यहां जो बोलो सच बोलो। मैं इस बात के लिए चैलेंज करता हूं। आप अपनी पार्टी के लोगों की एक कमेटी बनाओ, अगर वह कमेटी कहे कि इसमें भजन लाल का हाथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर यह बात झूठी साबित हो गई तो आप इस्तीफा देना।...(व्यवधान)... किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने आपको देखना चाहिए। जो इन्सान जैसा होता है वैसे ही दूसरों को समझता है। मैंने सेंट्रल हाल में इनसे यह कहा था कि आप हिसार से चुनकर आये हो यह तो अच्छा हुआ, आपकी तकदीर अच्छी थी कि मुझे फरीदाबाद से चुनाव लड़ना पड़ गया, इसलिए आपको जीतने का मौका मिल गया।...(व्यवधान) सदन के अन्य महानुभाव शायद इनको जानते नहीं होंगे। यह वह व्यक्ति हैं जिसको हरियाणा में ग्रीन ब्रिगेड कहते हैं। इसके वह सरदार हैं। अपने आपको बहुत तीस-मार्का समझते हैं। मैं जानता हूं कि इस तरह की बात का इलाज कैसे किया जाता है।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय, अमीर सिंह का मर्डर हुआ, यह बहुत दुखदायी बात है। यह हरियाणा के लिए ही दुखदायी बात नहीं है सारे देश के लिए दुखदायी बात है। इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। इसकी गहराई में जाकर विचार करने की आवश्यकता है। इसका जब तक विनाश नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है।

एक माननीय सदस्य : यह अमेठी से शुरू हुआ है।

श्री भजन लाल : आप मेरी बात सुनने की कृपा करें। इसके पहले वहां क्या कुछ हुआ वह

सुन लेंगे तो अन्दाजा लगा लेंगे कि कैसे यह मच हुआ ? 16 तारीख की रात जो परसों गई है, उस रात खाने पर ओम प्रकाश चौटाला के बेटे को शशि कला सिंह के घर में रोहतक में बुलाया गया। अमीर सिंह जो मारा गया है, वह भी उसमें शामिल था। खाना साढ़े 10 बजे खत्म हुआ··· (व्यवधान)···हकीकत हम बताते हैं ताकि पता तो लगे हाऊस को कि क्या हुआ है। साढ़े 10 बजे खाने से आये, रोहतक रैस्ट हाउस में और वहां से 11 बजे अभय सिंह और इनकी पार्टी के लोग एक गाड़ी में बैठकर साथ ले गये क्योंकि रोहतक से मदीना बीच में पड़ता है, उसको कह दिया कि आपको वापस गांव में छोड़ देंगे, बैठाकर साथ ले गये और सुबह चार बजे उसका मर्डर** हो गया और मुढाल में सड़क पर उसकी बॉडी पड़ी मिली···**

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी का लास्ट सैण्टेंस रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री भजन लाल : उसकी बोडी मिल गई, उसके गोली लगी हुई है। मैं कहता हूं, उसका चार बजे मर्डर हो गया और उसकी लाश डाली गई और वहां पर लोगों ने लाश पड़ी हुई देखी। ···(व्यवधान)···आप सुनने की कृपा करिये। आप हाऊस की जोइंट कमेटी बना दीजिए, जोइंट कमेटी इसकी जांच करेगी। आनन्द सिंह डांगी जो चुनाव लड़ रहा है, वह भी उसी मदीना गांव का है और यह अमीर सिंह, जिसकी हत्या हुई है, हत्या की गई है, वह भी उसी गांव का है। आपस में पार्टीबाजी तो हो सकती है गांव में। जैसा उन्होंने कहा कि पंचायत का चुनाव लड़ा होगा, एक जीतता है, एक हारता है, हार भी सकता है, जीत भी सकता है आदमी, वह अलग बात है लेकिन आनन्द सिंह डांगी के बारे में उनके भाइयों की तरफ से सरकार लिखवाकर के कि उन्होंने मारा है, आप अंदाजा लगाइए कि उसी वक्त उनको कैसे सुगंध आ गई, कौन मौके पर था, घटना के वक्त कौन था जिसके सामने मारा गया···(व्यवधान)···मारा गया, कहता हूं मैं। यह तो हकीकत है, मरा तो है न और मारा गया गोली से, गोली लगी हुई है और किसने मारा, वह इन्क्वायरी से पता चल जाएगा, सारी बात पता चलेगी। यह इस मामले को सीरियस नहीं समझते। दुख की बात तो यह है कि यह मामला कोई ऐसा वैसा हंसी मजाक में करने का नहीं है, कभी इसका कह दो, कभी अमेठी का कह दो, किसी संजय सिंह का नाम ले दें, यह बड़ा सीरियस मामला है। यह डैमोक्रेसी को सेव करने का सवाल है कि डैमोक्रेसी कैसे बच सकती है, इसके लिए बड़ी भारी गंभीर चिंता होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं, देख चाहे कहीं भी रहा हूं लेकिन मैं एड्रेस आपको ही कर रहा हूं। इसके अलावा क्या हुआ कि जहां पर वह लाश मिली, वह गांव जहां मुख्यमंत्री हरियाणा की बेटी ब्याही हुई है, मुढाल गांव में जहां उसकी बोडी मिली है, मुख्य मंत्री की बेटी वहां ब्याही हुई है, अब वह तफतीश से पता चलेगा कि कहां तक क्या पोजीशन है। मैं जो कह रहा हूं, वह रिकार्ड की बात है, आपके सामने हकीकत कह रहा हूं, सच्चाई के साथ कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, उसके अलावा···

श्री जय प्रकाश : मुख्य मंत्री की बेटी मुढाल में नहीं ब्याही हुई। आप लोग हमेशा सदन को गुमराह करना चाहते हैं, आपकी आदत है।

श्री भजन लाल : टेकचन्द, एक्स एम० एल० ए० के बेटे से किसकी बेटी ब्याही हुई है ?

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं बाप, बेटे और दादा तक का नाम बता दूंगा, मैं हरियाणा के लोगों को जानता तक नही था। फिर उसके बाद में इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके, दांगी और तीन भाईयों के, चारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके बाकायदा पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, वर्कर्स इकट्ठे हो गए, पुलिस को कहा कि तुम इन बेगुनाह लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, पुलिस पर बड़ा भारी एतराज किया, लोगों ने कि हम ऐसे गिरफ्तार नहीं करने देंगे, किसी ने कहा कि यह फलां जगह थे, मेरे पास थे, फलां गांव में थे, जैसे आदमी बात करता है, इलैक्शन के दिनों में हर जगह वोट मांगने जाता है, पुलिस जब ज्यादा पहुंच गई और गांव वालों के रोके से नहीं रुकी तो लोगों ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे। तब पुलिस ने एकदम फायरिंग शुरू कर दी और उसके तीन आदमी मारे गए। एक बच्ची 16 साल की नौजवान लड़की और दो आदमी पुलिस की गोलियों से मारे गए। कुछ आदमी घायल हुए। इतनी भारी वहां गोलियां चलीं कि जैसे कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया हो। इतनी ज्यादती वहां पर पुलिस ने की। यह अकेली इस इलैक्शन में पुलिस की ज्यादती नहीं है। पहले वाले चुनाव में भी 20 हजार पुलिस कर्मचारी वहां तैनात कर दिए गए थे, डी० आई० जी० वहां पर तैनात कर दिए गए थे। वहां पर इतनी ज्यादती और जुल्म हुआ जिसका कि अंत नहीं है। यह डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। आज वहां कौन आदमी सेफ है? हरियाणा में आज कोई आदमी सेफ नहीं है। आज जो हम उनके खिलाफ बोलते हैं, मैं भी सेफ नही हूं। क्या बनेगा इस देश के अंदर? कैसे डेमोक्रेसी रहेगी? इसलिए इस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे सदन की एक ज्वाएंट कमेटी बना दी जाए जो कि इसकी जांच करे जिससे कि पानी का पानी और दूध का दूध हो जाए और सारी सच्चाई सामने आ जाए। या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें ताकि पता लग जाए कि कौन दोषी है और दोषी आदमी के खिलाफ पूरी कार्यवाही हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेहम में किसी भी केन्डीडेट को सेफ्टी प्रदान नहीं की गयी। दरबाकलां में 12-12 आदमी लगा रखे हैं। आज आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा कि एक केन्डीडेट ने कहा है कि हम क्या करें, हमारे साथ तो पुलिस वाले लगे रहते हैं। किसी के घर जाते हैं तो शाम को उसकी रिपोर्ट पहुंच जाती है और रात को पुलिस वाले उसके घर वालों को बुला लेते हैं कि तुमने वोट को कांग्रेस को हां कैसे की। दरबाकलां में सी० आई० डी० के 12-12 आदमी लगा रखे हैं। इतनी दहशत वहां फैला रखी है जिसका कि कोई अंत नहीं है। यह इसलिए कर रखा है कि ताकि वहां से जीता जा सके। मेहम क्षेत्र के गांवों में घुमने लायक नहीं थे, वहां जमानत तक जब्त होने वाली थी। वहां कैसे इज्जत बचे, सोचा कि मर्डर कराने से बची रहेगी। इसलिए इसकी जांच करानी होगी। इसमें हरियाणा की पुलिस जांच नहीं कर सकती। इसकी सी० बी० आई० जांच करे या हाऊस की कमेटी करे। नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई सीटिंग जज करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होकर सामने आए।

मैं इन शब्दों के साथ इस घटना को कंडेम करता हूं और सारे सदन से अपील करता हूं कि इस मामले में पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला संगीन है और इस तरह के

मामलों में हम लोग भी और मैं भी भुक्त-भोगी हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन इस पर गंभीरता-पूर्वक विचार करे।

वहां जो कुछ हुआ कि एक प्रत्याशी की हत्या हुई और पुलिस द्वारा फायरिंग में एक 16 साल की बालिका की हत्या हुई और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति श्री किशनसिंह की भी हत्या हुई। उपाध्यक्ष जी यह जो जानकारी आई है और जो तस्वीर या फोटो अखबार में आई है उससे ऐसा लगता है कि पुलिस भी उसमें संलग्न है। मेरे यहां भी मेरे क्षेत्र में जो विधान सभा क्षेत्र के जब चुनाव हुए थे तो वहां भी पोलिंग बूथ पर और काउंटिंग बूथ पर कब्जा हुआ था जिसमें सरकारी अफसरों ने सक्रिय होकर काम किया था। यहां तक कि जो हमारे कांग्रेसी मित्र हैं वे भी उसमें थे। पांच आदमी गोली चलाने से मारे गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, एलान के बावजूद वहां सरकारी तंत्र से जांच कराना संभव नहीं हो रहा है। मैंने गृह मंत्री जी से कितनी बार कहा कि सी० बी० आई० से जांच कराई जाए क्योंकि शासन तंत्र का जो आज हाल है उससे यह संभव नहीं है। हमने देखा कि मुढाला गांव में लाशों के ढेर लगा दिए गए हैं। हालांकि वहां मुख्य मंत्री ने एलान किया है लेकिन मैं विश्वास नहीं करता, उन्होंने बूथों पर कब्जा किया है तो मामला वहां भी संगीन है। हालांकि मुख्य मंत्री जी ने यह ऐलान किया कि इसकी कड़ी जांच हो और इस पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। आप जानते ही हैं कि हमारे मित्र श्री मित्रसैन यादव जो पिछली बार चुनाव जीते थे, उस सांप्रदायिक तनाव के बीच में राम जन्म भूमि का विवाद था और वहां के लोगों में बहुत तनाव फैला हुआ था। उस समय हमारे मित्र श्री मित्र सैन यादव ने इस सारे देश को यह संदेश दिया कि हम खून-खराबा नहीं चाहते हैं, कत्लेआम नहीं चाहते हैं, इस राम की जन्म भूमि पर सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद ही श्री मित्रसैन यादव पर गोली चलाई गई और वह बड़ी मुश्किल से बचे। आप मेरे बारे में भी जानते होंगे कि जब लोक सभा के चुनाव होने वाले थे तो मुझे रात को 3 बजे गिरफ्तार किया गया था। बाद में मुझे रेडियो और अखबारों में मालूम हुआ कि मेरे हाथ में बम से भरा हुआ बैग था। आज तक मैं सारी जिंदगी लड़ता रहा और जेल की दीवारें फांद कर मैं अब भी आया हूं, बम को मैंने आज तक कभी छुआ नहीं है और 12 बजे के बाद जब लोगों को पता चला कि मैं गिरफ्तार हूं तो लोगों ने बहुत गुस्सा किया।

इस तरह से यह प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस वालों ने ज्यादा दिन तक शासन किया है और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। उस बढ़ावे के कारण ही आज हरियाणा और मेहम में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह सब जो हो रहा है, यह हम सबके लिए दर्दनाक तो है ही, मगर एक यह सवाल हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम हरियाणा की सरकार या हरियाणा की पुलिस इसकी जांच का भार अपने माथे पर न ले और यह उसके हित में भी है। मैं भी चुनाव में लगातार जीत करके आया हूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह ऐलान जरूर करे कि हर व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, दूसरी जगह से नहीं। वह व्यक्ति बताये कि मैं एक ही जगह से चुनाव के लिए खड़ा होऊंगा, दूसरी जगह से नहीं। साथ-साथ फिर यह भी बताये कि मैं इलैक्शन एजेंट नहीं रहूंगा, पोलिंग एजेंट नहीं रहूंगा। आज अदालतों में भी बहुत हेरा-फेरी की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह जनतंत्र का कौन-सा तरीका है, कौन-सा जादू है, जो हम सबके लिए और आपके लिये भी सोचने का मामला है। मैं नहीं जानता हूं कि यह सब बातें कैसे हो रही हैं—किसने हत्या कराई, यह नहीं कहा जा सकता,

लेकिन इस हत्या का एक उद्देश्य जरूर था कि यह चुनाव न होने पायें, ये चुनाव स्थगित हो जायें। आज संदेह सब तरफ किया जा सकता है लेकिन संदेह को तथ्य का आधार नहीं माना जा सकता है। आज संदेह लोग करते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो दो जगहों से चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, कि अगर एक जगह से चुनाव नहीं जीतूंगा तो दूसरी जगह से चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन संदेह किसी दूसरे पर भी किया जा सकता है। संदेह पर कोई राय देना मुनासिब नहीं है। मेरा इतना आग्रह जरूर है कि इसकी निन्दा सारे सदन के लोगों एक साथ मिल करके करते हैं कि इसकी जांच राज्य सरकार पर न रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट के जज के द्वारा ही इसकी जांच कराई जाये या कोई दूसरा तरीका आपको अपनाना चाहिए। हरियाणा सरकार इसे बहाल करे तो और भी बेहतर है और अगर न भी करे तो जनतंत्र की रक्षा के लिए यहां पर सदन के लोग इस पर विचार करें।

मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करे कि कौन-सा रास्ता इसके लिए ठीक रहेगा ताकि लोगों की आस्था सरकार के प्रति बनी रहे क्योंकि यह बहुत संगीन खतरा है। बैलेट का स्थान बुलेट ही हर जगह न ले ले। बुलेट तो उधर भी चलता है और इधर भी चलता है, इससे कोई वंचित नहीं हो सकता है, यह एक तरफ नहीं चलता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इसमें भारत सरकार का क्या दोष है। इस कार्य स्थगन प्रस्ताव का मैं समर्थन नहीं कर सकता और मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि यह जो अन्यायपूर्ण घटनायें घटी हैं, इस तरह की घटनाएं भविष्य में न घटें, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। नहीं तो आगे भी इस तरह से चुनाव कराने के लिए, कोई भी व्यक्ति चुनाव स्थगित कर सकता है। इस तरह से किसी की भी हत्या की जा सकती है। इसलिए इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए।

इस जांच के दायरे में यह बात जरूर है कि भजन लाल जी बोले हैं, उनके मंत्री बयान दे चुके हैं पहले कि यह होना चाहिए, मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिए, हमारे मंत्री दे चुके हैं, जो हमारे मत के हैं, हम उनके समर्थन में हैं, मैं कैसे कह दूं कि वे गलत बोले, या आज नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि ऐसी हालत में काफी संदेह का वातावरण बन गया है। इसलिए न्यायिक जांच ऐसी हो जो सन्देह से परे हो, इस पद्धति से हो या केन्द्रीय स्तर से हो, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। बाद में जो पुलिस ने हत्याएं कि हैं, उसकी भी जांच हो कि ये हत्याएं क्यों हुई हैं। पुलिस वाले भी गिरफ्तार करना जानते हैं, जहां खतरा हो तो छोड़ देते हैं, बाद में अकेले में कर लेते हैं। युद्ध करने की कौन-सी आवश्यकता थी, वहां के लोगों से मुकाबला करने की क्या आवश्यकता थी, अभी दो की जानें गई हैं, पता नहीं बाद में क्या खबर आती है, लेकिन इस बात के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हरियाणा सरकार इसको देखेगी, देखना है कि वह लोगों से किस तरह का व्यवहार करती है, क्या वह लोगों के साथ युद्ध करेगी?

इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि एक मत से इस घटना की निंदा करनी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच या जो भी जांच का सही तरीका हो, करनी चाहिए। वह तरीका हरियाणा सरकार से अवश्य परे होना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के लिए 2 घन्टे 30 मिनट का समय दिया जाता है। हमने शायद 1 बजे से चर्चा शुरू की है और साढ़े तीन बजे हमारा प्राइवेट मेंबर बिजनेस शुरू होता है। मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोगों

को मैं बुलाने जा रहा हू। जिनको बुलाने जा रहा हूं वे प्वाइंटस रिपीट न करते हुए अपनी बात सामने रखें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का समय मिल सकेगा। अब मैं श्री कपिल देव शास्त्री को बुला रहा हूं।

श्री कपिल देव शास्त्री : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन् 1937 से आज तक हरियाणा की राजनीति का निकट से प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लंबी-चौड़ी प्रस्तावना न बनाएं।

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, सिर्फ मुद्दों पर ही बोलूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि जो भी बात मैं कहूंगा, फैक्ट्स के आधार पर कहूंगा। मैंने अनेक लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने फिर प्रस्तावना शुरू कर दी, बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं मिन्टों में अपनी बात खत्म करूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सारा देश एक तरफ और मेहम का मामला एक तरफ है, बल्कि मैं मेहम को भी छोड़ता हूं और कहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला एक तरफ है। लड़ाई बड़ी सीधी है। सारे देश का जो प्रेस है, मैं नहीं जानता कि उनकी भावनाएं क्या हैं पर वह अंधा होकर मुखालिफत पर जुटा है, तथ्यों पर आधारित नहीं चल रहा है।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर है, प्रेस को इस तरह बोलना कि अंधा होकर जुटा है, यह ठीक नहीं है, यह सदन की कार्यवाही में नहीं जाना चाहिए।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : प्रेस के खिलाफ क्यों बोलते हैं। **(व्यवधान)**

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं इसलिए कह रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा, पिछले तीन महीने से जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है, 5-7-10 दिन को छोड़ कर सारा कुछ एकतरफा ही छपा है। यह मेरे पास 28 फरवरी का दैनिक ट्रिब्यून है, जिसमें एक फोटो छपा है, जिसके नीचे लिखा है कि वोट डालने वाले के हाथ तेजाब डाल कर जला दिए दिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस पोलिंग बूथ पर था, भैणी महाराजपुर की एक घटना है। 24 फरवरी को भैणी महाराजपुर में स्पीड-ब्रेकर बनाते हुए उस मजदूर के हाथ जले। उसका नाम हवा सिंह है। मैं चौधरी भजन लाल की बात को स्वीकार करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाऊस का कोई भी सदस्य भैणी महाराजपुर में जाकर तसल्ली कर ले कि उस व्यक्ति के हाथ तेजाब से जले हैं या तारकोल से। वह आदमी प्राइवेट प्रैक्टीशनर के पास गया और फिर मेहम अस्पताल में गया। सभा में खड़े होकर उसने कहा कि मेरे हाथ तारकोल से जले हैं, तेजाब से नहीं। अगर तेजाब से जलते तो मुंह, पेट, आंख या कपड़े भी जलते। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं कि 23 दिन तक लाश पड़ी रहे और उस लाश को न कुत्ते खाएं, न गिद्ध खाएं और न कौवे खाएं और आनन्द सिंह डांगी, पी० टी० आई० उस लाश को मैदान से उठाए और अपने गांव में जाकर उसका दाह संस्कार करे। इस बात की तसल्ली कर लें कि आई० टी० आई० के मैदान में 23 दिन तक लाश पड़ी रही या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह किसकी चर्चा कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इन सब बातों के लिए समय नहीं मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इस समय कोई मिनिस्टर हाऊस में नहीं है । (व्यवधान)

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं सत्य कह रहा हूं तो आपको दर्द क्यों होता है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ भी कहना है 5 मिनट में कह लीजिए । उसके बाद मैं आपको समय नहीं दूंगा ।

श्री कपिल देव शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जनता दल की ओर से बोलने वालों का समय दे दीजिए । मैं हरियाणा की राजनीति का एक अधिकृत व्यक्ति खड़ा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश को चैलेंज करता हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मेरे माध्यम से देश को चैलेंज न कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रैस और सारे हाउस को चैलेंज करता हूं कि जो अभय सिंह को दोषी साबित कर दे वह एक लाख मुझसे ले जाए और यदि साबित न कर सके तो 10 हजार मुझे दे जाए । (व्यवधान)

श्री भजन लाल : वह तो इन्क्वायरी वाले करेंगे । उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कर दें मैं दो लाख दूंगा, अगर जांच हो जाए, यह मेरा चेलेंज है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन का उपयोग शर्त लगाने के लिए नहीं करने दिया जायेगा ।

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभय सिंह का नाम आया है गोली चलाने में···

श्री भजन लाल : पुलिस की वर्दी पहन कर बाहर निकाला था । (व्यवधान)

श्री कपिल देव शास्त्री : इस सदन में 45 आदमियों के कत्ल की बात कही गई । मैं यह कहना चाहता हूं कि एक आदमी के कत्ल पर सारा देश चिन्तित है, लेकिन 45 आदमियों के गांव, पते और ठिकाने कोई बताने वाला नहीं है । मैं आपके माध्यम से भोगेन्द्र झा जी को जानकारी देना चाहता हूं कि हरियाणा में सभी लोगों को यह आशंका थी, सभी चिन्तित थे कि मेहम में मुख्य मंत्री चुनाव लड़ता है तो दो जून तक उसे विधान सभा में नही पहुंचने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े । इसीलिए जुलाना के पास एक छोटा-सा गांव है किरमोला, वहां के आदमी से फार्म भराया। दड़बा वहां 100 किलोमीटर दूर है, कहा जाता है कि दस-दस आदमी लगा रखे हैं, दस-दस आदमी न लगायें तो दड़बा में भी चौटाला को विधान सभा में नही पहुंचने देने के लिए किसी का कत्ल हो सकता है । यहां पर बूथ पर कब्जा करने की बात भी कही गई, मेरे हाथ में दैनिक हिन्दुस्तान है, उसमें संतोष तिवारी लिखते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 15 मिनट तक भाषण किया है अब आप समाप्त करें । आपकी पार्टी को चालीस मिनट मिले हैं, फिर मंत्री जी भी बोलेंगे और उसके बाद साढ़े तीन बजे बैर

सरकारी कार्य दिवस शुरू होने वाला है। इसलिए आपको एक मिनट में खत्म करना होगा। मैंने पहले ही बताया था कि इन चीजों को न कहें।

श्री कपिल देव शास्त्री : दांगी दूध का धुला हुआ नहीं है पहले चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार था, यह हिन्दुस्तान मेरे पास है उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। वह बूथों पर पहले भी कब्जा कर चुका है। वह कोई दूध का धुला हुआ नहीं है।...

श्री भजन लाल : 6 महीने पहले जब आनन्द सिंह डांगी इनके साथ था तब बड़ा पवित्र था।

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं नाम नहीं लूंगा। अमीर सिंह के कत्ल के पीछे बहुत बड़ा षड़यंत्र है, यह षड़यंत्र बेनकाब होना चाहिए। अभी मेरे मित्रों ने कहा कि पिछले चुनाव में बहुत बड़ी ज्यादतियां हुई। अखबार वालों को पीटा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समझ नहीं रहे हैं। आपका टाईम खत्म हो रहा है।

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं आपसे एक अपील करता हूं कि न्यूजट्रैक एक अखबार निकलता है, उसकी एक कापी हाऊस को दिखा देता हूं। उसमें मालूम हो जाएगा कि पीटने वाले कौन हैं ? मैं यही कहना चाहता हूं और मेरा यही मेन प्वांयट है। दूसरे अमीर सिंह के कत्ल के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस मामले की जांच हो रही है जिसका फैसला हमें स्वीकार है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हो गया। बहुत अच्छी बात है और यही अहम बात है।

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं यह मान कर चलता हूं कि इस कत्ल के पीछे इसे करवाने वालों के बीच में और करने वाले के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। कहने वाले कोई हैं, करने वाले कोई हैं, उठाने वाले कोई हैं और उसे मार कर डालने वाले कोई हैं। अगर इस चीज का पर्दा तो उठेगा, तब जिसका कत्ल हुआ है, उसका भाई रिपोर्ट करवाता है तो इस हाऊस को क्या एतराज है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, बस अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद श्री शास्त्री जी जो भी कहेंगे वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा। श्री चित्त बसु **(व्यवधान)***

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चाधीन विषय विशेष किस्म का है। यह विशिष्ट ही नहीं हैं इसके गंभीर राजनैतिक परिणाम होंगे। सदन के समक्ष हमारे देश में संसदीय प्रजातन्त्र के अस्तित्व का मामला है।

महोदय, मुझे आज मेहम संसदीय प्रजातन्त्र की कब्र प्रतीत होता है। जहां पर हमारे देश के संविधान में प्रावधान है और जिसकी संविधान गारन्टी देता है। इससे पहले भी फरवरी

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में हुए चुनाव के दौरान इसी मेहम में बड़े पैमाने पर राज्य सरकार द्वारा धांधली की गई थी। उस समय हमने देश के पत्रकारों पर हमले भी देखे थे जिससे इस राज्य की स्वतंत्रता पर अत्यधिक शंकाएं उठी थीं।

महोदय, मैं इस संबंध में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। परंतु मैं माननीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम और आप संसदीय प्रजातंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता के फलस्वरूप ही यहां पर हैं। आपने हमारे देश के लोगों को भी यह आश्वासन दिया था कि अपने शासन काल के दौरान आप केवल देश के प्रजातंत्र को बनायें रखेंगे, वरन् इसे और अधिक मजबूत भी करेंगे। मैं सोचता हूं, आपने अच्छी शुरूआत की है। आपने न केवल वह वचन बद्धता निभाई है है वरन हमारे देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत किया है ताकि हमारे देश में प्रजातंत्र को और सुदृढ़ किया जा सकें। पिछली सरकार द्वारा हमारी राजनीतिक सस्था में प्रारंभ किये गये अप्रजातांत्रिक और तानाशाही रवैये को दूर किया जा सके। इस अवसर पर भी, आपको आगे आकर यह देखना चाहिए कि प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकने वाले कोई कदम न उठाए जायें।

3.00 म० प०

राष्ट्रीय मोर्चा एक आधार भूत मुद्दे के प्रति वचनबद्ध है अर्थात आप उनकी तरह व्यक्ति-परक राजनीति को प्रोत्साहन नहीं देंगे। आपकी राजनीति संस्थागत है। और संस्थागत राजनीति प्रजातंत्र की गारंटी देती है। अगर प्रजातंत्र नहीं रहेगा, तो संस्थागत राजनीति भी नहीं रह सकती है। जहां तक भारत का संबंध है, यहां पर प्रश्न एक स्थान जीतने या हारने, या किसी विशेष व्यक्ति को एक राज्य का मुख्य मंत्री बनानें या न बनाने का नहीं है। भारत प्रजातंत्र के बिना नहीं रह सकता। यह भारत का प्रश्न है। यदि आप हमारे इस महान देश का अस्तित्व सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह देखना आपका कर्तव्य है कि हमारे देश में प्रजातंत्र भी जिन्दा रहने देना चाहिए। यदि प्रजातंत्र का विनाश होता है तो भारत का विनाश होता है। इसलिए मेहम से यह अशुभ संकेत मिलता है और मुझे आशा है कि इस सदन में हम सब, चाहे वे इस सदन के सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, को मेहम के इस अशुभ संकेत की ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

अंत में, मैं कहना हूं कि मुझे नहीं मालूम कि यह स्थगन प्रस्ताव उन्होंने क्यों रखा है। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ सरकार की निन्दा करना होता है। यहां पर इस मामले में, संसद में यह भारत सरकार है। जहां तक इस हत्या का संबंध है, भारत सरकार किसी भी तरह से इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जहां तक हत्या का संबंध है, स्वभावतः इसकी जांच करने का कार्य राज्य सरकार का है। इसके लिए मानदंड निर्धारित है। परंतु सदन और लोक सभा अध्यक्ष की बुद्धिमत्ता से आपने इस प्रस्ताव पर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने का निर्णय लिया है और वह परिप्रेक्ष्य है हमारे देश के प्रजातंत्र का अस्तित्व। अत: जबकि मैं इस हत्या को अत्यधिक शर्मनाक और निन्द-नीय समझता हूं और यह प्रजातंत्र की हत्या के तुल्य है, मैं यह भी महसूस करता हूं कि सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित और कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं परंतु स्थगन प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : मैं एक ऐसे राज्य मे आया हूं जहां पर मुझे केवल शांतिपूर्ण चुनावों का अनुभव है। राजनीति में हम सबको सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि कुछ

चुनाव हम जीतते हैं और कुछ चुनाव हारते हैं। पिछले 42 वर्षों में हमारे देश में कई विख्यात नेताओं ने चुनाव हारे हैं। जबकि वे उच्च पदों पर आसीन थे। मेरे दिमाग में स्वर्गीय श्री कामराज का ज्वलंत उदाहरण आता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब वे अपने ही निर्वाचित क्षेत्र में एक विद्यार्थी नेता से हार गये थे। मुझे उत्तर भारत के एक राज्य के मुख्य मंत्री का एक अन्य उदाहरण याद है जो उप चुनाव में हार गये थे और इसलिए मुख्यमन्त्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। मेरे विचार से ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए चुनाव में हारने से मनुष्य जीवन समाप्त नहीं हो जाता और न ही चुनाव में हारने से किसी राजनैतिक दल का जीवन समाप्त होता है।

मेहम का एक इतिहास है। तीन महीने पहले मेहम शब्द को कोई नहीं जानता था। लेकिन, आज यदि आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से मेहेम बोलने के लिए कहें तो वह मेहम ही बोलेगा। महोदय, मेहम का एक इतिहास बन चुका है जिसे स्थगन प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा के दौरान भुलाया नहीं जा सकता है।

मुझे खुशी है कि श्री अजीत सिंह यहां मौजूद हैं। पहले जब उनका उल्लेख किया गया था तो उस समय वे यहां पर मौजूद नहीं थे। मेरे विचार से अब वे यहां उपस्थित हैं और मैं उनका उल्लेख करने की जुरंत कर सकता हूं।

महोदय, मेहम में हुए पिछले चुनाव में बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई, बूथों पर कब्जा किया गया, मतदाताओं को डराया धमकाया गया। इस पर कार्यवाही करने का दायित्व स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग और केंद्रीय सरकार का था। मैं श्री चित्त बसु और अन्य सदस्यों के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जिन्होंने कहा है कि यह स्थगन प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विरुद्ध क्यों लाया गया है। देश में चुनाव कराने का दायित्व किसका है? जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को समुचित ढंग से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? धारा 28 क में संशोधन किसने किया था? धारा 28 क को किसने पुरःस्थापित किया? धारा 28 क संबंधी संशोधन की पुरः-स्थापना के समय संसद में क्या कहा गया था? संसद में कहा गया था कि चुनाव कार्य में सहायता के लिए रखे गये प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक पोलिंग एजेंट, प्रत्येक पुलिस अधिकारी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होगा और चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया माना जायेगा और चुनाव आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा। अतः हमें यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए कि यह राज्य सरकार से संबंधित मामला है। इससे बड़ी शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति और कोई नहीं हो सकती है। यह नगरपालिका अथवा पंचायत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कराये जाते हैं और इसका सीधा उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का होता है क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से उत्तर देने का दायित्व विधि मंत्री और गृह मंत्री का होता है।

पिछले चुनाव में, सही अथवा गलत, प्रत्येक पार्टी बोली थी। वस्तुतः मुझे दुखः के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस (आई) पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप आपने लगाया था। इसे मत भूलिये। भाजपा ने कहा था······

[हिन्दी]

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां बोलिए ।

श्री राज मंगल पांडे : उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा में केवल अगर भाषण हम लोगों को सुनाने के लिए दिया जाता हो, तब तो उसका प्रयोजन जो होता है, वह हम समझ सकते हैं, लेकिन इन्हीं के जमाने में, अभी पिछली सरकार के* ने इस इलैक्शन कमीशन के वर्डिक्ट को, सारे आर्डर्स को जिस सीमा तक फ्लाउट किया है···(व्यवधान)

मान्यवर, जो आज इस रास्ट्र की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वे सारे राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं । यह सबसे बड़े दुख और शर्म की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है । जगन्नाथ मिश्र का नाम रिकॉर्ड पर नहीं आएगा ।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां आकर के प्रोटैक्ट नहीं कर सकता है······

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आप बैठ जाइए, मैंने नाम पहले ही रिकार्ड से निकाल दिया है ।

[अनुवाद]

मेरे विचार से 3.30 म० प० पर हमें इस वादविवाद को समाप्त करना है ।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह केंद्रीय सरकार कोई अमूर्त सत्ता नहीं है । केंद्रीय सरकार किसी एक राजनैतिक दल द्वारा चलाई जाती है । जब हम केंद्रीय सरकार पर कोई दोषा-रोपण करते हैं अथवा आरोप लगाते है तो वह एक राजनैतिक मुद्दा होता है और उसका केंद्रीय सरकार चलाने वाले राजनैतिक दलों द्वारा ईमानदारी से समाधान करना होता है । इस सच्चाई से बचा नहीं जा सकता । यद्यपि ऐसा नहीं है कि केंद्रीय सरकार का कोई अलग स्वरूप होता है और उसको चलाने वाली राजनैतिक पार्टी कोई दूसरा । जब आप वहां सदन में बैठते हैं तो वहां आप एक राजनैतिक दल के नेताओं के रूप में होते हैं और आपका दावा होता है कि सरकार चलाने के लिए उसे जनता द्वारा एक राजनैतिक दल के रूप में जनादेश प्राप्त है ।

इस राजनैतिक दल ने पिछली बार क्या किया था ? यह दल इसके महासचिव वहां गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमन्त्री निन्दा करते हुए मुख्य मन्त्री से इस्तीफा देने की मांग की थी । इस राजनैतिक दल ने एक पांच-सदस्यीय समिति की नियुक्ति की थी जिसने एक मत से संसदीय बोर्ड को सिफारिश करने का फैसला किया था । राजनैतिक स्वरूप के मामलों पर सरकार को चलाने वाले राजनैतिक दल और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं होता है । पांच सदस्यीय समिति ने कहा था कि मुख्यमन्त्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए अथवा सरकार को बरखास्त कर दिया जाना चाहिए । इसके अलावा आज मैं यह पूछ रहा हूं कि··· (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री पी० चिदम्बरम : क्षमा करें मैं इससे सहमत नहीं हूं । समय नहीं है अतः मैं इससे कैसे सहमत हो सकता हूं ?

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यदि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो आपको मुझे और अधिक समय देना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, गृह मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि सरकार चलाने वाले राजनैतिक दल और सरकार में कोई अन्तर नहीं होता है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है। मैं समझता हूं कि यदि आप सरकार चलायें···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, चुनाव राजनैतिक आधार पर लड़े जाते हैं। चुनाव एक राजनैतिक मुद्दा है और यही इस देश की राजनैतिक ढांचे का आधार है। सत्तारूढ़ दल एक राजनैतिक दल है और, अतएव ·····(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, दो व्यवस्था के प्रश्न किये गये, अतः आपको मुझे उसके लिए और समय देना चाहिए क्योंकि मेरा समय वे ले चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके दल के अन्य सदस्य नहीं बोलें तो मैं आपको और समय दे सकता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यदि आप मुझसे बैठ जाने के लिए कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। वस्तुतः मैं ऐसे सदस्यों की सराहना नहीं करता जो मेरे यह कहने के बावजूद कि उनको अपना भाषण समय पर समाप्त कर देना चाहिए और वे यह कहते रहते हैं कि बैठ जायेंगें या फिर ऐसी ही कुछ अन्य बात कहते हैं। आपके दल के अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहनी होती है। कृपया आप इस कठिनाई को समझें कि हमें निर्धारित समय के अंतर्गत कार्यवाही पूरी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपना भाषण बन्द करने को कह रहा हूं। मैं आपसे निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करने के लिए कह रहा हूं। आप हमेशा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बैठ जाऊंगा आदि, आदि। यह सही नहीं है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मुझे आपके दल के अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना है। चिदम्बरम जी कृपया मेरी बात समझें। आप अच्छा भाषण दे रहे हैं और हम आपका भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन समय सीमित है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इस सरकार ने दावा किया था कि यह मूल्य आधारित राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार ने कहा था कि वह शासन के एक वैकल्पिक आदर्श पर विश्वास करती है। अब मैं उनसे अपना दिल टटोलने के लिए कह रहा हूं। कहां है उनकी मूल्य आधारित राजनीति ? कहां है उनका शासन का वैकल्पिक आदर्श ? मैं मेहम में हुई घटना के बारे में विस्तार में बात करना नहीं चाहता। लेकिन मेहम में हुई घटना के बारे में मैं अत्यन्त विषाद के साथ कुछ कहूंगा। मुद्दा उप चुनाव का नहीं है। मुद्दा एक निर्वाचन क्षेत्र का नहीं है। मुद्दा कुछ अधिक गहरा एवं अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे हममें से अधिकांश –हो सकता है यहां मौजूद हम सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन देश में कुछ लोगों का, राजनीतिज्ञों का एक ऐसा गुट है जो अपने सत्ता मोह में और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी सीमा तक आगे जा सकता

हैं और कुछ भी कर सकता है। मुद्दा यही है। चित्त बसु जी मैं आप पर और श्री सोमनाथ जी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। हम ऐसे आचरण को पसन्द नहीं करते हैं। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकने में विश्वास रखते हैं ···(व्यवधान)। मैं यही पूछ रहा हूं कि आखिर हम लोग यहां क्यों बैठे हैं, और यह संसद किस लिए है। मुझे अगले चुनाव में हार जाने की कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जो सदस्य बने रहने के लिए अथवा सत्ता में जमे रहने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा को पार कर सकने, किसी भी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं और प्रत्येक मूल्य को नकारने में विश्वास करते हैं। मैं एक उद्धरण दे रहा हूं जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका में प्रकाशित हुई है। मुझे यकीन है कि यदि यह गलत है तो इस पत्रिका में सम्पादक ही उसका उत्तर देंगे। उद्धरण इस प्रकार है, "मैं ऐसे मनुष्य को मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं हूं जिसके हजार दुश्मन नहीं हैं। उस आदमी की जिन्दगी के कोई मायने नहीं हैं जिसके नाम से रात में लोगों के दिल नहीं दहल जाते। इस दुनिया में उसका आना ही बेकार है।" यह जिसने कहा था? ओम प्रकाश चौटाला···(व्यवधान)। पत्रिका के सम्पादक इसका उत्तर देंगे। यहां गृह मंत्री, सत्तारूढ़ दल के महासचिव और अन्य मंत्री उपस्थित हैं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह सरकार, यह सत्तारूढ़ दल उन कुछ लोगों के सामने दुबक रहा है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वह पूरी तरह पीछे हट रही हैं। वह अपने राजकीय प्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। वह अपने राजनैतिक प्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। और फिर भी यह सरकार कहती है कि वह देश में कानून और व्यवस्था स्थापित करेगी और लोगों की सुरक्षा करेगी। मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, दल के महासचिव से यह पूछता हूं कि क्या वे लोकतन्त्र पर सरेआम हुए हमले के खिलाफ एक राजनैतिक दल और एक सरकार के रूप में खड़े होंगे? आज शाम और कल जो कुछ भी आप करेंगे उससे ही आपको परखा जायेगा। हमारा यहां मांग करना ही व्यर्थ चला जायेगा। भले ही आप हमारी मांगों की ओर ध्यान दें। लेकिन अपने दिलों में झांक कर देखें कि आज शाम को आप क्या जवाब देंगे, कल प्रातः समाचार पत्रों में लोग क्या पढ़ेंगे और आकाशवाणी और दूरदर्शन से क्या समाचार प्रसारित किया जायेगा। देश के लोग आपको इसी मसले पर परखेंगे। क्या आप दृढ़ता दिखायेंगे अथवा शक्तिहीन नजर आयेंगे? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। यहां एक प्रत्याशी हैं जिसने कहा है कि "मैं 17000 मतों से विजयी होऊंगा।" एक ऐसे प्रत्याशी है जिसने कहा है कि "मैं मतदान एजेंट नियुक्त नहीं करूंगा।" एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने कहा कि "मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के पास नहीं जाऊंगा।" महोदय, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के पास विनम्रतापूर्वक जाकर अपने लिए मत नहीं मांग सकता। महोदय, मैं एक प्रत्याशी था और आप भी एक प्रत्याशी थे तथा हमने लोगों के पास विनम्रतापूर्वक जाकर कहा कि "कृपया मुझे मत दीजिए।" लेकिन उन्होंने कहा कि वह लोगों के पास नहीं जायेगा, और फिर भी 17,000 मतों से विजयी रहेगा।

महोदय, क्या सरकार को इसका पूर्वाभास था? क्या किसी को भी इसका पूर्वाभास था? क्या किसी को मेहम के चुनाव के निरस्त हो जाने की आशंका थी? लेकिन एक प्रत्याशी ने कहा था, "मैं अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव एजेंटों को नियुक्त नहीं करूंगा, लेकिन मैं 17,000 मतों से चुनाव जीतूंगा।" (व्यवधान) महोदय हम चौटाला सरकार की बरखास्तगी चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि मेहम कांड की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति

का गठन किया जाये। महोदय, सत्ताधारी दल, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, महा सचिव और इस दल के संसदीय बोर्ड तथा उनके नेतृत्व की परीक्षा इस बात से होगी कि वे आज शाम को, आज रात को और कल कौन-कौन से कदम उठाते हैं। आपके द्वारा उठाये गए कदम से ही देश आपकी परीक्षा लेगा। इस स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा यह है कि क्या आप शक्तिविहीन हैं ? क्या आप लोकतंत्र पर किए गए नग्न प्रहार के विरुद्ध खड़े होंगे ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आज का जो डिबेट है, उसका साढ़े तीन बजे तक का समय है। उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स का बिजनस है। मैं नहीं समझता कि इतने थोड़े समय में यानी कि 10-15 मिनट में यह डिबेट खत्म हो पायेगी क्योंकि अभी-अभी बहुत से सदस्यों ने बोलना है और होम मिनिस्टर साहब ने भी रिप्लाई भी देना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप साढ़े तीन बजे के आगे इसको लेना चाहेंगे या प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस के बाद इसे लेना चाहेंगे ?

[अनुवाद]

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने 1.30 बजे यह निर्णय लिया है कि 3.30 बजे गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प को प्रारंभ करने से पूर्व यह चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस चर्चा के लिए आधे घंटे का समय बढ़ा सकते हैं और गैर-सदकारी सदस्यों का संकल्प 4 बजे लिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प 4 बजे आरंभ करेंगे। इस चर्चा को पूरा करने में जितना भी समय लगेगा, उसकी क्षतिपूर्ति गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प के लिए कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन मेहम में जो घटना घटी है, उससे चिंतित है। हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए यह घटना अत्यन्त गलत है। प्रजातंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने अनिवार्य हैं क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता। मेहम में अमीर सिंह की जो मृत्यु हुई है, सदन के हर वर्ग को उसकी निन्दा करनी चाहिए। हिंसा चाहे अमेठी में हो, चाहे मेहम में हो, चाहे किसी और चुनाव क्षेत्र में हो, निंदनीय है, यहां हम सभी इसकी निन्दा करते हैं। कुछ वक्ताओं ने ध्यान दिलाया है माननीय अजीत सिंह जी के ब्यान की ओर, जनता दल के अन्य नेताओं के बयानों की ओर, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी अपनी पार्टी में कमलापति त्रिपाठी जी ने, उमा शंकर दीक्षित जी ने आपको जो सलाह दी थी, आपने उसको कितना माना, आप उस पर कितना चलते रहे, यह सवाल आप खुद अपने आपसे पूछिए, दूसरों को सलाह देने के बजाय। ऐसा लगता है कि जो विरोधी पक्ष में होते हैं, वह ज्यादा अच्छी बात करना, ज्यादा अच्छी तरह राज चलाने की बात करते हैं। अभी चिदम्बरम जी कह रहे थे कि आज का रेडियो और दूरदर्शन जो कहेगा, लोग उससे आपके बारे में अंदाजा लगाएंगे लेकिन पिछले पांच वर्ष का रेडियो और दूरदर्शन जो कहता रहा, उसने आपके बारे में अंदाजा लगाया। यह जो हिंसा को प्रवृति शुरू हुई थी यह आपके राज में शुरू हुई थी और अब चल रही है, इसको रोकना है, यह सोचकर अगर आप ईमानदार हैं कि

सचमुच मन से उस हिंसा को समाप्त करना चाहते हैं तो पार्टी की लाइन खींचकर डिवाइड मत करिए, सभी मिलकर इसकी निन्दा करिये कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं यह समझता हूं कि समय कम है। मैं सबसे अपील करूंगा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसकी निन्दा करें लेकिन जो एडजर्नमेन्ट मोशन, जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, वह केन्द्र सरकार के विरुद्ध आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि, यह केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रदेश का मामला था। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और वहां जो हिंसा हुई है, उसकी निन्दा करता हूं।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेहम में जो हत्या हुई, वह निन्दनीय है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है मगर मुझे आश्चर्य होता है कि अभी जो विपक्ष के सदस्य आज बहुत नैतिकता की, लोकतंत्र की और खुद हृदय में झांककर अपने को पहचानने की बात कहते हैं, अगर वह खुद अपने गरेबां में झाकें तो सारी असलियत उनके सामने खुलकर आयेगी। अभी कल ही हमारे प्रधान मंत्री जी ने यहां सदन में यह बताया कि जब वह फतेहपुर में चुनाव लड़ रहे थे तो एक चुनाव बूथ पर उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया, गोली चलाई गई और चुनाव के बाद जो उनका हरिजन एजेन्ट था, उसको गोली मारकर खत्म कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारे घूमते रहे, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब जनता दल की सरकार केन्द्र में बनी तब जाकर उन हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। अमेठी के नाम पर आप कूदने लगते हैं मगर संजय गांधी जी के जमाने से लेकर और आज तक, शरद यादव जी बैठे हुए हैं, मेनका गांधी जी चुनाव लड़ी हैं और अभी राजमोहन गांधी चुनाव लड़े हैं, कोई भी विपक्ष का उम्मीदवार 20 हजार से ज्यादा वोट नहीं बना पाया। आपने सादी वर्दी में लोगों को पोलिंग बूथों पर बैठा कर कब्जा करवाया तो यह सारी नंगई कौन करता है। देश का प्रधान मंत्री था, आज विपक्षी दल का बड़ा नेता है, यह शर्मनाक बात है, लोकतंत्र के लिए, कुर्सी के लिए हत्या करवा दो। आपने क्या किया, जालसाजी करवाई, अफसरों का इस्तेमाल किया, सी० बी० आई० की एजेंसी का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और यही विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब कांग्रेस के नेता थे और जब इन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सभाओं में कितनी गुण्डागर्दी हुई, सांप छोड़े गए, गुण्डों से कातिलाना हमला करवाया गया, गोलियां चलवाई गईं, बसें रोकी गयीं, हवाई जहाज को डिले किया गया। यह कौन-सा ग्रुप है, यह कौन-सा गिरोह है जो इस सत्ता पर काबिज रहना चाहता है, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि ओमप्रकाश चौटाला दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे। जो अखबारों में खबर आयी थी उससे साफ था कि वे चुनाव जीत रहे थे। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के आदर्श पुरुष माननीय श्री भजन लाल जी हंस कर जो अपना नाटक कर रहे थे उनके सारे नाटक का भी पर्दाफास हो गया। यह अखबारों में खबर आयी थी कि फिर चौटाला ने दूसरी जगह से भी अपना पर्चा भरा था। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मेहम का चुनाव काउंटरमान्ड होता है तो उसमें चौटाला को क्या फायदा पहुंचता है? क्या इसमें इस बात की साजिश नहीं है कि किसी तरह से दिल्ली की सरकार को, हरियाणा की सरकार को बदनाम किया जाए? क्या यह इस सरकार पर लांछन लगाने की कोशिश नहीं है? इसलिए, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस एडजार्नमेंट मोशन का कोई औचित्य नहीं है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी चुनाव कराने की है और राज्य सरकार का

काम सुरक्षा प्रदान करना है। अपराधियों के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज हो चुकी है और मुलजिमों के खिलाफ वहां पुलिस जांच कर रही है। जब उसकी जांच सी० आई० डी० और सी० बी० आई० के द्वारा निष्पक्ष तरीके से हो रही है तो आज आपको अखबारों के जरिए से और प्रचारों के जरिए से प्रभावित करने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर आप किसी राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो लोकतंत्र में पासे दोनों तरफ चलते हैं। कभी हमारी तरफ चलेगा, कभी आपकी तरफ चलेगा। लोकतंत्र में सही और निष्पक्ष रूप से चुनाव हों यही कहता हुआ मैं मेहम की घटना की निन्दा करता हूं और इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बंसी लाल (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेहम के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है, पूरे सदन में इस बात पर इत्तेफा के राय है कि किसी इलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।

मगर मेहम अपना एक अलग इतिहास रखता है। वह इतिहास पिछले तीन महीने से शुरू हुआ है। श्री ओम प्रकाश जी चौटाला जो आज हरियाणा के मुख्य मंत्री हैं, वह इलेक्शन मेहम से भी लड़ रहे हैं और दरबाकलां से भी लड़ रहे हैं। यह बात हिन्दुस्तान में किसी से छिपी नहीं है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री मेहम से चुनाव हार रहे थे और थोड़े वोटों से नहीं हार रहे थे, मेरा अन्दाजा यह है क्योंकि वह इलाका मेरी कांस्टीच्युएंसी के साथ लगता है, कि वहां से चौटाला साहब कई हजार वोटों से चुनाव हार रहे थे।

एक तरफ तो उन्होंने एलान किया कि मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी में न जाऊंगा, न पोलिंग एजेंट बनाऊंगा, न कन्वेंसिंग करूंगा और दूसरी तरफ उन्होंने क्या कर रखा है कि मेहम के चारों तरफ चक्कर लगा रखे हैं। वे दो-तीन दिन तक तो रोहतक ठहर कर गए। परसों की रात को भिवानी थे और कल सुबह जहां कि यह डेड बाडी मिली, उसी गाव में थे। पहले दिन प्रोग्राम दिया था कि चौटाला साहब वहां होंगे। फिर आज के अखबारों में जो आया, अखबारों की बात मैं नहीं करता। मैं कहता हूं कि रोहतक के लोगों ने टेलीफोन करके मुझे बताया है कि किस्सा क्या है?

किस्सा यह था कि यह जो व्यक्ति मारा गया है, एक केन्डीडेट था, यह रात के दो बजे तक हरियाणा के मुख्य मंत्री के लड़के के साथ था और सुबह पांच बजे किसी आदमी ने मढ़ालखुर्द में उसकी डेड बाडी को देखा। तो सिर्फ तीन घंटे बीच में रहते हैं। श्री डांगी या उसके किसी आदमी या थर्ड परसन उसकी एक्टीविटीज तो नहीं जानता था कि वह उसके पीछे लगा रहे और जैसे वह एक मिनट इधर हो, वह काम करे। साफ जाहिर है कि कत्ल किसने किया। वह कहां किस जगह मारा गया यह मैं नहीं कह सकता। यह बात बिल्कुल साफ है कि इसको जहां कहीं भी मारा गया, लेकिन मार कर भिवानी जिले में फैंका गया, फिर मार करके भिवानी जिले में क्यों फैंका गया? भिवानी जिले में इसलिए फैंका गया क्योंकि जो भिवानी जिले का पुलिस कप्तान है वह पहले भी पुलिस कप्तान था, चौधरी देवीलाल जी के होम डिस्ट्रिक्ट सिरसा का और फिर चौधरी देवीलाल के होम डिस्ट्रिक्ट सिरसा के पुलिस कप्तान को लगाया गया हिसार में। हिसार में नवम्बर में जो लोक सभा के चुनाव हुए उसमें भी वही पुलिस कप्तान था हिसार का और उसमें भी इसने गड़बड़ी की। अभी जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि वह हिसार से चुन कर आये हैं, हिसार के रिटर्निंग आफिसर, डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस कप्तान को, बैलेट बाक्स के साथ पकड़कर कुछ

आदमी नाजायज असले के साथ हवाले कर दिए और साथ में डी० ओ० भी लिख दिया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के होम मिनिस्टर ने और इसी पुलिस कप्तान ने दोनों ने हिसार में एक रैस्ट हाउस में बैठकर, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, जो कि रिटर्निंग आफिसर भी था और उससे कहा कि जो तुमने ये लिखकर दिया है इसको वापस ले लो, हम ये केस समाप्त कर देंगे। उसने कहा कि मैं तो वापस नहीं लूंगा, चाहे तुम खत्म करो या न करो। यह तुम्हारा काम है। होम मिनिस्टर ने उस रिटर्निंग आफिसर डिप्टी कमिश्नर को धमकी दी और उसने ये कहा कि अभी तुम्हारी नौकरी बहुत बाकी है। मगर इत्तफाक से वह लड़का तगड़ा निकला और उसने कहा कि मेरी तो 28 साल की नौकरी पक्की है, आपकी ढाई साल की कमपलशन है अगर आप अगले ढाई साल होम मिनिस्टर रह गए तो। उसके बाद उसने उसी दिन शाम को अपना बिस्तर बांध लिया और इलैक्शन खत्म होते ही उसका तबादला चण्डीगढ़ कर दिया गया और फिर उस पुलिस कप्तान को भिवानी भेजा गया, जो भिवानी में आज एस० पी० है। इसको वहां क्यों भेजा गया ? ये ज्यादा प्लाईबल है। इससे जो भी जायज या नाजायज काम श्री देलीलाल जी और मुख्य मंत्री हरियाणा कराना चाहते थे, वह इससे करवा सकते थे। महम का तीन महीने पहले चुनाव हुआ, उस फरवरी के चुनाव में इस भिवानी के पुलिस कप्तान के ऊपर इलैक्शन कमीशन ने, डायरेक्टर जनरल पुलिस ने ये पाबंदी लगाई थी कि यह अपने हैड क्वार्टर से बाहर नहीं जायेगा, लेकिन इलैक्शन के दिन ये आदमी महम के हलके में डी० जी० पुलिस तक को आदेश जारी कर रहा था और यह बात, चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में लिखी है और फैसले में इसका नाम भी लिखा है। फिर समझ में नहीं आया कि कल मदीना गांव में जो गोली चलवाई गई, गिरफ्तार करने के लिए, तो उस समय भी यही पुलिस कप्तान वहां मौजूद था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां यह आदमी होता है, वहीं सारे कुंए क्यों खोदे जाते हैं, वहीं कबाड़े होते हैं ? मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कहना चाहता हूं कि जब चौधरी देवीलाल जी के घर में हादसा हुआ तो सिरसे में वही पुलिस कप्तान और हिसार में बैलेट बाक्स ले जाने वाले और गोलियां चलाने वाले आदमी को पकड़कर डिप्टी कमिशनर ने हवाले किया तो यही पुलिस कप्तान था और अब जब ये काम हो रहे हैं तो यही पुलिस कप्तान है।

इसके अलावा मैं एक बात सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज महम और रोहतक जिले के चारों तरफ जितने जिले हैं—भिवानी, हिसार, सोनीपत और जीन्द, हर जिले में इन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाये जा रहे हैं, पिछले ढाई-तीन महीने मे, जो पिछले महम के उप-चुनाव में हरियाणा के मुख्य मंत्री की मुखालफत करने गए थे उन लोगों पर जो मुकदमे बनाये गए हैं उनकी तादाद दो सौ से ज्यादा है। अकेले मेहम में जूडिशयल मजिस्ट्रेट की अदालत से अकेले मेहम कांस्टीच्युऐंमी के जिन लोगों की जमानत हुई है, झूठे मुकदमे बनाने में, उनकी तादात सौ से भी ज्यादा है, तो मैं आपके जरिए गृह मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह सब क्या हो रहा है ? काम करने वाले आई० ए० एस०, आई पी० एस० आफिसर हैं, जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया के आफिसर हैं।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है कि जो कोई पहुंचता है वह मेहम पहुंच जाता है। आई० जी०, सी० आई० डी० वहीं रोहतक में बैठे हैं, जो मेहम के साथ लगता है,

सभी अधिकारी वहां बैठे हैं और सब तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मेरे पास एक हफ्ते में मेहम हलके से कई व्यक्ति आए हैं जो उम्र भर चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे और आज चौधरी देवीलाल जी को इसलिए छोड़ गए, क्योंकि वे इतनी ज्यादतियां कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वैल्यू बेस्ड पोलीटिक्स की बात करते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कुछ नहीं कहना है, मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन चौधरी देवीलाल जी को उप-प्रधानमंत्री और श्री ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वैल्यू बेस्ड पालीटिक्स की बात करनी ही नहीं चाहिए और उनको वही काम करना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिया था। इन दोनों को रखने के बाद वैल्यू बेस्ड पोलीटिक्स की बात उनको नहीं करनी चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार और हरियाणा की सरकार इस मामले में फेल हो गई है, ला एण्ड आर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है। आज किसी किस्म का ला एंड आर्डर वहां नहीं है। मैं थोड़ा-सा वक्त और लूंगा, वैसे मैं बोलता नहीं हूं, जब जरूरी होता है तभी बोलता हूं।

इसी तरह से एक और चीज पर नजर डालिए, मेहम में जो कैंडीडेट थे, उनको कोई सिक्यूरिटी नहीं दी गई और सिरसा में अखबारों में आया था कि एक-एक आदमी को 10-10, 20-20 आदमी दे रखे थे जिन्होने एक तरह से उनको घर में कैद कर रखा था। जिस कैंडीडेट की मृत्यु हुई है, अगर उसको एक ए० एस० आई० दे रखा था तो वह उस समय कहां गया था, उसका कोई बयान नहीं आया, कोई वर्णन नहीं आया, उसने मारने वालों का मुकाबला क्यों नहीं किया, एफ० आई० आर० दर्ज क्यों नहीं कराई, वह कहां गुम हो गया। यह बात समझ में नहीं आती है। दूसरी बात एक तरफ तो चौटाला साहब उसी गांव में पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए और तीसरी तरफ दिल्ली में उनके होम मिनिस्टर प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे हैं कि यह कैंडीडेट जो मारा गया है, श्री अमीर सिंह, नामीनेशन फाइल करने के बाद हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री चौटाला से नहीं मिला, एक तरफ अखबारों में लिखा हुआ है कि शाम 6-7 बजे तक कैनाल रैस्ट हाउस रोहतक में यह कैंडीडेट श्री चौटाला के साथ था, इस तरह से इसके कई वर्णन है। झूठ के पांव नहीं होते, दो दिन बाद सामने आ ही जाता है। इस तरह से···**···ने पोलीटिक्स को क्रिमनलाइज कर दिया है और खासतौर से हरियाणा में। (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : भिवानी के बारे में बताइए, वहां पर क्या करवाया था ?

श्री बंसी लाल : भिवानी के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन इसमें समय लग जाएगा, सारी कहानी भिवानी की बता दूंगा। मैं मुख्य मंत्री था और मेरे काउंटिंग हाल पर जनता दल के लोगों ने, जिनमें जय प्रकाश जी भी शामिल थे जो ग्रीन ब्रिगेड के चीफ हैं, कब्जा कर लिया काउंटिंग हाल पर कब्जा करके मुझे डिफीटेड डिक्लेयर करवाया गया। अगर मैं चाहता तो गोली चलवाकर सही रिजल्ट डिक्लेयर करवा सकता था। मैं हाई कोर्ट से इलेक्शन पिटीशन जीता, सुप्रीम कोर्ट से भी वह आदमी डिसक्वालीफाइड करार दिया गया है, असेंबली में पार्टीसिपेट नहीं कर सकता (व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चौटाला साहब ने उसको अपना ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर बनाया, जब हाउस में ट्रांस्पोर्ट से संबंधित कोई प्रश्न या कोई दूसरी चीज आती है तो दूसरा मंत्री जवाब देता है। उसको ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर इसलिए बना रखा है क्योंकि रोडवेज में बोगस टिकटें बांटी जाती हैं और अरबों रुपए साल का नुकसान रोडवेज को हो रहा है। लेकिन शाम को कई लाख रुपए···**···के घर पहुंच जाते हैं। इस तरह से क्रिमनलाइजेशन···**···ने कर रखा है, मैं प्रधान मंत्री जी को कहूंगा कि इसको चैक करें। मैं यह नहीं कहता कि प्रधान मंत्री जी उसको एनक्रेज करते हैं। मगर लगता है Shri Devi Lal is holding the nation to ransom. इस बात से किसी न किसी तरह से लोगों का पीछा छुटना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मर्डर कल सुबह किसी वक्त हुआ है, ऐसा लगता है। पुलिस शाम को ही गिरफ्तार करने पहुंच गयी, सही मुजरिम को या गलत मुजरिम को, मैं यह नहीं जानता। लेकिन श्री चौटाला के होम मिनिस्टर, उनके लड़के और उनके दूसरे अधिकारियों के खिलाफ मर्डर केस रजिस्टर्ड हुए आज तीन-तीन महीने हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। किसी का भी बयान नहीं हुआ, किसी ने भी एन्टीसिपेटरी बेल हाई-कोर्ट से नहीं करायी। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्रीमिनल एक्शन करवाते हैं देवी लाल जी और हरियाणा के मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला। (व्यवधान)

एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि पिछली बार जब इलैक्शन हुआ था तो चीफ इलैक्शन कमीश्नर का ऑबजर्वर दिल्ली से गया, उसके पीछे सरविलेंस लगा दी। जहां वह जाए वायरलैस की गाड़ी पीछे होती थी। पहले ही वायरलैस कर देते थे कि फलां सड़क पर चले गए हैं, आ गए हैं ताकि बूथकैपचरिंग करने वाले एक तरफ हो जाएं। जैसे ही वह ऑबजर्वर दूसरी तरफ जाएं तो फौरन मैसेज मिल जाता था और बूथ-कैपचरिंग शुरू हो जाती थी। चीफ इलैक्शन कमीश्नर ने अपने फैसले में लिखा है कि दोनों ऑबजर्वर्स की रिपोर्ट है कि भिवानी का पुलिस कप्तान सब खबर देता रहा है। उनको कैसे पता चला? उनकी गाड़ियों में वायरलैस लगे हुए थे। यह बात भी चीफ इलैक्शन कमीश्नर ने अपने फैसले में इलैक्शन काउंटरमैंड करते हुए लिखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कहने के लिए मैटीरियल बहुत है, लेकिन एक बात दूसरी तरफ से कही गयी कि यह सैंटर का मामला नहीं है, यह स्टेट का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर देश के उप-प्रधान मंत्री और देश के उप-प्रधान मंत्री का लड़का, जो कि आज बदकिस्मती से मुख्य मंत्री बना हुआ है, कानून तोड़ें, गलत काम करें तो कौन-सा फोरम है पार्लियामेंट के सिवाए किसके सामने जाएं? सदन के सामने, पार्लियामेंट के अन्दर ही कहना पड़ेगा कि उप-प्रधान मंत्री या उसका खानदान ऐसी बातें करे तो हम इस सदन में ही कहेंगे।। हरियाणा की पुलिस से कोई इनवेंस्टीगेशन नहीं होनी चाहिए। इनवेंस्टीगेशन सुप्रीम-कोर्ट के सिटिंग जज से हो, वह इन्क्वायरी करे या इसी हाउस की ज्वाइंट कमेटी, जिसमें सभी पॉलिटीकल पार्टीज के मैम्बर हों, वह इन्क्वायरी करे। तब मैं समझता हूं कि कुछ हो सकता है, वर्ना नहीं होगा।

मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पं० जवाहर लाल नेहरू के सिद्धांतों को प्रजातंत्र में सब मानते हैं। श्री बी० एन० मलिक जी जवाहर लाल नेहरू जी के सिक्योरिटी इन्चार्ज थे, डॉयरैक्टर डी० ई० बी० थे, उन्होंने एक किताब लिखी है "माई ईयर्स विद नेहरू"। उसमें

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उन्होंने लिखा है कि 1962 में पण्डित जी बीमार हो गए और मैं हफ्ते में दो-तीन बार उनसे मिलने जाता था। एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शिकायत आयी है कि बाराबंकी से श्री राम रतन गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं और उन्होंने ज्यादती से अपना रिजल्ट डिक्लेयर करवाया है। तुम बाराबंकी जाओ और मुझे आकर बताओ कि यह क्यों हुआ है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इलैक्शन प्रोसेस का, डैमोक्रेटिक प्रोसेस का मिस-यूज हो। यह बात पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने कही थी। इलैक्शन पैटीशन में राम रतन गुप्ता अनसीट हुए और स्वतन्त्र पार्टी के श्री दांडेकर, आई० सी० एस० डिक्लेयर किए गए। जब पंडित जी अपनी पार्टी के खिलाफ यह कर सकते थे तो मैं समझता हूं कि आज के प्रधान मंत्री भी यह बात कर सकते हैं। अगर देवी लाल जी रिजाइन न करते, देश के ऊपर ज्यादती न करते तो चौटाला की छुट्टी हो जानी थी, इसमें दो राय नहीं हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, आप जल्दी कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री राजमंगल पाण्डे (देवरिया) : उपाध्यक्ष जी, आज इतनी खुशी हुई है सदस्यों की मानसिक चिन्ता देखकर कि लोकतंत्र आज खतरे में पड़ गया है। यह खुशी, मुझे ऐसा लगता है, कि क्षणिक ही रहेगी, क्योंकि इस सदन से और संसद से बाहर जाने के बाद हम सभी लोग मेहम जैसे कांड को भूलकर अपने-अपने स्वार्थों और राजनीतिक दांव-पेंचों में लग जायेंगे। अगर ईमान-दारी से इस सदन में जो लोग चिन्तित हैं, अगर हम अपने पुराने इतिहास को देखें, जब हम गरीब थे और हमारी आवाज की कोई कीमत नहीं थी, महात्मा गांधी, जवाहर लाल जी और सुभाष चन्द्र जी के नेतृत्व में हमने दुनिया में नाम हासिल किया, उसका एकमात्र कारण था हमने अपने नैतिक मूल्यों पर राजनीति बनाई थी और हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास भी अपनी विचारधारा है अपना ईमान है और हम दुनिया में अपने स्वाभिमान के साथ रहना चाहते हैं। यही वजह है कि 1947 से लेकर 1975 तक और 1978-89 तक इस देश में इस किस्म का वातावरण पैदा नहीं हुआ जिसको लेकर आज हम चिन्तित हैं, यह 1978-79 से आज तक 11 सालों के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा हुआ है जिससे आज हम चिन्तित हैं और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस चिन्ता का कारण हम बड़ी ईमानदारी से कह सकते हैं, क्योंकि हम भले ही कांग्रेस से बाहर आये हों, लेकिन हमारे सोचने के तरीकों में ज्यादा भिन्नता नहीं आई है कि हम किसी पर दोषारोपण करें। लेकिन आजादी के 43 वर्षों बाद तक के समय में 40 वर्ष तक कांग्रेस के लोग इस देश पर हुकूमत करते रहे, और जो कुछ भी इन चालीस वर्षों म, खासकर पिछले 11 वर्षों का इतिहास ऐसा रहा है जिसमें मुश्किल से ढाई साल हम लोग सत्ता में रहे और अब मुश्किल से 6 महीने पुरानी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार है, हमें पिछले वक्त की बातों को सोचना और समझना पड़ेगा कि आखिर इसकी शुरूआत कहां से हुई ? मैं बिना किसी पर दोषारोपण करते हुए यह कहना चाहूंगा कि अगर हम देश को और इतिहास को बनाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने राजनीतिक लक्ष्यों को चूंकि राजनीतिक लक्ष्यों की और स्वार्थों की पूर्ति के वास्ते हम यह जघन्य कृत्य करते हैं हमें उनको भूलकर नये भारत का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और सुभाष बाबू ने की थी।

आज भाषण सभी दे रहे हैं, लेकिन इसको यहीं तक स्वीकार करके चले जाते हैं। क्या इसके पहले पंजाब में ये ऐसा नहीं हुआ, क्या इसके पहले हरियाणा में नहीं हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्या इसके पहले प्रतापगढ़ या दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जहां-जहां

20-25 आदमी क्रिमिनल्स में हाथों मरते हैं, उनके लिए देश चिन्तित नहीं होता, लेकिन आज अमेठी में या हरियाणा में ऐसा काण्ड होता है तो चिन्ता होती है। स्वाभाविक है कि देश चिन्तत हो जाये लेकिन इस तरह से जो हमारे लोकतंत्र ले आदर्श हैं, नैतिक मूल्यों ,और विचारधाराओं का अगर ह्रास हो जाता है तो फिर हम इस देश में कहीं रहने के लायक नहीं रहेंगे और दुनिया के मानचित्र में समाप्त हो जायेंगे। हम इतिहास को देखें। भारत की आजादी के साथ-साथ बर्मा को भी, पाकिस्तान को भी, सिलोन को भी आजादी साथ-साथ मिली थी। सब के सब देशों ने अपना लोकतंत्र खो दिया। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 14 सालों के मार्शल ला के बाद वहां के लोगों ने कितने-कितने जुल्म बर्दाश्त किये हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले राजनीतिक दलों से मैं आशा करता हूं कि केवल व्यक्तिगत राजनीति को आधार बनाकर देश के भविष्य को और देश की राजनीति को और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखकर हम इस लोकतांत्रिक पद्धति को आगे बढ़ने दें, इसको मजबूत करें और इसको सुचारू रूप से चलने दें। कोई भी दल सत्ता में आये और ऐसे जघन्य कार्य करता है तो उसकी सर्वत्र निन्दा होनी चाहिए और उसके कार्य को हम निन्दनीय ठहरायें। उपाध्यक्ष महोदय, आप उस समय नहीं थे, अध्यक्ष जी थे मैंने तब कहा था अगर हाउस में सब कमेटी बनाने की बात लोग करते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, जो कहेगा कि यह सरकार अपनी मर्यादा को रखते हुए किसी भी दोष से अपने को बरी रखने के लिए इस देश के सामने, दुनिया के सामने लोकतांत्रिक मर्यादा को साबित करने के लिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार इन लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमा तक विश्वास करती है उसकी परिपालन करती है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, हम चाहते हैं कि यह सरकार अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए इस सदन की उप समिति बनाये और निष्पक्षमता से इसकी जांच करे और जो भी दोषी हो उसको सजा दे। श्री आडवाणी जी ने कहा कि पार्टी का कोई विषय नहीं है। इस घृणित कार्य को करने के लिए हम में से जो भी व्यक्ति हो, उसको आईडेंटीफाई करें और इस तरीके से निन्दित करें ताकि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के दिल और दिमाग में ऐसा कुकर्म करने की भावना कभी भी पैदा न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए और लोकतांत्रिक मर्यादाओं और इनके मूल्यों को प्रस्थापित करने के वास्ते हम सब प्रयास करें और इस प्रयास की घड़ी में इस हाउस की एक सब कमेटी बनाकर हम देखें कि जिस किसी का भी दोष हो या जिस दल में वह संबंध रखता हो, वह दल भी उसको कंडैम्न कर उस पद्धति को आगे करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, गृह मंत्री जी।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैंने निवेदन किया है कि श्री हांडू को पांच मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सदन की इच्छा पर छोड़ता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह चार बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए । (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, समय बढ़ाया जा सकता है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे किस प्रकार नियमित किया जाये । यदि प्रत्येक सदस्य निर्धारित समय के अन्तर्गत ही अपना भाषण पूरा करें तो और अधिक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । यदि सदस्य निर्धारित समयावधि का पालन नहीं करेंगे तो कम सदस्य ही अपने विचार व्यक्त कर पायेंगे । हमारे पास अन्य कार्य भी हैं जिन पर चर्चा होनी है । मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार संचालन करू । मैं सदन की सम्मति के अनुसार ही चलूंगा और सदन की सम्मति यह थी कि हमें दो बजे तक ही यह चर्चा करनी है। और···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, मैं निर्धारित समय को केवल दस मिनट और बढ़ा दूंगा । मैं चाहूंगा कि प्रत्येक सदस्य केवल तीन मिनट के भीतर अपना वक्तव्य समाप्त कर दे । मैं केवल श्री शर्मा और श्री हांडू को तीन-तीन मिनट के लिए बोलने की अनुमति दूंगा । अब श्री हांडू ।

श्री प्यारे लाल हांडू (अनन्तनाग) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरी पार्टी और स्वयं के प्रति जो किंचित अनुकंपा की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में आपकी पार्टी के सदस्यों की कम संख्या होने के कारण आपकी पार्टी को कोई समय नहीं दिया गया है ।

श्री प्यारे लाल हांडू : हमारे देश में हत्या की घटनाएं अब शायद कोई खबर नहीं रह गई हैं । (व्यवधान) यदि कल मेहम में यह जघन्य अपराध नहीं हुआ होता तो शायद माननीय सदन का ध्यान इस ओर कदापि नहीं जाता । मैं यह भी महसूस करता हूं कि भारतीय लोकतंत्र इतना दुर्बल नहीं है कि देश के किसी कोने में हुई एक हत्या उस समूचे ढांचे को चरमरा कर रख दे जिसे हमने अपने लिए अपनाया हुआ है । परंतु मेहम में हुई यह हत्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हत्या उस निर्वाचन क्षेत्र में हुई है जहां से राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिनका अभी तक सदन के लिए निर्वाचन नहीं हुआ है । यह तो पहला कारण है । दूसरे यह हत्या का मामला इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि यह एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुआ है जो कि पिछले तीन महीनों के दौरान हमारे चुनाव इतिहास का एक अंग बन चुका है । और तीसरे मेहम में हुई यह हत्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में की गई जहां से देश के उप-प्रधान मंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं । यदि इस हत्या के साथ ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं जड़े हुए होते, तो शायद हमने इस हत्या के विषय में एक बार भी सोचा नहीं होता । मेरा सदन से यह हुए अनुरोध है कि इस विषय की ओर, जिससे तीन मुद्दे जुड़े हुए हैं, विशेष ध्यान दिया जाए । मुझे शतप्रतिशत यकीन है कि राज्य पुलिस अथवा केन्द्रीय पुलिस इसके बारे मे निश्चित तौर पर जांच का कार्य करेगी और एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे कटघरे में रखा जाएगा । सभी को इस बात का पूरा-पूरा यकीन है । यह मामला मुकदमा चलाए बिना नहीं निपटेगा ।

शायद हम इस बात से चिंतित नहीं हैं। हमारे लिए चिन्ता का विषय तो एक दूसरा ही मुद्दा है कि जिसकी उत्पत्ति इस निर्वाचन क्षेत्र में हुई इस नृशंस्त हत्या से हुई है और जिसका पता लगाने में पुलिस की जांच हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। इसका वास्तविक समाधान तो यह है कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति गठित की जाए जो इस मामले के 'क्यों' और 'कैसे' पहलुओं की जांच करें।

दूसरा मुद्दा यह है कि ऐसी नृशंस हत्या की नैतिक जिम्मेदारी कोई व्यक्ति स्वीकार करे। यहां राज्य के मुख्यमंत्री मेहम से चुनाव लड़ रहे हैं। वे इस देश के उप-प्रधान मंत्री के बेटे हैं। उनका उस पार्टी से भी संबंध है जोकि इस देश में सत्तारूढ़ है। चुनावों के मौके पर ऐसी हत्या किए जाने की नैतिक जिम्मेदारी देश के किसी व्यक्ति को स्वीकार करनी चाहिए। जैसा कि श्री चिदम्बरम् ने कहा— जनता दल द्वारा उठाए गए कदमों से इस नैतिक जिम्मेदारी के बारे में जाना जा सकता है और आज शाम अथवा कल सुबह के समाचारों से उसकी जानकारी मिल सकती है। पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है। संसदीय समिति इस कांड से संबंधित मुद्दों की जांच कर सकती है। और, तीसरे, यह देश की सत्तारूढ़ पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है। मेरा सदन से यह विनम्र निवेदन है कि यह विषय अत्यंत गंभीर है और इसे पूरी गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, चाहे वो हरियाणा का हो अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सही नीयत के साथ पुलिस जांच कराई जा सकती है। किए गए अनुरोधों के अनुसार ही इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और इस जघन्य हत्या के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा कर राजनीतिक तौर पर दंडित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाउस में हरियाणा के दो मुअज्जिज ऑनरेबल मैम्बर्स बोले, मैं उन्हीं शास्त्री जी और जय प्रकाश जी को मुखातिब करके एक शेर कहना चाहता हूं :—

हकीकत आशना हूं, वाकफे इसरारे हस्ती हूं।
समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता॥

मेहम में जिस प्रकार से कत्ल हुआ, शास्त्री जी ने उसे एक आदमी का कत्ल कहा, लेकिन एक आदमी का कत्ल होने पर इतना तूफान नहीं उठता, वह मात्र एक आदमी का कत्ल नहीं था, केवल अमीर सिंह का ही कत्ल नहीं था, वहां जम्हूरियत का जनाजा निकाला जा रहा था, वहां डैमोक्रेसी का खून किया जा रहा था। दुख तो इस बात का है कि जिस मेहम का कभी बड़ा नाम था, जिस मेहम की काफी इज्जत थी, आज उसी मेहम को इन लोगों ने कारहायनुमा एक कालिख लगा दी, बदनुमा दाग लगा दिया। आज हालत यह है कि जब भी मेहम का नाम आता है हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। क्या इस चीज से कोई इन्कार कर सकता है ... (व्यवधान) ... वहां जिस तरह की मैडिकल रिपोर्ट सामने आयी है, उसमें साफ कहा गया है कि मरने वाले के पीछे से गोली लगी है और उसे क्लोज रेंज से गोली मारी गयी है। मैं स्वयं फौजदारी का वकील हूं और आप भी हैं। यह हाउस स्वयं अंदाजा लगा सकता है कि किसी व्यक्ति के क्लोज रेंज से और पीछे से कैसे गोली लग सकती है। चौधरी बंसीलाल जी ने अभी हाउस में बोलते हुए ठीक बतलाया कि मेहम में मरने वाला व्यक्ति अमीर सिंह कत्ल होने से पहले शाम को किसके साथ था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : ऐविडेंस है कि लास्ट दिन, कत्ल के पहले, वह किसके साथ था। उपाध्यक्ष जी, इससे पहले भी वहां जो घटनाएं हुई, जिनका जिक्र अभी किया गया, 28 फरवरी को वहां 7-8 कत्ल हुए, शास्त्री जी ने इतना शोर किया, मैंने पहले भी इस हाउस में कहा था और आज फिर कहता हूं कि वह जम्हूरियत का सवाल है। हरियाणा में एच० ए० पी० के 22 नौजवानों को गैरहाजिर दिखाया गया है, कहा जाता है कि वे गुम हैं, पता नहीं कहां हैं, लेकिन उनका कत्ल हुआ है। यदि एच० ए० पी० का रिकॉर्ड निकाल कर मेरे हवाले कर दिया जाए तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। उनके मां-बाप दुहाई दे रहे थे कि उनके तीसहजारी कहां गए। उस 28 फरवरी के कांड के बाद एच० ए० पी० को बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० के हवाले कर दिया गया। रोहतक में पांच हजार पुलिस के नौजवानों ने वहां के आई० जी०, डी० जी० पी० और मुख्य मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। आखिर रोहतक में 5 हजार पुलिस के जवान इकट्ठा क्यों हुए, क्यों एच० ए० पी० को बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० के हवाले किया गया। कोई जवाब है इनके पास ? क्यों ऐसा किया गया ? वहां के रिटर्निंग आफीसर को जिसे

4.00 म० प०

इलैक्शन के पहले बदल दिया गया, क्यों ? डिप्टी स्पीकर साहब ये हालात हैं। अगर इसी का नाम जम्हूरियत है, तो मैं कहता हूं कि आज अभी जय प्रकाश जी कह रहे थे कि पुलिस के हवाले इन्वेस्टीगेशन कर दी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उस पुलिस से क्या तवक्कु है, जो खुद कत्ल करती है, उस पुलिस से क्या तवक्कु है जो खून की होली खेलती है, उस पुलिस से क्या तवक्कु है जो जम्हूरियत के नाम पर देश के लिए एक बदनुमा दाग है ? मैं इस हाउस में प्रार्थना करता हूं कि जम्हूरियत के लिए, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन्क्वायरी कराएं और जम्हूरियत की सबसे बड़ी संस्था, इस हाउस की ज्वाइंट कमेटी बनाएं, ताकि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर सके और किसी तरीके से हिन्दुस्तान में जम्हूरियत बचाई जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्हीं चन्द अलफाज के साथ, आपने मुझे बोलने के लिए जो टाइम दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वरना यह ऐसा मजमून था जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता था। लेकिन आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। इसलिए अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित किए जा चुके हैं और शायद आप भी उन्हीं मुद्दों को दोहराना चाहते हैं। इसलिए कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अगली बार मुझे एक अवसर प्रदान किया जाएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। अब, गृह मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : डिप्टी स्पीकर सर, मेहम में जो घटना हुई है, हादसा हुआ है इसके बारे में सारे सदस्यों ने तशवीश का इजहार किया है और इस वाके की जितनी आलोचना और मजम्मत की जाए, वह कम है, लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जिससे हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा जो लोकतंत्र है वह काफी कमजोर हुआ है। देश की जनता को, मुल्क के आवाम को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि पिछले 40 साल से जब भी चुनाव हुए हैं, किसी स्टेट में असैम्बली के चुनाव हुए हैं, लोक-सभा के चुनाव हुए हैं, बड़े पुराअमन तरीके से हुए हैं। 1977 के चुनाव में सरकार बदली और उस वक्त की जो हमारी प्रधान मंत्री थी, वे अपने क्षेत्र से चुनाव हार गईं; ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अभी जो लोक सभा के चुनाव हुए, बहुत अच्छे ढंग से हुए। इस देश के अवाम ने जिस पार्टी को अपना विश्वास दिया, उस ने चुनाव जीत लिया और इस लोक सभा के चुनाव के बाद असैम्बली के चुनाव हुए वे भी पुरअमन माहौल में हुए। ऐसी घटनाएं जहां कोई कैंडीडेट खड़ा हुआ हो, उसको मारा गया, बहुत सारे मेर पास वाक्यात हैं। ऑनरेबल मैम्बर्स जो उस साइड में बैठे हैं, उनको याद होगा - गढ़वाल का चुनाव, जब हेमवती नन्दन बहुगुणा वहां उम्मीदवार थे, चुनाव काउण्टरमाण्ड किया गया। दुबारा चुनाव कराना पड़ा। हमारी सरकार, जो भी चुनाव के निजाम में, हमारे इलैक्टोरल सिस्टम में खामियां हैं, उनको दूर करना चाहती है और इसी सैशन में चुनाव-सुधार के लिए हम लोग एक कानून इंट्रोड्यूज करना चाहते हैं। मेहम की बात छिपाने की जरूरत नहीं है। पिछला चुनाव था, वहां के मुख्य मंत्री को वहां से खड़ा होना था, वे उम्मीदवार थे, कुछ हालात ऐसे हुए, जिनकी वजह से चुनाव काउण्टरमाण्ड कराना पड़ा और उसके बाद अब चुनाव फिर होने वाला था, मुख्य मंत्री दो जगह से उम्मीदवार हैं और वहां जो मारे गए हैं—अमीर सिंह, वे जनता दल के सरगर्म कारकून थे, सरगर्म कार्यकर्ता थे। मुझे इस बात का अफसोस है कि यहां यह सुझाव दिया गया कि पार्लियामैंट्री कमेटी इसकी जांच करे, लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने चाहे वसंत साठे जी हैं, भजन लाल जी हैं, बंसीलाल हैं, इन्होंने फैसला देने से पहले, जांच करने से पहले अपनी निशां दी कि किसने मारा, कहां उसने रात का खाना खाया, फिर दो बजे रात तक कहां था, फिर उसकी लाश कहां पड़ी थी, क्या भजन लाल जी आप गवाह हैं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं चौधरी बंसीलाल की पूरी इज्जत करता हूं। मेरी बात सुनिए, जब मैंने इनकी बात सुनी वैसे ही मेरी बात सुनिए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, देश के गृह मंत्री हैं और यह कहा कि भजन लाल जी को कैसे पता चल गया कि लाश वहां पर पड़ी थी। (**व्यवधान**) मारे हरियाणा प्रदेश को पता है और ये कहते हैं कि कैसे पता चल गया ? (**व्यवधान**)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इसी तरह से बंसीलाल जी ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। जहां कत्ल होता है, जहां मर्डर होता है किसी का जब तक आई विटनैस न हो या सरकम-स्टांशल ऐवीडैंस न हो तो जज भी किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकता है। वसंत साठे जी ने जो कौंसपीरेसी की बात की है कि कत्ल हुआ। इसका किसको फायदा होगा, यह जांच करने की बात है ? साजिश किसने की यह भी फैसला करना होगा। क्या इस हाउस के मैम्बरान यह भी फैसला करेंगे ? अगर अमीर सिंह का कत्ल हुआ, चौटाला जो हरियाणा के मुख्य मंत्री हैं, वे एक

ही असैम्बली से खड़े नहीं हुए हैं, दो चुनाव क्षेत्र से खड़े हुए हैं, एक से जीते हैं एक से हारे हैं, फिर वे चीफ मिनिस्टर रहते हैं। इसलिए किसका मोटिव हो सकता है अमीर सिंह को कत्ल करना? क्या चौटाला का हो सकता है? वे जहां के मुख्यमंत्री हैं और जिससे यकीनी वे खड़े हुए हैं उससे जीत रहे हैं, जो अखबारों की राय है, इस बात की जांच करने की जरूरत है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। भजन लाल जी, इस प्रकार से नहीं उठिए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : किसी बात की तहकीकात करने के बगैर, इस कत्ल में कौन इनवाल्व है, इसकी जांच करने के बगैर इसमें क्या ऐवीडेंस है, क्या सबूत है उसके बगैर, मैं बड़े आदर से कहूंगा कि ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। यह प्री-जज करने की बात है, मैं बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : वह इस देश के गृह मंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक वकील की तरह बोल रहे हैं···(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : क्या यह गृह मंत्री का उत्तर है अथवा किसी बचाव पक्ष के वकील का?······कल प्रधानमंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी और रचनात्मक उत्तरदायित्व की बात की थी और हमने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी थी···(व्यवधान)। आज कोई भी न तो इस कांड की नैतिक अथवा रचनात्मक उत्तरदायित्व ले रहा है और न ही उसकी बात कर रहा है···(व्यवधान) मुझे खेद है कि गृह मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं यह कह रहा था कि जो सवालात इन्होंने अपने भाषण में और अपनी तकरीर में उठाए, विशेषतः साठे साहब ने, भजन लाल जी ने और बंसी लाल जी ने ने जिन चीजों का जिक्र किया, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। यह जो अमीर सिंह का कत्ल हुआ इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जनता दल का एक सरगर्म वर्कर था और उसकी लाश······(व्यवधान)······जहां इसका कत्ल हुआ वहां उसके रिश्तेदार और दूसरे कुछ लोग जमा हुए। उन सब लोगों को डांगी के ऊपर गुस्सा आया······(व्यवधान)······जो वहां वारदात हुई, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। उसके भाई ने वहां के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करायी। जो हकीकत है वह मैं बता रहा हूं। उसको आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० शंकरानन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी बचाव पक्ष के वकील की तरह बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें किसी भी तरीके से जवाब देने दीजिए, जैसी भी उनकी इच्छा है। हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : उसके भाई ने वहां के पुलिस स्टेशन में एफ० आई० आर० दर्ज

करायी। डांगी, उसके भाई और दो व्यक्तियों के खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज हुआ। चीफ मिनिस्टर की जो कांस्टीट्यूयेंसी हैं, वहां पहले भी चुनाव मुल्तवी हुए हैं, काउंटरमैंड हुए हैं।

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : काउंटरमैंड नहीं हुए हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : चुनाव रद्द नहीं किया गया था। दोबारा मतदान कराने के आदेश जारी किए गए थे। इस बार चुनाव रद्द किया गया था। चुनाव रद्द करने तथा दोबारा चुनाव कराने में बहुत बड़ा अंतर है।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : हरेक बात की यादाश्त आपको रखनी चाहिए। आप गुस्से में क्यों बोलते हैं। आप मेरी पहले बात सुनिए··· (**व्यवधान**)··· वहां के चीफ मिनिस्टर जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनको पूरी व्यवस्था और ऐसा इन्तजाम करना चाहिए था जिससे सभी उम्मीदवार वहां सुरक्षित रहें। जितने सीरियस आप यह जानने के लिए हैं कि किस प्रकार कत्ल हुआ, कौन इस साजिश में मुल्लवज था, उससे भी ज्यादा हम हकीकत को जानना चाहते हैं। मैं हाऊस के मैम्बरों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस बात की तहकीकात करेंगे और जांच करायेंगे। आनरेबल मैम्बर्स के पास ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई इनवैस्टिगेटिव एजेंसी नहीं जो कि इसकी पूरी तहकीकात कर ले। मैं इस हक में नहीं हूं कि इस हाऊस के मैम्बरों की एक कमेटी बने। कहीं ऐसा नहीं हुआ है··· (**व्यवधान**)··· अगर हाऊस के मैम्बरों की एक कमेटी बनेगी तो फिर इसी के ऊपर एक कमेटी और बनेगी। क्या वह आपको मंजूर है? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : गृह मंत्री, महोदय, हम चाहते हैं कि इसके किस सदन की एक समिति गठित की जानी चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : और आप इस समिति के सभापति हों··· (**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आप मेरी बात सुनिए। मुझे पहले पूरा बोलने दीजिए। ऐसा कोई प्रीसिडेंट नहीं है जहां कत्ल हुआ हो किसी स्टेट में, और लोक सभा में उसकी जांच के लिए एक सब कमेटी बने··· (**व्यवधान**)··· क्रोमवेल के जमाने में हुआ था, उस वक्त वह उसके लिए था··· (**व्यवधान**) आप सुनिए।

[अनुवाद]

सदन के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है ··· (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह मात्र हत्या का ही मामला नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह किसी एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है, इसमें काफी

मुद्दे शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में अपना वक्तव्य दें। उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम चाहते हैं कि मामले की जांच के लिए सदन की एक समिति नियुक्ति की जाए। क्या आप इससे घबराते हैं?

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं यह चाहूं कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, किसकी साजिश है, क्योंकि जो उम्मीदवार थे, उनकी सुरक्षा का इन्तजाम नहीं किया गया, क्यों यह कत्ल हुआ, इसकी हम जांच कराएंगे।

एक माननीय सदस्य : किससे?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : हम स्टेट सरकार को यह कह देंगे कि···(**व्यवधान**)···इसलिए ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की जाय, और क्या हो सकता है, और कौन-सी एजेंसी हो सकती है, इसकी तहकीकात का एक तरीका ज्यूडिशियल इन्क्वायरी है दूसरा कुछ सदस्यों ने इसका भी जिक्र किया कि लोकल पुलिस इसकी जांच न करे तो दूसरी बात यह हो सकती है कि सी० बी० आई० के जरिए से इसकी इन्वेस्टीगेशन करायें, कर सकते हैं, यही दो बातें हैं। एक इस कत्ल के इन्वेस्टीगेशन में जो यह मर्डर हुआ है, इसकी इन्वेस्टीगेशन सी० बी० आई० करे, दूसरे उसके सिलसिले में स्टेट सरकार को यह कहा जाय कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी आर्डर की जाय, इन दो बातों का हम आश्वासन और यकीन दिलाते हैं।

श्री बसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, इस विषय में आज जितनी चर्चा हुई, मैं तो उन सब सदस्यों को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना ऊंचा स्तर उन्होंने चर्चा का रखा और इस चर्चा में जो एक दिशा सारे सदन ने बतलाई वह देश के लोकतन्त्र को सुरक्षित रखने की चिन्ता के बारे में है और यह साफ हो गया कि सारा सदन, अब सरकार माने न माने अलग बात है लेकिन इस बात से चिन्तित है और यह चाहता है, बहुत से लोगों ने यह कहा, यहां तक कि राज मंगलजी ने भी यह सुझाव दिया, वह एक बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं हमारी राजनीति के, केवल इस सदन के ही नहीं, कि हमको देश में आज यह संदेश भेजना है कि हम लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह मामूली घटना नहीं है। जैसा कि यहां बताया गया कि जहां बहुत वरिष्ठ, चोटी के देश के नेता वहां संबंधित हों, जहां राज्य का सबसे बड़ा मुखिया संबंधित हो, जहां ऐसी परिस्थिति हो, मैं पहले ही कह देता हूं, आप यह कहते हैं, अमेठी का भी बार-बार यह सुझाव दिया गया है कि हम एक पार्लियामेण्ट्री कमेटी मान लें, लोगों ने फौरन कह दिया कि वह अमेठी की भी जांच करे, हम बिल्कुल तैयार हैं···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : लोगों ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब ने कहा।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने कहा, कोई ऐसा प्रिसीडेंण्ट एस्टेबलिश नहीं करना है। आपने पूछा हमसे, यह रिकार्ड में है।

श्री बसंत साठे : आज तक ऐसा प्रीसिडेंड नहीं हुआ। (**व्यवधान**) मुझे बड़ा दुःख है कि होम मिनिस्टर साहब से हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि जब वे जवाब देंगे तो उनका जवाब यह मसला हल करने के लिए होगा, यह नहीं होगा कि वे एक डिफेंस के लायर की तरह जवाब दे दें। माफ कीजिए उपाध्यक्ष जी, उनका जवाब यह था कि चोर के हाथ में खजाने की चाभी दे दी जाए,

जिसके ऊपर कत्ल का आरोप हो, खून का आरोप हो उसी को जांच करने के लिए कह दिया जाए। (व्यवधान) मैं उदाहरण दे रहा हूं। (व्यवधान) जिसके ऊपर खून करने का आरोप हो उसे ही जांच कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए। (व्यवधान) मैं उदाहरण दे रहा हूं। आज क्या हो रहा है ? आज वस्तुस्थिति क्या है ? (व्यवधान) दो-तीन लोग वहां मारे गये। एक कैंडीडेट जान से गया और दूसरा जो वहां पर खड़ा है उस पर आरोप लग रहा है। यह मेहम की हालत है। (व्यवधान) देखिए इलेक्शन तो काउंटरमाइंड हो गया है और जो कैंडीडेट वहां से जीतने वाला था (व्यवधान) उसके घर पर जाकर के पुलिस हमला करे, वहां गोलियां चलाये। उपाध्यक्ष जी क्या आपको लगता है कि वह मारने वाला है ? उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम जांच करने के लिए स्ट्रिक्टली कहने वाले हैं।

मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मूल्यों की राजनीति और कंस्ट्रक्टिव एप्रोच की बात करते हैं। अब उनके साथी ने जरा-सी बात हो गयी गद्दी छोड़ दी (व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी, जहां आपके ही कलीग के घर के लोग इनवाल्व हों, मैं यह नहीं कहता कि गुनहगार हों, सीधे-सीधे आरोप में इनवाल्व हैं ... (व्यवधान) मैं उनसे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल इतना मांग रहा हूं कि एक स्वस्थ परम्परा डालें, सभी लोग कह रहे हैं कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाए। हम डिसमिसल नहीं मांगते। अच्छा होता कि डिसमिस कर देते तो जांच तो ठीक होती। यह इतना अनप्रीसिडेन्टिड इलेक्शन है कि कोई राज्य सरकार जांच करके न्याय नहीं दिला सकती। यह बात स्पष्ट हो गयी है। हम अब होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम राज्य सरकार से जांच करायेंगे। (व्यवधान)

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री बसंत साठे : मैं गंभीरता से प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि डिप्टी प्राईमिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, कहने के लिए तो यह ठीक है। इसलिए आज सचमुच देश में यदि हम एक ऐसी प्रक्रिया, स्वस्थ परम्परा स्थापित करना चाहते हैं—लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, तो मैं अभी भी यह अपील करूंगा कि सब सदन की यह राय है। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : पांच साल पहले आपका स्वास्थ्य कहां था ? (व्यवधान) मान्यवर, गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि इसकी जांच सी० बी० आई० के के द्वारा होगी। हमारा ख्याल है कि अपनी संस्थाओं पर विश्वास करना होगा, जांच की प्रक्रियायें होंगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पुजारी जी, प्रधान मंत्री जी जो कुछ कहना चाहते है, उन्हें कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल हाउस के ही अन्दर एक

घटना फतेहपुर के बारे में उठी थी और मैं आज फतेहपुर जाकर के, लौट करके आ रहा हूं। घटना दर्दनाक है, एक महिला को वहां पर जलाकर, मारा गया है। इस दर्दनाक घटना पर जो रंग चढ़ाने की कोशिश की गई है, उसके लिए आज मेरे दिल में बड़ी वेदना है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कल सदन के अन्दर यह बात उठी थी और सभी सांसदों के सामने उठी थी, तो उसके ऊपर हम अपनी राय इसी से रिलेट करते हैं। इसी से जुड़ी हुई बात है। इसका जो चित्र दिया गया था कि एक हरिजन महिला गांव के उस पुरवे में थी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले प्रधान मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सच्चाई को नहीं देखना चाहते हैं? (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनवेस्टीगेटिव एजेन्सीज के अलावा जब जांच की प्रक्रियायें होती हैं तो उसके क्या नतीजे होते हैं, उसकी क्या प्रक्रियायें होती हैं?

इनवेस्टीगेटिंग एजेंसीज के बाहर जब जांच होती है तब इस तरह के नतीजे निकलते हैं। (व्यवधान)

जो बातें कल आपने कहीं। हमको तकलीफ यह है। हत्यारों ने उस महिला की जान तो जरूर ली, लेकिन यह कहकर कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी इज्जत लेने के लिए कौन लोए जिम्मेदार हैं। (व्यवधान)

वह इज्जत कैसे लौटेगी। उसकी 2 महीने की बच्ची है, जब वह बड़ी होगी तो क्या कहेगी कि मेरी मां के बारे में इस संसद में क्या कहा गया, पूरे देश में यह बात हो गई कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ है। (व्यवधान)

पूरे गांव ने कहा कि कोई बलात्कार वहां नहीं हुआ है। (व्यवधान)

इसलिए आवश्यक है मान्यवर कि जो इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसीज हैं और जिनको कानून द्वारा जिम्मेदारी दी गई है, कानूनन जिस इनवेस्टीगेटिंग एजेंसीज को जिम्मेदारी दी गई है, उन इनवेस्टीगेटिंग एजेंसीज द्वारा जांच हो। गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि सी० बी० आई० द्वारा जांच करवाएंगे, वह सही इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय···। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए। देखिए, उधर से एक माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था, उसके लिए साठे साहब बैठ गए थे, उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी बात कही, लेकिन साठे जी का रिप्लाई अभी चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने सजेस्ट किया था कि सी० बी० आई० द्वारा इन्क्वारी करवाएंगे, दूसरी बात उन्होंने कही थी कि स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे कि वह अपनी एजेंसीज से जांच न करवाएं, ज्यूडिशन इन्क्वारी करवाए। प्रधान मंत्री इस पर नहीं बोले, इसको भी जरा साफ कर दें तो अच्छा होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब गृह मंत्री जी ने कह दिया तो सरकार ने कह दिया। (व्यवधान)

श्री राव ढाकणे (बीड) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। रिप्लाई देने के बाद श्री वसंत साठे जी अपनी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के बोलने के बाद वसंत साठे जी बार-बार उठ कर बात कहते हैं, ऐसा करने के लिए इनको मना करना चाहिए। इस तरह से वे बात नहीं कर सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। जी साठे जी, बोलिए।

[अनुवाद]

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। साठे जी आप अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है। माननीय प्रधान मंत्री जी जब खड़े हुए तो मुझे लगा कि इस विषय के बारे में कुछ कहेंगे। परन्तु वे फतेहपुर के बारे में बयान देना चाहते थे। जो वे जांच करके आए, वह बताना चाहते थे। उस पर फिर डिबेट हो सकती है, हमें इसका कोई एतराज नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज सदन में जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी यहां नहीं थे, सदन में आडवाणी जी, सोमनाथ जी और बहुत से सदस्य बोले। सब लोगों ने यह कहा कि हाउस कमेटी इस मामले की जांच करे। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हमने यह नहीं कहा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं इसे सर्वथा अनुचित समझता हूं क्योंकि संसदीय समिति के सदस्यों द्वारा किसी हत्या की जांच नहीं की जा सकती है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : यदि हाउस कमेटी के द्वारा आपको लगता है कि न्याय नहीं हो सकेगा, जांच नहीं हो सकेगी।

[अनुवाद]

मैं निवेदन करता हूं कि मामले की जांच केन्द्रीय अधिकारियों की सहायता से उच्चतम न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

मैं आपसे कह रहा हूं, यह बड़ा गंभीर मामला है। सरकार ऐसा न सोचे कि हम सरकार

में हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सरकार के प्रमुख से भी मेरी अपील है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेकर न्याय करें और मेहम में जो कुछ हुआ है, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसे फिर से न दोहराया जाए। वहां जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस मामले के लिए जो जिम्मेदार हैं, यदि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती है तो हमें अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे लिए इस सरकार के साथ चलना, सहयोग करना दिन प्रति-दिन मुश्किल होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : वसंत साठे जी ने जो सुझाव दिया है उसके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि इसकी इनवैस्टीगेशन सी० बी० आई० करेगी। दूसरा, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सुप्रीम-कोर्ट के द्वारा जांच होनी चाहिए तो हम राज्य सरकार को कह देंगे चीफ मिनिस्टर को कह देंगे कि यदि वहां इन्क्वायरी करवानी हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाएं।

श्री बंसी लाल (भिवानी) : वह क्या इन्क्वायरी करवाएगा। **(व्यवधान)**

श्री भजन लाल : राज्य सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : सुप्रीम-कोर्ट के सीटिंग जज इन्क्वायरी करेंगे, यह राज्य सरकार न माने तो क्या करेंगे, यह भी बताइये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सदन की समिति को कभी भी स्वीकार नहीं किया है···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इन्होंने कहा कि अमेठी को भी शामिल करो इसमें, हमारा सुझाव है कि इसमें अमेठी को भी जोड़ दें। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, आज साठे जी ने जो जवाब दिया उसका प्रत्युत्तर गृह मंत्री की ओर से आया है उसके बाद अगर यह सदन इस रूप में इसको स्वीकार करे, क्योंकि पहले साठे जी कह चुके हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेठी भी सम्मिलित की जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहां कोई पाइंट स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं यह मानता हूं कि आज अगर मेहम के बारे में चिन्ता है तो चिन्ता इस कारण है जैसा हांडू जी ने कहा कि वहां के मुख्य मंत्री वहां पर प्रत्याशी हैं, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता उस क्षेत्र में तो इतनी गम्भीरता से इतनी सहमति नहीं होती। उसी प्रकार से अमेठी का मामला भी गम्भीर स्थिति है क्योंकि वहां पर तत्कालीन प्रधान मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे···**(व्यवधान)**···अगर साठे जी ने अपने जवाब में यह बात नहीं कही होती तो मैं इसको कभी नहीं उठाता और इसको मेहम तक ही सीमित रखता और गृह मंत्री जी ने भी मेहम तक सीमित रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोक सभा इतिहास बनायेगी, अगर इस अवसर पर आज जबकि एक सर्वानुमति है हम दोनों अमेठी और मेहम के बारे में फैसला करेंगे। अगर कांग्रेस सहमत हो रही है तो मेहम के बारे में जो निर्णय हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसका समर्थन करता हूं, अमेठी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : आपकी बात मैं मान लेने को तैयार हूं। अमेठी के मामले में केस चल रहा है, चुनाव आयोग के सामने भी है, यदि आडवाणी जी का सुझाव माना जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज मेहम में देखेंगे वह अमेठी में भी देखेंगे तो ये सारे केस विदड्रा हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज से दिखाने के लिए हम तैयार हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, आप यह क्या कर रहे हैं ? मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं। प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

4.43 म० प०

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहमम्द सईद) : माननीय प्रधान मंत्री ने संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में सदन को एक आश्वासन दिया था। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी मूल नीति का निर्धारण कर लिया गया है लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें राज्य की परिधि से अलग रखना होगा। उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा कुछ भू-भाग, जिसका प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है, हम इनका निर्धारण करेंगे। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, हम इसे करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने तो यह कह दिया। आपने 12-4-90 को दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए स्टेटमेंट दिया था, मेरा निवेदन है कि वह विधेयक इस सैशन में आयेगा या नहीं आयेगा ? और आयेगा तो क्या पास किया जायेगा या नहीं ? यह बताया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सत्य पाल मलिक अगले सप्ताह के दौरान किए जाने वाले सरकारी कार्य से संबंधित एक वक्तव्य देंगे।

4.45 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 21 मई, 1990 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—
   (1) स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1990
   (2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1989
   (3) लोकपाल विधेयक, 1989
   (4) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्या स्थिति है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका के सदस्यों की अनुपस्थिति में मेरा सुझाव है कि श्री बबनराव ढाकणे कुछ समय के लिए सभापति के रूप में कार्य करें। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं तथा सभापति तालिका के अन्य सदस्य भी अनुपस्थित हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि श्री बबनराव ढाकणे सभा की अनुमति से कुछ समय के लिए सभापति का कार्यभार संभालें।

अगली मद।

4.47 म० प०

संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक*

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं इस विधेयक के संबंध में एक संक्षिप्त घोषणा करना चाहता हूं। इस सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद यह घोषणा की थी कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के लिए वह एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करना चाहती है, यह कदम कार्यकारिणी के विपथगमन की शंकाओं को समाप्त करने तथा न्यायाधीशों की नियुतित तथा उनके स्थानान्तरण में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए आवश्यक था···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया, विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लीजिए।

*दिनांक 18 मई, 1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड दो में प्रकाशित।

श्री विनेश गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत । वह उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं ।

श्री विनेश गोस्वामी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

4.50 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के अजमेर जिले में ब्यावर में स्थित कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स का अधिग्रहण किए जाने की मांग

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर एक औद्योगिक नगर है । यहां पर स्थित कृष्णा (टैक्सटाइल) मिल विगत तीन-चार वर्षों से बन्द पड़ी है । इस मिल में हजारों श्रमिक कार्यरत थे परन्तु मिल मालिक ने मजदूर विरोधी नीति का परिचय देते हुए, घाटे के आंकड़े प्रदर्शित कर मिल चलाने में असमर्थता के नाम पर तालाबन्दी घोषित कर दी । परिणामस्वरूप, हजारों श्रमिकों का रोजगार छिन गया, उन पर आश्रित हजारों परिजन रोटी रोजी और दाने-दाने को मुहताज हो गए । स्थायी सेवा में कार्यरत श्रमिकों की भविष्य निधि एवं बकाया वेतन की लाखों रुपये की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया । ब्यावर तथा आसपास के गांवों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई । कपड़ा मिल को पुनः चालू करवाने के लिए विभिन्न श्रमिक संघों ने एकजुट होकर प्रदर्शन, घेराव, धरने, क्रमिक उपवास, यातायात रोको आन्दोलन, गिरफ्तारी आदि विभिन्न अहिंसक सत्याग्रह भी किए । मिल मजदूरों तथा राजनेताओं ने एक स्वर से सरकार को इस मिल को अधिगृहीत कर राष्ट्रीय कपड़ा निगम के तहत पुनः संचालित करने अथवा श्रमिक सहकारिता के आधार पर चलाने का भी अनुरोध किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है । फलस्वरूप बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है । अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि हजारों श्रमिकों के हित में कल्याणकारी कदम उठाकर कृष्णा मिल का अधिगृहण कर राष्ट्रीय कपड़ा निगम के तहत पुन. मिल में वस्त्र उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया जाये ताकि मजदूरों को रोटी-रोजी मिल सके ।

(दो) बिहार के भोजपुर जिले में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के भोजपुर जिले में बिजली की अत्यन्त कमी है, जिससे पूरे भोजपुर इलाके में भयंकर संकट पैदा हो गया है । इसलिए मैं केन्द्र

सरकार से अनुरोध करता हूं कि भोजपुर जिले में बिजली की दयनीय स्थिति को देखते हुए भोजपुर जिले में एक वृहद् विद्युत तारघर स्थापित किया जाए, जिससे कि वहां के लोगों को बिजली के संकट से उबारा जा सके।

4.52 म० प०

[श्री बबन राव ढाकणे पीठासीन हुए]

(तीन) **प्रधान डाकघर, मुंबई के लिए एक बिलगन (सोटिंग) मशीन का आयात किए जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री वामन राव महाडीक (मुंबई दक्षिण मध्य) : सरकार प्रधान डाकघर, मुंबई के लिए महंगी सोटिंग मशीन के आयात की योजना बना रही है जिसके कारण दो सौ से भी अधिक सोर्टर बेरोजगार हो जाएंगे, सोटिंग मशीन के आयात करने पर व्यय इस प्रकार होगा : मशीन का मूल्य 18 करोड़ रु०, आयात शुल्क 12 करोड़ रु० तथा इसकी मरम्मत तथा देखरेख पर प्रतिवर्ष होने वाला व्यय दस करोड़ रु० अर्थात् कुल मिलाकर 40 करोड़ रु० की लागत आएगी, इससे दो सौ सोर्टर बेरोजगार हो जाएंगे, वर्तमान में कार्यरत दो सौ सार्टरों के वेतन तथा भत्तों पर प्रतिवर्ष दो करोड़ रु० से भी कम खर्च होगा। सरकार चार करोड़ रु० के वार्षिक ब्याज का पूर्वानुमान लगाते हुए वेतन का भुगतान कर सकती है, अतः मैं सरकार से सार्टिग मशीन के आयात के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करने को रोकने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

(चार) **गोदावरी नदी के प्रदूषित पानी को साफ करने हेतु एक 'कार्य योजना' तैयार किए जाने की मांग**

श्रीमती जे० जमुना (राजामुन्द्री) : यह संतोष की बात है कि प्रदूषण की समस्या पर सभी देशों द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। नदी के प्रदूषित जल को साफ करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य कुछ समय पहले साधारण रूप से शुरू किया गया था। गोदावरी एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है जो अनेक राज्यों से होकर बहती है। जहां तक पूर्व गोदावरी जिले का प्रश्न है, पेपर मिल आदि जैसे उद्योगों से कूड़ा-कचरा बहाकर इस नदी में डाला जा रहा है। यह ऊपरी क्षेत्रों में होने वाले प्रदूषण के अतिरिक्त है। पौराणिक महत्व होने के कारण लाखों लोग इस नदी में स्नान करते हैं तथा देश के कौन-कौन से श्रद्धालु लोग यहां आते हैं; विशेष रूप से 12 वर्ष बाद पड़ने वाले 'पुषकरमस' त्यौहार के दौरान देश भर से लोग यहां आकर इस नदी में स्नान करते हैं। इस बार यह त्यौहार 1991 में पड़ेगा। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि राजामुन्द्री कस्बे के निवासी इस नदी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पेय जल की आपूर्ति इसी नदी से होती हैं। इस कार्य के लिए जल-कुन्ड का निर्माण निचले क्षेत्र में किया गया था जहां पर अधिकांश उद्योगों से कूड़े कचरे का नि:सृवण किया जायेगा। अतः पीने के लिए इस पानी की आपूर्ति करना खतरनाक हो गया है।

अतः मैं यह निवेदन करती हूं कि गोदावरी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए तथा इसके जल का साफ करने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाए जाएं अन्यथा लाखों लोगों को स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इससे करोड़ों लोगों को प्रदूषण के आसन्न खतरे से बचाया जा सकेगा।

(पांच) नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबंधों को गैर-परम्परागत किसानों के स्वामित्व वाले फार्म हाउसों पर भी लागू किए जाने की मांग

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के सीमान्त क्षेत्रों में फार्म हाउसों में भारी वृद्धि हुई है जिन पर नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम लागू नहीं होता है, वास्तव में ये फार्म हाऊस, फार्म हाऊस न होकर 'फार्म पैलेस' हैं जिनके मालिक नए धनी वर्ग के लोग हैं, जिनका कृषि-कार्य से कोई संबंध नहीं है। इन फार्म हाऊसों पर करोड़ों रुपए शान-शौकत से रहने के लिए खर्च किए जाते हैं कर चोरी की जाती है तथा फार्म हाऊसों पर लागू होने वाले कानून के तमाम उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है। इन तथाकथित फार्म हाऊसों को कृषि के नाम पर बिजली देने में प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें सम्पर्क सड़क मार्ग, दूरभाष, 'टेलेक्स' और 'फैक्स' आदि विभिन्न नागरिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन फार्म हाऊसों से समाज को कुछ मिलने की बजाए इनसे सामाजिक असमानता को ही बढ़ावा मिलता है।

भूमि पर दबाव कम करने के लिए विशेष रूप से जबकि दिल्ली में करीब 2 मिलियन लोग गन्दी बस्तियों तथा झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं मैं शहरी विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में उन सभी फार्म हाऊसों को छोड़कर जिनमें किसानों द्वारा पिछली तीन पीढ़ियों से खेती की जा रही है, शेष सभी फार्म हाऊसों को सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिगृहण करना चाहिए और नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबन्धों को गैर-परम्परागत किसानों के स्वामित्व वाले सभी फार्म हाऊसों पर लागू किया जाना चाहिए।

(छः) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित फलों आदि के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन प्रस्तुत करता हूं :—

"पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का आधार फल व सब्जियां तथा विभिन्न प्रकार के दलहन आदि हैं। दुर्भाग्य से कृषि मंत्रालय का ध्यान इन क्षेत्रों की ओर नहीं गया है। फसल बीमा योजना व समर्थन मूल्य देने की योजना इन क्षेत्रों में लागू नहीं है। यहां का किसान मौसम व अनुत्पादकता का सर्वाधिक शिकार होता है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल, नींबू, आलू, मौसमी, बेमौसमी सब्जियों, सोयाबीन, अनारदाना, भट, गोहत आदि कृषि उत्पादों का गेहूं व धान की भांति समर्थन मूल्य प्रति वर्ष भारत सरकार निर्धारित करे तथा इनके क्षेत्रों में फसल बीमा योजना लाग करें।"

4.59 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवा प्रतिवेदन

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा 16 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्यों सम्बन्धी समिति से पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी सीमिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.00 म० प०

गो-हत्या पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री गुमान मल लोढ़ा गो-हत्या पर प्रतिबन्ध संबंधी संकल्प पर अपना भाषण जारी रखेंगे, जो उनके द्वारा 4 मई, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया था ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सम्माननीय सभापति महोदय, गोवंश की हत्या के विरुद्ध केन्द्रीय कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के लिए यह संकल्प इस सदन के द्वारा आंशिक रूप से 12 अप्रैल, 1979 को पारित हुआ था ।

विनोबा भावे ने अनशन किया था और सारे राष्ट्र में उनके अनशन से चिन्ता पैदा हुई थी । यह दुर्भाग्य का विषय रहा कि आंशिक रूप से संकल्प पारित होने के पश्चात् भी अब तक केन्द्र के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का कानून पारित नहीं हो सका । भारत जैसे राष्ट्र में गोवंश की महत्ता के बारे में एक बार नहीं, अनेक बार विचार-विमर्श इस सदन में हो चुका है । दुर्भाग्य इस बात का है कि 1935 में उस समय की पशु गणना के अनुसार गोवंश की हड्डियों की गणना जो की गई उसमें 80 प्रतिशत स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात् उनकी हड्डियां प्राप्त होती थीं और केवल 20 प्रतिशत कत्ल किए जाते थे, मारे जाते थे । कितने दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1986 में जब यह गणना की गई तो पता लगा कि अब अपने आप मृत्यु होने के बाद जिनका चमड़ा, मांस या हड्डी मिलती है, उसका प्रतिशत जो पहले 80 था वह केवल 20 प्रतिशत रह गया है, 40 प्रतिशत रह गया है और बाकी का प्रतिशत गौवंश की हत्या के द्वारा होता है । कृष्ण के, गांधी के, महावीर के, बुध के इस राष्ट्र में आज स्थिति यह है कि हर वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ 17 लाख हत्याएं होती हैं और एक दिन में इन 2 करोड़ 17 लाख में से मारे गए पशुओं की संख्या 1 करोड़ 8 लाख है, जो स्वाभाविक मृत्यु से मर जाते हैं, उनकी संख्या

1 करोड़ नौ लाख ग्यारह हजार है। इस प्रकार अब प्रतिदिन जब भगवान भुवन भास्कर आकाश में आते हैं उनके साथ 29,500 गाय, बैल, बछड़े इस देश में कसाईयों के बूचड़खाने या दूसरे स्थानों पर मौत के घाट उतारे जाते हैं और हर मिनट 20 हत्याएं की जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा युगों-युगों से वेदों मे कहा गया है :

"माता रूद्राणां दुहिता वसूनां
स्वस्म दित्या नाममृतस्य नाभिः
प्रनु वोच् चिकितुषे जनाय
मां गामानागामदिति वधिष्टः।

गाय रूद्र की माता, वसु पुत्री और आदित्य भगनी है। गाय अमृत तुल्य दूध और घी का एक मात्र स्रोत है। इसलिए विद्वानों का यह कहना है कि गौवध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवता की सेवा करती है। अथर्ववेद में कहा गया कि मेरा प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह है कि वे गौ-हत्या न करें। महाभारत में, हमारे जितने पुराण, साहित्य हैं उसमें गाय की महत्ता दी गई, उसे कामधेनु कहा गया। मैथिलीशरण गुप्त जो कांग्रेस के सदस्य थे, सदन में उन्होंने कहा कि :

"दांतों तले तृण दबाकर हैं दीन गायें कह रहीं,
हम पशु तथा तुम मनुज, पर योग्य क्या तुम को यही ?
जारी रहा क्रम यदि यहां यों ही हमारे नाश का,
तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का।
जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पायेगी,
यह स्वर्ण भारत भूमि बस, मरघट बन जायेगी।

सभापति महोदय, जिस भारत के सम्राट दिलीप एक गाय की रक्षा करने के लिये भी अपना शरीर देने तक तैयार हुए, जिस दिल्ली नरेश पृथ्वीराज ने गोरक्षा के लिए अपने राज्य तथा शरीर तक को त्याग दिया, जिस दिल्ली में मुगल बादशाहों ने गोहत्यारे को हाथ कटवाने या गोली से मार देने की आज्ञा दी, जिस दिल्ली में सन 1921 की गोपाष्टमी को महात्मा गांधी जी, पं० मोती लाल नेहरू की उपस्थिति में उनकी आज्ञा से गोहत्या जारी रखने के कारण अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के प्रस्ताव को पास किया वहां स्थिति यह है कि हर दिन हजारों की तादाद में गायों की हत्यायें होती हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमारे राष्ट्र में गऊ केवल धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सभी प्रकार से उपयोगी है। इस सदन के अन्दर जब यह बहस हुई तो यह बताया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अल्पसंख्यक किसी भी धर्म के कारण से गो हत्या करता है या उनका धर्म किसी प्रकार का मैंडेट या डायरेक्शन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है। कुरान का पूरा अध्याय गो सुरक्षा के बारे में। पैगम्बर साहब स्वयं प्रभु के अनुयायी थे और कभी गोमांस नहीं खाते थे। डा० सैयद महमूद ने अपनी पुस्तक "काऊ प्रोटेक्शन अंडर मुस्लिम रूल—ए हिस्टोरिकल सर्वे" में लिखा है कि अकबर ने अपने संपूर्ण राज्य में आदेश जारी करके गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आइने-अकबरी में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसके बाद जहांगीर ने भी यह हुक्म जारी किया था। इस्लामी गो-रक्षण के अनुसार भी मुहम्मद शाह और शाह आलम जैसे भारत के परवर्ती शासकों ने

गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह देखा गया है कि अरब, सीरिया, मिश्र, त्रिपोली और एशियाई तुर्की के मुसलमान राष्ट्र गो-वध नहीं करते। सऊदी अरब में अब भी गोवध करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है। इसी प्रकार अब भी कई अन्य राष्ट्रों में भी गो-हत्या पर प्रतिबंध है। यहां तक कि मुहम्मद पैगम्बर ने कहा कि गाय का दूध आरोग्य और स्वास्थ्य के लिये सबसे उत्तम है। घी औषध है और गोमांस रोग है। गाय के दूध से रोगों का उपचार होता है। मक्खन औषध है, मांस व्याधि है। महात्मा जी ने जीवन पर्यन्त इसके लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि मैं गाय को सम्पन्नता और सौभाग्य की जननी मानता हूं और कहा कि गौ माता हमारी अपनी मां के समान कई दृष्टियों से उत्तम है।

[अनुवाद]

गाय मां से भी अधिक पावन और पवित्र है।

[हिन्दी]

गांधी जी ने 2९-1-1925 को फिर कहा कि "गो हत्या और मानव हत्या में कोई अंतर नहीं है" यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब गोहत्या होती है तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी हत्या की जा रही है। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने भी इसी प्रकार अपने विचार प्रकट किये। बाल गंगाधर तिलक ने यहां तक कहा कि हम स्वराज प्राप्त करने के पश्चात पांच मिनट के भीतर अपनी कलम की नोक से गो हत्या बंद करने का कानून बना देंगे। 1947 से 1990 आ गया है लेकिन गो हत्या अब भी हो रही है। पहले 28 परसेंट हत्यायें होती थीं आज 50 परसेंट हो रही हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय कह गये कि मेरी अंतिम इच्छा थी कि भारत के संविधान का पहला खंड गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना होना चाहिये। जवाहर लाल जी को महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में याद करते हैं। उन्होंने कहा कि :

[अनुवाद]

"इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदू को नम्र और अहिंसक होना चाहिए क्योंकि उसकी संरक्षक जननी गाय स्वयं अहिंसक है।"

[हिन्दी]

जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इस देश में आन्दोलन किया और सन् 1977 को सारे राष्ट्र में नया जीवन और नई क्रांति दी उन्होने कहा कि :—

[अनुवाद]

"मेरे विचार से भारतीय परिस्थितियों में गोवध निषेध से अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत कोई अन्य बात नहीं हो सकती।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, उन्होंने अपने आर्थिक आधार के ऊपर प्रेगमैटिक एप्रोच करके कहा था।

[अनुवाद]

"गौवध निषेध से अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत कोई अन्य बात नहीं हो सकती।"

"गाय का दूध स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य के लिए अच्छा साधन है। इसका घी औषधि है और गोमांस एक रोग है।" मोहम्मद साहब ने यही कहा है।

[हिन्दी]

श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 1958 में कहा :—

[अनुवाद]

"अगर संक्षिप्त में कहें तो गाय और उसकी संतति भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी है।"

[हिन्दी]

हमारी कृषि का आर्थिक आधार, हमारे विकास का, हमारी ग्रामीण जनता का, पशुपालकों का कितना अधिक है, वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भी लार्ड लेनिथ ने, जो यहां के बादशाह थे, उन्होंने लिखा था :

[अनुवाद]

"भारतीय कृषि का संपूर्ण ढांचा गाय और कार्य करने वाले बैलों पर ही निर्भर है।"

सुप्रसिद्ध श्री रफी अहमद किदवई ने कहा था :

"जब हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग निषेध और गोवध निषेध के पक्ष में है, तो इस मत का सम्मान किया जाना चाहिए। केवल उसी स्थिति में एक लोकतंत्र वाली सरकार सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप जरा संक्षेप में बोलें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि, बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं आपके सामने इसके वह पहलू रखना चाहूंगा कि जिस समय संविधान सभा में डिबेट हुई और गो रक्षा के प्रश्न के ऊपर विवाद हुआ तो कई मित्रों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे, यहां तक कि वह सदस्य माइनोरिटी को बिलोंग करते थे, एच० लारी ने कहा, जो संविधान सभा के सदस्य थे :

[अनुवाद]

"इस सदन मे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि यह बेहतर होगा कि हम आगे आयें और मौलिक अधिकारों में एक खंड जोड़ा जाये कि अब से आगे गोवध करना निषेध है; बजाय इसके कि यह नीति निर्देशक सिद्धांतों में अस्पष्ट रूप से सम्मिलित रहे और इसे किसी भी प्रकार लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाये और आपराधिक दंड प्रक्रिया के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों का सहारा लेने के लिए कोई निश्चित विधान अपनाये बिना देश में सदभाव के लिए और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द संबंधों के लिए मेरा निवेदन है कि यह उचित अवसर है जबकि बहुसंख्यकों को स्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय सैयद मोहम्मद सईदुल्ला, जो एक सदस्य थे, उन्होंने भी अपने भाषण के अन्दर स्पष्ट रूप से कहा :—

[अनुवाद]

"मैं जानता हूं हिंदुओं का विशाल बहुसंख्य समुदाय गाय को अपनी देवी के रूप में मानता है और इसलिए, वे इसकी हत्या देखने का विचार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, मैं एक मुस्लिम हूं। मेरी धार्मिक पुस्तक पवित्र कुरान में मुसलमानों के लिए एक आदेश है जिसमें कहा गया है; ला इकराबा फिद दीन। इसका तात्पर्य है कि धर्म के नाम पर किसी को बाध्य न किया जाए। इसलिए मैं अपने वोटों का प्रयोग नहीं करना चाहता जबकि मेरे हिंदू साथी इस विषय को संविधान में सम्मिलित करना चाहते हैं।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, उस समय यह दुर्भाग्य रहा कि सेठ गोविन्द दास ने जो प्रस्ताव फंडामेंटल राइटस पर इसको लाने के लिए रखा था, जैसे धारा 17 से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, उसी प्रकार से वह चाहते थे कि इसको भी फंडामेंटल राइट्स में रख दिया जाय। दुर्भाग्य से उस समय फंडामेंटल राइट्स के अन्दर न रखकर डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स के 48 में रखा गया और उसका नतीजा यह हुआ कि 48 में रखने के कारण हमारा आदर्श अवश्य रहे लेकिन न्यायालयों ने उनको पूरी तरह से एन्फोर्स करने में अपनी इनेबिलिटी जाहिर की लेकिन इसके पश्चात् भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 1958 के अन्दर कहा, जब एम० एच० कुरेशी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1958 ए० आई० आर० सुप्रीम कोर्ट 731 में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस बहस को अस्वीकार कर दिया कि गौहत्या करना कोई धार्मिक अधिकार है, धारा 25 के अन्दर और इन्होंने पृष्ठ 732 पर स्पष्ट रूप से कहा :

[अनुवाद]

"यह निर्णय दिया कि बकरीद पर गाय का बलिदान करना मुस्लमानों के लिए अपने धार्मिक विश्वास और मत को प्रकट करने का कोई आवश्यक कार्य नहीं है और परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के अंतर्गत इससे मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, उनके सामने यह प्रश्न लाया गया था और बहस की गयी थी। यहां पर कई बार प्रस्ताव आने के बाद भी सरकारी दल को कभी-कभी कानून के बारे में संकोच होता है। पृष्ठ 745 पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है—

[अनुवाद]

"याचिका में पवित्र कुरान की किसी विशेष सूरा का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अनुसार गाय का बलिदान करना आवश्यक है। यह भारत के इतिहास की सत्यता है कि मुगल सम्राट बाबर ने धार्मिक बलिदान के रूप में गौवध निषेध करने की बुद्धिमता

दिखाई और अपने पुत्र हुमायूं को भी इस उदाहरण का अनुसरण करने का निदेश दिया। यह कहा जाता है कि इसी प्रकार सम्राट अकबर, जहांगीर और अहमद शाह ने भी गोवध निषेध किया। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौवध को दण्डनीय अपराध घोषित किया और अपराधियों के हाथ काटने की सजा नियत की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 1953 में गठित गोसमवर्धन जांच समिति में तीन सदस्य मुसलमान थे और उन्होंने गोवध के पूर्ण निषेध पर एकमत सिफारिश पर अपनी सहमति व्यक्त की। यद्यपि, हमारे समक्ष रिकार्ड के साथ ऐसा कोई मसौदा नहीं है जिसके आधार पर पिछले तथ्यों के संदर्भ में हम यह कह सकें कि उस दिन गाय का बलिदान करना एक ऐसा आवश्यक कार्य है ताकि एक मुसलमान व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और मत को प्रदर्शित कर सके। परिसर में, हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम याचिकाकर्ताओं के दावों का समर्थन कर सकें।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, बाबर ने अपने वसीयतनामे में कहा है कि हुमायूं यदि तू हिन्दुस्तान पर राज करना चाहता है तो यहां की जनता की भावना, आदर और श्रद्धा है और उसके केन्द्र में गाय है, उस गाय की हत्या कभी मत करने देना। सभापति महोदय इसी उद्धृत भाग में यह सब लिखा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस पर विचार कर इस पर रोक लगाएं। मैं आपके सामने एक और चीज उद्धृत करना चाहूंगा कि पहले जब डिबेट हुई थी तो उस समय जय प्रकाश जी ने ज्योति बसु जी को जो पत्र लिखा था, उसका उल्लेख किया गया था। वह पत्र जो था उसके अंश इस प्रकार हैं—

[अनुवाद]

"प्रिय ज्योति बसु,

आपने आचार्य विनोबा भावे के अनशन पर बैठने की घोषणा के बारे में समाचारपत्रों में पढ़ा होगा, जोकि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार उनके जीवनकाल का गोवध निषेध के समर्थन में प्रायः पूर्ण अनशन है।···तार्किक था और इसे लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, ज्योति बसु ने इस पर प्रतिबंध लगाना स्वीकार कर लिया था। अब हमारे विपक्ष में जो बैठे हुए साथी श्री बसंत साठे हैं उन्होंने स्वयं कैटेगोरिकली, स्पष्ट रूप से कहा था। अपने तर्कयुक्त भाषण के बाद यह कहा था—

[अनुवाद]

"श्री बसंत साठे: कांग्रेस (आई०) पार्टी की ओर से हम गोवध पर पूर्ण निषेध के पक्ष में हैं। यह मैं पार्टी की ओर से कह रहा हूं।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इसको कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, ज्योति बसु का समर्थन है, जय प्रकाश

जी का समर्थन है, गांधी जी का, नेहरू जी का और साठे जी का समर्थन प्राप्त है। साठे जी ने तो काफी तर्कयुक्त भाषण देकर के इसका समर्थन किया था।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इकोनोमिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टियों से यह करना आवश्यक है। आप जानते हैं कि हमारे यहां फर्टिलाइजर की कमी है। हमारे यहां जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वह गोबर का है। गाय के गोबर का सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर होता है। इकोनामिक आस्पेक्ट्स से भी यह आवश्यक है।

लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब गाय का दूध अमृत के रूप में माना जाता है तो हमारे यहां जो ग्वाले हैं, गूजर घोसी हैं, यादव हैं और कई समाज हैं जिनका कि सारा जीवन पशुपालन के ऊपर, गाय के ऊपर आधारित है, हमारे देश की सारी कृषि गाय की इकोनोमिक पर आधारित है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी जब एक स्थान पर अपना भाषण दे रही थीं तो उन्होंने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया था और कहा था कि हमारे राष्ट्र में तो यह ट्रेक्टर्स, बुलडोजर और साइंटिफिक इक्वीपमेंट हैं, इनको एक तरफ रख दिया जाए और यदि गाय और बैल का पूरा उपयोग किया जाए तो गाय और बैल के उपयोग से हमारे राष्ट्र में कम से कम अधिक कृषि हो सकती है। तो इस कृषि की प्रगति के लिए, ग्रामीण जनता की प्रगति के लिए, पशुपालकों की प्रगति के लिए, जनता के स्वास्थ्य की प्रगति के लिए कृषि बहुत जरूरी है। इसलिए इस राष्ट्र में खाद के अन्दर जो जहर मिल जाता है तो जमीन की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है और सभापति महोदय यदि साइंटिफिक ऐनेलेसिस से कि आज हमारे यहां नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व के अन्दर गाय की रक्षा करने वाले बहुत से लोग हैं। अगर मैं पापुलेशन के बेसिस पर आपको बताऊं तो अन्य राष्ट्र के अन्दर एक हजार के प्रति ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां 1951 में 430, एक हजार की जनसंख्या के ऊपर गाय और बैल हुआ करते थे, 1961 में ये संख्या 400 घट गई, 1972 में 328 हो गई, 1982 में केवल 271 रह गई और इस प्रकार से गाय, बैल की संख्या कम होती गई। 1982 में केवल एक हजार पर 278 हो गई, 1951 में 430 थी। दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में आप देखेंगे अर्जेनटाइना में एक हजार के सामने दो हजार 89 गाय और बैल होते हैं। आस्ट्रेलिया में एक हजार 365 होते हैं, कोलम्बिया में 919 होते हैं और ब्राजील में 728 होते हैं, इस प्रकार से मेरा यह निवेदन है कि किस प्रकार से यह संख्या घटती गई और इसके घटने के कारण से सभापति महोदय हमारे राष्ट्र में सब प्रकार की हानि हुई और आज यह स्थिति है कि आप देख रहे हैं कि इस राष्ट्र के अन्दर किस प्रकार से संख्या घटती ही चली जा रही है। (व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि हर क्षेत्र के अन्दर गाय और बैल का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। कोट करके मैं इसको समाप्त करता हूं और कोट कर रहा हूं कि विशेषकर श्रीमती इन्दिरा गांधी को नरौबी में उन्होंने एनर्जी कांफ्रेंस में जो कहा था, वह यह है :—

[अनुवाद]

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नैरोबी में अगस्त, 1981 में आयोजित ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था :

"जेट विमान के इस युग में, लोग बैलगाड़ियों का अतीत के प्रतीक के रूप में उल्लेख करते हैं। यद्यपि, भारत में पशुओं से हमारे सभी विद्युत ग्रहों की तुलना में, जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता 22000 मेगावाट है, से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इनके स्थान पर नए उपकरण लगाने से हमें बिजली प्राप्त करने के लिए 25-40 बिलियन डालर और अधिक खर्च करने पड़ेंगे जिससे समग्र रूप से हमारी कृषि के लिए खाद और सस्ते ईंधन की कमी होगी।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गाय के दूध से दही, मक्खन, घी और यहां तक कि गोबर के द्वारा गोबर गैस की एनर्जी, गोबर के द्वारा फर्टीलाइजर, यही नहीं पाल्यूशन एटमोसफियरिक एनवायरमेंटल पोलूशन हो रहा है, उसमें भी सबसे स्वस्थ रोकथाम करने वाले हैं, वह गाय का गोबर है।

मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को पास किया जाए, संविधान की धारा 48 के अनुसार और पहले जो संकल्प पारित हुआ है, उसके अनुसार इस बात के लिए पूर्णतः सहमति रही है। अब समय आ गया है जब हम सब मिलकर इस संकल्प को पारित करें।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री गुमान मल लोढा : बस मैं समाप्त कर रहा हूं। मैंने सदन के पटल पर एक फोटो प्रस्तुत किया है, इस प्रकार गाय बछड़े काटे जाते हैं, उनका जीवन समाप्त किया जाता है। यह सरकारी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। किस तरह से निर्ममता से छोटे बछड़े की हत्या की जाती है। कृष्ण और गांधी के देश में यह हो रहा है। चांदी के चन्द सिक्कों के लिए यह काम किया जाता है। कुछ लोग जानबूझ कर यह काम करते हैं और कुछ अन्य कारणों से इस काम को कराते हैं। मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को पारित किया जाए।

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि बाबर ने हुमायूं से कहा कि हिन्दुस्तान में राज करना है तो यहां गोवध बन्द करवाना होगा। तो क्या बाबर के दिमाग में यह नहीं था कि मन्दिर को तुड़वा कर मस्जिद न बनाई जाए। (**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढा : बाबर नहीं चाहता था, उसका एक सेनापति था, जिसने यह करवाया। (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : सभापति महोदय, एक बार फिर से यह महत्वपूर्ण विषय श्री लोढा जी ने यहां प्रस्तुत किया है। इसके पहले भी एक बार 1977-78 में हमने इस स्थान से पुरजोर शब्दों में और तर्कपूर्ण विचार देकर गोवंश वध बंद किया जाए, इसके बारे में कहा था। आज इस तरह की चर्चा की जाती है, लेकिन क्या बात है कि यह इतनी समझदारी की बात है, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सारे नेताओं ने कह दिया है, धर्म की भी इसमें कहीं बाधा नहीं है, कोई धर्म यह नहीं कहता कि गाय को मारा ही जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं हम यह कानून बनाते कि सारे देश में गोवध बन्द किया जाए, इस पर हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इसकी तरफ हम एक भावना और धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो फिर जाने-अनजाने जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनको यह बात ठीक नहीं लगती है, वे कुछ और कहेंगे । अरजेंटीना, अमरीका या दूसरे देशों में जहां क्रिश्चयेनिटी है, वहां गोवध होता है, गोमांस खाया जा रहा है, तो धर्म की बात यदि लाएंगे तो हम फिर वहां एक तरह की अड़चन पैदा करेंगे । मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस देश के बहुत बड़े विचारक, वीर विनायक दामोदर सावरकर, सभापति महोदय आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनका साहित्य यदि पढ़े तो आपको आश्चर्य होगा, सावरकर जी ने इसके ऊपर खास लेख लिख कर यह कहा कि गाय की पूजा नहीं, पालन होना चाहिए, संगोपन होना चाहिए । पूजा की बात जब करते हो तो गफलत पैदा हो जाती है । वहां भावना की बात आ जाती है । आग्रह दुराग्रह बन जाता है । यहां इन्होंने उसका उदाहरण दिया कि धर्म के नाम पर हमारे पंडितों ने और दूसरे लोगों ने इतने अनाचार उसमें पैदा कर दिए कि गाय का संरक्षण बहुत दूर की बात हो गयी । अभी-अभी बताया कि इस देश में गाय की संख्या, उसके वंश की संख्या कम होती जा रही है, जबकि गाय खाने वाले देशों में उसका रेशा कितना बढ़ रहा है । यह क्यों है ? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से इस बात का समर्थन करता हूं कि इस देश में कृषि को यदि ठीक से चलाना है, कामयाबी से चलाना है तो केवल गो-वध ही नहीं, भैंसे और भैंसा, जो बैल का काम करता है, बैल की जगह जो भैंसा काम करता है उनका भी संरक्षण करना होगा । कृषि के लिए जो पशुधन है उसका संरक्षण हमें करना होगा । लेकिन बड़े भावुक होकर बात करते हैं, शायद जानते नहीं, यह किताब मैं लायब्रेरी से लाया हूं

[अनुवाद]

इस पुस्तक का नाम है "दि वेदास एण्ड ब्राह्मणस" जो शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है ।

[हिन्दी]

आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय और दूसरे सदन के साथियों को भी आश्चर्य होगा, वेदों में गाय के बारे में क्या परिस्थिति थी, बैल के बारे में क्या परिस्थिति थी । हमारे वेदों से बड़ी कोई चीज नहीं है और भारतीय संस्कृति में ऋषियों से बड़ा कोई नहीं है। गाय के बारे में उनके जमाने में क्या परिस्थिति थी, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं । अपने वेदों में से···

[अनुवाद]

मैं इस पुस्तक के पृष्ठ 157 से उद्धृत करता हूं:

"आधुनिक हिंदू लोग जो इस समय गाय की पूजा करते हैं, बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास करेंगे कि उनके पूर्वज आर्य इसकी बलि देते थे और इसका मांस खाते थे । लेकिन अनेक बार वेदों में समारोहों, जिन्हें गोमेधा कहा जाता है, का उल्लेख किया गया है, जिसमें गाय की बलि दी जाती थी । किस प्रकार के पशु को चुना जाना है उसकी विशिष्टता के बारे में भी विस्तृत निदेश दिए जाते थे । यजुर्वेद के तैत्रेय ब्राह्मण ने निम्न-लिखित नियम बताये हैं :—

"भारी पैरों वाली गाय इन्द्र के लिए, बांझ गाय विष्णु और वरुण के लिए काली गाय पशुन के लिए । एक गाय जो केवल एक बार लाई गई हो वायु के लिए; एक गाय

जो दो रंग वाली हो मित्रा और वरुण के लिए। लाल गाय रुद्र के लिए, एक सफेद बांझ गाय सूर्य के लिए।"

लेखक ने आगे कहा है, मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

"अज्ञानी हिन्दू अब यह कहते हैं कि पशुओं को वास्तव में मारा नहीं जाता था, बल्कि बलिदान की रस्म पूरी करके उन्हें मुक्त कर दिया जाता था। यह कथन विशुद्ध रूप से कल्पित है।"

"डा० आर० मित्रा का कहना है कि पशुओं का वध भोजन के लिए किया जाता था जो असवाल्यान सूत्र में बलि के अवशेषों को खाने के लिए दिए गए निदेशों से प्रमाणित होता है। लेकिन इस विषय पर सभी शंकाओं को दूर करने के लिए मैं यहां तैत्रेय ब्राह्मण के एक लेखांश से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं जिसमें पशु की बलि के पश्चात् उसे काटने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस बात पर कोई भी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ही विश्वास करेगा कि यदि बांटने की आवश्यकता न हो तो पशु के इतने टुकड़े किए जायेंगे।"

इसके अलावा, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता।

[हिन्दी]

भाई, केवल भावना की दृष्टि से ही इसको न देखो, यह सवाल इससे हल नहीं होगा। बार-बार उसको कोट करते रहो, फिर व्यवहार में लाने की सोचो, मैंने नौकरशाहों से बात की है उन्होंने कहा है कि इस दृष्टि से देखोगे तो हमें दूसरी तरफ से आपत्तियां आती हैं, इसलिए हमको यह नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

किसी भी सरकार ने अब तक साहस नहीं दिखाया है। क्यों ? क्योंकि प्रत्येक सरकार इसको भावनात्मक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से देखती है।

[हिन्दी]

सारे फंस जाते हैं इसमें, इसलिए मेरी आपसे अपील है बिल्कुल शुद्ध आर्थिक दृष्टि से पशुधन के बारे में सोचो। यदि यह करते हो तो कोई भी विवाद नहीं हो सकता और कोई भी तर्क से इसको नहीं कह सकेगा कि यह स्वीकार योग्य नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी आप देहातों में देखें पचास फीसदी से ज्यादा यातायात किसके बलबूते पर हो रहा है, भैंसे के, बैलों के और राजस्थान वगैरह में ऊंट के जरिए सारा काम हो रहा है और सारी कृषि व्यवस्था इस पर आधारित है। यहां हम पेट्रोल और डीजल को मारा-मारी कर रहे हैं, आयात करना पड़ रहा है। यदि ये सारी बैलगाड़ियां बन्द कर दें तो देश की सारी इकोनोमी कोलेप्स हो जाएगी, अर्थ-व्यवस्था का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्र, खासकर जो नौजवान हैं, वे सरकार में हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसका अध्ययन करो और इसको आर्थिक दृष्टि से जोड़ दो और यह कोशिश करो कि हमें इस देश में पशुधन सुरक्षित रखना है और उसे बढ़ाना है। निरूपयुक्त गाय हो जाए, बैल हो जाए, भैंसा हो जाए, और उसे काटना पड़े तो भावनात्मक दृष्टि से न देखें। एक पशु का मांस दूसरे पशु के मांस से कैसे अलग है, बकरी का मांस

खाना, मछली खाना, मुर्गी खाना और अंडे खाना क्या फर्क है। भावना की दृष्टि से न सोचकर तर्क की दृष्टि से सोचो। मैंने एक बार विनोबा जी से कहा, वे दही खा रहे थे, आप जानते हैं कि दही में आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि माइक्रोस्कोप से देखो तो इतने जीव हैं कि आप दही खाना छोड़ दोगे, लेकिन दिखता नहीं है इसलिए खा रहे हैं। दूध में क्या कम जीव है, "जीवो जीवस्य जीवनम्", आप हवा लेते हो उसमें भी जा रहा है। इसलिए मेरा फिर से निवेदन है कि भावना की दृष्टि से न देखो विज्ञान और तर्क की दृष्टि से देखो। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जिस तरह से आज हमारे पशु काटे जा रहे हैं, क्षणिक स्वार्थ के लिए, मुझे एक विद्वान ने बताया।

[अनुवाद]

क्या आप जानते हैं कि हम इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

यानि आज चन्द चांदी के टुकड़ों के लिए, डालर्स, दिनार्स और रूबल कमाने के लिए हमारे देश के लोग अच्छे पशुधन को बाहर ले जाते हैं। दुबली पतली गाय को नहीं ले जायेंगे क्योंकि उसमें मांस नहीं है उससे क्या मिलेगा। इसलिए अच्छे-अच्छे पशुओं को, अच्छी गायों को, अच्छे बछड़ों को देवनार से ले जाया जाता है, बम्बई के हमारे भाई बैठे हैं नाइक साहब जी जानते हैं, कलकत्ता चले जायें वहां भी यही सब कुछ पायेंगे। कलकत्ता में तो सबसे बुरी हालत है, यहां तक कि बंगलादेश में बिहार से जाते हैं। क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में बन्दी है, इस पर वे क्या करते हैं, वे ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं, नागपुर में भी बंदी है। देवनार में क्या करते हैं यह सब जानते हैं। एक कानून ऐसा है यदि कोई पशु निरूपयुक्त हो जाए तो वेटर्नरी का डाक्टर प्रमाण पत्र देता है और उस पशु पर छापा लगा देता है कि यह निरूपयुक्त है। तो आप सोचिए, वहां कितना भ्रष्टाचार है ? अच्छे-अच्छे पशुओं की थोड़ी-थोड़ी देरी में टांग और पैर तोड़ दिए जाते हैं कि वह अनुपयुक्त है और उसे छापा लगाकर काट दिए जाने के लिए भेजा जाता है। आप जरा सोचिए कि हमारे इतने अच्छे पशुधन का दुरुपयोग और नुकसान कर रहे हैं। यह सब किस चीज के लिए ? मुझे कहते हैं कि एक पशु पालने में जितनी कमाई होती है, उससे ज्यादा तो उसे चारा देना पड़ता है और उसमें जितना खर्चा होता है, उससे ज्यादा एक पशु के मांस से डालर के रूप में अरब देशों में ज्यादा कमायी करते हैं। तो शुद्ध व्यापार करने की दृष्टि से आप इतने अच्छे पशु धन को दिन-ब-दिन खत्म करते चले जायेंगे। माननीय लोढा जी ने आंकड़े दिए हैं, मैं चाहूंगा कि संशोधित करके बतायें कि आज कितने पशु हैं जिनमें उपयुक्त कितने हैं ? यदि वे आंकड़े बतायेंगे तो वे और कम हो जायेंगे। इसलिए एक उपयुक्त पशु, जो हट्टी कट्टी दिखने वाली गाय, जब वह गाभिन हो जाती है तो दूध देना बंद कर देती है, आपको आश्चर्य होगा कि उसे बेच देते हैं क्योंकि फौरन ज्यादा पैसा मिलता है और ऐसी गाय जहां आप कटवा रहे हैं, उसमे देश की अर्थव्यवस्था कम कर रहे हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि देखे कि यह विषय ऐसा है जिस पर तू-तू, मैं-मैं करने की गुंजाइश नहीं है। आप सोचें, हम क्या करें, वे क्या करें ? भाई, यह सारे देश का सवाल है। हम जो आज तक नहीं कर पाये, उसकी शुरूआत कोई तो करे। हम में से किसी न किसी को तो शुरूआत करनी चाहिये इस अच्छे काम के लिए। यदि पिछले 40 साल से नहीं हुआ तो अब करो। हमने 40 साल में जो अच्छा किया, उसका भी श्रेय भी आप ले लो और जो बुरा किया वह हम लोगों पर छोड़ दो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि हमारी ओर से अच्छी हुई है तो

आप उसको श्रेय लो और जितनी बुराई हुई है, वह हम लोगों पर छोड़ दो । मैं सरकार से चाहता हूं कि वह अब अच्छा काम करें । यह कानून जल्द से जल्द इस देश मे और इस राष्ट्र के हित में आए ताकि गौ-वध बंद हो ताकि सारे पशुधन की सुरक्षा उस कानून के अंतर्गत हो । इतना कहकर मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं जो श्री लोढ़ा जी यहां लाए हैं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, जहां तक यह गो-रक्षा, गो-संवर्द्धन और गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो संकल्प माननीय श्री लोढा जी द्वारा पेश किया गया है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और उनके द्वारा दिए गए सभी बिन्दुओं का भी समर्थन करता हूं । आज गो-हत्या का प्रश्न बहुत की विकराल रूप से आया है लेकिन यह आजादी के पहले से भी इस देश में गंभीरता से समझा जा रहा था । उस समय महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, महामना मालवीय, माननीय गोलवलकर और अनेक महात्माओं ने गो-रक्षा के लिए अपनी अहम भूमिका निभायी थी और सारे देश में जागृति द्वारा जन-जन को तैयार करने के लिए घर-घर जाकर व पैदल यात्रा भी की थी । गो-हत्या इस देश के लिए वस्तुतः एक कलंक का विषय है । चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस देश में कृषि का अच्छा उत्थान करने के लिए गो-रक्षा गो-संवर्द्धन एक मान बिन्दु के रूप में है ।

जहां तक भारत की संस्कृति, यहां की राष्ट्रीय अस्मिता के मानबिन्दु का संबंध है, वह गोधन और गो-संवर्धन से सीधे संबंध रखती है । भारत में लगभग 33 करोड मिलियन हैक्टेयर भू-भाग पर कृषि होती है, जिसकी जुताई के लिए लगभग 8 करोड़ बैलों की जोड़ी चाहिए लेकिन आज उसी गोवंश का नाश होता जा रहा है । प्रति वर्ष इस देश में एक करोड़ दस लाख के लगभग बैलों और गायों का नाश हो जाने से इस देश के कृषि कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इस मामले मे हमें जितनी प्रगति कर लेनी थी, वह नहीं हो पायी है । कृषि में, हमारे न्यूनतम स्थिति में रहने का कारण यही है कि हम आज तक इस ओर ध्यान नहीं दे पाए ।

एक किलो गोबर में 25 किलो रासायनिक खाद के बराबर शक्ति होती है लेकिन हम आधुनिक उहापोह में अपने इस प्राकृतिक साधन को भूलते जा रहे हैं । पहले इस देश में कृषि कार्य गोबर से ही होता था, आज के युग में उसका स्थान रासायनिक खाद ने ले लिया है । यदि किसी खेत में हम रासायनिक खाद डालते हैं तो उस खेत में हम प्रतिवर्ष रासायनिक खाद पहले से अधिक मात्रा में डालनी होगी, अन्यथा हम उससे उपज नहीं ले सकते जबकि किसी खेत में एक बार गोबर की खाद लगा देने से तीन चार सालों तक खाद देने की जरूरत नहीं रहती और उपज भी अच्छी मिलती है, उसमें कमी नहीं आती ।

आजादी के समय, हमारे देश की आबादी लगभग 36 करोड़ थी, उन दिनों हमारे यहां पशुधन अच्छी संख्या में था, उनकी संख्या करीब 8 करोड थी । प्रति हजार मानव के पीछे 450 से भी अधिक गोधन मौजूद था लेकिन आज जब हम 1990-91 के आंकड़ों की ओर देखते हैं तो प्रति हजार मानव के पीछे मात्र 201 पशुधन रह गया है । यदि यही हालत रही तो इक्कीसवीं शताब्दि तक पहुंचते-पहुंचते गोधन की संख्या में और कमी आएगी और उस समय हमारे सामने एक भयानक स्थिति पैदा होगी जो कृषि के मामले में और मानव कल्याण के मामलों में एक संकट-पूर्ण स्थिति होगी ।

कृत्रिम दूध से मनुष्य को जीवन शक्ति नहीं मिल सकती । गाय के दूध से, घृत और नाना प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, और यह कई कामों में आता है । कृषि में खाद के रूप में इस्तेमाल

होने के अतिरिक्त, गोबर घर की पुताई के लिए और शुद्धता लाने के लिए भी प्रयोग में आता है। हर दृष्टिकोण से हमारे देश के लिए गौ की उपयोगिता बहुत अधिक है। यदि हम अपनी संस्कृति, विरासत पर दृष्टि डालें तो उसमें भी गाय का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है।

वेदों में गाय को "अघन्य" कहा गया है। रामायण और महाभारत में भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। वेद शास्त्रों में परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर के बाद यदि किसी का नाम आता है तो यज्ञ और गाय का ही नाम आता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, भारत की पहचान गाय से होती रही है। इसलिए हम गोरक्षा और गोसंवर्धन के बिंदु को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि हमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो उससे हमारी प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं की अवहेलना होगी, अवमानना होगी।

आज की परिस्थितियों में भारत के लिए यह आवश्यक है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाए। हम इस विषय को केवल हृदयंगम ही न करें, चर्चा ही न करें, बल्कि इसे जमीन पर अनुवाद करने का प्रयास करें, यही हम हर भारतवासी का परम-कर्त्तव्य हो जाता है। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हजारों की संख्या में ट्रकों में लादकर कलकत्ता की ओर ले जाती गायों को देखता हूं, अच्छी नस्ल की, अच्छी हालत में, हृष्टपुष्ट गायों को ले जाते देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे इस देश में यह कैसा अंधा कानून है। हम अपनी पिछली व्यवस्था को भूलकर आगे क्यों जाना चाहते हैं, क्यों अपनी संस्कृति को आगे नहीं बनाए रखते।

भारत का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, जिसमें गोहत्या को प्रोत्साहन दिया गया हो। चाहे आप जैन धर्म को देख लीजिए, बौद्ध धर्म को देख लीजिए, सनातन धर्म को देख लीजिए, यहां तक कि इस्लाम धर्म में भी कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि गोहत्या होनी चाहिए या गोहत्या को किसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुगल काल में भी हमें इसका उदाहरण नहीं मिलता। हां, औरंगजेब ने गोहत्या पर अवश्य जोर दिया था। लेकिन बाबर, हुमायूं और अन्य जितने बादशाह हुए थे उन लोगों ने गोहत्या पर प्रतिबन्ध की ओर विशेष ध्यान दिया था, लेकिन अब हमारी सरकार इस दिशा में केवल भाषणबाजी और बहुत आश्वासन देती है और उस पर अमल नहीं करती है। इसीलिए इस देश में लगातार आन्दोलन और क्रांति हुई है। सरकार ने तो भारत में गोशाला, पिंजरापुरी, गोसंवर्धन, गोपाषणी आदि के बहुत से कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन इनके द्वारा करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यह केवल दिखावे मात्र के लिए होता है और इनके द्वारा तुष्टिकरण की नीति के नाम पर गोहत्या को और बढ़ावा देने का काम किया जाता है। गोहत्या के लिए बूचड़खानों की संख्या बढ़ी है। जहां आजादी के पहले सारे देश में 280 बूचड़खाने थे आज वहां आजादी के बाद 2800 बूचड़खानें हैं और 1988-89 में इसी प्रकार से 110 करोड़ रुपए का गोमांस निर्यात करने के लिए व्यवस्था की गई थी और उसके द्वारा 8 लाख पशुओं की हत्या कराई गई। इस प्रकार से आगे की प्लानिंग और योजना के अनुसार 500 करोड़ रुपए तक रुपए का लक्ष्य रखा गया था। इससे लगता है कि समूल गोवंश का नाश हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश में 50 प्रतिशत से अधिक जमीन परती रह जाएगी।

अभी हमारे देश में 8 लाख से अधिक ट्रैक्टर नहीं हैं और अगर देखा जाए, तो जितनी क्षमता हमारे देश की 33 करोड़ मिलियन हैक्टर जमीन को जोतने की है, उसका केवल 25 प्रतिशत भाग ही यह जोत सकता है और इस भूमि को जोतने के लिए उसे केवल बैलों पर निर्भर रहना पड़ता है। जहां तक इस देश की कृषि पर आधारित 80 प्रतिशत जनसंख्या है उसके हिसाब

से पशुओं की जोड़ी चाहिए। चूंकि देश के 75 प्रतिशत किसानों के पास 26.8 प्रतिशत जमीन है और शेष 2.4 प्रतिशत बड़े-बड़े किसानों के पास है, तो इस प्रकार से ट्रैक्टर तो मात्र देश के 2.4 प्रतिशत लोग ही ले सकते हैं और 75 प्रतिशत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है, जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है, वे ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं और न उनकी क्षमता हो सकती है। इसलिए वैसे किसानों के लिए खेती की जुताई के लिए केवल बैल या गोवंश ही एक-मात्र साधन रह गया है।

सभापति महोदय, लोक सभा में 1972 में इसी तरह से एक बिल उस समय तत्कालीन सांसद चौहान जी ने पेश किया था और उस पर संसद् में काफी चर्चा हुई थी और उसी प्रकार से लोक सभा में फिर 1979 में डा० रामजी प्रसाद सिंह ने एक बिल पेश किया था जिसमें 50 सांसदों ने भाग लिया था और काफी चर्चा हुई थी और उसके बाद वह बिल पास भी हो गया था। इसके बावजूद भी सरकार ने कानून नहीं बनाया, इसीलिए कि अगर कानून बनाते हैं तो यह तुष्टिकरण की राजनीति इनकी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि उस समय इंदिरा जी और नेहरू जी बराबर झांसापट्टी देते रहे और इस कानून को अमलीजामा नहीं पहनाया गया। यही कारण है कि गोवध बंद को नीति-निर्देशक सिद्धांतों में न ला कर के यह एक ऐसा ही सब्जैक्ट बना कर के रखा गया है। इसलिए यह जरूरी है कि संविधान में संशोधन कर के और एक ऐसी धारा लाकर, एक कानून बना दिया जाए और सम्पूर्ण गोहत्या को बन्द कर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं श्री लोढ़ा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गोवध बन्द करने के सम्बन्ध में अपना प्राइवेट रिजोल्यूशन यहां पेश किया है। यदि अपने संसदीय जीवन में आप इस काम को करा सके, तो भारत के करोड़ों लोग आपको धन्यवाद देंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स में यह लिखा है —

[अनुवाद]

"राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।"

[हिन्दी]

आदरणीय महोदय, गाय का हमारे मुल्क से बड़ा भावनात्मक सम्बन्ध है, भावनात्मक कारणों से भी गोवध बन्ध करना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं।

मैं जिस गांव में पैदा हुआ, दसवीं क्लास तक पढ़ता रहा, जब मैं ग्यारहवीं क्लास में पढ़ने गया तो मालूम हुआ कि हमारे देश में गाय का वध होता है। इसमें कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, मैं पार्टी को दलगत भावना से उठकर बोल रहा हूं। राष्ट्रभाषा के सवाल पर या गोवध के सवाल पर हमारे संविधान का निर्माण करने वाले लोगों ने, जो आजादी की लड़ाई के सेनानी थे, देश के उच्च किस्म के लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि गोवध बन्द

होना चाहिए, उनकी कुर्बानी के सामने हम कुछ नहीं हैं। मैं इस दृष्टि से भी देखता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें 90 प्रतिशत खेत 10 बीघे से कम के किसानों के खेत हैं। गाय ही एक ऐसा पशु है, उसके बछड़े से बैल होते हैं। छोटी खेती वाले, 4-6-10 बीघे खेत जोतने वाले किसान के लिए गाय का बछड़ा ही है जिससे वह अपने खेत को जोतता है। गाय का दूध पीता है, गाय और बैल के गोबर से अपने खेत को फर्टिलाइजर देता है, यह रोटेशन चलता रहता है। किसान को खेत के लिए खाद भी मिलती रहती है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कायम रहती है और किसान का जीवन भी चलता रहता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी भारत में गाय का बड़ा महत्व है। वेदों में या जो भी इतिहास हमने देखा है, हमारे देश में जिन लोगों ने हमला किया, उन लोगों ने ही गाय काटने की प्रथा, जो मेरा दिमाग काम करता है, शुरू की होगी। आर्यों का जो मुल्क था, गाय का दूध पीने से उसमें क्षमता थी। एक व्यक्ति गाय का दूध पीए, एक भैंस का दूध पीए और एक मांस खाए तो बड़े होकर तीनों की क्षमता में से गाय का दूध पीने वाले व्यक्ति की क्षमता अधिक होगी। इस मुल्क में रहने वाले लोग गाय का दूध पीते हैं, इसलिए वे बहादुर हैं।

हमारे मुल्क में गाय से भावनात्मक रिश्ता भी है। गाय की नसलें सुधारी जाएं, गाय दूध देने वाली हो, इसके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च भी किया जाना चाहिए। विनोबा भावे जी ने भी इस बात को चाहा कि गो हत्या बन्द हो। गाय देश का एक जानवर होता है जो उस राष्ट्र का प्रतीक

6.00 म० प०

होता है—जैसे कुत्ता है वह ब्रिटेन का सबसे लबली पशु के रूप में माना जाता है। भालू रूस में राष्ट्र का प्रतीक जानवर के रूप में माना जाता है। हर राष्ट्र का एक प्रतीक, एक सिम्बल जानवर होता है। उसी तरह से गाय है, वह हमारे मुल्क का एक प्रतीक जानवर है। इसके साथ और किसी जानवर का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। वेदों, उपनिषदों और कुरान और गीता जो भी भारत की संस्कृति की धरोहर हैं, उनमें गाय के प्रति एक उच्च कोटि की भावना व्यक्त की गई है। हिन्दुस्तान की धरती में पैदा होने वाली करोड़ों करोड़ इंसानों का आर्यों से बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसलिए गाय को भारत का प्रतीक पशु मान कर गो-वध बन्द किया जाना चाहिए।

मैं लोढा जी को यह संकल्प लाने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वह भारत की नौवीं संसद में इस संकल्प को लेकर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह कानून न बन जाए तब तक इस काम को टेक-अप करें, राष्ट्र के पैमाने पर जन जागरण करें—चाहे यह सरकार हो या दूसरी कोई सरकार हो, वह इस पर जनमत का दबाव बिल्ड-अप करें। राष्ट्र का एक मुख्य प्रश्न मानकर इसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हिन्दुस्तान की आजादी के पांच मिनट के अन्दर हम हिन्दुस्तान में गोवध को बन्द कर देंगे। राष्ट्र के प्रथम प्रहरी और राष्ट्रीय आजादी के सेनानी वीर सावरकर से लेकर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी आदि सबने कहा था कि जिस दिन भारत आजाद होगा कलम की एक नोक से हिन्दी को राष्ट्र की भाषा बना देंगे। आज 42 वर्षों की आजादी के बाद भी इस मुल्क की कोई भाषा नहीं है। हम सभी हिन्दुस्तान के कोने-कोने से जीतकर आए हैं। फिर भी इस राष्ट्र की कोई भाषा बन नहीं पायी है। जिस मुल्क की अपनी भाषा नहीं वह मुल्क अपनी आजादी को बचा नहीं सकता है। 42 वर्षों की आजादी के बाद भी इस मुल्क की कोई भाषा नहीं

है। आजादी के बाद भी अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो वह अंग्रेजी बोलने में बड़ी हैसियत का प्रदर्शन करता है।

मैं इस भारत की संसद में 16 वर्षों से हूं। मैंने इन 16 वर्षों में अपनी मातृ भाषा में हमेशा भाषण दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और निवेदन करना चाहता हूं कि गो-वध तुरन्त बन्द होना चाहिए। मैं भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं पांच मिनट से ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगी क्योंकि इस समय पंजाब में जो बहुत बड़ी समस्या है आदमियों के मरने की है, उसके लिए मुझे 8 बजे ट्रेन पकड़नी है।

गाय की हत्या जिस तरीके से हमारे देश में हो रही है इसके बारे में मुझे चर्चा करनी थी। मैं आज अभिभूत हूं, आश्चर्यचकित हूं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जग रही हूं या सो रही हूं। 1966 में जब गो-हत्या को बन्द कराने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार ने मिलकर आन्दोलन किया था उस समय कांग्रेस पार्टी का ही इस देश में राज था और उनकी ही सरकार थी। उस समय जितने बुरे तरीके से गायें काटी जाती थीं उससे कहीं ज्यादा बुरे तरीके से इसी दिल्ली की सड़कों पर साधुओं को घसीट-घसीट कर मारा गया था। इसलिए मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि इस सदन में बैठे हुए और माननीय सदस्य जो कि उसी पार्टी से संबंध रखते हैं, वे आज यहां क्या कह रहे हैं? ऐसे मे मैं यही सोच रही हूं कि मैं जग रही हूं, या सो रही हूं, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूं। अच्छी बात है, देर आयद, दुरूस्त आयद। हम चाहते हैं, कि भगवान करे ऐसे ही बना रहे।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं, यद्यपि मैं उस समय चाहती तो टोक सकती थी लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि सदन का समय मैं खराब करूं, जब सदन के एक माननीय सदस्य, जो कि अब अनुपस्थित हैं और उनके बारे में कुछ उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, उन्होंने एक वैदिक सूत्र का उल्लेख किया, जिसके द्वारा उन्होंने यह पुष्ट करने की कोशिश की है कि आर्यों ने गाय का मांस खाया है, सम्माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्य को अपनी चुनौती भेजना चाहती हूं कि वह सदन के बाहर मुझसे इस विषय में शास्त्रार्थ करने के बारे में तैयार रहें, मैं साबित करूंगी कि वैदिक काल में आर्यों ने गाय की मांस नहीं खाया। मैं आपको एक निवेदन और करूं कि हर एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, संस्कृत में गऊ का अर्थ सिर्फ गऊ ही नही होता है, उसके कई अर्थ होते हैं और इस विषय में मैं तो क्या एक साधारण आदमी भी, मैं तो संस्कृत जानती भी नहीं हूं, सिर्फ छठी क्लास तक संस्कृत पढ़ी हूं, साधारण व्यक्ति जो हिन्दू धर्म का सांगोपांग ज्ञान रखता होगा, वह इस बात को चुनौती दे सकता है कि वैदिक काल में या वेदों में गाय के मांस के खाने का जिक्र किया गया, आर्यों के द्वारा खाने का जिक्र किया गया है या नही किया गया है और यदि किया गया है तो उसका अर्थ क्या है।

धारा 370 कश्मीर की, रामजन्म भूमि अयोध्या की और गऊ हत्या का मामला, ये तीनों मामले साम्प्रदायिक बनाये गये और यह साम्प्रदायिक कैसे बने। इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, कि इसकी शुरूआत कहां से हुई। मैं अपनी बात बहुत ही जल्दी समाप्त करने

की इच्छुक हूं, सबसे पहले मैं यह चर्चा करूंगी कि हिन्दू की एक प्रकृति है, हिन्दुओं का एक चरित्र है कि जिससे भी उनको लाभ मिलता हो, उसका वह बहुत सम्मान करते हैं और उसके साथ में उनका एक धार्मिक संबंध स्थापित हो जाता है। हिन्दुओं की संस्कृति में और पश्चिम की संस्कृति में यही एक सबसे बड़ा मूलभूत अन्तर है कि हिन्दू की संस्कृति धर्म के आसपास घूमती है और अर्थ के, काम के आसपास नहीं घूमती है इसलिए जिससे भी उसको लाभ मिलता हो, उसके साथ वह अपना एक धार्मिक संबंध जोड़ते हैं। हिन्दुओं की प्रकृति ही ऐसी है कि वह रक्त के संबंध को मान्यता उतनी नहीं देते हैं जितनी कि धर्म के संबंध को मान्यता देते हैं और यही हिन्दुओं की संस्कृति का मूलभूत अन्तर है, पश्चिम की संस्कृति से। सिन्दुओं में यह माना गया है कि धर्म का संबंध ज्यादा श्रेष्ठ होता है क्योंकि अगर रक्त का संबंध ही श्रेष्ठ होता तो जुएं भी हमारे रक्त से पैदा होती हैं, खटमल भी हमारा रक्त पी-पी कर पुष्ट होते हैं, तब तो वे भी हमारे पुत्र या हमारी सन्तानें होने चाहिए थे इसलिए रक्त के संबंध को हमारे यहां पर उतना महत्व नहीं देते, धर्म के संबंध को ही हिन्दुओं के यहां पर अधिक महत्व दिया गया। गाय के साथ भी हिन्दू का संबंध जब जुड़ा और जब उसको यह मालूम पड़ा कि गाय का दूध माता के दूध की तरह ही पुष्ट है तो गाय के साथ में भी उसका धर्म का संबंध जुड़ा और क्योंकि, उसने यह सीखा है, बचपन से "मातृ देवो भव", मां को ही अपना भगवान मानो तो गाय को भी उसने बिल्कुल उसी धारणा में रखा। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि जब गाय हत्या की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भैंस हत्या बन्द करने की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मुर्गा हत्या बन्द करने की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं। उस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि गाय के दूध से चूंकि बुद्धि पुष्ट होती है और हमारे यहां सद्बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है कि गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति प्रमादी नहीं होता है। प्रमादी नहीं होने के कारण उसकी बुद्धि बड़ी जागरूक है और इस कारण से गाय के प्रति एक विशिष्ट भावना जगी हिन्दू बेचारे ने अपनी प्रकृति के मुताबिक गाय के साथ में अपनी भावना को भी एक धार्मिक भावना का रूप दे दिया और इसलिए आज यह स्थिति हो गई है कि गऊ हत्या बन्द करने की जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि यह हिन्दुओं का मामला है। आजादी के बाद कुछ मानसिक स्थिति यहां पर ऐसी बनी कि चूंकि मुस्लिम गाय का मांस खा सकते हैं, धर्म के अनुसार उनके लिए गाय का मांस वर्जित नहीं है तो जब विभाजन हुआ और उसके बाद थोड़ा बहुत विद्वेष कुछ हिन्दू समाज के मन में मुस्लिम समाज के प्रति और कुछ मुस्लिम समाज के मन में हिन्दू समाज के प्रति आया तो मुस्लिम भाई चूंकि गाय का मांस खाते हैं तो हिन्दुओं को लगा कि गाय हत्या बन्द होनी चाहिए। चूंकि मुस्लिम भाई गाय का मांस खाते हैं तो उनको लगा कि गाय हिन्दुओं की पूज्य है इसलिए गऊ हत्या बन्द नहीं होनी चाहिए। इसमें हुआ यह कि जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे और जो दल वोटों की राजनीति कर रहे थे, उन्होंने इसको भी वोटों की राजनीति का मसला बना दिया। अन्त में यह मामला बन गया कि गाय की हत्या बन्द करने की जो बात करेगा, वह हिन्दुओं को खुश करेगा और गाय की हत्या बनाए रखने के की जो बात करेगा, वह मुस्लिम समुदाय को खुश करेगा। इस प्रकार से अन्त में स्थिति यह हुई कि जिसको बौद्धिक, तार्किक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए था, उस मसले को साम्प्रदायिक संबंध से देखा जाने लगा। अन्त में यह हुआ कि इस मामले को कोई चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं होता है। अब तो कोई इसकी चर्चा भी करता है तो लोग कहते हैं, देखो यह हिन्दुओं का मामला आ गया, गाय का दूध तो मुसलमान भी पीते होंगे, गाय का दूध तो ईसाई भी पीते होंगे, गाय के दूध से उनके बच्चों की बुद्धि भी पुष्ट

होती होगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बनता होगा। अगर इस मामले को साम्प्रदायिक रंग न दे दिया गया होता, यदि हमारे देश में धर्म का राजनीतिकरण न हुआ होता तो निश्चित रूप से कभी की गाय की हत्या बन्द हो गयी होती।

मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि लोग गाय को क्यों बेच देते हैं ? इसके पीछे यही कारण है कि हमारे देश में भूमि सुधार कानूनों का लागू न होना। आज हमारे देश में कुछ लोगों के पास 300-300 एकड़ जमीन है। वह भले ही कई लोगों के नाम हो लेकिन उसका लाभ एक ही व्यक्ति को मिलता है। कुछ लोगों के पास जमीन बिल्कुल नहीं है और कुछ के पास जमीन बहुत कम है। इसलिए उनके पास गायों को चराने के लिए जमीन नहीं है। जब उनके पास खेती के लिए भी जमीन बहुत कम होती है और इस मजबूरी में वे अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकने तो वे उस गाय के लिए जो दूध देना बंद कर देती है चारा कहां से लायेंगे। जब वे अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते तो गाय के लिए चारा कहां से लायेंगे। जमीन जिनके पास में पर्याप्त नहीं है इसलिए वे लोग मजबूरी में गाय को बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैंने देखा है कि गायों के चरने के लिए जो जमीनें होती हैं, उन पर भी कब्जा हो गया है। अब गायों को चरने के लिए जमीन नहीं मिलती। इस कारण से भी जब गाय बूढ़ी हो जाए, कमजोर हो जाए, लूली लंगड़ी हो जाए तो लोग बेचने को बाध्य हो जाते हैं। भले ही उनका मन इस बात को करने के लिए मानता न हो।

हम अपने देश में दया की बात करते-करते वैसे भी जानवरों के प्रतिकूर हो गये हैं। मैंने देखा है गाय सड़कों पर पड़ी होती है। उसके शरीर का कुछ भाग टूट गया होता है, उसमें कीड़े पड़े होते हैं। फिर भी लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। ऐसे लोगों को भी सामाजिक दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि गाय को सड़क पर इस प्रकार से छोड़ देते हैं।

मेरा सारे सदन से निवेदन है कि गाय की हत्या के मामले को साम्प्रदायिकता का न समझा जाए। लोढा जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि गायों की हमारे देश में कितनी कमी है। उनकी बातों से यह भी मालूम पड़ता है कि हमारे देश में दूध की कितनी कमी है। इसलिए गाय की हत्या बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। गौ-हत्या को साम्प्रदायिकता की दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आज जो किसानों की हालत है उससे जोड़कर इसको देखा जाना चाहिए। इससे जुड़े हुए जो और भी मामले हैं गाय की हत्या बंद कर देने से उनका भी समाधान होना चाहिए।

सभापति महोदय, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, गद्गद् हूं, भाव-विभोर हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज जो पीढ़ियां गौ हत्या बंद करने के लिए चल पड़ी हैं उनको पुरानी बातें याद रहेंगी और भविष्य में वे गो-हत्या बंद करने के लिए जब निकलेंगे तो हमारे सारे माननीय सदस्य भी उनके साथ दिखाई देंगे और इस आन्दोलन में अपना योगदान देंगे।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि लोढा जी का प्रस्ताव पास होगा। इन शब्दों के साथ मैं लोढा जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और कहती हूं कि इस देश में गो-हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इस मसले को साम्प्रदायिक ममला न समझते हुए आर्थिक ममले के रूप में देखना चाहिए।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : माननीय सभापति जी, अभी मैं उमा भारती का भाषण सुन रहा था तो बड़ा हैरान हो रहा था कि जिन लोगों ने कभी गाय को एक किलो चारा नहीं डाला, वे गाय की सबसे ज्यादा पैरवी करते हैं।

मेरे विद्वान साथी जो पाली से आये हैं जोकि चीफ जस्टिस भी रहे हैं उनकी बातों को भी मैंने सुना। 1966 की वे बात कर रहे थे। बहिन उमा भारती भी गो रक्षा की बात कर रही थीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह गो रक्षा के लिए नहीं बल्कि राज्य पर कब्जा करने के लिए हो रहा है। गो-हत्या स्लोगन के नाम पर, धर्म के नारे के नाम पर वे इस देश की हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी बहिन भी यही चाहती हैं कि उस पर कब्जा हो जाए।

6.15 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस राजस्थान से आया हूं, जहां पर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गायें हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया राठी गायें हैं और अच्छी नस्ल की गाय हैं। अगर आज हिन्दुस्तान में आपको सबसे ज्यादा गायें मिलेंगी तो वह राजस्थान में ही मिलेंगी। मुझे खुशी तब होती अगर लोढा साहब इस संकल्प में "गो रक्षा" शब्द लिख देते, तो मैं इसका समर्थन करता। इस सदन के अन्दर "गो हत्या" की जगह पर संकल्प का नाम "गो रक्षा" होना चाहिए था। अगर ऐसा लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाटरी निकल गई और आ गये यहां पर-- रामजन्म भूमि के नाम पर, 370 के नाम पर। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : रामजन्म भूमि के नाम पर मैं नहीं कह रही थी।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : इसमें आपकी योग्यता मैं जानता हूं। हम राजनीति में रहे हैं, जेलों में रहे हैं और हम इस सदन के अन्दर लाठी के जोर पर नहीं आये हैं, हम यहां पर बहुत संघर्षों के बाद पहुंचे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के अन्दर अगर गायों की रक्षा किसी ने की है तो वह मेरे परिवार ने की है और स्वयं मैंने की है, केवल एक गाय की नहीं, बल्कि लाखों गायों की हमने रक्षा की है। राजस्थान से आने वाले मेरे माननीय सदस्यों से आप पूछ लीजिए कि जब गाय मर रही थी, उस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा गायों की रक्षा किसने की थी ?

मैंने देखा है, इन हिन्दू धर्म के ठेकेदारों को, गाय की चर्बी मिलाते हुए लोगों को जयपुर में पकड़ा गया। इस बात को लोढा साहब जानते हैं लेकिन कोई भी इस बात के लिए नहीं बोला, किसी ने आवाज नहीं उठाई, आज राजनीतिक लोग सिर्फ अपने दांव-पेंच के लिए "गो रक्षा" की बात करते हैं। आज गायों की क्या हालत है ? मेरे यहां की गायों पर सबसे ज्यादा मुसीबत आती है। जब मेरे यहां पर भयंकर से भयंकर अकाल पड़ा, तो कौन गया था मेरे यहां पर ? कोई नहीं गया था। उस समय हमने अपने यहां के किसानों को दो रुपए का एक किलो चारा देकर गायों को बचाया है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता हूं और मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब हमारे यहां पर 1968 में भयंकर अकाल पड़ा, उस समय हमारे यहां के लोग बहुत मुसीबत में थे क्योंकि राजस्थान के लोगों के जीवन का आधार ही पशुधन है, वहां पर खेती तो होती ही नहीं है। उसकी गाय, भैंस, बकरी और ऊंट ही उसके जीवन का आधार है। जब अकाल पड़ा तो मैं उस इलाके में गया और मेरी पार्टी के लोग भी मेरे साथ थे।

मैं यहां पर इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि जिस दिन लोढा साहब ने यह प्रस्ताव रखा तो आपका ध्यान बंगाल और केरल में गया, जहां पर इन्होंने "गो हत्या" का जिक्र इस तरह से किया, जोकि इनको नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए हमें इन्हें रोकना पड़ा कि आप यह क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं आप ? अभी मेरी बहन मुसलमानों के बारे में कह रही थीं, मैं उस मम्युनिटी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं । हमारे यहां के मुसलमान सबसे ज्यादा अच्छी तरह से गायों को पालते हैं । मेरे यहां की राठी गायों को, बढ़िया गायों को, हमारे इलाके में बसने वाले मुसलमान ही ज्यादा अच्छी तरह से रखते हैं ।

हिन्दुओं को आप देखिए, जो गायों को चारा तक नहीं डालते हैं और कहते हैं कि अकाल के नाम से दो सौ करोड़ रुपए चले गये और 1987 में हमने दो सौ करोड़ रुपए चारे के नाम पर दे दिए और इसमें से बहुत-सा रुपया वह स्वयं ही खा जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय 200 करोड़ रुपए चारे के नाम से ले गए, जो अपने आपको हिन्दू कहते हैं, धर्म का ठेकेदार कहते हैं, वे लोग उस चारे के 100 करोड़ रुपए खा गए, चारे के नाम से खा गए । यह हालत देखी है । यह कौन कर रहा है, क्या यह मुसलमान ने किया है । जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, सफेद टीका लगाते हैं, उनको हमने यह करते हुए देखा है । उन लोगों ने यह काम किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जरूरत इस बात की है कि देश के अन्दर गाय की रक्षा कैसे की जाए । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि गो हत्या बन्द कर दी जाए, बूढ़ी गाय और बूढ़े बैल को कौन संभालेगा । आप कह दीजिए, बी० जे० पी० मारा दे दे कि एक-एक घर में एक-एक गाए बांध दी जाए । (व्यवधान)

जो लोग गाय को चारा नहीं डालते हैं, वे धर्म की ठेकेदारी की बात करते हैं । (व्यवधान)

आप अपने घरों में रखिए, यह काम करिए, बहुत अच्छी बात है । आप नाराज क्यों होते हैं । मेरे घर में तो 50 गायें बंधी हुई हैं, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं, आप एक गाय तो रखिए । (व्यवधान)

आप मेरी बात सुनिए, राजनीति का प्लेटफार्म इस पार्लियामेंट को मत बनाइए । माननीय सदस्य श्री गुमान मल लोढा जो जिस ढंग से इस सवाल को यहां पर लाए हैं, आप समझते हैं कि रामजन्म भूमि के नाम पर 2 से 88 हो गए हैं तो गो-रक्षा के नाम पर इस हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं राजनीति की बात करते हैं, अब बहुत पवित्र बनना चाहते हैं कि इसमें राजनीति को मत लाइए । कहते हैं सांप्रदायिकता का राजनीतिकरण मत करिए । अभी बहन कह रही थी ।

मैं परसों अयोध्या गया था, मुझे जाने का मौका मिला । मैं टांडा और फैजाबाद के इलाके में भी गया, जब उस इलाके में जाऊं तो स्वाभाविक है कि बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि को न देखूं, यह कैसे हो सकता है । मैं भी हिन्दू हूं, मेरा भी देखने का मन करता है, मगर मैंने ठेकेदारी नहीं ली है । मेरी पार्टी ने ठेकेदारी नहीं ले रखी है, कुछ और लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है । ऐसे लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है जो धर्म के बिल्कुल उल्टा काम करते हैं । मैंने उनको धर्म की बात कहते हुए देखा है, जो लोगों के सामने तो धर्म की बात करते हैं, लेकिन कर्म में उसको बिल्कुल नहीं अपनाते । मैं उन लोगों में से नहीं हूं । मैंने वहां पर एक इबारत पढ़ी है । विश्व हिन्दू परिषद का

एक दफ्तर ठीक बाबरी मस्जिद के सामने हैं, वहां पर रुपयों के ढेर लगे हुए हैं, हिन्दुओं की भावनाओं का एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है। इस देश के अन्दर कुछ लोग 80 फीसदी हिन्दुओं के नाम पर हिन्दुओं का एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं। ये लोग इस देश के अन्दर राज करना चाहते हैं। विश्व हिन्दू परिषद का दफ्तर देखा, उस दफ्तर में मैं गया, वहां पर एक रामजन्म भूमि का माडल रखा हुआ है, आप लोग भी जाकर देखिए, उस माडल के पास एक भाषा में बड़े-बड़े अक्षरों में एक पोस्टर लिखा हुआ है। उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं। (**व्यवधान**)

आपने अपना भाषण दे दिया, अब मुझे भी बोलने दीजिए। आप मुझे राजनीति मत सिखाइए। धारा 370 की बात आपने की, रामजन्म भूमि का जिक्र आपने किया, मैंने नहीं किया। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो चित्र लगाया गया है, उस चित्र पर जो लिखा गया है, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात का निर्णय कर दीजिए कि यह डिसकशन गाय के संबंध में हो रहा है या रामजन्म भूमि पर हो रहा है। (**व्यवधान**)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : जब आपको बोलने का अधिकार है तो क्या हमको नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों को अपने-अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, जहां तक हो सके विषय के संबंध में ही बोलें, थोड़ा-सा इधर-इधर हो सकता है, मगर आप इतने उत्तेजित मत होइए, आप अपनी बात कहिए।

(**व्यवधान**)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्व हिन्दू परिषद की बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग राजनीति की बात करते हैं और अपने आपको पवित्र समझते हैं, दूसरे लोगों से उनको गन्ध आती है। तो हमको कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। लेकिन हम कहना नहीं चाहते। हम सदन को प्लेटफार्म नहीं बनाना चाहते। क्या यह आपके प्रवचन का केन्द्र है ? हम यहां पर राजनीति की बात करने के लिए आए हैं, आप यह ठेकेदारी मत लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन को प्रवचन का केन्द्र नहीं बनने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है। जो वहां पर पोस्टर लगा है और चित्र पर जो लिखा है, मैं उसकी इबादत पढ़ रहा हूं। उस पर लिखा है "मन्दिर तोड़ते समय एक लाख छयत्तर हजार हिन्दुओं का बलिदान, यह हैड-लाईन है। राम भक्तों के विरोध के कारण बाबर की सेना मन्दिर के अन्दर नहीं जा सकी, तब तोप के गोलों से मन्दिर तुड़वा दिया।" फकीर जलाल शाह ने हिन्दुओं के खून से मस्जिद की नींव डाली। उपाध्यक्ष महोदय, वहां जरूरी नहीं है विश्व हिन्दू परिषद के लोग जाते हैं, वह हिन्दुओं का बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। वहां पर लाखों हिन्दू जाते हैं। जो भरोसा करने वाले हैं वे भी जाते हैं और जो भरोसा करने वाले नहीं हैं वे भी जाते हैं। यह हिन्दू धर्म के नाम पर एक्सप्लाइटेशन करना चाहते हैं। यह किस इतिहास में लिखा है ? आखिर आप इस देश के अन्दर क्या बनाना चाहते हैं ? माइनोरिटी पर मुसलमानों को शक हो गया है। यह भाषा किसके हित में है ? यह किसके लिए लिखी है ? इसका क्या मतलब निकलता है ? इसको पढ़ने के बाद जो हिन्दू भावनाओं को लेकर जाता है वह मुसलमानों को अपना दुश्मन

समझेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो लोग धर्म की बात कर रहे हैं, गौ-रक्षा की बात कर रहे हैं, वे उनकी रक्षा नहीं करना चाहते।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। किसी भी माननीय सदस्य को विषय भी अतिरिक्त दूसरे विषय पर इस प्रकार के उदाहरण देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यह है कि जो विषय चल रहा है, सदन में जो संकल्प उपस्थित है, उसके विषय में बोलना चाहिए। ((व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, वह हमारी भावनाओं का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए। शोपत सिंह जी यह विषय से बहुत दूर जा रहा है, आप विषय पर आइये।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : आपको जो प्रस्ताव दिया है मैंने, आप उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दीजिए। इनको हम सारा इतिहास बता देंगे (व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर : माननीय सदस्य जो पाली से आते हैं, वे यह जानते हैं कि गौ-हत्या सैंटर का विषय नहीं है, यह स्टेट का विषय है। यह राज्य का विषय है, यह जानते हुए जो आदमी इस तरह का जहर फैलाना चाहे पोलिटिकली और आप उसे नही रोकते है, मैं सुन रहा था और इंतजार कर रहा था और बैठा था कि आज इनको बड़ा दर्द हो रहा है उस दिन कह रहे थे कि बंगाल की सड़कों पर खून बिखरा हुआ है मुसलमान गाय काटते है, मैं चर्चा करना चाहूंगा, एक घटना सुनाना चाहूंगा···

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित होकर न बोलें और घटना को रहने दें, बहुत लोग हैं बोलने वाले।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 1968 मे मैं बीकानेर गया वहां जब मैं कोलायत में पहुंचा तो वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है, अकाल का मौका था हजारों गायें खड़ी थीं पानी पीने के लिए, चारे की व्यवस्था सरकार की तरफ से थी और लोग भी खड़े थे, मैं भी पहुंच गया। वहां पर चार सौ कदम की दूरी पर एक बुढ़िया को बैठे देखा, उसके आगे छोटी-सी करीब 12-13 महीने की बछिया थी। हम जीप लेकर उस बुढ़िया मां के पास चले गये, हमने पूछा किसके लिए यहां बैठी हो। वह मुसलमान औरत रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मेरी बछिया बहुत अच्छी नस्ल की है, मगर चारा नहीं है इसलिए मर रही है। मरने से पहले अब

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जानवर अपनी पूंछ नहीं हिला सकता तो उसको कौवे खाना शुरू कर देते हैं, वह भी पीछे से खाते हैं क्योंकि वह नर्म जगह होती है। उस बछिया पर बोरी डाली हुई थी और रोते हुए उस औरत ने कहा कि जब तक यह मर नहीं जायेगी मैं तब तक यहां बैठी रहूंगी। मैं पूछना चाहता हूं है कोई ऐसा हिंदू धर्म में रहनुमा मुझे बतायें, वह खुद कह रही थी कि कीड़े पड़ गए कोई निकालता नहीं है, हिंदू धर्म के ठेकेदार पास से निकल जाते हैं। गायों के झुंड के झुंड छोड़ देते हैं, जब तक दूध मिलता है रखते हैं उसके बाद आवारा करके छोड़ देते हैं और दूध के बाद एक दिन भी नहीं रखते हैं। कहां वे जानवर जायें, हम आपके पक्ष में हैं कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए गाय किसान की जिन्दगी है, उसको रोटी देती है, बछड़ा देती है, उसके खेत को खाद देती है, दूध देती है और उसको पहनने के लिए जूता देती है। मगर हमारे धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा पाबन्द कर दिया कि किसान रद्दी से रद्दी बछड़ा सांड के लिए छोड़ेगा। हमें यह नहीं बताते कि यह बूढ़ी गाय है इसको कहां बांधें, आप बता दो हम वहां चले जायेंगे बूढ़ी गायों को बांधने के लिए। आज इस देश के अन्दर जरूरत इस बात की है कि इस पोंगापन और ढोंग की वजह से न हम अच्छा बछड़ा रख सकते हैं, न अच्छा सांड ला सकते है उनकी नस्ल सुधारने के लिए। आज कौन रखेगा उस गाय को जो एक छटांक दूध भी नहीं देती। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल हिंदू-मुसलमान का नहीं है। मुसलमान गाय ज्यादा रखता है हमारे राजस्थान में, मेरा अनुभव है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने लाखों गायों को अकाल से बचाया है, मेरे साथी जानते हैं। मेरे परिवार में सारे गाय रखते हैं। आज कोई भगवा कपड़े पहन ले, नीले या पीले कपड़े पहन ले और यह कहे कि हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम नहीं बनने देंगे। गायों के मामले में हमें ज्यादा अनुभव है। कुछ लोग पोलिटिकलाइज करना चाहते हैं, कुछ लोग डूबते को तिनके का सहारा लेना चाहते हैं, कुछ राम मन्दिर के नाम से दो से अट्ठासी हो गये और अब सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर आप इस मामले में गंभीर हैं और इसे पोलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहते तो यह सोचना चाहिए कि उसकी रक्षा कैसे की जाये, उसकी नस्ल को कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे बचाया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोढा साहब जो यहां संकल्प लाए हैं उनका एंगल पोलिटिकली है, उनका एंगल गाय बचाने का नहीं है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (सिवनी) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान्यवर लोढा जी के गो-हत्या प्रतिबंध के संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से इस बात की कामना करता हूं कि मक्कासर जी ने जो बातें कहीं, ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करे, मैं इनकी उत्तेजना से उत्तेजित होने वाला नहीं हूं। परंतु मैं अपने पक्ष की बात जरूर करना चाहूंगा, ये पशु धन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सारे वरिष्ठ लोग यहां हैं, मैं नया चुनकर आया हूं, मेरी जानकारी में पशु अत्याचार अधिनियम 1971, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1979 हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक सारे वरिष्ठ सांसद निश्चित रूप से इन अधिनियमों से परिचित हैं। जहां तक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का सवाल है, आर्थिक रूप से हिन्दुस्तान की किसी भी अर्थ नीति से जुड़े नहीं थे। जब गौ-रक्षा का प्रश्न आता है तो मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि मसला उनके मन में चाहे धार्मिक हो, हम धार्मिकता के आधार पर नहीं कहना चाहते हैं। मगर जब गो-रक्षा की बात की गयी है तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शब्दों के मायाजाल के कारण 40 वर्षों से यह मामला उलझता रहा है। अगर शब्दों का ख्याल नहीं रखा गया होता, उस पर गहन चिंता की गई होती तो विवाद की स्थिति इस संसद में नहीं आती। मैं जबलपुर

विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। वहां वस्तुतः जो आंकड़े मोटे तौर पर प्रस्तुत किए गये थे उसके परिणामस्वरूप पशुधन की कीमत बाजार में 45 हजार करोड़ रुपये है और उन पशुओं से 25 हजार मीट्रिक टन का बोझा ढोया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि हम एनर्जी की बात करें तो 56 हजार मेगावाट शक्ति उनसे प्राप्त होती है। इस प्रकार बिजली की तुलना की दस हजार करोड़ प्रतिवर्ष इससे आय होती है और जहां तक बचत का सवाल है, हम 10 प्रतिशत की बचत उनसे प्राप्त करते हैं। यदि आप पशु धन के संरक्षण की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पशु धन के विकास के लिए मात्र तीन हजार करोड़ रुपया 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है जो एक प्रतिशत होता है। आप 4.4 करोड़ टन दूध देने वाले पशु धन के लिए संरक्षण की बात करते हैं। शायद आपको व्यक्तिगत जानकारी कम होगी कि जो इस सदन में बोल रहे हैं, उन्होंने कभी पशु धन की सेवा की हो। जोधपुर में कसाईघर खोला गया है तो वह आपके राजस्थान में है जिसका आपने कभी विरोध नहीं किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार जब पं० जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी मना रही थी, शायद उनके भावों को भी नहीं समझ पाई कि हिन्दुस्तान में कसाईघर खोले जाते रहे हैं। यहां मीट टैक्नालाजी मिशन के नाम पर मलेशिया के कहने पर कि मांस का स्तर ऊंचा उठाना है, टैक्नालॉजी मिशन की स्थापना की गयी। बरेली के इज्जतनगर में करोड़ रुपये के बूचड़खाने खोलने की बात की गई, खण्डवा के पूर्वी निमाड़ में 244 हेक्टेयर भूमि पर करोड़ों रु० के बूचड़खाना खोलने की बात की गई, कर्नाटक में 7 करोड़ रु० की लागत से बूचड़खाने खोलने की बात की गयी है। इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान में 4000 बूचड़खाने खोलने की बात की गई है। जबकि पं० जवाहर लाल नेहरू ने लाहौर में बूचड़खाना खुलने पर घोर विरोध प्रकट किया था और उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में इनका समर्थन किया जाता है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शब्दों का मायाजाल नहीं है? आप जब हिन्दुस्तान में एनीमल वेलफेयर बोर्ड की बात करते हैं, उनके अध्यक्ष वेलफेयर की बात करते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि हम अहिंसक हिंसा के समर्थक हैं तो यह शब्दों का मायाजाल नहीं है? श्री फकप्पे ने पुस्तक लिखी है कि इज ह्यूमन स्लाटरिंग पासिबल? उसके साथ मैं भी बताना चाहता हूं कि क्या पशुओं का मानवीय कत्ल किया जा सकता है? कत्ल और मानवीय? हिन्दी की भाषा में या चाहे किसी तरीके से, यदि यह शब्दों का मायाजाल नहीं है कि पशुओं को बेहोश करके मात्र जो दूत नहीं देते हैं, क्या आप उनका किसी तरह से मानवीय कत्ल कर रहे हैं? हम आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि यदि इसका आर्थिक मापदण्ड दिया जाये तो आपको विचार करना पड़ेगा पशुधन को बचाने का। जो प्रस्ताव श्री लोढा जी ने दिया है, उसका महत्व वर्ष दर वर्ष किस तरह कम होता जा रहा है। अगर आपने हमारे किसी मुस्लिम भाई की बात की है, जो राजस्थान में बड़ी अच्छी तरह से गाय पालता है, तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हम भी कहते हैं कि चाहे वे किसी भी समुदाय के लोग हों, गोरक्षा के प्रति अपने आपको आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो किसी कोई भी आपत्ति नहीं होगी। हम संसद् में भी कह सकते हैं और मंच पर भी कह सकते हैं। पर आपको किसी धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर आक्षेप करके अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप हर तरह से वरिष्ठ सदस्य हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी बात कहनी है, तो उसको सकारात्मक तरीके से और उसका आर्थिक पक्ष रख कर आप कह सकते थे, धर्म का पक्ष रख सकते थे, संवेदनशीलता की बात कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार के जो शाब्दिक मायाजाल रहे हैं, इनको समाप्त करना चाहिए। इसके पूर्व भी जो हमारे वरिष्ठ लोग संसद् में बोलते रहे हैं,

मुझसे पहले लोढा जी ने हिसाब प्रस्तुत करके अपनी बात कही है। मैं तो ईश्वर से एक बात ही कामना करूंगा कि चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, चाहे वह धार्मिक पक्ष हो और चाहे इसको धर्म से भले ही जोड़ दिया जाए, अगर आज इस पर सदन एक मत है, अगर हमारे कम्युनिस्ट मित्र इस नाते इसको लेना चाहते हैं और गाय को आर्थिक रूप से दिखाना चाहते हैं, तो हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं वे अपने सुझाव यहां रखें। वे अगर गो-रक्षा की बात करना चाहते हैं, गोसंवर्धन की बात करना चाहते हैं, तो वे उसको यहां रखें। हम उनकी उस बात को भी समर्थन देंगे। किसी भी बात में वे आगे तो आएं। मैं यह कामना करता हूं और खासकर लोढा जी का समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसई चौधरी (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लोढा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इस सदन में गोहत्या बन्दी के सम्बन्ध में, उसके बारे में चर्चा हो रही है। यह बात सही है कि गोहत्या के कारण आज देश में पशुओं की नितान्त कमी होती जा रही है। सबसे ज्यादा विडम्बना यह रही है कि इस देश में गोहत्या बन्द करने के बजाए, गोरक्षा करने के बजाए, यहां पर गो हत्या के बूचड़खानों का लाइसेंस लगातार दिया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और विनोबा भावे ने जीस चीज को लेकर आंदोलन किया था और कांग्रेस की जो हुकूमत बनी थी उस कांग्रेस ने आज इस देश के साथ लगातार अत्याचार किया है और यही कारण है कि आज हमारे देश में इतने बूचड़खाने हो गये हैं जिनके कारण हमारे देश में पशुओं का विलयन-सा हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में अच्छी नस्ल के पशु मिलने अब बन्द हो गए हैं। जब अच्छी नस्ल के पशुओं को चिकित्सालयों में तैयार सीमन से पैदा करके बेचा जाता है या जब किसान उनको अपने यहां ले जाते हैं, तो ये बूचड़खाने वाले उन अच्छी किस्म के पशुओं को खरीदकर बूचड़खानों में ले जाकर काट देते हैं और उनकी हत्या करते हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा असर आज हमारे किसान वर्ग के ऊपर पड़ रहा है और खासकर के हमारे देश के ऐसे किसान जो गरीब हैं जिनके पास बहुत कम भूमि रह गई है। उनको जोतने और कृषि कार्य के लिए पशुओं की ही आवश्यकता होती है। उनके पास सिवाय बैल के और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जितने भी बूचड़खाने के लाइसेंस निर्गत किए गए हैं, उनको रद्द करना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और अपने मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गोहत्या पर रोक लगती है, यदि गोरक्षा के लिए कोई कानून बनाते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, तो एक बात के लिए कानून निश्चित रूप से बनाना चाहिए कि हमारे देश में जो अच्छी नस्ल के पशु हैं और जिनको कम उम्र में खरीदकर बूचड़खाने में ले जाकर काटा जाता है और इस प्रकार से उनकी हत्या की जाती है, उस पर रोक लगाई जाए। यदि बूचड़खाने वाले ऐसा काम करते हैं, तो उनको आपराधिक दण्ड दिया जाना चाहिए। ऐसा नियम तो जरूर ही बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गोहत्या बन्दी या गो रक्षा के लिए कम्युनिस्ट के माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं समझता हूं गोहत्याबन्दी या गो रक्षा में, कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। इन दोनों में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूं। आपके माध्यम से इस सदन में, मैं मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस संसद के माध्यम से गोहत्या बन्दी के लिए कानून बनना चाहिए ताकि हमारे

देश में अच्छी नस्ल के जो पशु हैं और जिनकी कमी होती जा रही है, उसको रोका जा सके और हमारे यहां के किसानों को लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिए निर्धारित समय समाप्त होने को है और अभी केवल दो मिनट का समय बकाया है।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, आज कुछ असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ाया जाये।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, आज विशेष परिस्थितियों के कारण स्थगन प्रस्ताव पर अधिक समय लगा, अतः इसकी प्रतिपूर्ति के लिए इस संकल्प पर आगे चर्चा करने के लिए क्यों न इसके निर्धारित समय में वृद्धि कर दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कितना समय लेंगे।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मुझे केवल 10 मिनट का समय चाहिए।

श्री वामन राव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभा में गणपूर्ति कहां है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए घण्टी बजाई जा रही है।

चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा की बैठक सोमवार, 21 मई, 1990 के 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.54 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 मई, 1990/31 वैशाख, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्री राम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53

पी० एल० एस०—48/6/44/90 (एन०)
210

©1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित।